खण्ड-434, अंक-5
गुरुवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1922
(27 अप्रैल, 2000 ई0)

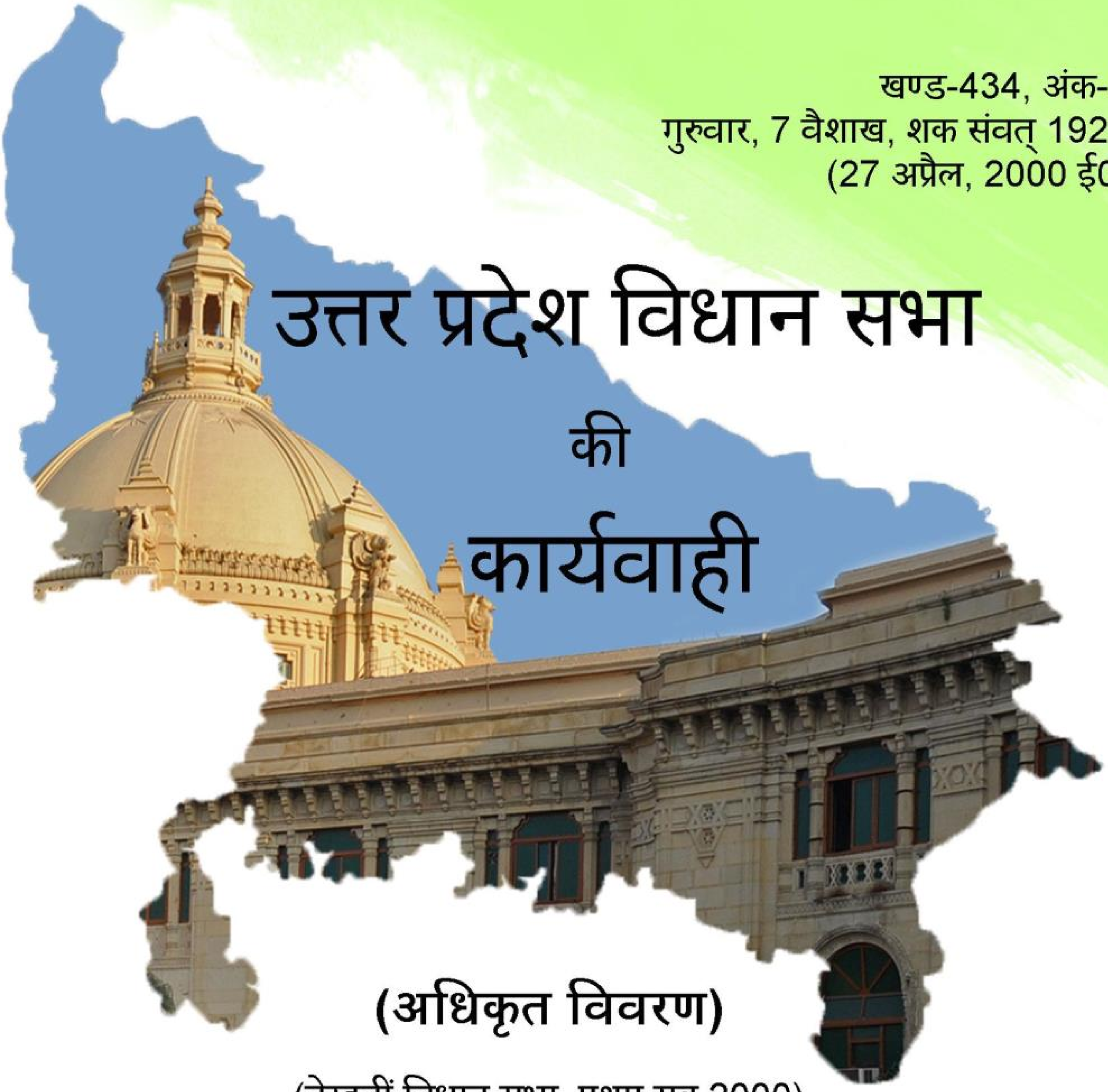

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1-72
लोक निर्माण मंत्री का अपने ऊपर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण एवं मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र देने की घोषणा	72-80
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	80
प्रदेश के गरीबों के रकाबी ऐक्ट 12 के तहत स्वीकार किये गये ऋणों को माफ किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद गाजीपुर शहर में विद्युत आपूर्ति की समस्या का निदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद फतेहपुर में अनसूचित जाति के छात्रों की सुविधा हेतु शहजादपुर खागा में विचाराधीन छात्रावास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
आजमगढ़ जनपद के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत गतवा एवं मुवालपुर गावों के बीच नोनी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
लखनऊ के इन्दिरा नगर में शिवाजी मार्केट के पीछे पड़े हुए 5 बीघे तालाब को भू-माफियाओं के कब्जे से अवमुक्त कराने के सम्बनध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद जौनपुर के उत्तरी भाग के सरायलन्ता में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82-83
आगरा शहर में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
सांसदों/विधायकों के पत्रों के उत्तर शासन के अधिकारियों/मंत्रीगण/मुख्य मंत्री द्वारा दिये जाने के स्पष्ट निर्देशों का पालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	83-87
व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	87-88
आय-व्ययक की मांगों से सम्बन्धित साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	88-89
दिनांक 24-7-98 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी उत्तर अभी तक प्राप्त न होने तथा दिनांक 25-4-2000 को अतारांकित प्रश्न संख्या-59 का अपूर्ण उत्तर देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	89-90
सत्र काल के दौरान सरकार द्वारा नीतिगत निर्णयों की घोषणा सदन से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	90-91
जनपद अल्मोड़ा में सहयोग संस्था द्वारा आपत्तिजनक साहित्य बांटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के रूप में औचित्य का प्रश्न	91-95
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	95
श्री दद्दू प्रसाद विधायक के साथ थानाध्यक्ष मानिक पुर द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने तथा उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी	95-99
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	99-102
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	102-123
राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन चर्चा आगे के लिए स्थगित	124

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 103 के अन्तर्गत सूचनाएं	124-125
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान सं0-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	125-136
संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)	137-147
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	147-161
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 (पारित)	161-167
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश 2000 अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधयेक 2000 (संकल्प अस्वीकृत) (विधेयक पारित)	167-171
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	171-173
जिला योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की योजना के क्रियान्यवन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	173-175
प्रदेश में राजकीय आर्दश विद्यालय बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	175-176
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत विद्युत लाइनों में दोष होने तथा झेलाही बाजांर और साबरपुर बाजार के पास 32 के0 बी0 का सब स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	176-177
आवास विकास परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ में भूखण्ड आवंटन में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री कैलाश सिंह राजपूत द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	177-178
जनपद प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम विजयीमऊ के निवासी कल्लू ऊर्फ रामचरन की दबंगों द्वारा पिटाई किये जाने तथा उसके गायब किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	178-179
जनपद मेरठ के खेकड़ा क्षेत्र में अनियमित रूप से बसाई जा रही अवैध कालोनियों तथा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य आगे के लिए स्थगित	179
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डी0 डब्लू0 सी0आर0 ए0 डवाकरा योजनान्तर्गत महिला समूहों का प्रशिक्षण बन्द किये जाने तथा महिला समूहों की प्रशिक्षुओं को मानदेय न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ददू प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	179

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बहराइच में कुख्यात आतंकवादी सतरहन को मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को घोषित मेडल एवं पुरस्कार तथा मुठभेड़ में मृत पुलिसजन व आश्रितों को अनुमन्य सुविधायें न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	179-180
जनपद सहारनपुर के मण्डल मुख्यालय की नगर पालिका परिषद् सहारनपुर को नगर निगम में परिवर्तित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	180-181
उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों, होम्योपैथिक कालेजों, आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों के अन्तिम वर्ष की परीक्षा पास करने के उपरान्त इन्टर्नशिप भत्ता भुगतान के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	181
जनपद ऊधम सिंह नगर व चम्पावत जिलों के संधिस्थल पर स्थित जनजाति बाहूल्य ग्रामों में दिनांक 23-3-2000 को ओला वृष्टि होने के फलस्वरूप खटीमा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में हुई फसल तथा जान-माल की क्षति की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	182
प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए रोस्टरिंग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक दिनांक 7 अप्रैल 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 नत्थी (ख) सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घन्टे की चर्चा-----(आगे के लिए स्थगित)	182-183
प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक से 5000 करोड़ रूपये ऋण लेने की योजना, उसकी शर्तें तथा मूल विभागों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन न किये जाने विषयक दिनांक 10 अप्रैल 2000 को पूछे गये तारांकित सं0-3 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी आदि की सूचनाओं पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा (आगे के लिए स्थगित)	183

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

1 अखिलेश कुमार श्री, रायबरेली
2 अजय राय, श्री वाराणसी
3 अतीक अहमद, श्री इलाहाबाद
4 अनिल कुमार, श्री बलिया
5 अफरोज अली खां, श्री रामपुर
6 अरविन्द गिरि, श्री खीरी
7 कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
8 काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री रामपुर
9 केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
10 के0सी0 सिंह "बाबा", श्री उधम सिंह नगर
11 कैलाश, श्री गाजीपुर
12 जगपाल, श्री सहारनपुर
13 जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
14 जय नारायण तिवारी, श्री सुल्तानपुर
15 जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री गोरखपुर
16 नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रूखाबाद
17 पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
18 बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
19 मातवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
20 मारकण्डेय चन्द्र, श्री गोरखपुर
21 मुराद लारी, श्री देवरिया
22 मुस्ताक सोलंकी, श्री कानपुर नगर
23 यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
24 रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
25 राम अवतार मिश्र, श्री शाहजहांपुर
26 राम खलाड़ी, श्री बदायूं
27 राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
28 रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
29 राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
30 राम लखन, श्री सुल्तानपुर
31 राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
32 लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
33 विजय सिंह, श्री सोनभद्र
34 विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा
35 विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
36 शिव पूजन राम, श्री वाराणसी
37 शिव शंकर, श्री बांदा
38 संजय सिंह, श्री मुज्जफरनगर
39 समरपाल सिंह, श्री मेरठ
40 सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
41 सुमन लता सिंह, श्रीमती बरेली
42 हरिप्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री सोनभद्र
43 हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नहरों की सफाई में धन के दुरुपयोग को रोकने के उपाय की जानकारी

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

"1- क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों की सफाई कराये जाने हेतु कोई मानक निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष सिंचाई विभाग में बिना नहरों की सफाई कराये फर्जी वाउचर बनाकर सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी नहीं। आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, सिंचाई के साधनों में नहर एक प्रमुख साधन है। प्रतिवर्ष नहरों के चलने के साथ उसमें मिट्टी और बालू जमा हो जाती है जिससे कहीं न कहीं नहर टूट जाती है और प्रतिवर्ष शासन के आदेश से काफी धन खर्च किया जाता है, उसके बाद भी उसकी उपयोगिता ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। नहरों में घाट होने की वजह से टूटन हो जाती है। मैंने पूछा था कि क्या कोई ऐसे मानक निर्धारित हैं जिससे नहरों की सफाई करके पानी का समुचित उपयोग ग्रामीण अंचलों को मिल पाये इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जनपद संत रविदास नगर, भदोही ज्ञानपुर कैनाल जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी की सिंचाई करती है, के ठीक मुहाने से प्रतिवर्ष 2 किलोमीटर पर नहर टूट जाती है, कई बार यह बात संज्ञान में लाई गई, इन्क्वायरी भी की गई, हर बाद अधिकारी जाते हैं, लाखों रूपया प्रतिवर्ष खर्च होता है और नहर आज भी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। यदि नहरों की ठीक से सफाई करके उसके पानी का समुचित उपयोग किया जाय तो इससे नहरें टूटने से बचेंगी और लाखों रूपया भी बचेगा तो क्या नहरों की सफाई के लिए कोई मानक तैयार करके सिंचाई के खेत्र में उसकी उपयोगिता का लाभ हो, ऐसा करने का कष्ट करेंगे?"

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय सदन को यह अवगत कराना चाहूँगा, उधर भी कई सिंचाई मंत्री बैठे हैं। प्रदेश में कुल 74 हजार कि0 मी0 नहरें जिनमें से 14 हजार किमी0 प्रमुख नहरों के रूप में हैं, इनमें नहीं होती क्योंकि इनमें पानी के प्रवाह के साथ ही ये सिल्ट को बहा ले जाती हैं। सिल्ट मुख्य रूप से छोटी माइनर्स में साफ करने की आवश्यकता होती है, जहाँ यह जमा होती है, क्योंकि पानी का प्रवाह धीमा होता है 60 हजार किमी0 ऐसी नहरें है, जिनकी सफाई होती है। एक परम्परा यह रही है, बहुत वर्षो से, कि एक तिहाई नहरों की सफाई प्रतिवर्ष की जाय। इसके साथ ही अनुरक्षण मद में, नहरों के रख-रखाव के मद में जो पैसा मिलता है उस पैसे का 30 प्रतिशत धनराशि नहरों की सफाई पर खर्च की जाती है। इस तरह से वर्ष 1997-98 में इस मद में

53.45 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ और उसका एक तिहाई लगभग 16 करोड़ खर्च करके 20,215 किमी0 नहरों की सफाई कराई गई। उसके बाद वर्ष 1998-99 में 52 करोड़ रूपया मिला, उसके 30 प्रतिशत 15.69 करोड़ रूपये खर्च करके 15,447 किमी0 नहरों की सफाई हुई। उसके बाद वर्ष 1999-2000 में चूंकि वित्तीय संकट से सभी अवगत हैं, धनराशि कुछ कम मिली और इस मद में केवल 42.17 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ, उसमें से 10 करोड़ रूपया खर्च करके 10 हजार किमी0 नहरों की सफाई हुई। यह बात सही है कि पानी के सही संचालन के लिए, सभी नहरों की सफाई हो जाय, जिससे टेल तक सुविधाजनक ढंग से पानी पहुँचे लेकिन संसाधन की कमी और संसाधन की दिक्कत से सभी अवगत हैं इसलिए जितनी एक तिहाई या उससे ज्यादी की सफाई होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। यह जो पैसा मिलता है, यह पैसा टूट-फूट के लिए, नहरों की मरम्मत के लिए और सबके लिए भी होता है, पर एक विडम्बना है, माननीय सदस्यों का सहयोग चाहेंगे कि वे बजट के समय विशेष ध्यान रखें। मान्यवर, 1989 से कई सरकारें आयीं और गयीं, मान्यवर, अनुरक्षण के मद में उतना ही पैसा है, 60 करोड़ से नीचे ही है, जबकि सभी सहमत हैं कि नहरें पुरानी होती जा रही हैं, उनके लिए, अनुरक्षण के लिए अधिक धन आवंटित हो लेकिन संसाधनों की कमी से वह नहीं पा रहा है इसलिए यह जो नहरों की सफाई का मानक है वह यही है कि जितना धन उपलब्ध है और जिन नहरों में सबसे ज्यादा सिल्ट जमा होने की स्थिति है, उन्हें सफाई के लिए प्राथमिकता से चयन कर लेते है। गण्डक नहर में उसकी सिल्ट इजेक्टर के खराब होने के कारण जो बिहार सरकार के नियंत्रण में है, उसमें बहुत ज्यादा बालू आ रहा था, नहरें पट गयीं थीं। संसाधन की कमी होने के कारण हमने उसमें एक करोड़ की व्यवस्था की है। इसमें पारदर्शिता बनी रहे, पूरा सदन अवगत है जबसे मैंने यह कार्य भार संभाला है जो नहरें साफ होती हैं उनकी सूची हम माननीय सदस्यों को, जो उसे क्षेत्र के हैं उनको भेज देते हैं। हम उन्हें इस अपेक्षा से भेजते हैं कि वह भी उस पर नजर रखें। लेकिन बहुत थोड़े सदस्यों ने इस पर टिप्पणी की है जहां कमी थी, मैंने उसकी जांच करायी है। मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अपने सहयोगियों के माध्यम से उस पर नजर रखे जिससे अच्छी से अच्छी सफाई हो सके और सफाई की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूँ माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा है कि धन की कमी है और मानक भी नहीं तय कर रखा है, यदि धन कम मिलता है या ज्यादा मिलता है, आपकी प्राथमिकता क्या होगी, जो फीडिंग चेनल हैं, छोटी माइनर हैं, या रजबहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राथमिकता क्या है। आपने कोई प्राथमिकता तय कर रखी है या प्राथमिकता नही तय रखी है। मान्यवर, दूसरे प्रश्न का जवाब माननीय सिंचाई मंत्री जी ने दिया कि क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष नहर विभाग द्वारा फर्जी वाउचर बनाकर भुगतान किया जा रहा है, उत्तर है, जी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बावजूद धन के दुरूपयोग के बारे में माननीय सदस्यों के और जनता से कितने आवेदन पत्र मिले हैं जो जानकारी है जौनपुर के बारे में और भी माननीय सदस्यों की जानकारी होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितनी शिकायतें मिली और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया है कि जो 14 हजार किलोमीटर मुख्य नहरें हैं उनकी सफाई की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि उसमें पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है, उसकी सिल्ट अपने आप बह जाती है, मुख्य रूप से माइनर की सफाई करनी होती है, बहाव कम होने से वहां सिल्ट जमा हो जाती है और प्रैक्टिस यह है अर्थात् 60 हजार में से 20 हजार किलोमीटर की सफाई की योजना रही है। लेकिन इस वर्ष संसाधन की कमी के कारण 10 हजार किलोमीटर की ही सफाई हो पायी है। तीन साल से मैंने जिस जिले

में जहां सफाई होती है, उसकी सूची माननीय विधायकों को कापी करवा कर भिजवा देते हैं। इसके लिए मैंने अपने अधिकारियों से भी कह रखा है। इसका भाव यही है कि माननीय सदस्य भी इस पर नजर रखें। कुछ लोगों की शिकायतें मिली हैं, उसमें हमने जाँच के आदेश दिये हैं यदि कहीं ऐसी शिकायत मिलती है कि सफाई नही हुई है तो उसको दिखवा लिया जाता है कि उस कार्य के लिए पैसा गया है कि नही अगर पैसा नही गया होता तो जाचं करने की आवश्यकता नहीं होती। जितनी भी शिकायतें सफाई के सम्बन्ध मे मिलती है और उनकी जांच के आदेश दिये जाते है और माननीय सदस्यों को समय- समय पर जांच के परिणाम से अवगत कराया जाता है।

श्री बी0 आर0 वर्मा -

मान्यवर, मैंने स्पेसफिक सवाल पूछा था कि जितनी शिकायतें मिली है और उनमे से जिन शिकायतो कि जांच हो रही है तो क्या उसमें कोई ऐसी शिकायत जाचं के दौरान सही पायी गयी जिसमें धन का दुरूपयोग किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

मान्यवर, कितनी शिकायतें मिली हैं, उसकी सूची नही बनाई गयी है ? अगर माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक मामले के बारे में पूछेंगे तो मैं अवगत करा दूँगा।

श्री बी0 आर0 वर्मा -

मान्यवर, दण्डात्मक कार्यवाही के बारे में उत्तर में लिखा है जी नहीं इसलिए मैने पूछा है कि कितने मामलों में धन के दुरूपयोग को पाया गया है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रश्न में जो बात पूछी गई है उसकी साफ मंशा ये है कि 100 प्रतिशत पैसा सफाई के नाम पर फर्जी होता है। लेकिन मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले क्या हुआ है इसको मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मेरे समय में जो शिकायते मिली है उनकी जांच के परिणाम से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है। अगर माननीय सदस्य कोई मामला दिया होगा मैं उसकी जांच कराऊँगा और जांच की प्रगति से आपको अवगत करा दूँगा।

श्री रामशंकर पाल-

मेरे जनपद में दो साल से नहर की सफाई नहीं हुई है। उन्नाव जनपद के बांगरमऊ क्षेत्र के सम्बन्ध में मैंने दो पत्र दिये, जिनमें गम्भीर आरोप लगाये हैं कि सिल्ट की सफाई नहीं हुई है। मैंने यह भी लिखा है कि किसी टीम को भेजकर जांच करवा ली जाये लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाये और क्षेत्र के प्रतिनिधि को जांच के समय ले लिया जाये ताकि सही जांच हो?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इसकी सूचना इस समय नहीं है आप कोई प्रश्न स्वीकार कर लें सफाई के सम्बन्ध में तो कितनी जांचे हुई हैं, सबको सूची बद्ध करके सदन के पटल पर रख दूंगा कि क्या प्रगति है?

श्री अध्यक्ष-

वह बहुत वस्तीर्ण होगा। माननीय सदस्य ने जो दो पत्र दिए है उन पर क्या कार्यवाही हुई है, यदि इसकी सूचना हो तो माननीय सदस्य को दे दीजिए?

श्री ओमप्रकाश सिंह-

माननीय सदस्य को मैं इस सम्बन्ध में अवगत करा दूंगा।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर मै कहना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं दिया जाता है लेकिन फर्जी सिंचाई टैक्स की वसूली की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल टैक्स से संबंधित नहीं है। इस पर अनुपूरक की अनुमति नहीं है। यह मूल प्रश्न लें नहीं उठता इसके लिए अलग से प्रश्न दीजिए

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कहा कि सिंचाई विभाग के आय-व्ययक रखा जायेगा उस दिन आप लोग उसमें रूचि लें। जो बजट फारमेशन सिंचाई विभागा का होता है उसमें माननीय सदस्यों का काई योगदान नहीं होता है। बजट की प्राथमिकतायें माननीय मंत्री जी स्वयं तय करते हैं। नहरों का अनुरक्षण बजट में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर अनुरक्षण को प्राथमिकता देगें तो नहरों से सिंचाई काफी एरिया तक हो सकेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप बजट में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो एक्जीसटिंग नहरें है, उनकी सफाई हो सके और उस एक्जीसटिंग नहर की सिंचन क्षमता का पूरा लाभ मिल सके?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में कहा कि 1989 से अनुरक्षण के मद में 60 करोड़ रूपये के आसपास प्राविधान रहा है। बजट कैसे बनता है यह माननीय बाजपेयी जी और सभी माननीय सदस्य जानते है। कुछ मजबूरियां होती हैं, प्राथमिकताएं होती है। जो बजट में प्राविधान है वह कर दिया गया है, उस पर आगे डिस्कसन होगा। बजट उसी तरह से बना है जो बजट बनाने की परम्परा है। इस सदन को पूरा अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर दें। संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ही बजट का प्राविधान किया गया है जो 11 तारीख को रखा जायेगा।

श्री उदय राज यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत दिनों नियम 301 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना नहरों की सफाई में बड़े पैपाने पर किये गये भ्रष्टाचार से सम्बन्धित पुरवा ब्रांच और मौरांवा रजबहा में हुई सफाई कार्य के बारे में दिया था। माननीय मंत्री ने विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर उसका उत्तर भेजने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जो शिकायत की गयी है उसकी जांच उक्त विभाग के अधिकारियों से न कराकर किसी दूसरे विभाग के अधिकारियों से कराने का काम करेंगे जिससे जो बड़े पैपाने पर नहर विभाग के कार्यो में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने का काम किया जा सके?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस विभाग में सभी अवगत है कि जब से कार्य भार मिला है इसी विभाग के अधिकारियों से जांच कराकर सैकड़ों लोगों को दण्डित किया गया है। जो मैंने माननीय सदस्य को उत्तर दिया है इसलिए भेजा जाता है कि वह अगर विभाग से संतुष्ट न हों तो हमें बता दें दूसरे अधिकारियों की टीम भेज दें। इसी लिए मैंने शुरू में बताया कि जो नहर की सफाई का कार्यक्रम बनता है वह जिस जिले का होता हे उस जिले के सभी माननीय विधायकों को भेज देते है वाकायदा अपने कवरिंग लेटर के साथ। जो शिकायतें हैं और जो तथ्य दिया गया है उससे अगर सन्तुष्ट न हों तो आप हमें सहयोग करें। हम भी भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते है और यह काम हम सब मिलकर करें।

श्रीमती गी[illegible] देवी-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष

आप बैठ जाएं। इसके लिए अलग से प्रश्न करिए।

श्रीमती [illegible] देवी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष

यह लिखा नहीं जाएगा। आप बैठ जाएं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से जानना चाहता हूँ अभी उन्होंने बताया कि वर्ष 1977-78 में व वर्ष 1999 में क्रमश: 16 करोड़ और 10 करोड़ रूपये अनुरक्षण के मद में खर्च किये गये नहरों की सफाई में 16 करोड़ से 10 करोड़ पर आ गये। मंत्री जी कह रहे हैं कि इतना हमको मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बजट में इसके लिए अधिक धन की व्यवस्था करेंगे जिससे नहरों, रजबहों, माइनरों की ज्यादा से ज्यादा सफाई हो सके। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि केवल नहर, में नैनी रजबहा, जमन रजबहा, करछना, गंडा रजबहा, काला रजबहा में रबी की बुआई में एक बार पानी नहीं गया फसलें सुख गई तो क्या जो फसलें सूख गई उनकी क्षति पूर्ति करेंगे। क्या अनुरक्षण मद में बजट बढ़ाने का प्राविधान किया है? (कई सदस्यों द्वारा आपस में बोले जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपस में टोका टाकी न करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जिन रजबहों की बात कही गई है। वह सूची देख लेंगे प्रयास करेंगे उनकी सफाई हो जाए। जो फसलें सूख गई हैं या जहां सिंचाई न हो पाये यह पहले भी हमने सदन में कहा है कि माननीय सदय उसकी जानकारी दें हम उनका निरीक्षण करा लेंगे। जहां किसान कहता है कि पानी नहीं पहुँचा और विभाग के अधिकारी करते हैं कि पानी पहुँचा ऐसी परिस्थिति में किसान को लाभ दिया जाए व अधिकारी की बात न मानी जाए। माननीय सदस्य जो सूचना देंगे उनकी हम जिलाधिकारी के माध्यम से जाँच कराकर यदि मामला सही पाया जाता है तो लगान जरूर माफ कर देंगे।

अनुरक्षण के सम्बन्ध में अधिक से अधिक संशाधन जुटाने का प्रयास होगा। यह जो विधायक निधि है उसमें से कुछ योगदान अगर माननीय सदस्य कर देंगे तो सफाई हो जायेगी। किसानों का कार्य सबके सहयोग से हो जायेगा।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनुरक्षण मद में सिंचाई विभाग को जो पैसा मिलता है वह पर्याप्त नहीं है। जिससे कि सभी सिंचाई नहरों को दुरूस्त रखा जा सके। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो परिसम्पत्तियाँ सृजित की जाती है उनकी आयु बनी रहे इसके लिए क्या कोई नीतिगत फैसला करेगें? सौं नहरों के रख-रखाव के लिए धन का प्राविधान अपने बजट में करेंगे?

श्री अध्यक्ष-

यह बात मूल प्रश्न से नहीं निकलती। वैसे इसका उत्तर माननीय मंत्री जी देना चाहे तो दे दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय सदन को पहले भी बता चुका हूँ कि कम संसाधन होते हुए भी सुदृढ़ रख-रखाव

नोट- [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नहरों का किया जा सके और व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम चलाया जा सके, इसलिए हमने फतेहपुर, कानपुर, हरदोई, रायबरेली जैसी अनेक योजनायें जो पुरानी हो गई है उसके लिए हमने प्रोजेक्ट [illegible] नाबार्ड को भेजा है, जो नहरें पुरानी हो गई है उनके सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड से पैसा मांगने का [illegible] हम कर रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छी सिंचाई सुविधा मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने परिसम्पत्तियों के संदर्भ में पूछा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखना और कार्य योग्य सुदृढ़ रखना [illegible] की नीति है।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि परिसम्पत्तियों का सृजन योजनागत पक्ष में न रखकर आयोजनागत पक्ष में रखा जा रहा है उनके बेहतर रख-रखाव की कोई नई व्यवस्था नहीं है। अयोजनागत पक्ष के धन को योजनागत पक्ष में ट्रांसफर करके क्या यह सरकार कोई नया प्लान बनायेगी जिससे कि परिसम्पत्तियों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा सके?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

एक दूसरे में और दूसरे को पहले में ट्रांसफ़र की कोई बात ही नहीं है। दोनों नीतियाँ शासन की हैं।

श्री अजय भट्ट -

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उत्तरांचल क्षेत्र में करीब-करीब 80 प्रतिशत नहरें बन्द पड़ी हैं वहां पर कोई नीति सफाई के लिए नहीं बनी है। जो पैसा मिलता है वह नानप्लान में चला जाता है। क्या नहरों की सफाई के लिए धन की व्यवस्था की जायेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

बजट के प्राविधानों को देखते हुए यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से इसके लिए अलग से धन की व्यवस्था करायी जायेगी।....

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, ज्ञानपुर केनाल जो सैकड़ों कि0 मी0 लम्बी है और उसमें जो दीघ रजबहा है उसके भटान और सफाई करने हेतु कोई धन दिया गया है टेल तक पानी पहुंचाने की कोई योजना है और इसमें आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, स्पेसिफिक नहर की बात तो मैं नहीं कहता परन्तु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण परिस्थिति से अवगत करा दिया जायेगा और यह भी कोशिश करेंगे कि सिंचाई की सुविधा स्थापित हो जाय।

शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु रोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्य-योजना की जानकारी

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

**2-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए क्या सरकार गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो यह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वरोजगार तथा मजदूरी

परक विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं।

रोजगार के सतत् अवसर उपलब्ध कराने हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना मुख्य रूप से संचालित है। इनके अन्तर्गत क्रमशः गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले तथा अन्य बेरोजगार व्यक्तियों को बैंक ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व सुश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी परक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1998-99 और 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्र में कितने बेरोजगार थे और कितने संसाधन उपलब्ध कराये गये और कितनी धनराशि व्यय हुई?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर यह सरकार विश्वीकरण और उदारीकरण की अंधी दौड़ में लगी हुई है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पूरी तरह से लाने में प्रयासरत है। बड़े उद्योगों को लगाने में सरकार की रूचि है। कृषि पर आधारित जो छोटे उद्योग हैं जिनसे गांवों में लोगों को रोजगार मिल सकता है उस दिशा में कुटीर उद्योग लगाने के लिए क्या कोई ऐसी योजना सरकार के पास प्रस्ताव है? और कितने उद्योग स्थापित किये जायेंगे ताकि नवयुवकों को रोजगार दिया जा सकेगा और योजना को कितने दिन में पूरा कर लिया जायेगा इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा है गाँवों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गाँव में कुटीर उद्योग की बात कही है। ग्राम्य विकास विभाग के साथ साथ बड़े स्तर पर खादी विभाग या रेशम विभाग, इलैक्ट्रोनिक विभाग हैं इनके द्वारा रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर वर्ष 1999-2000 में पाँच लाख का हमारा लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 4 लाख 72 हजार लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। वर्ष 1998-99 में यह संख्या अधिक थी 10 लाख लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया है।

(इस समय 11 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए।)

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर मैंने पूछा था कि कुल कितनी आवश्यकता थी और उसमें कितना उपलब्ध करा पाये और इस उपलब्ध कराने में कितनी धनराशि व्यय हुई।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

आवश्यकता तो लक्ष्य के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। संसाधनों के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाते रहते हैं।

श्री अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ मंत्री जी से कि इन योजनाओं का आउटपुट क्या है? अब तक इन योजनाओं के माध्यम से कितने कुटीर उद्योग स्थापित हुए हैं और कितने लोगों को रोजगार मिल सका है? आप जो भी बात कह रहे हैं वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है वास्तविकता में कोई कार्य नहीं है। मैं जानना चाहता

हूँ कि क्या कोई योजना बनाने जा रहे हैं जिससे कुटीर उद्योग लग सकें और लोगों को रोजगार मिल सके? मान्यवर, मैंने बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर चाहता हूँ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना के अन्तर्गत जो भारत सरकार की योजना दी गई है उसके अन्तर्गत यहाँ रोजगार उपलब्ध कराने का प्रश्न कर रहे हैं। अबकी बार स्थिति यह है कि यह देर से आई है। 41,436 व्यक्तियों को हमने बैंक के द्वारा अनुदान देकर ऋण उपलब्ध कराया है यह लक्ष्य हमारा आगे को बढ़कर 3 लाख हो जायेगा। यह योजना बहुत बाद में आई है इसलिये ज्यादा नहीं कर पाये हैं आगे आने वाले समय में कर लेंगे। कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं इसके लिए सूचना मंगाकर बाद में उपलब्ध करा देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आप मूल प्रश्न देखें तो। गाँवों से शहरों की तरफ पलायन कैसे रोका जाय, रोजगार का सृजन कैसे करें। स्वर्ण जयन्ती योजना, या अन्य योजनाओं के द्वारा या दूसरे विभागों के द्वारा छोटे कुटीर उद्योग वहां पर लगाये जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो उत्तर आना चाहिए था उसका उत्तर इन्टीग्रेटेड होना चाहिए कि तमाम कुटीर उद्योग लगाये जा रहे और उसका क्या प्रभाव हो रहा है। अगर यह कह दिया जाय कि जिन लोगों को रोजगार दे रहे हैं खादी ग्रामोद्योग वाले उनकी सूची हमारे पास नहीं है, स्मॉल स्केल इन्डस्ट्री वाले जिनको रोजगार दे रहे हैं उनकी सूची हमारे पास आप के पास यदि सूचना हो तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

स्वर्ण जयन्ती के अन्तर्गत 41,436 व्यक्तियों को, जवाहर ग्राम समृद्धियोजना के अन्तर्गत 36927 मानव दिवस को सृजित किया था। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत 1,06,779 इसी प्रकार से विकलांग कल्याण विभाग से 25 अल्पसंख्यक 36 समाज कल्याण के द्वारा 1,291, पशु धन विभाग द्वारा 360, इलैक्ट्रानिक विभाग द्वारा 110 लोगों को लाभान्वित किया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

बाजपेयी, जी आपके प्रश्न को स्पष्ट कर दूँ। मैं खुद इस मत का हूँ कि निश्चित रूप से यह सम्पूर्ण उत्तर आपके प्रश्न का नहीं है लेकिन माननीय मंत्री की कठिनाई को भी महसूस किया जा सकता है क्योंकि यह प्रश्न प्रदेश के विभिन्न विभागों से सम्बन्ध रखता है और निश्चित रूप से सभी विभागों से सम्बन्धित सूचनाओं को संकलित करना होगा लिहाजा ग्राम्य विकास मंत्री जी से इस प्रश्न के उत्तर इसी स्तर तक अपेक्षा की जाती है।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमान् मैं आपका आभारी हूँ कि इस प्रश्न की महत्ता को समझा है। ग्रामीण अंचलों में बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार के सृजन से जुड़ा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी जो भी उत्तर दे रहे है कदाचित् तथ्य से परे है और सत्य से भी परे है। अभी इन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 5 लाख व्यक्तियों का मेरा लक्ष्य था उसके सापेक्ष 4 लाख 72 हजार को यह कवर कर पाये। जिसमें इन्होंने बताया कि इतना जवाहर रोजगार योजना से इतना इस योजना से देने का किया है। श्रीमन् इस प्रश्नों का केवल यह तात्पर्य होता है कि जो वास्तविकता हो, जो सच्चाई हो और जो कमियो का आभास हो उनको दूर किया जा सके। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के किसी एक विकास खण्ड में क्या आप जाँच करायेंगे? आप मेरे विकास खण्ड में जाँच करा लें, सुनिश्चित रोजगार योजना जहाँ लागू होगी वहां राशन कार्ड बनेंगे और प्रोजेक्ट का चयन करके रोजगार दिये जायेंगे, मान्यवर, पूरे विकास खण्ड में सुनिश्चित रोजगार योजना ठेकेदारी प्रथा से हो रही है, तो क्या मंत्री जी किसी एक विकास खण्ड की जाँच करायेंगे?

श्री अधिष्ठाता-

इनका प्रश्न है कि अधिकांश जगह ऐसी बात प्रकाश में आई है कि सुनिश्चित रोजगार योजना का काम ठेकेदारी पर हो रहा है। यह आरोप भी है और प्रश्न भी है तो क्या आप किसी विकास खण्ड की जाँच करायेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

अगर यह जाँच कराने की बात कह रहे हैं तो जाँच करा लेंगे।

श्री रामजग-

पूरे प्रदेश का यह बहुत बड़ा सवाल है कि ग्रामीण अंचल में....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया प्रश्न पूछें मैं दो-तीन सदस्यों को अवसर देना चाहता हूँ।

श्री रामजग-

ग्रामीण अंचलों में चाहे खेतिहर मजदूरों की संख्या ज्यादा हो लेकिन खेतिहर मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए चाहे वह सुनिश्चित रोजगार योजना हो चाहे जे0 आर0 वाई0 हो।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न करें।

श्री रामजग-

मान्यवर, ठेकेदारी प्रथा और ट्रैक्टर के माध्यम से काम कराया जा रहा है मानव से काम नहीं कराया जा रहा है जो मंत्री जी ठेकेदारी प्रथा और ट्रैक्टर पर रोक लगायेंगे? दूसरा सवाल...

श्री अधिष्ठाता-

दूसरा न करिये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सरकार मानव दिवस सृजित कर रोजगार देने का काम कर रही है अगर माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक जगह की जानकारी करनी हो तो बता दें जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

पांच लाख का लक्ष्य आपने रखा था तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए बैंक से कितनी राशि अवमुक्त हुई यह बता दें?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए यह पूछा गया तो आवेदन पत्र की सूची मेरे पास नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और बैंक से कितना धन अवमुक्त हुआ? मंत्री जी यह नहीं बता रहे हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

हमारा पांच लाख का लक्ष्य था उसमें केवल एक योजना नहीं है कई योजनायें थी।

श्री अधिष्ठाता-

आपने बहुत व्यापक प्रश्न किया है।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गॉव की ओर से शहरों की ओर

पलायन कब होता है जो गाँव की विकास दर है, कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्र की [illegible] है यह हमारे बराबर है। तो विकास दर कम हो और शहरी विकास दर से कम हो उस दिशा में गाँव से [illegible] शहर की ओर पलायन करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का उत्तर देंगे कि कृषि और सम्बन्धि[illegible] की विकास दर वृद्धि दर क्या है और उत्तर प्रदेश की जो इकोनोमी है उसकी वृद्धि दर क्या है और [illegible] अंतर कब तक समाप्त करने का काम सरकार करेगी?

श्री अधिष्ठाता-

इस प्रश्न का इस प्रश्न के माध्यम से उत्तर नहीं दिया जा सकता है यह सामान्य बजट का है। माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, यह कहें कि इसका जवाब इनके पास नहीं है, इनके पास आंकड़े नहीं है। यह कह देना कि इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है यह इनका उत्तर गलत है।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें बहुत सारी सूचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूं कि कुल आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी थी, लक्ष्य क्या था, कितना वह दे पाये और कितनी राशि खर्च हुई? इन्होंने यह कहा कि आवश्यकता को देखते हुए लक्ष्य घटता बढ़ता रहता है तो आवश्यकता कितनी थी यह बता दें? मान्यवर, यह ग्रामीण बेरोजगार से सम्बन्धित प्रश्न है और इससे शहरों में दबाव बढ़ रहा है। यह तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें या फिर इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी डा0 बाजपेयी का प्रश्न है कि कितनी जरूरत थी, कितना लक्ष्य रखा गया, कितना प्राप्त किया, कितनी राशि खर्च हुई यह बता दें?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, हमने जो लक्ष्य रखा था वह पाँच लाख का रखा था और उसके सापेक्ष 4 लाख 72 का किया। इस वर्ष जो लक्ष्य है वह 632 लाख जे0 आर0 वाई0 का सुनिश्चत रोजगार का 687, अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत 1लाख 22 हजार दे पाये हैं।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता-

आप नियम-49 लिखकर दे दें। मैं उस पर विचार कर लूँगा। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

नत्थी 'ख'

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में 5 एकड़ से कम जोत वाले किसानों का लगान माफ करने विषयक जानकारी

श्री जगदम्बिका पाल-

**1-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 5 एकड़ से कम जोत वाले सभी किसानों का लगान माफ करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो इस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर माननीय मंत्री ने बड़ी ही मासूमियत के साथ "जी नहीं" कह दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज हमारे खेती और कृषि में जो भी प्रयोग में आने वाली चीजें हैं उसमें केन्द्रीय सरकार सबसीडी देती थी उसको समाप्त कर रही है और जिसके नाते खेती अलाभकर होती जा रही है। तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार पाँच एकड़ या इससे कम पर लगान माफ करने पर विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, $3^{1/8}$ एकड़ तक पर लगान माफ है। पाँच एकड़ पर लगान माफ है। पाँच एकड़ पर लगान माफ करने का सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में निर्धारण आरक्षित क्षेत्रों को परिवर्तित करने सम्बन्धी नीति की जानकारी

श्री राम औतार शाक्य तथा श्री राम विशुन आजाद

**2-क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी चुनाव में आरक्षित क्षेत्रों को परिवर्तित किये जाने हेतु सरकार कोई नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

पंजायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)-

(डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय)-

जी हाँ। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके है।

शासनादेश दिनांक 10-4-2000 संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों से आपभिज्ञ हैं। मान्यवर, त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी चुनाव में आरक्षित क्षेत्रों के लिए 10 अप्रैल, 2000 को शासनादेश निर्गत किया। चुनाव आयोग ने सरकार से कहा कि चुनाव कराये और सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया गया। तो लगता है कि सरकार और आयोग में टकराव है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में सरकार और आयोग के बीच में कोई टकराव न हो और आरक्षण और परिसीमन जबकि परिसीमन का इससे मतलब नहीं है, इसका अधिकार जो वर्तमान चुनाव आयोग है उसको देने का काम सरकार करेगी या अन्य आयोग, एक नया बिल लाकर, उसको देने का यह सरकार विचार करेगी?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय राम औतार शाक्य जी का प्रश्न सुझाव के रूप में ठीक है लेकिन मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह नीति से सम्बन्धित प्रश्न है।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अधिष्ठाता-

जो प्रश्न था वह यह था कि क्या सरकार इसके बारे में निर्देश जारी करेगी तो उसका उत्तर आया इसमें आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके है। जहाँ तक कानूनी पंक्ष है कि आरक्षण और परिसीमन का अधिकार किसको है सरकार को या आयोग को, या इन्टररिलेनसिप क्या है? तो यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इस प्रश्न के माध्यम से इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्राथमिक प्रक्रिया पूरी कर ली गयी, जिला विकास अधिकारियों द्वारा आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है, संसूचना जारी हो गयी। अब पुन: पंचायत चुनाव कार्यक्रम में संशोधन हो रहा है माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि क्या नई आरक्षण नीति बनाये जा रहे हैं? मान्यवर, जो संविधान में व्यवस्था है वह चक्रानुक्रम की है कि डिसेन्डिंग आर्डर में आरक्षण नीति लागू होगी, विकास खण्ड वाईस डी0 डी0 ओ0 सूची जारी कर देंगे। मान्यवर, इससे पारदर्शिता भी आ जायेगी?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, जिन परिस्थितियों के संदर्भ में यह बात उठी है कि बिल्कुल यथार्थ है कि जनता को इस पर सारे तथ्य ठीक प्रकार से जानने व आपत्ति देने का समुचित अवसर मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। यही बात सरकार के समक्ष आयी और यही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नवेदित की गयी। अब चूँकि चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में स्टे हो गये हैं। तो जो आगे चुनाव होंगे उसके पूर्व हम इस बात का प्राविधान करेंगे कि इसको जिस-जिस स्तर पर आरक्षण हो उसकी सूची दी जाये उस पर जनता को तथ्य देने का अवसर मिल सके कोई आपत्ति हो तो आपत्ति करने का पर्याप्त अवसर मिले।

श्री अधिष्ठाता-

डिसेन्डिंग आर्डर की सूची बन जायेगी, ब्लाक मुख्यालय और जिला मुख्यालय में वह प्रदर्शित रहेगी तो पारदर्शिता बनी रहेगी। चक्रानुक्रम में यह करना है कि डिसेन्डिंग आर्डर में रोटेट करेगा।

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, जो सूची प्रकाशित की जायेगी अपने आप स्वत: डिसेन्डिंग आर्डर में ही सूची प्रकाशित की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शांत रहें।

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, वह सूची देखने के लिए व्यवस्था करेंगे, ब्लाक मुख्यालय पर डी0 डी0 ओ0 कार्यालय में पूरी सूची उपलब्ध हो अगर, किसी को आपत्ति हो तो उस सूची का मिलान वह कर सकते है।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, जहां अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों की अधिक संख्या होते हुए भी उनको आरक्षित न करके सत्ता पक्ष के दवाब में सामान्य वर्ग के लिए ऐसा जनपद गोण्डा में हुआ हैं तो वहां कार्यवाही करेंगे?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य का आशय है कि क्या आप उसकी जांच करेंगे और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मैं उसकी जानकारी कर लूँगा, कहीं ऐसा है तो उसको दिखवा लूँगा और परीक्षण करूँगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो पंचायती राज एक्ट बना उसमें जनसंख्या को अवरोही क्रम को चक्रानुक्रम माना है। यदि हर वर्ष परिसीमन की कार्यवाही होती रहेगी तो निश्चित रुप से संविधान की मंशा है उसका पालन नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो एक बार परिसीमन हो गया होता, पंचायते एक हजार आबादी पर बनेगी जिससे जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आरक्षण किया जा सकेगा ऐसी परिसीमन कार्यवाही को रोकने का काम करेगें? मान्यवर, दूसरा, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि जो गॉव सभाएं पिछले वर्ष जिन वर्गो में आरक्षित थीं उसको आगे बढ़ाकर चक्रानुक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया जायेगा।

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, अवरोही क्रम में चक्रानुक्रम करने का प्राविधान है। जहां तक परिसीमन के सवाल पर उस पर आपने संदर्भ नहीं लिया यह जो दूसरा चक्रानुक्रम सुनिश्चित करने का है इसमें मान्यवर, पिछली बार 95 के चुनाव में प्रदेश के 467 ब्लाकों में 50 प्रतिशत से 70 प्रशित के बीच आरक्षण किया गया, 27 ब्लाकों में 70 से 90 प्रतिशत के बीच आरक्षण किया गया और तीन ब्लाक ऐसे हैं जहां शत्-प्रतिशत किया गया था। इस डिसडिंग आर्डर में 95 में और जो माननीय वर्मा जी ने पूछा था तो उसमें उन्हीं के शासन में यह भी तय हुआ था कि जो सीट जिस वर्ग में आरिक्षत रहेगी यथाशक्ति उस वर्ग में वह आरक्षित नहीं रहेगी। इतना ज्यादा आरक्षण होने से उस बात का प्राविधान किया जाना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इसमें व्यापक परीक्षण के उपरान्त कुछ विकास खण्ड ऐसे थे जहां फ्रेश चक्र चलाये गये भविष्य में चक्र ठीक से चले इस नाते यह आरक्षण का कार्य किया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नये जिलों में आरक्षण की नीति क्या होगी? और जो अब तक वहां पब्लिस की हुई आरक्षण की प्रक्रिया है उसमें जो सत्ता का दवाब रहा है और सत्तापक्ष के लोगों ने जो आरक्षण दिया है वही पब्लिस कर दिया है तो उसमें परीक्षण कराकर संशोधन करने का कष्ट करेंगे?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो नये जिलों की बात कही है नये जिलों में भी आरक्षण का प्राविधान वही नही रहेगा, लेकिन यह विषय पुन: संदर्भित हो जाता है कि क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य हैं जो विभाजित होते समय 2-2 जिलों में पड़ गये, ऐसी अनेक विसंगतियां थीं उन्हीं के लिए परिसीमन ओपेन किया गया तो प्रदेश में परिसीमन के मानक पर अनेक स्थानों पर शिकायतें थीं तो वहॉ भी आरक्षण का आधार जो अन्य जनपदों में है वह वही भी रहेगा जनसंख्या आधारित आधार। दूसरा प्रश्न मैं नहीं सुन पाया था।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, बहराइच जनपद से श्रावस्ती को अलग कर दिया गया है और उसकी आरक्षण में व्यवस्था कर दी गयी है जिससे श्रावस्ती का कुछ हिस्सा बहराइच में और बहराइच जनपद का कुछ हिस्सा श्रावस्ती जनपद में मिल जायेगा, क्या मंत्री जी को इसका संज्ञान है? मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों जिलों का आप परसीमन करायेंगे अथवा एक जिले का परिसीमन कराया जायेगा?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद श्रावस्ती और जनपद बहराइच में जो विकास खणड चिन्हित किये गये हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास खण्ड

चिन्हित हुए हैं उसमें जिस जिले का दायरा आयेगा उस क्षेत्र पंचायत का परिसीमन मानक के अनुसार किया जायेगा। जहां तक जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में सदस्यों की बात है तो टोटल वार्ड बनाये जायेंगे तो नये सिरे से परिसीमन किया जायेगा।

डा0 वेद प्रकाश सिंह, एम0 एस0-

मान्यवर, कुछ वर्ग वैकवर्ड क्लास में शामिल किये गये हैं जबकि आरक्षण का आधार 1991 की जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि उन वर्गो को किस तरह सम्मिलित किया जायेगा?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि जो नये वर्ग शामिल किये गये हं, बैंकवर्ड सूची से उत्तर प्रदेश की सरकार ने शामिल किया है। उनको कैसे शामिल किया जायेगा। लेकिन उनकी जाति पर्यवेक्षण कराने का विधिक मानक है वह टाइम टेबुल के हिसाब से टाइट पड़ रहा है मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय 11 मई 2000 को जैसा आदेश देगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 पुकारने पर)

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने से घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं चूँकि इसमें दुगने प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए अब मैं अनुमति नहीं दूगा (कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं नियमानुसार ही कह रहा हूँ। मै अनुमति नही दे रहा हूँ। राम विशुन आजाद जी चर्चा के लिए सुसंगत नियमों में दे दीजिये चर्चा पर विचार किया जा सकता है लेकिन प्रश्न के माध्यम से चर्चा नहीं कराई जा सकती आगे कोई बात लिखी नहीं जायेगी।

प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कठिनाइयों के निराकरण का प्रकरण

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

*3-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में लागू त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपे गये कार्यो के संचालन में गत वर्ष कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं? यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है? क्या सरकार उनके निराकरण हेतु कोई सुधार करने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के स्तर से की गई है, उसमें एक बहुउद्देशीय कर्मी को कई-कई विभागों के कार्य दिये गये हैं। जहां ग्रामीण अंचलों में इतने सारे विभाग मिलकर सिंचाई, शिक्षा आदि यह सारे कार्य नहीं कर पा रहे थे, उसे एक बहु उद्देशीय

कर्मी के माध्यम से कराने की व्यवस्था की गई है, इससे कार्य के संचालन में गड़बड़ी पैदा हो रही हैं, इसको ठीक करने के लिए माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगें? दूसरा प्रश्न, जहाँ तक चक्रानुक्रम की व्यवस्था की गई है, किसी भी ग्राम प्रधान को जब यह जानकारी होती है कि मुझे इस गाँव सभा का विकास करना है तो जनता द्वारा मुझे दुबारा मौका मिलेगा। लेकिन अगर पहले से यह जानकारी हो जाय कि चक्रानुक्रम के माध्यम से गाँव में दुबारा अवसर नहीं मिलेगा तो फिर वह काम काहे करेगा और इससे धाँधली होगी तथा कार्य सही नहीं होगा। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था देंगे जिससे पंचायती राज व्यवस्था की जो सोच है, वह पूरी हो सके और क्या इसके लिए चक्रानुक्रम में परिवर्तन करने की व्यवस्था करेंगे?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी का जो दूसरा सवाल है, वह बैक टू पैवेलियन। पहले सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह जो उन्होंने कहा कि एक ही बहुउद्देशीय कर्मी कैसे काम करेगा। तो पहले जो कर्मी तैनात होते थे, विभिन्न विभागों के, वह एक ग्राम स्तर पर नहीं है। एक न्याय पंचायत स्तर पर, एक खण्ड स्तर पर और जब प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक बहुउद्देशीय कर्मी तैनात किया गया है, जहाँ आबादी ज्यादा के गाँव हैं ,वहाँ दो-दो कर्मी तैनात किये गये हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग भी दी गयी है, चूँकि नई व्यवस्था शुरू की गई है, इसलिये कठिनाईयाँ हो सकती हैं, उसका समाधान किया जायेगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, इसी सम्मानित सदन में माननीय मंत्री जी प्रश्नकाल और अन्यथा भी कई बार यह स्वीकार कर चुके हैं कि कुछ विसंगतियां त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में आई, जिसकी वजह से बार-बार परिवर्तन करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो है, वह अब अपने आप में इतनी पूर्ण है कि भविष्य में अब किसी संशोधन-परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है?

डा0 महेन्द्रनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय डंग साहब ने बहुत ही महत्व की बात कही है। यह एक प्रयोग धर्मी प्रक्रिया है। प्रदेश में 78 वें संविधान संशोधन के सापेक्ष एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया, विकेन्द्रीकरण का और इसके बाद इसमें अनेक स्तर पर जो विसंगतियाँ आई, कठिनाइयाँ आई, उन्हें दूर किया गया। आगे भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वयं स्पष्ट मत है कि जब कोई विसंगतियां कठिनाई आयेगी तो जनहित में उसकी समीक्षा करके, विचार करके, यदि कोई नया प्राविधान करके उसे दूर करना होगा, तो किया जायेगा। लेकिन विकेन्द्रीकरण का क्रान्तिकारी कदम जारी रहेगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि कठिनाई आयी है, कई विसंगतियाँ है और अपने लिखित उत्तर में लिखा है कि जी नहीं। तो मान्यवर, वास्तविकता क्या है? जो लिखित है वह वास्तविकता है या जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, कौन सा सही है?

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना उत्तर पढ़ें।

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैंने लिखित उत्तर में कहा है कि जी नहीं, जो स्पेशिफिक बात थी। अब जो विसंगतियाँ आयीं, वह दूर कर दी गयी हैं आगे भी जो आयेंगी वह दूर कर दी जायेंगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय, पूरे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो रहे हैं इस चुनाव में वर्तमान समय

में 25 तारीख तक आपत्तिया लाया गया उसमें भी जो आपत्तियाँ की गयी है, गॉव पंचायतों की आपत्तियाँ ली गयी है कुछ में गॉव, क्षेत्र और जिला पंचायत की आपत्तियाँ ली गयी हैं तो जहाँ पर क्षेत्र और जिला पंचायत की आपत्तियां नहीं ली गयी हैं....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल साहब जो यह प्रश्न है, यह सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

आपने परिसीमन की बात की थी....

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक बहुउद्देशीय कर्मी से आपके सारे विभागों का कार्य संचालित किया जाता रहा है, आपने कहा है कि उन्हें उचित ट्रेनिंग देकर व्यवस्था की जा रही हैं मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप सिंचाई के लिए एक प्रमुख व्यवस्था है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था देने से पूर्व कितने नलकूप बन्द रहा करते थे और यह व्यवस्था देने के बाद कितने नलकूप बन्द हैं, इसकी जानकारी दे दें?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, जैसा माननीय पाण्डेय जी ने प्रश्न किया है, इसमें जो कठिनाई है और इसमें समाधान यह किया गया है कि जिन गॉवों में एक अथवा एक से अधिक नलकूप हैं और इस नलकूप को चलाने में दिक्कत आ रही है वहाँ ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि वह ढाई सौ रूपये प्रति नलकूप वह स्थानीय लोगों से नलकूप चलाने के लिए जनहित में व्यवस्था कर लें। इस पर सरकार ने निर्णय लिया है और इसके अच्छे परिणाम आये हैं लेकिन एक्जेक्ट आंकड़ा नहीं है,मैं अवगत करा दूँगा।.

श्री अधिष्ठाता-

मैं स्मरण करा रहा हूँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं। यह प्रकरण कई बार उठा और सरकार की तरफ से यह विचार आया कि जब तक इस व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता तब तक सरकार उन्हें अपने पास रखने पर विचार कर लेगी।

संसदीय कार्य, पंजीयन मनोरंजन कर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, माननीय सदन में यह घोषणा की गयी थी कि राज्य सरकार स्वयं जिम्मेदारी लिए हुए है, यह आपकी जानकारी में है। शायद आपका सवाल था या और किसी का था। यह घोषणा की गयी थी।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

तारांकित प्रश्न

*1-श्री राजधारी-

(मंत्री परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया)

प्रदेश में आलू के अधिक पैदावार वाले बीजों को कतिपय जनपदों में उपलब्ध कराने की मांग

*2-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में वर्ष 1998 में अगेती आलू की फसल में सबसे कम समय में किसानों को अच्छी पैदावार देने वाले विभिन्न किस्म के आलू के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गयी है? यदि हॉ, तो किस माध्यम से और किन बीजों की? क्या यह सच है कि कुफ्री, चन्द्रमुखी आलु का बीच जो सबसे

कम समय में अधिक पैदावार देने वाला है, के बीज को सरकार द्वारा जिला उद्यान केन्द्र मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद एवं फर्रूखाबाद जनपदों में विगत कई वर्षो से उपलब्धता नहीं कराया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार भविष्य में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)-

जी हाँ। मागांनुसार आलु बीज उपलब्ध होने पर यथा सम्भव अगैती आलू बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गयी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से कुफरी,चन्द्रमुखी ,कुफरी बहार एवं कुफरी बादशाह आलू बीजों को उपलब्ध कराया गया।

जी हाँ। कुफरी चन्द्रमुखी प्रजाति सबसे कम समय में पैदावार देने वाली प्रजाति है। जनपद मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद एवं फर्रूखाबाद जनपदों से इसकी मांग प्राप्त न होने से उक्त आलू बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मांग न होने का कारण।

मांग होने पर उपलब्धता, यथा सम्भव सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-श्री रामललित चौधरी-[वें सोमवार में ता0 प्र0 स0-15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में घोषित हरित पट्टी स्थलों पर भट्ठों से होने वाली हानि पर कार्यवाही की मांग

*4-कुं0 रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार-

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घोषित हरित पट्टी-स्थलों पर ईट भट्ठा लगाये जाने की क्या नीति है? क्या सरकार इसका सर्वेक्षण कराकर ऐसे क्षेत्र में स्थित ईट भट्ठों से होने वाली हानि के संदर्भ में कोई कार्यवाही करेंगी? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धनराज यादव-

घोषित फल पट्टी स्थानों पर भट्ठों लगाये जाने हेतु सरकारी गजट अधिसूचना संख्या-670/17वि-1-2(क) 5 1985 दिनांक 23.4.85 के नियमों का पालन किया जाता है जिसके द्वारा अन्तस्थ परिक्षेत्र (बफर जोन) के अन्तर्गत ऐसी फल पट्टियों के चारों ओर समानान्तर में तीन किलोमीटर के परिक्षेत्र में कोई ईट भट्ठा नहीं लगाया जा सकता है।

जी हाँ।

यदि घोषित फल पट्टियों के अन्तस्थ परिक्षेत्र में ईट भट्ठा या हानिप्रद अधिष्ठान स्थापित किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो जांचोपरान्त शिकायत वास्तविक पाये जाने पर अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत हानिप्रद अधिष्ठान को जिलाधिकारी द्वारा बन्द कराने की कार्यवाही की जाती है एवं अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन किये जाने पर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दोषी को साधारण कारावास जो 6 माह तक हो सकता है अथवा जुर्माना जो तीन हजार तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जाना प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ वाहन पड़ाव अड्डों पर न रूकने वाले वाहनों से ली जा रही अवैध वसूली रोकने की माँग

*5- श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या पंचायत राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में निर्धारित वाहन पड़ाव अड्डों पर न रूकने वाले वाहनों से भी शुल्क लिया जाता है जो उक्त मार्गो से गुजरते हैं? यदि हाँ, तो क्या इस तरह की वसूली वैधानिक है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की वसूली पर रोक लगायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

पूर्व में इस प्रकार की शिकायत की सूचना शासन के संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अवैध वसूली रोकने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*6-श्री जगदम्बिका पाल-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर, तहसील कैम्पियरगंज के राप्ती नदी के तटबन्ध से नष्ट गाँवों को पुन: बसाने की जानकारी

*7-श्री विनोद मणि-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में तहसील कैम्पियतगंज के ग्राम रामकोला, बंजरहा, इन्द्रवार राप्ती नदी के तटबन्ध करमैनी-खण्ड खड़िया, करमैनी-बेलौली के बीच गत वर्ष की बाढ़ से टूट जाने के कारण इन सभी ग्रामों का अस्तित्व समाप्त हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उन गाँवों को पुन: बसाने की व्यवस्था करेगी? यदि हाँ,तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जनपद गोरखपुर व तहसील कैम्पियरगंज के अन्तर्गत ग्राम रामकोला बंजरहा तथा इन्द्रवार राप्ती नदी के तटबन्ध करमैनी खड़ खड़िया के बीच गत वर्ष 998-99 में आई बाढ़ से बाँध में कोई कटान नहीं हुई है और न ही उक्त ग्रामों का अस्तित्व ही समाप्त हुआ है। आज भी उक्त सभी ग्रामों का अस्तित्व बरकरार है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तरांचल क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं बेरोजगारी के समाधान हेतु औधानिक नीति की जानकारी

*8श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तरांचल क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं बेरोजगारी के समाधान हेतु उद्यान क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के लिए विस्तृत उद्यान नीति तैयार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धनराज यादव-

जी हाँ।

जी हाँ। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 1999 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति तैयार की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् द्वारा अधूरी सड़कों का निर्माण कराने की मांग

*9-श्री लालजी वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा चयन अनुबन्ध पर बनने वाली निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में रोक दिया गया था? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है? क्या सरकार उन अधूरी सड़कों का निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बैंक ऋण एवं विद्युत बकाये की वसूली तहसीलों के माध्यम से होने पर 10 प्रतिशत तहसील व्यय बकायेदारों से वसूलने पर आपत्ति

*10-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बकायादार व्यक्तियों के बैंक ऋण एवं विद्युत बकाये की वसूली तहसीलों के माध्यम से करायी जाती है और बकायेदारों से 10 प्रतिशत तहसील व्यय वसूला जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार यह व्यवस्था समाप्त करके उक्त 10 प्रतिशत व्यय सम्बन्धित विभाग से वसूलने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ,

जी नहीं।

बकायेदारों से वसूली औचित्यपूर्ण है।

विधायकों के निर्माण और विकास सम्बन्धी अधिकार जो पंचायतों को सौंपे गये थे उनको वापस लिये जाने की जानकारी

*11-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के निर्माण और विकास सम्बन्धी जो अधिकार पिछली कल्याण सिंह की सरकार ने पंचायतों को सौंप दिये थे, को सरकार वापस करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द नाथ पाण्डेय-

पंचायतों को जो अधिकार एवं दायित्व सौंपे गये हैं, वे विभिन्न प्रशासनिक विभागों के हैं, विधायकों के नहीं। अतः उनके वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कृषि कार्य हेतु कार्य योजना लागू करने के साथ जनपद बहराइच में इसे अलग से लागू करने की जानकारी

*12-श्री रामतेज यादव-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कृषि कार्य हेतु वर्ष 2000 के लिए कोई कृषि नीति बनाई गयी है? यदि हाँ, तो उसे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कब तक लागू किया जायेगा? क्या जनपद बहराइच कृषि क्षेत्र में काफी पिछड़ा है? यदि हाँ, तो उक्त जनपद में उन्नतिशील कृषि हेतु कोई अलग से कार्य योजना बनाई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

दीर्घकालीन कृषि नीति बनाई गयी है जिसमें वर्ष 2000 भी सम्मिलित है।

कृषि नीति जुलाई, 1999 में घोषित होने के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में लागू हो गयी है।

प्रदेश स्तर की औसत उत्पादनकता के दृष्टिगत बहराइच जनपद पिछड़ा जनपद है किन्तु देवीपाटन मण्डल की औसत उत्पादकता के परिप्रेक्ष्य में मण्डल के चार जनपदों में बहराइच दूसरे स्थान पर है। अलग से कोई कार्य योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि पूर्व से ही एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (चावल आधारी) टेक्नोलोजी मिशन के अन्तर्गत तीव्रगामी मक्का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास

परियोजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (मूँगफली, सोयाबीन, राई/सरसों/तोरिया, सूरजमुखी) राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड के अन्तर्गत सोयाबीन विकास कार्यक्रम, केन्द्र पुरोनिधनित विशेष जूट विकास कार्यक्रम, सुखोन्मुखी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एवं बारानी कृषि हेतु राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम जनपद में संचालित है।

उक्तानुसार योजनाएं संचालित हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में नकली कीटनाशक दवा और खाद की बिक्री रोकने की माँग

*13-श्री विजय पाल सिंह-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नकली कीटनाशक दवाओं तथा नकली खाद की बिक्री जोरों पर है जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं? यदि हाँ, तो इसे रोके जाने हेतु सरकार क्या कोई कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं।

प्रदेश में कीटनाशी रसायनों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए भारत सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं नियमावली 1971 लागू की है जिसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने 274 कीटनाशी निरीक्षक को अधिसूचित किया है जिनके द्वारा प्रदेश में कीटनाशक विक्रेता एवं उत्पादनकर्त्ता फर्मो के यहाँ से कीटनाशक रसायनों के नमूने आहरित कर विशलेषित कराये जाते हैं तथा दोषी विक्रेताओं एवं उत्पादनकर्त्ता फर्मो के विरूद्ध अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विनिर्माता स्तर से विक्रय केन्द्रों तक निम्न कार्यवाहियां संचालित की जाती है:-

1-प्रदेश के समस्त जनपदों में विनिर्माता स्तर से सुदूर अंचलों तक विक्रय केन्द्रों पर छापे आयोजित करना, संदिग्ध स्टाक से नमूनें ग्रहीत करना तथा प्राथमिकता पर परीक्षण कराना।

2-उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरक स्टाक का सत्यापन।

3-उर्वरकों के शीर्ष उपयोग के समय उर्वरक व्यवसाय पर प्रदेश व्यापी विशेष छापों का आयोजन।

4-परीक्षण पर पाये गये अमानक नमूनों से सम्बन्धित दोषी उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्कूल, कालेजों हेतु ग्राम सभा की भूमि के निशुल्क आवंटन की व्यवस्था

*14-श्री हरपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनहित में ग्राम समाज की भूमि को क्या सरकार जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज व डिग्री कालेज खोलने हेतु आवंटित करने की व्यवस्था करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

निजी क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल, इण्टर कालेज व डिग्री कालेज खोलने हेतु सशुल्क तथा सरकारी क्षेत्र के उक्त संस्थाओं को ग्राम सभा की भूमि नि:शुल्क आवंटित किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पूर्व नशाबन्दी लागू करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

*15-श्री स्वामी ओमवेश-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देव भूमि उत्तरांचल में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के सम्बन्ध में गढ़वाल मण्डल नशाबन्दी परिषद् के अध्यक्ष श्री जगमोहन भारद्वाज, एडवोकेट का पत्र दिनांक 19-6-99 प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार मद्य निषेध की नई नीति बनाकर उत्तरांचल में वित्तीय वर्ष 2000-2001 ई0 में पूर्ण नशाबन्दी लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

आबकारी मंत्री (सूर्य प्रताप शाही)-

जी हाँ।

उत्तरांचल में पूर्ण मद्य निषेध लागू करना व्यावहारिक एवं राजस्वहित में नहीं है।

*16-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी [गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु बीज एवं खाद उपलब्ध कराने की कार्य-योजना

*17-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज एवं खाद उपलब्ध कराये जाने की कोई कार्य योजना सरकार बना रही है? यदि हाँ, तो क्या तथा इसे कब तक कार्यन्वित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

प्रदेश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम जो 75% भारत सरकार एवं 25% प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है एवं राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड योजना जो शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित है, चलायी जा रही है। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ही कृषकों को विभिन्न तिलहनी फसलों के उन्नतिशील प्रजातियों का बीज एवं जैविक उर्वरक आदि अनुदान पर वितरित कराया जाता है। उन्नतिशील प्रजातियों के नाम तथा उनके बीजों पर देय अनुदान का विवरण निम्नवत् है :-

उन्नतिशील प्रजातियाँ

(क) खरीफ-मूंगली: अम्बर, चित्रा, एम-13, कौशल एवं चन्द्रा।

सोयाबीन- पी0 के0-472, वी0 एल0 एस-2 वी0 एल0 21 गौरव पूसा-20, के0 एस0-33 वीमी तिलहनी फसलों के बीजों पर तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में देय अनुदान का विवरण निम्न है:-

तिल-210-4, 210-12, 710-78, अण्डी-210-3, 710-4, कालपी-6

रबी-1-तोरिया, 710-9 भवानी, पी0 टी0-303

राई/सरसों-रोहिणी -, नरेन्द राई-8501, पूसा बोल्ड, वरदान।

अल्सी-नीलम, मरिमा, लक्ष्मी-टी-27, श्वेता शुभा, उदय, शिखा।

कुसुम-के0-65, मालवीय-305, जायद-सूरजमुखी, जी0 के-2006, आई0 एस0 एच0 एफ0 एच0-5 मार्डन उक्त सभी तिलहनी फसलों के बीजों पर तिलहन उत्पादन

1-अभिजन/बीज क्रय: बीज के कुल के मूल्य का भुगतान

2-आधारीय बीज उत्पादन-	रू0 200/-प्रति कुन्तल उत्पादन संस्थाओं को
3-बीज ग्राम योजना-	रू0 150/-प्रति कुन्तल बीज उत्पादकों एवं रू0 50/-सीड प्रक्योरिंग एजेन्सी को।
4-प्रमाणित बीज वितरण-	रू0 300/-प्रति कुन्तल सभी तिलहनी बीजों पर।
5-खण्ड प्रदर्शन-	कृषि निवेशों की लागत का 50% अधिकतम।

1-मूंगफली रू0 1500/-प्रति है0

2-तिल रू0 300/-प्रति है0

3-रू0 500/-प्रति है0 तोरिया पर।

4-राई/सरसों रू0 700/- प्रति है0

5-सुरजमुखी रू0 1400/-प्रति है0

6-अलसी रू0 500/-प्रति है0

6-राइजोबियम कल्चर/लागत का 50% अधिकतम

पीएसबीस वितरण:-	रू0 25-प्रति है0
7-सफेद गिडार नियंत्रण:-	रू0 500/-प्रति है0
8-आई0 पी0 एम0 प्रदर्शनी:-	रू0 1500/-प्रति है0
9-जिप्सम पाईराईट वितरण:-	आवश्यकतानुसार अधिकतम रू0 200/- प्रति है0
10-बीजोपचार:-	रसायन के मूल्य का 50% तक अनुमन्य
11-कृषि यंत्र वितरण:-	लागत के मूल्य का 50% अधिकतम रू0 1500/- प्रति यंत्र
12-स्प्रिंक्लर सेट: वितरण-	लघु सीमान्त, अनु0 जाति, जनजाति तथा महिला कृषकों को मूल्य का 50% अधिकतम रू0 7000/- तथा अन्य श्रेणी कृषकों का मूल्य का 33% अधिकतम रू0 4650/-
13-कृषि रक्षा उपकरण-	लागत का 50% अधिकतम रू0 1200/- प्रति शक्ति चालित उपकरण लागत का 50% अधिकतम रू0 600/ प्रति मानव चालित कृषकों को
14-माइक्रोन्यटियन्ट का प्रयोग-	रू0 100/- प्रति है0 माइक्रोन्यटियन्ट
15-खरपतवार कीटरोग नियंत्रण-	रू0 100/- प्रति छिड़काव 2 छिड़काव रू0 200/- प्रति है0 प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में विन्ध्य महोत्सव आयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि की जानकारी

*18-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या संस्कृति एवं पूर्व धर्मस्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 1999-2000 के अपने बजट भाषण में मिर्जापुर जिले में विन्ध्य महोत्सव का आयोजन किये जाने और प्रत्येक वर्ष रु0 25 लाख इस प्रयोजन हेतु देने की घोषणा की गयी थी? क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि हॉ, तो कब और उसका विवरण क्या है? (डा0 रमेश पोखरियाल निशंक)-

जी हॉ

जी हॉ।

प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए अन्ततः उक्त आयोजन हेतु वर्ष 2000 में 5.00 लाख मात्र प्रदान करने का उच्च स्तरीय निर्णय हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

साफ ईस्ट कम्पनी लि0 सण्डीला हरदोई फैक्ट्री की स्थापना के समय प्रोडक्शन लाइसेन्स की स्वीकृति एवं टैक्स चोरी की जाँच कराने की जानकारी

1-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साफ ईस्ट कम्पनी लि0 सण्डीला हरदोई फैक्ट्री की स्थापना के समय प्रोक्डशन लाइसेन्स में कितने टन प्रोडेक्शन की स्वीकृति की गयी थी? क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा स्वीकृति से अधिक प्रोडक्शन करके टैक्स की चोरी की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)-

मै0 साफ ईस्ट कम्पनी लि0 सण्डीला, जनपद हरदोई की स्थापना के समय प्रोडक्शन लाइसेन्स में 2500 मैट्रिक टन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

2-श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

(4 थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

3-श्री लाल मणि प्रसाद-

(4 थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0-166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

4- श्री तेजभान सिंह-

(दिनांक 3-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-72 द्वारा उत्तरित)

जनपद बलिया विकास खण्ड सीयर ग्राम सभा कुहां तेतरा व कड़सर के पूर्व प्रधान द्वारा कराये गये फर्जी कार्यो की जाँच की मांग

श्री अफजाल अहमद-

5-क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुहां तेवरा व कड़सर के तात्कालीन ग्राम प्रधान श्री फेकू वर्मा व वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा लाखों रूपये का फर्जी काम दिखा कर भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उसकी रिकवरी करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुहां तेवरा विकास खण्ड सीयर जनपद बलिया के पूर्व प्रधान श्री फेकू वर्मा द्वारा कराये गये कार्यो की तकनीकी जांच विकास खण्ड सीयर के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अवर अभियन्ता द्वारा कराई गयी थी। जांच में प्रधान को निर्दोष पाया गया।

6 व 7-श्री हरदेव सिंह-

(4 थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-175 व 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बदायूं जिला पंचायत में नामित अधिकारियों द्वारा योगदान की जानकारी

श्री भोला शंकर मौर्य-

8-क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायतों को दिनांक 29-7-1998 को जारी किये गये शासनादेश द्वारा जिला स्तर के छब्बीस अधिकारियों को जिला पंजायत में नामित किया गया है? यदि

हां, तो क्या जनपद बदायूँ में इन अधिकारियों द्वारा अपना योगदान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

दिनांक 29-7-98 को इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। अपितु उक्त अधिनियम दिनांक 29-7-99 को प्रकाशित किया गया है।

उपधारा (3) में उल्लिखित अधिकारी धारा 39 की उपधारा (1) में उल्लिखित पद भी धारण करेंगे। अत: अलग से योगदान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, तहसील फरह का नाम परिवर्तन करने की जानकारी

9-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित फरह तहसील का नाम परिवर्तित कर पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से तहसील बनाये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त तहसील को कब तक नया नाम दे दिया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जनपद मथुरा में फरह नाम की कोई तहसील नहीं है। अत: किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

10-श्री अजय कुमार पोइया-

[याचिका समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

11-श्री अजय कुमार पोइया-

[3 रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

12-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

[दिनांक 3-4-2000 को अता0 प्र0 सं0- 79 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई विकास खण्ड माधोगंज ग्राम पंचायत रूकनापुर में अग्नि पीड़ितों को कम धनराशि प्रदान करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की माँग

13-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक सी0 एम0 वि0 का0/एम-1/26185/2686 एवं 26187/ हरदोई दिनांक 9-8-1999 जो ग्राम पंचायत रूकनापुर वि0 खण्ड माधोगंज के 93 व्यक्तियों के मकान आग लग जाने के कारण जल जाने तथा अग्नि पीड़ित को निर्धारित मात्रा से कम धनराशि प्रदान करने के सम्बन्ध मे है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

सन्दर्भित पत्र के आधार पर तहसीलदार, बिलग्राम द्वारा जाँच कराई गई जिसमें पाया गया कि ग्राम रूकनापुर मे दिनांक 25-4-99 को अग्नि काण्ड की घटना से 87 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। जनहानि तथा 3 पशुहानि हुई थी। जाँच के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों में से 51 व्यक्तियों को राहत सहायता हेतु पात्र पाया गया जिन्हें शासनादेशों द्वारा निर्धारित मानक एवं दर के अनुसार अहैतुक सहायता के रूप में कुल रूपये 25,500/- की धनराशि चेक द्वारा प्रदान की गई तथा 44 पात्र व्यक्तियों को रूपये 26,400 गृह अनुदान एवं मृतक के आश्रित को एवं मृत पशुओं के स्वामियों को रूपये 29,500/- अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की गई।

जनपद हरदोई विकास खण्ड माधोगंज ग्राम पंचायत जुजुआमऊ में अग्नि पीड़ितों को कम धनराशि प्रदान करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की माँग

14-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक सी0 एम0 वि0 को/एम-1/26185/2686/ एवं 26187/ हरदोई दिनांक 9-8-1999 जो ग्राम पंचायत जुजुआमऊ वि0 खण्ड माधौगंज के 47 व्यक्तियों के मकान में आग लग जाने के कारण जल जाने तथा अग्नि पीड़ितों को निर्धारित धनराशि मानक से कम धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

संदर्भित पत्र के आधार पर तहसीलदार बिलग्राम से जाँच कराई गई जिसमें यह पाया गया कि ग्राम जुजुआमऊ में दिनांक-15-04-99 को अग्निकाण्ड की घटना से 48 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। पशु हानि हुई थी। जाँच के आधार पर 47 पात्र व्यक्तियों को निर्धारित मानक एवं दर के अनुसार रू0- 26,500 अहैतुक सहायता के रूप में चेक द्वारा प्रदान किया गया है तथा रू0-19800 अनुदान के रूप में वितरित किया गया। मृत पशु के लिये रू0 500 अनुग्रह अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड मल्लावा, ग्राम पंचायत पुसांवा, मौजा रौसा मे अग्निपीडितों को मानक से कम धनराशि प्रदान करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग,

15- डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्रांक सी0एम0/वि0 को0/एम-126185/2686 एंव 26187/ हरदोई, दिनांक 9-8-1999 जो ग्राम पंचायत पुसांवा, मौजा रौसा, वि0 खण्ड मल्लावां के 47 व्यक्तियों के मकान आग लग जाने के कारण जल जाने तथा निधारित मात्रा से कम धनराशि प्रदान करने के सम्बन्ध में है, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र सिह सिरोही -

जी हाँ।

सन्दर्भित पत्र के आधार पर तहसीलदार बिलग्राम से जाँच कराई गयी जिसमें यह पाया गया कि ग्राम रौसा, मजरा, पुसांवा में दिनांक 25-4-99 को अग्नि कांड की घटना में 40 व्यक्ति प्रभावित हुए थे तथा एक जनहानि एवें एक पशुहानि हुयी थी। जाँच के आधार पर पात्र 33 व्यक्तियों को निर्धारित मानक एंव दर के अनुसार रूपया 17400 =00 अहैतुक सहायता के रूप में चेक द्वारा प्रदान की गयी ।इसके अतिरिक्त 33 पात्र व्यक्तियों को रू024,600 =00 गृह अनुदान एवं जन एवं पशुहानि के लिए रू0 41,000 =00 अनुग्रह अनुदान के रूप में भी वितरित किया गया है।

जनपद बाँदा के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा विकास खण्ड अधिकारी बडोखर खुर्द को ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग के ग्राम प्रधान को चार्ज दिलाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी।

16-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद -

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला पंचायती राज अधिकारी बांदा के पत्रांक 1292/7 पंचायत/ चार्ज / 99-2000 दिनांक 17-11-99 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी बडोखर, खुर्द बांदा को ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग के प्रधान को चार्ज दिलाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हां तो प्रतिलिपि क्रमांक -1 पर पृष्ठांकित प्रति प्रधान श्रीमती देवरती सिंह निवासी मवई बजुर्ग को किस माध्यम से प्राप्त करायी गयी? क्या यह सही हैं कि

पूर्व प्रधान द्वारा अभिलेखों में की गई हेराफेरी को छिपाने के लिये मिला पंजायती राज अधिकारी द्वारा जानबूझकर चार्ज में विलम्ब किया गया है? यदि हाँ, तो क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

चूँकि प्रधान श्रीमती देवरती सिंह का निधन हो चुका है अत: उन्हें पत्र प्राप्त कराया जाना सम्भव नहीं है।

उल्लिखित बिन्दु शासन के संज्ञान में नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ के बस्ती वासी मार्ग पर मंडी परिषद द्वारा कराये जा रहे मार्ग के निर्माण को शीघ्र पूरा कराने हेतु पत्र पर कार्यवाही की माँग

17- श्री राम ललित चौधरी-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत बस्ती वासी मार्ग पर बहादुर से ग्राम तक मंडी परिषद द्वारा किये जा रहे मार्ग के निर्माण कार्य के शीघ्र पूरा कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र माह जनवरी, 2000 में प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

चयन अनुबन्ध के कार्यो के रनिंग भुगतान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के फलस्वरूप कार्य अवरूद्ध हो गया था। चयन अनुबन्ध के अन्तर्गत अपूर्ण कार्यो को पूर्ण किये जाने का निर्णय हो जाने के पश्चात ठेकेदार को पुन: कार्य प्रारम्भ करने हेतु सूचित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने व ब्लाक तिन्दवारी राजकीय गजहा कृषि फार्म की भूमि को अधिग्रहण करने की जानकारी

18-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु क्या भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां तो क्या सरकार ब्लाक तिन्दवारी स्थित कृषि विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय गजहा कृषि फार्म की 400 एकड़ भूमि को अधिगृहीत करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के क्षेत्र में आता है। कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर से अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से जनपद बांदा में वर्तमान में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। अत: ब्लाक तिन्दवारी स्थित कृषि विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय गजहा कृषि फार्म की भूमि को अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता है।

19-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

[दिनांक 26-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-193 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहाँपुर विकास खण्ड कलान, ग्राम सभा छिदकुरी में ग्राम समाज की भूमि का आवंटन

20-श्री शरदवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान की ग्राम सभा छिदुकुरी में 1400 एकड़ भूमि ग्राम समाज की पड़ी हुई है जिसका अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया यदि हाँ तो क्यों? उसका आवंटन कब तक किया जायेगा? क्या सरकार इसमें दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

ग्राम सभा छिदुकुरी में ग्राम समाज की कुल भूमि 2061.93 एकड़ है,जिसमें 1554.41 एकड़ रेत, 473.15 एकड़ नवीन परती व बंजर, 34.37 एकड़ सार्वजनिक प्रयोग हेतु सुरक्षित भूमि है। इसमें से 1248.37 एकड़ भूमि जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 6.10.96 द्वारा वन विभाग को दी गई तथा 210 एकड़ भूमि का आवंटन खेतिहर मजदूरों में किया गया है। इस प्रकार 1458.37 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है। शेष 340.41 एकड़ भूमि रेत तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि है, जिसका आवंटन ज0 वि0 अ0 की धारा 132 से आच्छादित होने के कारण नहीं किया जा सकता है तथा 263.15 एकड़ भूमि बंजर नवीन परती गंगा नदी की तलहटी में होने के कारण कृषि कार्य हेतु अनुपयोगी है।

जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा चकबन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शासनादेश के अनुसार की गयी कार्यवाही की जानकारी

21-श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 5930/1-8/99 दिनांक 20-10-99 में पारित आदेशानुसार जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा गोपाल नारायण, हृदय नारायण, प्रेम नारायण पुत्रगण स्व0 इकबाल नारायण एवं जनपद के चकबन्दी अधिकारियों/कमर्चारियों के विरूद्ध शासनादेश संख्या सी0 एम0-91/1-8-99 रा0-8 दिनांक 14-7-99 में पारित आदेशानुसार कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

प्रश्नगत मामले में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी से जांच करायी गयी। प्रकरण पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित है जिसका निराकरण न्यायालय द्वारा ही सम्भव है। प्रकरण से सम्बन्धित अपील बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी न्यायालय में विचाराधीन है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी ग्राम भिटौली खुर्द के अपात्र व्यक्तियों के नाम पट्टा आवंटित विषयक उपजिलाधिकारी को दिये पत्र पर कार्यवाही की माँग

22-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उप जिलाधिकारी बाराबंकी को सम्बोधित पूर्व प्रधान मौजा भिटौली खुर्द परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी तथा प्रार्थीगण ग्राम भिटौली खुर्द द्वारा हस्ताक्षरित अपात्र व्यक्तियो के नाम पट्टा आवंटित विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 25-8-99 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हा।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र दिनांक:25-8-99 इस आशय का है कि अपर आयुक्त महोदय के स्थगन

आदेश तक पैमाइश न की जाय जबकि अपर आयुक्त महोदय का आदेश इस आशय का है कि आवंटित भूमि पर पेड़ों को न कटा जाय पट्टे की पैमाइश पर कोई रोक नहीं है पट्टे की पैनाइश करके कब्जा दिलाया जाय। तदनुसार आवंटित भूमि पर पात्र व्यक्तियों को कब्जा दिलाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद औरैया, विकास खण्ड भाग्य नगर की ग्राम पंचायत मुडैना रामदत्त में अपात्र व्यक्तियों को पट्टा आवंटन पर कार्यवाही की जानकारी

23-महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद औरैया अन्तर्गत विकास खण्ड भाग्य नगर की ग्राम पंचायत मुडैना रामदत्त में वर्ष 1997-98 व 1998-99 में ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा क्या अपात्र व्यक्तियों के द्वारा पट्टा आवंटित किये गये है। यदि हाँ तो क्या उक्त पट्टे निरस्त करके ग्राम प्रधान व लेखपाल के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर मत्स्य विकास निगम शाखा खुटार द्वारा मछलियों के बच्चे कम दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

24-श्री वीरेन्द्र सिंह "मुन्ना"-

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 3-10-1999 जो मत्स्य विकास निगम की शाखा खुटार, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मछलियों के बच्चे कम दिये जाने की जाँच के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि उन्होंने दि0 26-10-1999 को निदेशक मत्स्य को आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिये थे? यदि हाँ, तो निदेशक मत्स्य पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रकरण की जाँच सहायक निदेशक मत्स्य, शाहजहाँपुर से करायी गई। जाँच में शिकायतें निराधार पायी गई हैं।

25-श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना"-

(4 थे शुक्रवार अता0 प्र0 सं0-180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद सुल्तानपुर, तहसील लम्भुआ के ग्राम मकसूदनमें चकबन्दी कराने की माँग

26-श्री तेजभान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील लम्भुआ के ग्राम मकसूदन की चकबन्दी अभी तक नहीं हुई है? यदि हाँ तो क्यों? क्या सरकार उक्त ग्राम की चकबन्दी कराने पर विचार करेगी?यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ, प्रश्नगत ग्राम वर्ष 1979 में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत लिया गया था, परन्तु उक्त ग्राम के आधार अभिलेखों में अत्यधिक अनियमिततायें होने के कारण वर्ष 1988 में चकबन्दी क्रियाओं से इसे पृथक

कर दिया गया है। अत: उक्त ग्राम को वर्तमान में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत लेने का फिलहाल औचित्य नहीं है।

आगरा शहर में पुरातत्व स्मारक के सुन्दरीकरण कराने की जानकारी

27- श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या संस्कृति एवं पूर्व धर्मस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर के पूर्वी विधान सभा क्षेत्र में उ0 प्र0 पुरातत्व विभाग के संरक्षण में कितने पुरातत्व स्मारक है? क्या इन स्मारकों की सुरक्षा की कोई योजना है? यदि हाँ तो क्या? क्या स्थानीय विकास एजेन्सियों के साथ तालमेल बनाकर इन स्मारक परिसरों के सुन्दरी करण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है?

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक-

जी कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के श्री ब्रह्म ऋषी शर्मा, अवर अभियन्ता जिला पंचायत की मृत्यु के उपरान्त आश्रितों को नौकरी/देयकों के भुगतान की माँग

28-श्री तेजभान सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्रह्म ऋषि शर्मा, अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, पीलीभीत की दिनांक 6-9-1995 को मृत्यु हो गई है? यदि हाँ-तो इनके आश्रितों को नौकरी तथा अन्य देयकों का भुगतान आज तक न किये जाने के क्या कारण है? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पेंशन का भुगतान तथा मृतक आश्रित को सेवायोजित करेंगे?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय -

जी हाँ।

स्व0 श्री ब्रह्म ऋषि शर्मा के पुत्र श्री सुधीर शर्मा को नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में राजस्व.मोहर्रिर के पद पर जिला पंचायत पीलीभीत के कार्यालय आदेश दिनांक 6-6-96 द्वारा नियुक्त/सेवायोजित किया गया था। श्री सुधीर शर्मा द्वारा दि0 29-6-96 को योगदान प्रस्तुत करके उक्त पद पर कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात् दिनांक 18-7-96 को बिना शर्त त्यागपत्र अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, पीलीभीत को प्रस्तुत कर दिया, जिसे अध्यक्ष, जिला पंचायत, पीलीभीत द्वारा दिनांक 25-7-96 को स्वीकार कर लिया गया।

जहाँ तक स्व0 श्री शर्मा के अन्य देयकों के भुगतान का प्रश्न है, स्व0 श्री शर्मा के बीमा दावे की धनराशि रु0 30,093=00 का भुगतान श्रीमती राधा शर्मा को दिनांक 17-9-99 को किया जा चुका है। श्रीमती राधा शर्मा द्वारा पेंशन प्रपत्र प्रस्तुत न करने के कारण स्वीकृति के अभाव में उन्हें अभी नियमानुसार पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक आदि का भुगतान नहीं किया जा सका है।

इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, श्रीमती शर्मा द्वारा पेंशन प्रपत्र प्रस्तुत करने तथा उस पर स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। जहाँ तक किसी अन्य मृतक आश्रित को सेवायोजित किये जाने का प्रश्न है, अब पुन: नियमानुसार किसी को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बलिया विकास खण्ड रतीपर के ग्राम सभा तरछापार में सोनाडीह सम्पर्क मार्ग के लेपन कार्य हेतु शासन को प्राप्त प्राक्कलन की जानकारी

29- श्री रामतेज यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत ग्राम

सभा तरछापार के निवासी जयराम यादव के मकान से सोनाडीह मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने हेतु प्राक्कलन वर्ष 1999 में शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत सुल्तानपुर से सेवानिवृत्त हुए श्री गिरिजा प्रसाद सिंह के समस्त देयों का भुगतान कराने की माँग

30- श्री तेजभान सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत सुल्तानपुर में कार्यरत श्री गिरिजा प्रसाद सिंह पुत्र श्री नरायन सिंह दिनांक 20-9-1998 को सेवा निवृत्त हो गये हैं? यदि हाँ, तो क्या उनके पेंशन, फन्ड, बीमा एरियर आदि देयों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

श्री गिरिजा प्रसाद सिंह पुत्र श्री नरायन सिंह, दिनांक 30-9-98 को सेवा निवृत्त हुए हैं। श्री सिंह को नियमानुसार देय पी0 एफ0, बीमा एरियर, व अन्य आवश्यक देय की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। श्री सिंह का पेंशन सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, फैजाबाद को स्वीकृति हेतु [illegible] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम सभा समुखा में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

31-श्री विनोद मणि-

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक श्री धर्मज्ञ मिश्र, का पत्र दिनांक 15-11-1997 एवं 27-11-1997 एवम् श्री राजकुमार अग्रवाल सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 24 मार्च, 1999 जो जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम सभा समुखा में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में, मंत्री जी एवं सचिव, पशुधन को प्राप्त हुये है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री फागू चौहान-

जी हाँ।

धनाभाव के कारण प्रश्नगत स्थान पर पशुचिकित्सालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद, आगरा व मैनपुरी की नर्सरियों में पौधों पर आय से अधिक व्यय होने के सम्बन्ध में दोषी जनों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी

32-श्री संजय गर्ग-

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद, आगरा तथा मैनपुरी में कहां-कहां राजकीय नर्सरियां हैं तथा वर्ष 1997-98 व 1998-99 में वहाँ पौधों के स्टाक क्या हैं? क्या यह सही है कि उन पर आय से अधिक व्यय हुआ है? यदि हाँ तो इसके लिए दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धनराज यादव-

जनपद-फिरोजाबाद में एक राजकीय पौधाशाला दवरई है। जनपद-आगरा में एक राजकीय पौधशाला कम्पनीबाग है तथा जनपद-मैनपुरी में एक राजकीय पौधशाला कम्पनीबाग है।

जनपद-फिरोजाबाद, आगरा तथा मैनपुरी स्थित उक्त राजकीय पौधशालाओं में वर्ष 1997-98 में क्रमशः 14283, 13600 तथा 47121 और वर्ष 98-99 में क्रमशः 3430, 11300 तथा 31582 पौधों का उत्पादन हुआ। जनपद-फिरोजाबाद के राजकीय पौधशाला में आय से अधिक व्यय हुआ परन्तु आगरा के पौधशाला पर आय से अधिक व्यय नहीं हुआ। जनपद-मैनपुरी की राजकीय पौधशाला में वर्ष 1997-98 में आय से अधिक व्यय हुआ परन्तु 98-99 में आय से अधिक व्यय नहीं हुआ है। जनपद-फिरोजाबाद की पौधशाला स्थापना वर्ष में उसके रेखांकन मातृ पौधों के रोपण, भूमि के सुधार आदि कार्यों पर व्यय हुआ। मातृ पौधों के रोपण के 3 से 5 वर्ष के बाद ही पौधों का उत्पादन किया जाना सम्भव हो पाता है। अतः इसके लिए कोई दोषी नहीं है। जनपद-मैनपुरी के राजकीय पौधशाला पर वर्ष 1997-98 में आय से अधिक व्यय नर्सरी पर तैनात कर्मियों के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं दैनिक श्रमिकों की मजदूरी बढ़ने से हुआ। इसके साथ ही प्राकृतिक कारणों से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

33-श्री नेतराम सिंह-

(3 रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जनपद महराजगंज, तहसील फरेन्दा में बाढ़ से प्रभावित किसानों को गृह अनुदान हेतु सहायता उपलब्ध कराने की माँग

34-श्री विनोद मणि-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा में बाढ़ से प्रभावित किसानों को गृह अनुदान के रूप में प्रति व्यक्ति कितना रूपया कितने लोगों को दिया गया? क्या शेष पात्र लोगों को भी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को गृह अनुदान के मद में 6258 व्यक्तियों को रू0-600 प्रति व्यक्ति की दर से, 532 व्यक्तियों को रू0-800 प्रति व्यक्ति की दर से तथा 2642 व्यक्तियों को रूपये-1000 प्रति व्यक्ति की दर से कुल रू0-68,22,400 की धनराशि वितरित की गई है।

गृह अनुदान हेतु कोई शेष पात्र व्यक्ति नहीं है।

जनपद गोरखपुर से छितही एवं बन्दोह न्याय पंचायत का हस्तान्तरण जनपद महराजगंज में करने की माँग

35- श्री विनोद मणि-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1988 में गोरखपुर जनपद से अलग महराजगंज जनपद का सृजन किया गया था? क्या गलत परिसीमन के कारण जनपद गोरखपुर से छितही एवं बन्दोह न्याय पंचायत का हस्तान्तरण नहीं हो सका? क्या इस संदर्भ में जिलाधिकारी, गोरखपुर व महराजगंज के प्रस्ताव आयुक्त, गोरखपुर मण्डल की संस्तुति सहित शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या सरकार गोरखपुर जनपद से छितही व बन्दोह न्याय पंचायत को जनपद महराजगंज में हस्तान्तरित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

राजस्व परिषद् की विशेषज्ञ समिति की आख्या प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त हो गई है और जिस पर परीक्षणोपरांत निर्णय लेकर कार्यवाही की जायेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील सोहावल के भवन निर्माण की माँग

36-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1997 में सोहावल को जनपद फैजाबाद की तहसील बनाने की घोषणा की गयी थी? क्या उस समय घोषणा के साथ-साथ तहसील भवन बनाने, कर्मचारियों के आवास बनाने तथा तहसील के साज-सज्जा हेतु धन की स्वीकृति भी हुई थी? यदि हाँ, तो क्या अब तक इस तहसील में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य हुआ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक तहसील भवन आदि का निर्माण करवायेगी यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

जी नहीं।

जिलाधिकारी का प्रस्ताव परिषद् को प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर ग्राम सभा अकमा में नाली अंकित भूमि संख्या-796 को चकरोड़ दर्ज करने की माँग

37-श्री गोपाल कृष्ण-

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा अकमा, तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित भूमि सं0-796 चकबन्दी में चकरोड दर्ज किया गया था? क्या वर्तमान में यह अभिलेख नाली के रूप में दर्ज कर दिया गया है? क्या सरकार उक्त भूमि को चकरोड के रूप में अभिलेखों में दर्ज करवायेगी तथा सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी नहीं। प्रारम्भ से नाली अंकित है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में उत्पादित आलू के रख-रखाव हेतु शीतगृहों के समुचित संचालन सुनिश्चित कराने की माँग

38-श्री भरत सिंह-

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में उत्पादित आलू के इस वर्ष समुचित रखरखाव हेतु शासन ने क्या प्रबन्ध किये हैं? क्या यह सही है कि जनपद बलिया में आलू के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था उपलब्ध शीतगृहों के माध्यम से नहीं हो पाती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों की हितों की रक्षा हेतु शीतगृहों के समुचित संचालन को करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धनराज यादव-

जनपद बलिया में उत्पादित आलू के इस वर्ष समुचित रखरखाव हेतु 75426 मै0 टन कोल्ड स्टोरेज भण्डारण क्षमता उपलब्ध है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में कुलपति द्वारा अधिष्ठाता स्नातकोत्तर का पद सृजित करने की जानकारी

39- श्री लाल जी वर्मा-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में बिना प्रबन्ध परिषद् की स्वीकृति के कुलपति द्वारा अधिष्ठाता स्नातकोत्तर का पद सृजित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त पद

की विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम में व्यवस्था है? यदि नहीं, तो उक्त पद का सृजन किस आधार पर किया गया है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में शोध सलाकार के पद पर नियुक्ति की जानकारी

40-श्री लाल जी वर्मा-

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में शोध सलाहकार का नया पद सृजित कर उस पर कुलपति द्वारा नियुक्ति की गयी है? यदि हाँ, तो किसकी? यदि नहीं, तो उक्त पद का औचित्य क्या है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

डा0 एच0 सी0 शर्मा, पूर्व निदेशक शोध, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता जाँच के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की माँग

41-श्री हरदेव सिंह-

क्या संस्कृति एवं पूर्व धर्मस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 24-8-99, 24-1-99 एवं 19-1-2000 जो भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अमियतिता की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक-

जी हाँ।

प्रकरण में जाँच करके आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशक, संस्कृति विभाग उ0 प्र0 को निर्देश दे दिये गये हैं और मा0 सदस्य विधान परिषद् को उक्त स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा उत्सव के कलाकारों को प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन के बीजक की जाँच

42-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अपर निदेशक, प्रान्तीय रखक दल एवं युवा कल्याण , उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा मेसर्स साक्षी कैटर्स 22 स्टेशन रोड, लखनऊ को आदेश सं0-मेमो/4-381/यु0 क0/98 दिनांक 6 जनवरी, 1999 द्वारा राज्य स्तरीय युवा उत्सव में प्रदेश के कलाकारों को दिनांक 8 जनवरी, 1999 से 10 जनवरी, 1999 तक भोजन की व्यवस्था कूपनों के आधार पर निविदायें स्वीकृत करने के उपरान्त रू0 44.00 (चवालिस रूपया मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से भोजन आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया था? क्या यह सही है कि साक्षी कैटर्स द्वारा भोजन आपूर्ति करने के उपरान्त दिनांक 29 जनवरी, 1999 को रूपया 67,745.50 का बिल भुगतान हेतु प्राप्त कराया गया था। यदि हाँ, तो क्या उक्त का भुगतान कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुँवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भईया)-

अपर निदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0 प्र0 द्वारा मेमो/चार-38/यु0 क0/98, दिनांक 06-01-99 द्वारा राज्य स्तरीय युवा उत्सव में प्रदेश के कलाकारों को दिनांक 08-01-99 से 10-01-99 तक भोजन की व्यवस्था कूपन के आधार पर करने के आदेश दिये गये। परन्तु यह व्यवस्था राज्य युवा महोत्सव के चयन के लिए निविदायें आमंत्रित/स्वीकृत करके नहीं की गयी थी, बल्कि पूर्व में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में निर्धारित ठेकेदार साक्षी कैटर्स से करायी गयी थी। अपर निदेशक द्वारा जारी आदेश में रू0 44/= मात्र प्रति व्यक्ति की दर का भी उल्लेख नहीं है।

जी हाँ, साक्षी कैटर्स द्वारा रू0 67,745.50 का बिल दिनांकित 27-01-99 कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। इस बिल के सापेक्ष्य की गयी भोजन की आपूर्ति की पुष्टि हेतु जाँच करायी जा रही है।

जी नहीं, साक्षी कैटर्स द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत दावा प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है, जिसकी जाँच हेतु आदेश दिये गये हैं। जाँच के निष्कर्ष के बाद नियमानुसार आवश्यक की जायेगी।

प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रिया का द्वितीय चरण पूर्ण करने वाले जिलों की संख्या व जनपद जौनपुर में उक्त स्थिति की जानकारी

43-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रिया का द्वितीय चरण कुल कितने जिलों में पूर्ण हुआ है? अपूर्ण चकबन्दी के क्या कारण हैं? द्वितीय चरण की चकबन्दी हेतु जनपद जौनपुर की क्या स्थिति है?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

चकबन्दी आयुक्त से प्राप्त विवरण के अनुसार द्वितीय चक्र की चकबन्दी जिन जनपदों में लागू की गयी उनमें से किसी भी जनपद में चकबन्दी का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है।

चकबन्दी पूर्ण न होने के मुख्य कारण निम्न हैं:-

1-ग्रामों में मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश।

2-चकबन्दी विभाग में स्टाफ की कमी।

3-न्यायालयों में वाद अधिक विवादित होना एवं समय से निस्तारित न होना।

4-ग्रामों में दलबंदी होने के कारण कृषकों का वांछित सहयोग प्राप्त न होना।

जनपद जौनपुर में कुल 907 ग्राम द्वितीय चक्र की चकबन्दी में लिये गये हैं, जिनमें से 718 ग्रामों की चकबन्दी पूर्ण की जा चुकी है। शेष 189 ग्रामों में से 83 ग्राम चक्र निर्माण, 22 ग्राम कब्जा परिवर्तन एवं 84 ग्राम अंतिम अभिलेख एवं धारा-52 के स्तर पर कार्यवाही में हैं।

जनपद इलाहाबाद, तहसील फूलपुर ग्राम पहाड़पुर के श्री तुलाराम की आकाशीय बिजली से मौत के उपरान्त उसकी विधवा को आर्थिक सहायता दिलाने की माँग

44-श्री जोखूलाल यादव

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तुलाराम पुत्र श्री दुखीराम, ग्राम पहाड़पुर, परगना झूसी, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद की विगत वर्षों में आकाशीय बिजली से मौत हो गयी थी? क्या उनकी विधवा श्रीमती शिवकुमारी को 50 हजार रुपये सहायता के रूप में दिये जाने की स्वीकृति जिला आपात सहायता अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्रांक 727/आपदा/98, दिनांक 12 दिसम्बर, 1998 द्वारा दी गयी थी? क्या अभी तक उक्त स्वीकृति धनराशि विधवा शिवकुमारी को उपलब्ध नहीं कराई गई है? यदि हाँ, तो इसके क्या

कारण हैं? उन्हे कब तक स्वीकृति धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

जी हाँ।

मृतक तुलाराम की विधवा श्रीमती शिवकुमारी को अनुग्रह राशि मद से 50,000/- रूपये की धनराशि दिनांक-11 अप्रैल, 2000 को उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फसली वर्ष 1407 में सिंचाई राजस्व खाता के निर्माण की जानकारी

45-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फसली वर्ष 1407 में सिंचाई राजस्व के खाता का निर्माण हुआ है? यदि नहीं, तो इससे राजस्व में हानि हुई है?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ, 24 जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में सिंचाई राजस्व के खाता का निर्माण किया जा चुका है। शासनादेश संख्या-7757, 99-27-सि-7-364 बहुउद्देश्यी कर्मी/99 दिनांक 4.1.2000 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि गत वर्ष की जमाबंदी को आधार मानते हुए इसमें 10% तक का परिवर्तन करके जमाबंदी जिलाधिकारियों की देखरेख में इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे कि इस वर्ष जनपद स्तर पर सिंचाई राजस्व की मांग में गत वर्ष से कोई कमी न हो।

46-आचार्य रामदेव वैश्य-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होनेन के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड छपिया ग्राम पंचायत करनपुर के बभनान कस्बे में बचत भूमि के विवरण की जानकारी

47-श्री अफजाल अहमद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत करनपुर, विकास खण्ड छपिया, जिला गोण्डा के बभनान कस्बे में अभिलेखानुसार कितनी भूमि बचत की है? वर्तमान में कितनी खाली है तथा कितनी आवासित हो चुकी है? कितनी भूमि व्यवसायिक कार्य में उपयोग की जा रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

ग्राम पंचायत, करनपुर विकास खण्ड छपिया, जिला गोण्डा के बभनान कस्बे में चकबन्दी समाप्ति के उपरान्त 35 किता रकबा 3-51 एकड़ बचत भूमि थी, इसमें से वर्तमान में 1-91 एकड़ भूमि खाली है तथा 1-21 एकड़ भूमि आवासित हो चुकी है। ग्राम सभा की व्यसायिक कार्य में कोई भी भूमि उपयोग में नहीं लायी जा रही है। इस ग्राम की 0-20 एकड़ भूमि पर न्यायालय में संचालित वाद से बलरामपुर चीनी मिल यूनिट बभनान के नाम हुई, 0-12 एकड़ भूमि का असंक्रमणीय पट्टा भोला पुत्र विशेश्वर ग्राम वासी अनुसूचित जाति के नाम हुआ तथा 0-07 एकड़ भूमि पर रास्ता के प्रयोग में लायी जा रही है।

जनपद गोण्डा विकास खण्ड छपिया ग्राम प्रधान करनपुर द्वारा बभनान कस्बे की बचत भूमि का पट्टा अपने परिवारों के नाम करने की जानकारी

48-श्री मो0 मुकीम-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान करनपुर विकास खण्ड छपिया जिला गोण्डा ने अपने तीन कार्यकाल में कितनी बचत की भूमि का पट्टा किया है? क्या सरकार को जानकारी है कि उनके द्वारा

बभनान कस्बे की बचत की बहुमूल्य भूमि का पट्टा अपने-अपने परिवार के सदस्यों के नाम करके उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है? क्या यह पट्टा नियम के विरूद्ध है? यदि हॉ, तो क्या सरकार इसकी जॉच कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

ग्राम प्रधान करनपुर, विकास खण्ड छपिया जिला-गोण्डा ने अपने तीन कार्यकाल में मात्र-12 एकड़ भूमि का पट्टा भोला पुत्र विशेश्वर, अनुसूचित जाति के नाम किया है। इसके अतिरिक्त इस ग्राम सभा की बभनान कस्बे मे स्थित भूमि का कोई भी पट्टा ग्राम प्रधान द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम कराके व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः कोई भी कार्य नियम विरूद्ध न होनेन के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

49-श्री ललित चौधरी-

[दिनाक 26-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-178 उत्तरित]

जनपद बहराइच के अन्तर्गत रुपईडीहा में काजी हाउस निर्माण हेतु धनराशि हस्तान्तरण न करने में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की मॉग

50-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला बहराइच के अन्तर्गत रूपईडीहा में स्थित जिला पंचायत, बहराइच का डाक बंगला तथा काजी हाउस की सम्पति केन्द्र सरकार को इन्टीग्रटेड चेक पोस्ट (भारत नेपाल सीमा) बनाये जाने हेतु अधिग्रहीत की गयी थी तथा इसके स्थान पर इसके स्थान पर काजी हाउस निर्माण हेतु भूमि तथा आठ लाख पैंसठ हजार पांच सौ रुपया जिला पंचायत, बहराइच को देय था? यदि हां, तो उसका हस्तान्तरण हो जाने के उपरान्त क्या जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत को उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? भुगतान अब तक न किये जाने के कारण क्या हैं? क्या सरकार बिलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करके भुगतान शीघ्र कराये जाने के आदेश देगी?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हॉ।

जी हॉ, धनराशि मु0 8,65,500/- (रूपये आठ लाख पैंसठ हजार पॉच सौ मात्र) जिला पंचायत बहराइच के लिए जिला निधि खाता को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

समुचित लेखा शीर्षक में विलम्ब से जमा करने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/ कर्मचारी को दण्डित किया जा चुका है।

जनपद गाजियाबाद ब्लाक-हापुड़ के काली नदी की पटरी में लगाये गये सागौन के पेड़ों के विवरण की जानकारी

51-श्री कोकब हमीद तथा श्री जगदीश सिंह राणा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गाजियाबाद, ब्लाक-हापुड़ के अन्तर्गत काली नदी की पटरी पर कितने क्षेत्र में सागौन के प्रति पेड़ किस मूल्य की दर से जिला पंचायत गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1997-98 में लगवाये गये हैं? क्या उक्त सभी पेड़ों की दूरी वन विभाग के मापदण्ड के अनुसार है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जनपद गाजियाबाद के ब्लाक हापुड़ के अन्तर्गत काली नदी पर वर्ष 1997-98 में जिला पंचायत,

गाजियाबाद द्वारा सागौन के कोई पेड़ नहीं लगाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद गाजियाबाद, पंचायतराज विभाग द्वारा सड़कों पर खड़न्जा बिछाने/लेपन कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

52-श्री कौकब हमीद तथा श्री जगदीश सिंह राणा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायत राज विभाग द्वारा अपने शासनादेश संख्या-2060/33-3-99-15 जी दिनांक 5-7-1999 द्वारा जनपद गाजियाबाद की सड़कों पर खड़न्जा बिछाये जाने तथा लेपन कार्य हेतु कितनी धनराशि दी गयी है? क्या उक्त आदेश में चिन्हित सड़कों का निर्माण करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? सड़कों का निर्माण कितनी अवधि में पूर्ण करा दिया जायेगा?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

रू0-38,10,410/- मात्र।

कार्य पूर्ण होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र।

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गाजियाबाद के विरूद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53-श्री कौकब हमीद तथा श्री जगदीश सिंह राणा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अध्यक्ष, जिला पंचायत गाजियाबाद द्वारा माह अक्टूबर, 1999 से अब तक श्री विनय सिंह सिरोही, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गाजियाबाद के विरूद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कितने शिकायती-पत्र मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) पंचायती राज विभाग/सचिव, पंचायतीराज विभाग को प्राप्त हुए? क्या उन शिकायती-पत्रों की जांच किसी अधिकारी द्वारा कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

अध्यक्ष, जिला पंचायत गाजियाबाद के श्री विनय सिंह सिरोही तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गाजियाबाद के विरूद्ध तीन शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त शिकायती पत्रों पर जॉच जिलाधिकारी, गाजियाबाद से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर को ठीक करने तथा जनपद बस्ती में इस कार्य को पूरा कराने की जानकारी

54-श्री राम ललित चौधरी-

क्या पंचायतीराज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों में परिवार रजिस्टर को दुरूस्त करने अर्थात् जन्म व मृत्यु को समय से अंकित कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र जनवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या जनपद बस्ती के विकास खण्ड सन्टौआ, गोपालपुर, रामनगर तथा साऊघाट में सभी ग्राम्य पंचायतों में परिवार रजिस्टर दुरूस्त करने का कार्य पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्रनाथ पाण्डेय-

जी हाँ, किन्तु कथित पत्र जनवरी, माह में प्राप्त न हो कर माह फरवरी, 2000 में प्राप्त हुआ है। निदेशक, पंचायतीराज को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर की जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र टेढ़वा टप्पा बांक में कराये गये निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत की जाँच टी0 ए0 सी0 से कराने की मांग

55-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या पंचायती मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत क्षेत्र टेढ़वा टप्पा बांक में कौन-कौन से निर्माण कार्य वर्ष 1995 से वर्ष 1999 के मध्य कराये गये हैं? क्या निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप है? क्या सरकार निर्माण स्थलों की जांच टी0 ए0 सी0 द्वारा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई के सेवा निवृत्त वैकसीनेटर श्री मुंशी लाल मिश्र के बकाये देयों को भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

56-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का प्रश्न दिनांक 6 अगस्त 1999 जो जनपद हरदोई के अन्तर्गत श्री मुंशी लाल मिश्र सेवा निवृत्त वैक्सीनेटर के बकाया भुगतान के सम्बन्ध मे है? प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

श्री मुंशी लाल मिश्र, सेवा निवृत्त वैक्सीनेटर जिला पंचायत, हरदोई की नियमानुसार देय भविष्य निधि सामूहिक बीमा बोनस वर्ष 1994-95, दिनांक 1-1-86 से संशोधित वेतन के बकाया का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है तथा अनन्तिम पेशन की नियमानुसार देय धनराशि रूपया 25630/= में से रूपया 15160/= का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर मण्डी समिति की कुल आय-व्यय का विवरण तथा घाटे सुधार के उपाय की जानकारी

57-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर मण्डी समिति की वर्ष 1996 से 1999 तक की कुल आय कितनी थी तथा व्यय भार कितना रहा? क्या जौनपुर मण्डी घाटे पर है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है? क्या सरकार उसे सुधारने हेतु कोई उपाय करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मण्डी समिति जौनपुर की कृषि वर्ष 1996 से कृषि वर्ष 1999 तक कुल आय रू0 2,21,71,094.95 थी तथा इसी अवधि में कुल व्यय रू0 3,41,47,228.99 था।

जी हाँ।

व्यय के सापेक्ष आय कम है। मण्डी समिति, जौनपुर को पूर्व मे रू0 85.00 लाख का ऋण दिया गया

था, जिसमें रू0 21.18 लाख का समायोजन हो गया है तथा रू0 63.82 लाख अभी अवशेष है। इस वर्ष की किश्त रू0 10.66 लाख देय हो गई है। अत: नियमित रूप से भुगतान की जाने वाली किश्तो एव अन्य नियमित खर्चो के कारण मण्डी घाटे पर है।

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में ताजमहल के पिछवाड़े नेशनल पार्क के विकास हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिलाये जाने की जानकारी

58-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में ताजमहल के पिछवाड़े ताज नेशनल पार्क के विकास के लिए पूर्वी विधान सभा के गॉव कछपुरा, नगला, देवजीत, गढ़ी चांदनी तथा गढ़ी हुसैनी के खेतिहर किसानों की कृषि भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा चुकी है? क्या भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है? यदि हॉ, तो कब और कितना? क्या ताज नेशनल पार्क से विस्थापित किसानों अथवा उनके आश्रितों को ताज नेशनल पार्क के विकास में अथवा अन्य कोई रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी नहीं।

ग्राम कछपुरा की भूमि जो राजकीय आस्थान की राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता एवं नगला देवजीत, गढ़ी चॉदनी तथा गढ़ी हुसैनी की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

अस्तु प्रतिकर भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कालेज स्थापित करने की माँग

59-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिथौरागढ़ में स्टेडियम के पास खाली पड़ी भूमि पर सीमान्त जिले के बाल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षित किये जाने हेतु मैट्रिक स्तर पर स्पोर्ट्स कालेज स्थापित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

कुँवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भय्या-

जनपद पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्योंकि जनपद पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहॉ खेल प्रशिक्षण को सुविधा उपलब्ध है।

जनपद मैनपुरी मौजा छाछा, ब्लाक सुल्तानगंज ग्राम चन्दरपुर के आगे सड़क बनाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

60-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम चन्दरपुर मौजा छाछा सुल्तानगंज, जनपद-मैनपुरी के आगे सड़क बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0 एम0/वि0 को0एम-1/28211/मैनपुरी/99, दिनांक 6-12-99 के साथ प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हॉ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि निदेशक मुख्यालय कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए श्री राम शिरोमणि त्रिपाठी के पेंशन एवं जी0 पी0 एफ0 भुगतान का प्रकरण

61-श्री धर्मराज निषाद-

क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि निदेशक मुख्यालय लखनऊ कार्यालय में अधीक्षक के पद से माह जून, 1998 में सेवा निवृत्त हुए श्री राम शिरोमणि त्रिपाठी के पेंशन भुगतान के आदेश पी0 पी0 ओ0 सं0-कृषि-सी 5452 द्वारा लखनऊ ट्रेजरी को जारी कर दिये गये हैं परन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र कृषि विभाग द्वारा ट्रेजरी न भेजे जाने के कारण ट्रेजरी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब तक ट्रेजरी भेज दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ, श्री राम शिरोमणि त्रिपाठी की पेंशन का भुगतान अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न होने के कारण नहीं किया जा रहा है।

श्री त्रिपाठी द्वारा भवन निर्माण अग्रिम के मूलधन व ब्याज की धनराशि रू0 14,760/- जमाकर कर दिये जाने तथा उ0 प्र0 वेतनभोगी सहकारी समिति लि0, कृषि भवन, लखनऊ के सचिव पद पर श्री त्रिपाठी के कार्यकाल में समिति को घटित रू0 1,68,000/- के दुर्विनियोग/व्यवहरण के प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही श्री त्रिपाठी के द्वारा कर दिये जाने के पश्चात् पेंशन भुगतान हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि निदेशक मुख्यालय लखनऊ कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए श्री राम शिरोमणि त्रिपाठी के पेंशन एवं जी0 पी0 एफ0 भुगतान का प्रकरण

62-श्री धर्मराज निषाद-

क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि निदेशक मुख्यालय में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक श्री राम शिरोमणि त्रिपाठी माह जून, 1998 मे सेवा निवृत्त हुए थे परन्तु उनके जी0 पी0 एफ0 की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

श्री राम शिरोमणि त्रिपाठी की जी0 पी0 एफ0 पासबुक की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके कृषि निदेशालय के आदेश सं0- मु0प्र0 लेखा-4446, दिनांक 30-3-2000 द्वारा स्वीकृत की गई जी0 पी0 एफ0 की 90 प्रतिशत धनराशि रू0 34,404/-आहरित करने हेतु बिल कोषणार में प्रस्तुत कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश की संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासतों की सुरक्षा एवं महत्ता हेतु प्रान्तीय संस्कृति नीति घोषित करने की मांग

63-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासतों की सुरक्षा एवं महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार प्रान्तीय संस्कृति नीति घोषित करने कर विचार करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक-

जी हाँ, इस हेतु सचिव, संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में नीति निर्धारण समिति का गठन भी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, तहसील भोगाँव, मौजा आलीपुर खेड़ा में ग्राम समाज की बंजर/कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

64-श्री राम औतार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने को ज्ञात है कि मौजा आलीपुर खेड़ा परगना आलीपुर पट्टी तहसील भोगाँव, जनपद-मैनपुरी में स्थित भूमि खाता सं0 2305, 2306 बंजर ग्राम समाज एवं 2303 व 2308 कब्रिस्तान पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन हैं और अवैध कब्जे को हटाने की सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

ग्राम अलीपुर खेड़ा परगना आलीपुर पट्टी तहसील भोगाँव जिला मैनपुरी मे स्थित गाटा सं0: 2305/0.077, 2306/0.057 व 2303/0.23 बाजार श्रेणी-6 में अंकित है तथा 2303 ख/0.081, 2308/0.040 कब्रिस्तान अंकित है जिसमें 2305/0.777 मौके पर रिक्त है तथा 2306 पर अनूप पुत्र गिरीश चन्द्र निवासी नगला कोठी की बाउण्ड्री खिंची हुई है तथा 2308 पर बदल सिंह पुत्र भजन लाल निवासी न0 दलपतपुर भाम आलीपुर खेड़ा की बाउण्ड्री खिंची हुई है तथा 2303 पर दिनांक 28-8-99 को कायम सिंह पुत्र बदल सिंह व राम सेवक पुत्र शिवराज व राम सिंह पुत्र कन्हई सिंह निवासी नगला दलपतपुर व महेन्द्र सिंह पुत्र बाबूराम व राजा राम पुत्र मंजूलाल सीताराम पुत्र चुन्नीलाल व हरिदास पुत्र श्री राम नि0 आलीपुर खेड़ा सुग्रीव सिंह पुत्र तिलक सिंह व सुंधर सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी नगला दलपतपुर ने नींव भरकर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया, जिसको तहसीलदार भोगाँव व पुलिस व राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल की सहायता की सहायता से रूकवा दिया गया है। उक्त अवैध कब्जे को रोकने के विरूद्ध श्री नवीन चन्द्र सेक्सेना व अन्य द्वारा वाद सं0-6/99 न्यायालय सिविल जज प्रवर वर्ग मैनपुरी के सक्षम न्यायालय में दायर किया है। जिसमें क्रशम: दिनांक-23-52000 व 04-5-2000 सुनाई हेतु नियत है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् द्वारा इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प लगाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

65-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन लखनऊ को प्रश्नकर्त्ता का पत्रांक-क-2 नं0 135802 दिनांक 11-11-1997 जो मण्डी परिषद उ0 प्र0 द्वारा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने विषयक था, सचिव कृषि निदेशक मण्डी परिषद् उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

मण्डी समिति मैनपुरी एवं बेवर क्षेत्रान्तर्गत क्रमश: 5 नग एवं 10 नग स्वीकृत हैण्डपम्पों की स्थापना सम्बन्धी प्रदत्त स्वीकृति मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण रोकी गयी। तत्पश्चात नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत प्रदत्त स्वीकृति निरस्त कर दी गयी। सम्प्रति मण्डी परिसर के बाहर हैण्डपम्प की स्थापना का

कार्य प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर विकास खण्ड बदलापुर ग्राम पंचायत में जवाहर रोजगार योजना में धन के दुरूपयोग विषयक जिलाधिकारी को प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही की माँग

66-श्री अरूण प्रताप सिंह-

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत कम्मरपुर, विकास खण्ड बदलापुर, जनपद-जौनपुर के श्री अजीत कुमार सिंह एवं अन्य ग्राम वासियों द्वारा हस्ताक्षर युक्त हलफनामा जो वर्ष 1989 से वर्ष 1998 तक उक्त ग्राम पंचायत में जवाहर रोजगार योजना एवं दशम् वित्त से प्राप्त धनराशि का दुरूपयोग किये जाने से सम्बन्धित है दि0 16-12-1999 जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, जौनपुर की आख्या के अनुसार प्रश्नगत् शिकायती पत्र की जॉच खण्ड विकास अधिकारी बदलापुर द्वारा करायी गयी। वर्ष 99-90 से मार्च, 95 तक सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा0) तथा अवर अभियन्ता, ग्राम0 अ0 से0 एवं 95-96 से अप्रैल, 99 तक की अवधि के कार्यो की तकनीकी जॉच अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिंचाई द्वारा करायी गयी। वर्ष 89-90 से मार्च, 95 तक प्रधान द्वारा मु0-13, 200 रू0 का कार्य न कराकर धन का दुरूपयोग किया गया जिसके दोषी पूर्व प्रधान श्री जयनाथ यादव को धन जमा करने हेतु नोटिस दी गयी है। वर्ष 95-96 से अप्रैल, 99 के निमार्ण कार्यो की तकनीकी जॉच के फलस्वरूप यह प्रकाश में आया कि प्रधान द्वारा निर्माण कार्यो पर मु0-5960 अधिक व्यय दिखाकर धन का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान को नोटिस दी गयी है कि दुरूपयोग की धनराशि गॉव सभा के खाते में तीन दिवस के अन्दर जमा करें। इसी के साथ ग्राम पंचायत का खाता संचालन बन्द कर दिया गया है।

सेवा निवृत श्री कुन्दल लाल पटेल सहायक विकास अधिकारी कृषि ब्लाक गौरीगंज, सुल्तानपुर के समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

67-श्री तेजभान सिंह-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कुन्दन लाल पटेल, सहायक विकास अधिकारी, कृषि ब्लाक गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर से दिनांक 31-5-1998 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं? यदि हॉ, तो क्या उनको पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा आदि देयों का भुगतान कर दिया है? यदि हॉ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इनके समस्त देयों का भुगतान कराते हुए विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं, श्री कुन्दल लाल पटेल नाम का कोई कर्मचारी सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद से दिनांक 31-5-1998 को सेवा निवृत्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

68-श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल-

[दिनांक 26-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-186 द्वारा उत्तरित]

जनपद हाथरस, तहसील सासनी ग्राम सभा नगला, मजरा जरैया गढ़ा खेड़ा में ग्राम समाज की बंजर भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की माँग

69-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा नगला भम्भुजाट, मजरा जरेया गढ़ा खेड़ा, तहसील सासनी, जनपद हाथरस में खसरा सं0 3 ब रकबा 0.046 है, जो ग्राम समाज की बंजर भूमि अंकित है, क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर कतिपय व्यक्तियो द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त अनाधिकृत कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

गाटा संख्या: के रकबा 0.037 पर श्री शैलेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री इन्द्रकुमार जैन नि0-कस्बा सासनी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसके विरूद्ध ज0 वि0 अधि0 की धारा 122 बी0 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार हाथरस से न्यायालय में की गयी। जिसमें अन्तिम रूप से तहसीलदार हाथरस के न्यायालय में की गयी। जिसमें अन्तिम रूप से तहसीलदार हाथरस द्वारा अपने आदेश दिनांक: 20-11-90 के द्वारा विपक्षी श्री शैलेन्द्र कुमार जैन को बेदखल कर दिया गया। 18-4-92 को निरस्त कर दिया गया।

इसी गाटा के सम्बन्ध में वाद संख्या: 44/2000 शैलेन्द्र कुमार जैन बनाम ग्राम सभा, न्यायालय सिविल जज (क0 प्र0) हाथरस के न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वाद श्री शैलेन्द्र कुमार जैन द्वारा दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक: 17-5-2000 तक की अवधि हेतु विपक्षी शैलेन्द्र कुमार जैन के कब्जे को जबरन बेदखल व तोड़-फोड़ करने से रोका गया है।

न्यायालय सिविल जज (क0 प्र0) के स्थगन आदेश को समाप्त होते ही विपक्षी शैलेन्द्र कुमार जैन के अवैध कब्जे को हटाने की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, ग्राम बहलोलपुर तथा सराय मारूफपुर में कब्रिस्तान हेतु छोड़ी गयी भूमि की जानकारी

70-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बहलोलपुर तथा ग्राम सराय मारूफपुर, ब्लाक बेहंदर तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई में कब्रिस्तान हेतु छोड़ी गयी जमीन को राजस्व अभिलेखों में शासनादेशों के अनुसार सुरक्षित दर्ज करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम बहलोलपुर तहसील सण्डीला हरदोई में आधार वर्ष खतौनी खाता सं0 497 में 0-752 हे0 भूमि कब्रिस्तान के खाते में पहले से ही दर्ज है जिसका उपयोग कब्रिस्तान हेतु किया जा रहा है तथा ग्राम के सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा गाटा सं0 46/3 में और अतिरिक्त भूमि सुरक्षित कराने की मांग की गयी थी उनकी मांग के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उक्त गाटों में 0-3116 हे0 भूमि की कब्रिस्तान हेतु आरक्षित की गयी है जिसको अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है।

ग्राम सराय मारूफपुर वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं है इसलिए वर्तमान में कब्रिस्तान हेतु भूमि सुरक्षित करने का प्रश्न नहीं उठता शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली विकास खण्ड विथरी चैनपुर से सेवा निवृत श्री जानकी प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रेच्युटी पेंशन के भुगतान की जानकारी

71 श्री छोटेलाल गंगवार-

क्या पंचायत राज मंत्री को ज्ञात है कि श्री जानकी प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड विथरी चैनपुर वर्ष 1996-97 में सेवा निवृत्त हुए थे। यदि हाँ, तो क्या उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान कर पेंशन दी जारीहै? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ, श्री जानकी प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड विथरी चैनपुर से दिनांक-31-12-96 को सेवानिवृत्ति हुए थे।

जी हाँ।

दिनांक 1-1-97 से 3112-97 तक अनन्तिम पेंशन दर प्रति माह रु0 2,350/-तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी अंकन रु0 97,895-00 का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष अवधि की पेंशन का भुगतान पेंशन निदेशालय से स्वीकृति उपरान्त कोषागार के माध्यम से किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज ग्राम ढकिया बरकली सहाव में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा कोई चकरोड न छोड़ने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

72 श्री छोटेलाल गंगवार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ढकिया बरकली सहाव तहसील नवाबगंज, बरेली में चकबन्दी अधिकारियों ने ग्राम में गलत कीमत लगाने, गजरा गोपालपुर को कोई चकरोड न छोड़ने, जमना प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, मिठाई लाल आदि के चकों पर चकरोड न छोड़ने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 24-1-2000 जिलाधिकारी बरेली को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

चकबन्दी आयुक्त से प्राप्त सूचनानुसार पत्र प्राप्त हुआ बताया गया है। प्रश्नगत ग्राम के अभिलेख श्री श्यामबाबू चकबन्दी लेखपाल के ट्रेप केस में दिनांक 29-5-99 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा सील करके क्योलड़िया थाने में सुरक्षित है। इसलिए उक्त पत्र दिनांक 24-1-2000 में वर्णित तथ्यों पर जाँच की अग्रेतर कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में गत वर्षो से कार्यरत सीजनल संग्रह अमीनों व चपरासियों को वसूली में लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

73-श्री छोटेलाल गंगवार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बरेली को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2000 प्राप्त हुआ है जो तहसील नवाबगंज में गत वर्षो से सीजनल अमीन, संग्रह अमीन व चपरासी के पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को ही प्राथमिकता के आधार पर सीजनल संग्रह अमीनों व चपरासियों को सेवा में वसूली हेतु लगाये जाने के सम्बन्ध में है? यदि हाँ, तो क्या पूर्व में कार्य कर रहे संग्रह अमीनों व चपरासियों को वसूली हेतु लगाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

नियमानुसार विगत फसली में किये गये वसूली कार्य के आधार पर पूर्व में कार्य कर चुके संग्रह अमीनों व चपरासियों को वसूली हेतु लगाया गया है।

74-श्री अजय कुमार पोइया-

[3 रे शुक्रवार में अता0प्र0सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित1]

जनपद सुल्तानपुर के कतिपय पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण में घटिया सामान लगाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही की माँग

75-श्री अरूण प्रताप सिंह-

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पशु चिकित्सालय गारापुर-शाहगढ़-ज्ञानीपुर के भवन निर्माण में घटिया किस्म के सामानों के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र माह दिसम्बर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इसकी जाँच किस एजेन्सी से करायी जा रही है? उक्त जाँच एजेन्सी की जाँच आख्या क्या है?

श्री फागू चौहान-

जी हाँ।

जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा लघु सिंचाई विभाग से जाँच करायी जा रही है।

जाँच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

जनपद बदायूँ नवीन मण्डी स्थल सहसवान व बबराला में कराये गये कार्यों की जाँच पर कार्यवाही की माँग

76-श्री छोटेलाल गंगवार-

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बदायूँ नवीन मण्डी स्थल सहसवान व बबराला के अनुबन्ध संख्या-801 व 852 में कराये गये कार्यों में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जाँच आख्या दिनांक 20-4-1998 में ततकालीन उपनिदेशक निर्माण, बरेली दोषी पाये गये हैं? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जाँच आख्या में तत्कालीन उपनिदेशक निर्माण, बरेली को सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यों का रिमेजरमेंन्ट न कराने तथा ठेकेदार के पत्र दिनाँक 3-1-95 में अंकित विन्दुओं का बिना निर.करण कराये ही अवशेष कार्यों के लिए पृथक से अनुबन्ध बनाकर कार्य कराने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। अपने स्पटीकरण में तत्कालीन उपनिदेशक निर्माण (बरेली) ने अवगत कराया है कि सम्बन्धित पत्र ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का पालन नहीं किया गया और समयवृद्धि प्रदान करने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं कराये गये। अत: सम्बन्धित ठेकेदार के अनुबन्ध को 10% अर्थदण्ड के साथ निरस्त करते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इस प्रकार प्रकरण में तत्कालीन उपनिदेशक निर्माण, बरेली द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत जौनपुर उरई के ग्राम हिम्मतपुर के लिंकरोड के निर्माण में मजदूरों के भुगतान में अनियमितता की जाँच

77-श्री श्रीराम पाल-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत जिला पंचायत जालौन, उरई द्वारा स्वीकृत जनपद जालौन के खण्ड विकास, महेवा के अन्तर्गत ग्राम हिम्मतपुर के लिंकरोड के निर्माण में मजदूरों की मजदूरी के भुगतान न होने व अनियमितता की जाँच आख्या पत्रांक 119/कैम्प/32 एम0जी0/95, दिनांक 27-5-95 मुख्य विकास अधिकारी, जालौन उरई को प्राप्त हुई थी। यदि हाँ, तो उक्त जाँच आख्या के आधार पर सम्बन्धित मेट श्री गंगादीन नि0 काशीरामपुर को जांच में दर्शायी गयी राशि का भुगतान करा दिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय जिलाधिकारी (फतेहगढ़) फर्रूखाबाद के सेवा निवृत श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव कार्यालय अधीक्षक के वेतन/पेंशन के पुनरीक्षण का प्रकरण

78-श्री रामपाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या-सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-1998 के अनुसार श्री गौरीशंकर श्रीवास्तव, सेवा निवृत कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय जिलाधिकारी, (फतेहगढ़) फर्रूखाबाद का दिनांक 01-07-1979 व 01-7-1986 को नोशनल वेतन निर्धारित करके पेंशन पुनरीक्षित प्रकरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये पशु चिकित्सालय की संख्या एवं अन्य जनपदों में खोले जाने सम्बन्धी विवरण की जानकारी

79-श्री विनोद मणि-

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999-2000 में प्रदेश में कितने नये पशु चिकित्सालयों की स्वीकृति प्रदान की गयी? उक्त चिकित्सालय किन-किन जनपदों में खोले गये हैं? वित्तीय वर्ष 2000-20001 में किन-किन स्थानों पर नवीन पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 1999-2000 में प्रदेश में कोई भी नवीन पशु चिकित्सालय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में किसी पशुचिकित्सालय की स्थापना प्रस्तावित नही है।

80-श्री कृपा शंकर सिंह-

[दिनांक 25-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-164 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ में फलोद्यान की संख्या एवं उनके आय-व्यय का विवरण

81-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ जनपद में उद्यान विभाग द्वारा संचालित कितने फलोद्यान है? कितने शाक भाजी उद्यान है? उक्त फल एवं शाक भाजी उद्यानों का वर्ष 1999-2000 का लेन देन क्रमशः कितना रहा है?

श्री धनराज यादव-

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

जनपद शाहजहाँपुर, ब्लाक कलान, ग्राम कुंडलिया में बाढ़ राहत दिलाने सम्बन्धी जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

82-वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 8-10-98 जो ग्राम कुंडलिया ब्लाक कलान जनपद शाहजाहांपुर में बाढ़ राहत से वंचित ग्रामवासियों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में था, बाढ़ राहत मंत्री, आयुक्त बरेली मण्डल तथा जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुए है? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकार उक्त ग्राम वासियों को बाढ़ राहत मुआवजा दिलाने के आदेश देगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[दिनांक 6-4-2000 को अता0प्र0सं0-48 द्वारा उत्तरित]

वर्ष 1998 की बाढ़ के समय ग्राम कुंडलिया ब्लाक कलान जनपद फर्रूखाबाद में सम्मिलित था। बाढ़ प्रभावितों को तत्समय आटा,नमक, माचिस, दाल, मोमबत्ती, चना, गुड़, मिट्टी का तेल आदि वितरित किया गया था, पुन: दिनांक 1-12-98 को उक्त ग्राम जनपद शाहजाहॉपुर में शामिल हो गया। उक्त ग्राम के बाढ़ प्रभावित पात्र परिवारों को गृह अनुदान व अनुग्रह अनुदान वितरण निर्देश जिलाधिकारी शाहजहॉपुर को दे दिये गये है। यह ग्राम वर्ष 1999 में बाढ़ प्रभावित नहीं हुआ है।

83-वीरेन्द्रप्रताप सिंह "मुन्ना"-

[दिनांक 6-4-2000 को अता0प्र0सं0-48 उत्तरित]

प्रदेश में बूरा, मिश्री, बताया एवं खिलौनों पर मण्डी शुल्क वसूलने की जानकारी

84-श्री प्रेम स्वरूप पाठक-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बूरा, मिश्री बताशा एवं खिलौनों पर मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है? यदि हाँ, तो कितना? यदि नहीं, तो क्या शुल्क लगाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

एक सूत्रीय मण्डी शुल्क व्यवस्था लागू होने एवं मूल उत्पाद पर मण्डी शुल्क प्राप्त हो जाने के कारण उक्त प्रतिकृयाकृत उत्पादों पर मण्डी शुल्क अवधारित नहीं किया जाता।

जनपद हरदोई तहसील सवायजपुर के कारगिल युद्ध में शहीद श्री आविद खाँ की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की माँग

85-श्री बाबू खाँ-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि कारगिल युद्ध में शहीद कारगिल के बटालिक सेक्टर में श्री आबिद खाँ निवासी पाली तहसील सवायजपुर जि0 हरदोई की भूमि पर अनाधिकृत लोगों का कब्जा है? यदि हाँ, तो उक्त कब्जा हटाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

86- श्री सूर्यभान सिंह-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में व्यायामशाला निर्माण कराने की मांग

87-श्री अफजाल अहमद-

क्या युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र में नौजवानों के व्यायाम हेतु कोई व्यायामशाला नहीं है? क्या सरकार तत्काल व्यायामशाला का निर्माण कराने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को देगी? यदि हाँ? तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

कुँवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भय्या-

जी नहीं, प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में दो शहरी एवं ग्रामीण अर्थात कुल चार व्यायामशालाएं निर्मित हैं जो निम्नवत हैं-

ग्रामीण व्यायामशाला

1- जनता जनार्दन इण्टर कालेज, जासोपुर, चकिया, जनपद-जौनपुर

2- ग्राम-गौसपुर चकिया, जनपद-जौनपुर

शहरी व्यायामशाला

1- इंग्लिश क्लब परिसर, जनपद-जौनपुर

2- टी0डी0 कालेज (होम्योपैथिक चिकित्सालय के बगल में) जनपद-जौनपुर।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता

88-श्री अफजाल अहमद-

[दिनांक 26-4-2000 को अता0प्र0सं0-183 द्वारा उत्तरित]

श्री विजय कुमार-

[चौथे मंगलवार में अता0 प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद हरदोई तहसील, सण्डीला, के चकबन्दी अधिकारी बेंहदर द्वारा मृतक आश्रित के रूप में भूमि पर श्री केशो का नाम दर्ज करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

90-श्री राजीव कुमार सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि चकबन्दी अधिकारी, बेंहदर, तहसील-सण्डीला, जनपद-हरदोई ने अपने आदेश दिनांक 17-8-1994 द्वारा श्री केशो पुत्र श्री लाल, ग्राम-बिन्दौरा, तहसील-सण्डीला, जनपद-हरदोई को मृतक आश्रित के रूप में खाता सं0 144 को बतौर वारिश जमीन दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे? यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 5-1-2000 के साथ श्री केशो पुत्र श्री लाल निवासी-बिन्दौरा, तहसील-सण्डीला, जनपद हरदोई के अनुपालन न किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर मा0 मंत्री द्वारा पत्र सं0-268, दिनांक 13-1-2000 पर जिलाधिकारी, हरदोई को आदेश दिये हैं? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ, प्रश्नगत पत्र पर जाँच करायी जा रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी के विरूद्ध गबन के प्रकरण की जानकारी

91-श्री रामललित चौधरी-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में जनपद लखनऊ के तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी के विरूद्ध कोई गबन का मामला प्रकाश में आया था? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं। तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी के विरूद्ध गबन का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को पद भार ग्रहण कराने आदि के सम्बन्ध में जानकारी

92-श्री रामसेवक सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के दूसरे गुरूवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-9 के उत्तर के संदर्भ में क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक के उक्त पद हेतु लिखित परीक्षा के उपरान्त कौन-कौन सी कार्यवाही शेष है तथा शेष औपचारिकतायें कब तक पूर्ण कर ली जायेंगी? शासन की उक्त परीक्षा द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कब तक पद भार ग्रहण कराये जाने की योजना है? वर्तमान में उक्त सीधी भर्ती के पदों पर 80 पदों के परिप्रेक्ष्य में कितने पदों पर मृतक आश्रित तैनात हैं? क्या यह सत्य है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने हेतु शासन के ऐसे निर्देश हैं कि मृतक आश्रितों को समूह "घ" में और समूह "ग" के अन्तर्गत न्यूनतम वेतनमान के पदों पर पदभार ग्रहण कराया जाये? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उक्त पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति की विभागीय परिपाटी पर रोक लगायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रश्नगत पद पर चयन हेतु रिक्तियों की गणना नियमानुसार न होने के कारण चयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 09 फरवरी, 2000 द्वारा निरस्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में सीधी भर्ती के कुल उपलब्ध 80 पदों के सापेक्ष 40 पदों पर मृतक आश्रित तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

93-श्री रंग बहादुर पटेल-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरिद्वार की ग्राम सभाओं में मदवार आवंटित धनराशि से सम्पन्न कार्य की जानकारी

94-श्री राम सिंह सैनी-

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार की विभिन्न ग्राम सभाओं को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद के लिये आवंटित की गयी है? क्या इन ग्राम सभाओं द्वारा आवंटित धनराशि से जनवरी, 2000 तक सम्बन्धित कार्य सम्पन्न करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जनपद हरिद्वार की विभिन्न ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में निम्न मदो में धनराशि आवंटित की गई एवं माह जनवरी, 2000 तक सम्बन्धित मद में ग्राम पंचायतों द्वारा धनराशि व्यय करके स्वीकृत कार्य सम्पन्न कराये जा चुके है।

क्र0 सं0	नाम मद	आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)	व्यय की धनराशि (लाख रू0 मे)
1-	स्वच्छ शौचालय	25.90	25.98
2-	राज्य वित्त आयोग	156.58	107.46
3-	दशम् वित्त आयोग	105.48	103.00
4-	जवा0 ग्रा0 समृद्धि यो0	145.05	144.20
5-	अपूर्ण विद्यालय पूर्ण कराना (एस0 आर0 वाई0)	37.12	37.12
6-	प्रा0 विद्यालय निर्माण	8.20	0.20
7-	विद्यालय साज-सज्जा	30.70	30.78
8-	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र का रखरखाव	0.38	0.38
9-	आंगनवाणी कार्यकर्ती का वेतन/मानदेय	31.92	31.92
10-	विधवा पेंशन	38.63	38.63
11-	विकलांग पेंशन	08.20	08.20
12-	वृद्धावस्था/किसान पेंशन	62.58	62.58
13-	विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति	241.79	241.79
14-	युवा कल्याण प्रोत्साहन धनराशि	0.92	0.92

जी हाँ, (उपरोक्तानुसार)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के गंगापुर पशुचिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु मा0 मुख्य मंत्री के आदेशों का अनुपालन कराने के सम्बन्ध जानकारी

95-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के गंगापुर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी-1421 सी0 एम0-1-99-25 जनवरी, 1999 द्वार आदेश दिये गये थे? क्या निदेशक पशुपालन द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन कर लिया गया है? यदि हाँ, तं कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फागू चौहान-

जी हाँ।

जी हाँ।

गंगापुर पशुचिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था कराये जाने हेतु वर्ष 1999-2000 की जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को योजना की पुर्नविनियोग के सम्बन्ध मे होने वाली बैठक में विचार करने हेतु निर्देशक पशुपालन द्वारा दिनांक 28-2-1999 को मुख्य योजना पुर्ननियोजन के पशुचिकित्सा निर्देशित किय गया है।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद हरदोई में तहसील सण्डीला के राजस्व ग्राम खुटेहना में पात्र व्यक्तियों को पट्टा आवंटित करने की जानकारी

96-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व ग्राम खुटेहना परगना व तहसील सण्डीला जनपद हरदोई में दिनांक 16-3-96 को 23 पात्र व्यक्तियों को पट्टे आवंटित किये गये थे? यदि हाँ, तो क्या उक्त पट्टेदारों को मौके पर कब्जा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? पट्टेदारों के कब्जा कब तक दे दिया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई तहसील सण्डीला के ग्राम मुन्नू खेड़ा (ककराली) की कृषि भूमि गाटा संख्या-1936 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की माँग

97-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम मुन्नू खेड़ा (ककराली) की कृषि भूमि मय सं0 1936 रकबा लगभग 3 बीघा पर अनधिकृत रूप से श्रीमती मुन्नी निवासी ग्राम उपरोक्त के पुत्रों द्वारा कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में अजीज अहमद निवासी ग्राम मुन्नू खेड़ा तहसील सण्डीला जि0 हरदोई के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, हरदोई को कब्जा हटवा कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 24-7-99 को मा0 मंत्री द्वारा आदेश दिये गये थे? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी क्या उक्त भूमि से अनधिकृत कब्जा हटवा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

प्रकरण की जाँच अपर तहसीलदार सण्डीला द्वारा करायी गयी, जिसमें पाया गया कि भू-अभिलेखों में गाटा सं0 1936 रकबा 0.760 अजीज अहमद पुत्र श्री शेर अली तथा इसी भूमि से लगा हुआ गाटा संख्या-1937/0.247 हे0 श्रीमती मुन्नी बेवा नजीर दोनो ग्रामवासी मुन्नू खेड़ा (ककराली) के नाम अंकित है। उपरोक्त अजीत का धारा-28 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रिवीजन सं0-793/99 मा0 अपर आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

मा0 अपर आयुक्त मण्डल, लखनऊ के द्वारा उक्त रिवीजन में पारित निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण मुरारी मिश्र, अवर अभियन्ता जिला पंचायत मैनपुरी के सेवा निवृत होने के पश्चात् उनके समस्त देयों के भुगतान की माँग

98-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा निवृत्ति श्री कृष्ण मुरारी मिश्र, अवर अभियन्ता जिला पंचायत मैनपुरी की ग्रेच्युटी अर्जित अवकाश के नकदीकरण व पेंशन के भुगतान हेतु मा0

मुख्य मंत्री के पत्रांक, 1-दर्ज-277/1999/9 (132) 99 लो0 शि0 दिनांक 11-8-99 तथा शासन के पत्र संख्या 98-लो0 शि0/33-2-99-700 (421)/91 दिनांक 14-9-99 व पत्र संख्या 5551/33-2-99-700 (421)/91 दिनांक 30-11-99 द्वारा आदेश दिये गये थे? यदि हाँ, तो क्या उनके सभी देयों का भुगतान कर दिया गया यदि नहीं, तो क्यों? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ। किन्तु पत्र संख्या 98 लो0 शि0/33-2-99-700 (42)/91, दिनांक 14-9-99 व पत्र संख्या 5551/33-2-99-700 (42)/91 दिनांक 30-11-99 द्वारा आदेश दिये गये हैं।

श्री मिश्र की ग्रेच्युटी की धनराशि रू0 25830/- में से रू0 5000/-तथा अर्जित अवकाश का नकदीकरण की धन रू0 25152/- का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, श्री मिश्र की 21 माह की पेंशन भुगतान हेतु शेष है।

जिला पंचायत की आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जर होने के कारण अवशेष भुगतान नहीं किया जा सका है।

जिला पंचायत के निजी स्रोतों से आय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही क्रमबद्ध सूची के अनुसार श्री मिश्र के देयों का भुगतान कर दिया जायेगा।

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर दैनिक टंककों को नियमित करने की माँग

99-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त कृषि कृषि निदेशक (प्रसार), लखनऊ द्वारा अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) उ0 प्र0 को पत्र संख्या-कृलम-2257/स्था0 लि0-3/99, दिनांक 28-8-99 द्वारा यह आख्या दी गयी है कि कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त है? यदि हाँ, तो उन रिक्त पदों पर लखनऊ मण्डल में कार्यरत क्या चार दैनिक टंककों को नियमित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

आदेश सं0-ज0 बाद प्र0/813/स्था0/99/2000, दिनांक 19-2-2000 द्वारा लखनऊ मण्डल में कार्यरत चार दैनिक टंकको को कनिष्ठ लिपिक के पदों पर विनियमित करके नियुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के टंकक श्री नरेन्द्र कुमार द्विवेदी के बोनस, वेतन के भुगतान की माँग

100-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी कार्यालय लखनऊ में कार्यरत श्री नरेन्द्र कुमार द्विवेदी दैनिक वेतन टंकक/लिपिक को वर्ष 1992-93 एवं 1997-98 के तदर्थ बोनस एवं वेतन का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त बोनस एवं वेतन का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी को करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ, वर्ष 1992-93 में प्रदत्त कार्य अनुमति के अनुसार वेतन का भुगतान कर दिया गया है परन्तु बोनस के लिए पात्र नहीं पाये गये।

वर्ष 1997-98 में प्रदत्त कार्य अनुमति के अनुसार वेतन एवं बोनस का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि निदेशालय द्वारा श्री प्रेम नरायण श्रीवास्तव कनिष्ठ लिपिक को सहायक लेखाकार का लाभ देने की जानकारी

101-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रेम नरायण श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक को शासनादेश संख्या 5693/12-9-1449/140/78, दिनांक 22-10-86 एवं कृषि निदेशालय के आदेश संख्या-मु0प्र0 (11) 6959/दस-अ0/व्यप0 दिनांक 3-1-97/ द्वारा 29-12-59 से सहायक लेखाकार एवं 17-5-76 से लेखाकार का लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या जिला कृषि अधिकारी, झांसी द्वारा उक्त लाभ का भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं हाँ।

श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव ने राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में याचिका सं0-1901/99 दिनांक 15-1-2000 दायर कर रखी है। प्रकरण मा0 न्यायालय में लम्बित होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई विकास खण्ड टड़ियावां के ग्राम-महमदापुर के ग्राम प्रधान द्वारा अपात्र व्यक्तियों को दिये गये पट्टे निरस्त करने की माँग

102-श्री रामजग-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड-टड़ियावां के ग्राम-महमदापुर में वर्ष 1999 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हुकुम चन्द द्वारा ग्राम समाज की भूमि के 26 पट्टे अपात्र व्यक्तियों को आवंटित किये गये है? क्या यह सही है कि ग्राम वासियों के अनुरोध पर एस0 डी0 एम0 सदर जनपद-हरदोई ने दिनांक 12 जनवरी, 2000 को तहसीलदार सदर को उक्त पट्टों की पैमाइश से पूर्व पात्रता की जांच करने एवं उक्त पट्टों का कब्जा न दिये जाने का आदेश दिया है? यदि हाँ, तो उक्त पट्टों का जांचोपरान्त निरस्त करते हुए पात्र व्यक्तियों को फिर से आवंटित किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

जी हाँ।

दिनांक 12-1-2000 के शिकायती पत्र उपजिलाधिकारी के आदेश के क्रम में आवंटित पट्टेदारों की पात्रता के सम्बन्ध में जाँच की गयी। जाँच में दो पट्टेदार अपात्र पाये गये। इन पट्टों के निरस्तीकरण का वाद अपर कलेक्टर हरदोई के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 198 (4) उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0 में विचाराधीन है।

मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत विकास अधिकारियों की तैनाती उनके गृह जनपद में किये जाने सम्बन्धी आदेश की जानकारी

103 श्री मूलचन्द-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3436/33-1-99, 30 जून 1999 व संख्या 3167/33-1-99, 1 जुलाई 1999 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार पंचायत विकास अधिकारी की तैनाती उनके गृह जनपद में की जानी थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त शासनादेश का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

शासनादेश सं0-3167/33-1-99, दिनांक 1 जुलाई, 1999 के विवरण विषयक कोई शासनादेश निर्गत नहीं हुआ। अधिसूचना सं0-3436/33-1-99-222/99 दिनांक 30 जून, 1999 एवं शासनादेश सं0-3467 न कि 3167/33-1-99-222/99, दिनांक 01 जुलाई, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की तैनाती यथासम्भव गृह पंचायत या उनके निकटस्थ ग्राम पंचायत में किये जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये थे। यद्यपि प्रश्न अस्पष्ट है परन्तु पूर्व में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा किया जा रहा था,किन्तु शासनादेश सं0-5652/33-1-99-222/99 दिनांक 27 नवम्बर, 1999 द्वारा बहुउद्देशीय कर्मियों के रूप में तैनाती किये जाने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को उनके मूल निवास की न्याय पंचायत के बाहर तैनात करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है।

उपजिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा तहसील करहल में निर्मित आवासो का उपयोग न करने पर तथा मैनपुरी में निवास करने हेतु धन का दुरूपयोग किये जाने की जाँच एवं कार्यवाही की माँग

104-श्री बाबूराम यादव-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि करहल जनपद मैनपुरी में उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी पुलिस के आवास निर्मित है? यदि हाँ, तो क्या उक्त अधिकारी इन आवासों का उपयोग करते हैं? यदि, नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त दोनों अधिकारी करहल में न रहकर मैनपुरी में ही निवास करते हैं और प्रतिदिन करहल अपने कार्य निर्वहन के रूप में आते जाते हैं जिससे शासन का हजारों रूपया गाड़ियों के तेल पर पर खर्च होता है? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

उपजिलाधिकारी करहल द्वारा तहसील में निर्मित आवास का उपयोग किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी, करहल का आवास जीर्ण हालत में है जो रहने योग्य नहीं है। इसलिये वह अपने आवास में नहीं रह रहे हैं, साथ ही उन्हें क्षेत्राधिकारी कार्यालय का कार्य भी आवंटित है जिससे उन्हें मैनपुरी मुख्यालय आना पड़ता है। करहल क्षेत्र मैनपुरी से लगा हुआ है इसलिए अतिरिक्त तेल खर्च नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई विकास खण्ड माधोगंज ग्राम हसनपुर ज्यूली के श्री राम बक्श सिंह की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की माँग

105-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री राजा बक्श सिंह जी ग्राम हसनपुर ज्यूली (वि0खं0

माधौगंज) जनपद हरदोई की अधिग्रहीत सीलिंग की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या सी0 एम0/वि0को0/यम-126181 हरदोई 99 उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार श्री रघुवीर सिंह के उत्तराधिकारी एवं राजा बक्श सिंह को प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में औपचारिक प्रपत्र तैयार कराये जा रहे हैं, उत्तराधिकारियों को नियमानुसार नोटिसें भेजी जा रही हैं, यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो प्रतिकर का भुगतान बजट के अपने पर यथासमय नियमानुसार कर दिया जायेगा।

106-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मिकि-

[दिनांक 30-3-2000 को अता0 प्र0 सं0-145 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी तहसील रामनगर ग्राम धौंखरिया के सहखातेदार श्री जमुना प्रसाद सिंह द्वारा अन्य खातेदारों के बिना सहमति की गयी भूमि की रजिस्ट्री को निरस्त करने की माँग

107-श्री सुधाकर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम धौंखरिया, तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी में स्थित खसरा संख्या 419 तथा 420 एक संयुक्त खाता तथा बाग है? क्या उक्त बाग परिवार के सारे संयुक्त खातेदारों द्वारा विगत कई पीढ़ियों से परिवार के मृतकों के अन्तिम संस्कार करने में भी प्रयुक्त होता है? क्या उक्त संयुक्त खाते के एक हिस्सेदार श्री जमुना प्रसाद सिंह द्वारा अपने हिस्से को अपने परिवार के बाहर के एक अन्य व्यक्ति के हाथ दिनांक 18-1-1995 को उप निबन्धक रामनगर कार्यालय में रजिस्ट्री कर दी गयी है? यदि हाँ, तो क्या उसका अन्य खातेदारों से अनापत्ति या सहमति प्राप्त किये बिना दाखिल खारिज भी हो गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त न्याय एवं विधि विरूद्ध की गयी रजिस्ट्री तथा दाखिल खारिज को निरस्त करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

सहखातेदारों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, मण्डी समिति कार्यालय के श्री राम नरेश चौकीदार के मरणोपरान्त उसकी विधवा को आर्थिक सहायता दिये जाने की माँग

108-श्रीमती माया प्रसाद

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी समिति कार्यालय, हरदोई में कार्यरत चौकीदार श्री राम नरेश की हत्या दिनांक 3-1-98 को रात्रि ड्यूटी के दौरान कर दी गयी थी? यदि हाँ, तो क्या राज्य मण्डी परिषद् लखनऊ के आदेश दिनांक 14-5-86 के अंतर्गत मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु मृतक की विधवा द्वारा दिये गये दिनांक 22-1-98 तथा 18-3-98 के प्रार्थना पत्र निदेशक, मण्डी परिषद् को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या उसकी विधवा को आर्थिक सहायता दे दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

मृतक की विधवा श्रीमती गंगा देवी का एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 22-1-98 की छायाप्रति सम्भागीय कार्यालय लखनऊ से दिनांक 27-3-2000 को प्राप्त हुआ है तथा दिनांक 18-3-98 का कोई प्रार्थना पत्र निदेशक, मण्डी परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ है। मण्डी परिषद्/मण्डी समितियों के मृतक आश्रितों को मण्डी परिषद् और मण्डी समिति कर्मचारी कल्याण निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मण्डी परिषद् द्वारा गठित चार सदस्यीय कमेटी द्वारा नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कराकर प्रकरण का निस्तारण कराया जायेगा। दिनांक 8-6-98 से श्रीमती गंगा देवी को मण्डी समिति हरदोई में चपरासी के पद पर सेवायोजित किया जा चुका है।

जनपद उन्नाव के कृषि फार्मो में उत्पादन कम होने सम्बन्धी जाँच एवं कार्यवाही की माँग

109-श्री बाबू लाल कुरील-

क्या कृषि मंत्री जानकारी है कि जनपद-उन्नाव के कृषि फार्मो का उत्पादन वर्ष 1998-99 में विगत वर्षो की तुलना में कम हुआ है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ जाँच करवाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

जनपद उन्नाव में 6 विभागीय प्रक्षेत्र पर कुल उत्पादन वर्ष 1998-99 में वर्ष 1997-98 की अपेक्षा अधिक रहा, परन्तु पूर्व के वर्षो की तुलना में कम रहा। इनमें तीन प्रक्षेत्रों में अधीक्षक हटा दिये गये और दो प्रक्षेत्रों में विपरीत मौसम के कारण क्षति हुई। छठे प्रक्षेत्र सिरोसी पर अधीक्षक के विरूद्ध भी कार्यवाही चल रही है।

जनपद शाहजहाँपुर तहसील अमतपुर ग्राम नगला रोशन, के श्री लाल खाँ की भूमि पर हुए अवैध कब्जा सम्बन्धी पत्र एवं कार्यवाही की माँग

110-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र 5-6-99 जो जनपद शाहजहांपुर के श्री लाल खाँ निवासी ग्राम नगला रोशन, मौजा कुम्हरौर थाना व तहसील अमतपुर जनपद शाहजहाँपुर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने विषयक था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है जिसे उन्होंने दिनांक 6-6-99 को जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में जाँच के दौरान पाया गया कि शिकायत कर्ता अपनी जमीन पर काबिज है, तथा अब कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज, ब्लाक छिबरामऊ ग्राम खल्लारूप मंगदपुर ग्राम पंचायत चुनाव हेतु गलत बनी मतदाता सूची के सुधार हेतु दिये गये पत्र पर कार्यवाही की माँग

111-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम खल्लारूप मंगदपुर ब्लाक-छिबरामऊ जनपद-कन्नौज की गाँव

पंचायत चुनाव के हेतु बनी गलत मतदाता सूची के सुधार हेतु उक्त ग्राम के पूर्व प्रधान श्री शिम्मू दयाल एवं ग्रामीणों द्वारा माह नवम्बर/दिसम्बर, 1999 में जिलाधिकारी/जिला पंचायत अधिकारी, कन्नौज को दिये गये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए है? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा मतदाता सूची संशोधित कर अपर आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग को दिनांक 24-3-2000 को प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उटता।

जनपद बिजनौर के कतिपय गाँवों में खों व राम गंगा नदी की बाढ़ से फसलों को हुई हानि का मुआवजा देने की माँग

112-श्री मूल चन्द्र-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर के ग्राम-मुकरपुरी, जीतहिस्मा, नवादा, केशों, गाधरपुर, टोड़ा आदि ग्राम खों नदी व रामगंगा नदियों में वर्ष 1998-1999 तथा 1999-2000 में आयी बाढ़ से किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त किसानों को मुआवज़ा देने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

वर्ष 1998-99 में खों नदी एवं राम गंगा नदियों में बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के 1868 प्रभावित परिवारों को 620 कुन्तल गेहूँ बीज नि:शुल्क वितरित किया गया है। वर्ष 1999-2000 में बाढ़ से किसी की फसल की क्षति 50% से अधिक न होने के कारण नियमानुसार कोई सहायता देय नहीं है।

113-श्री मूलचन्द-

[दिनांक 30-3-2000 को अता0 प्र0 सं0-142 द्वारा उत्तरित]

जनपद कुशीनगर में दो नयी तहसीलों के सृजन के सम्बन्ध में जानकारी

114-श्री दीपलाल भारती-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-कुशीनगर में दो नयी तहसील खड्डा एवं कप्तानगंज के सृजन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय, कुशीनगर के पत्रांक सं0-376(3) सात-भूलेख-99, दिनांक 6-12-99 के अनुसार दिनांक 9-12-99 को बैठक करके तहसीलों का सीमांकन तय कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त दोनों तहसीलों को कब तक सृजित कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जनपद कुशीनगर स्तर पर दिनांक 9-12-99 को बैठक आयोजित करके जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिये जाने के अनुरोध किया गया था। श्री दीपलाल भारती, सदस्य विधानसभा के सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, अन्य लोगों के सुझाव प्रतीक्षित है। जिलाधिकारी, कुशीनगर से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी परगना बरनाहाल ग्राम रेढ़ापुर में चकबन्दी प्रतिक्रिया में की गई अनियमितताओं की जाँच

115-श्री राम औतार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रेढ़ापुर परगना-बरनाहल, तहसील करहल जनपद-मैनपुरी में चल रही चकबन्दी प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में की जा रही अनियमितओं के विरूद्ध उक्त ग्राम के ओम प्रकाश

आदि ग्रामीणों द्वारा माह जून/जुलाई वर्ष 1999 में चकबन्दी आयुक्त को भेजे गये शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

चकबन्दी आयुक्त को नहीं प्राप्त हुआ। अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, मैनपुरी को प्राप्त कराये गये उक्त पत्र पर जाँच कराई जा रही है। शेष का प्रश्न नही उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर ब्लाक भीटी ग्राम सभा चन्दापुर की ग्राम सभा सम्पत्ति का चार्ज ग्राम प्रधान को दिलाने की माँग

116-श्री चेतराम-क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान, ग्राम सभा चन्दापुर, ब्लाक भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर को ग्राम सभा सम्पत्ति का चार्ज आज तक नहीं हो पाया है? क्या मंत्री जी इस प्रकरण पर कठोर कार्यवाही करते हुए ग्राम सभा सम्पत्ति का चार्ज तत्काल दिलवाकर इस कार्य में विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी नहीं।

जी नहीं।

क्यों कि ग्राम सभा सम्पत्ति रजिस्टर ग्राम प्रधान द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

पर्वतीय पटवारियों को पुलिस उपनिरीक्षक के बराबर वेतन भत्ते व अन्य सुविधायें दिये जाने का प्रकरण

117-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय पटवारियों को पुलिस उप निरीक्षक के बराबर वेतन भत्ते व अन्य सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में पर्वतीय पटवारी संघ एवं राजस्व मंत्री जी के बीच दिनांक 24-1-2000 के वार्ता में कोई समझौता हुआ था। यदि हाँ, तो क्या वेतन विंगतियों को दूर दिये जाने हेतु कोई कमेटी गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

पर्वतीय पटवारी संघ एवं राजस्व मंत्री जी के बीच दिनांक 24-1-2000 को कोई वार्ता नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान दियरा के विरूद्ध जाँच की जानकारी

118-श्री राजीव कुमार सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा ग्राम प्रधान-दियरा, ग्राम सभा के विरूद्ध कोई जाँच की जा रही है? यदि हाँ, तो जाँच के बिन्दु एवं प्रकृति क्या है एवं उक्त जाँच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

119-श्रीमती उर्मिला देवी-

[दिनांक 26-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-187 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम रूकनापुर एवं जुजुवामऊ में आग से पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता देने की माँग

120-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम रूकनापुर (वि0 खं0 माधोगंज) में आग से पीड़ित 93 व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता प्रदान किये जाने विषयक मुख्य मंत्री का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-1/26185/2686 एवं 26187/ हरदोई दिनांक 9-8-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त पीड़ित लोगों को पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

जी हाँ।

ग्राम रूकनापुर में दिनांक-25 अप्रैल, 1999 को 87 व्यक्ति अग्निकाण्ड से प्रभावित हुए थे। जिसमें एक जनहानि एवं 3 पशु हानि हुई थी। प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार दिनांक-27 अप्रैल, 1999 को चेक के माध्यम से रूपये 25000=00 अहेतुक सहायता रू0 26,400=00 गृह अनुदान तथा रू0 29,500=00 अनुग्रह अनुदान मद में वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

121-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र ग्राम जुजवामऊ (वि0 खं0 माधौगंज) में आग से 47 व्यक्तियों के मकान जल गये थे? क्या उन्हें पर्याप्त सहायता दिये जाने विषयक मुख्य मंत्री का पत्र संख्या सी0 एम0/वि0 को0/एम-1/26185/2686 एवं 26187/ हरदोई दिनांक 9-8-99 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या उक्त अग्निकांड पीड़ितों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करायी जायेगी? यदि हाँ,तो कब तक? यदि नहीं,तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

ग्राम रोसा में दिनांक-25 अप्रैल, 1999 को 40 व्यक्ति अग्निकाण्ड से प्रभावित हुए थे। जिसमें एक जनहानि एवं 12 पशु हानि हुई थी। प्रभावितों को नियमानुसार दिनांक-27 अप्रैल, 1999 को चेक के माध्यम से रू0- 17,400/- अहैतुक सहायता रू0- 25,600/- गृह अनुदान तथा रू0- 41,000/- अनुग्रह अनुदान मद में वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत सुल्तानपुर को आवंटित अनुदान से कराये गये कार्यो का विवरण

123-श्री राम रतन यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-2060/33-3-99-15 जी/99 दिनांक 5-7-99 द्वारा जिला पंचायत सुल्तानपुर को दशम् वित्त आयोग से वर्ष 1999-2000 हेतु रूपया 93,98,980/ का अनुदान आवंटित किया गया था? यदि हाँ, तो उससे क्या-क्या कार्य कराये गये?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

कराये गये/जा रहे कार्यो का विवरण निम्नवत् है:-

1- विकास खण्ड दोस्तपुर में दुल्हापुर रियायिकपुर मार्ग से बबुरी मंदिर तक सम्पर्क मार्ग।

2- बेलहरी-बरौसा रोड से बेलहरी गॉव में श्री रमेश सिंह के घर तक मार्ग लेपन।

3- बेलहरी इण्टर कालेज से गोपालपुर तक मिट्टी भराई कार्य।

4- विकास खण्ड-बल्दीराय में आतामऊ मार्ग का लेपन कार्य।

5- विकास खण्ड-लभुआ में ग्राम-पाण्डेयपुर बगिया से पाण्डेयपुर इण्टर कालेज सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी भराव व सोलिंग का कार्य।

6- बैनी सरैया से गौतमपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन हेतु मिट्टी आपूर्ति का कार्य।

7- श्री साधू राम मौर्य पश्चिम गॉव के घर से पवन मिश्र के परवा तक मार्ग पर मिट्टी-भराई एवं सोलिंग का कार्य।

8- ग्राम जड़ापट्टी में प्रधान श्री राम कृपाल मिश्र के घर से धनपतगंज मार्ग से फूलपुर तक मार्ग पर लेपन का कार्य।

9- इनायतपुर भोंपा (घापा) मार्ग से रोहनी का पुरवा लखोचा तक मार्ग पर मिट्टी भराई तक खड़ंजा कार्य।

10- नरवारी हाजीपुर मार्ग से लिम्दीपुर (अखण्डनगर) तक लेपन कार्य।

11- खरगोपुर से अम्बेडकरनगर मार्ग से मथेया तक।

12- जमखुरी-बनीपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य।

13- चांदारजवाहा से बोगरही (नौगरही) मार्ग कार्य।

14- जल निगम पावर हाऊस से गौरीगंज से सुक्खू चमार के घर तक मार्ग।

15- राईस मिल दयालापुर गौरीगंज से बहादुर यादव के घर तक।

16- जिला पंचायत सुल्तानपुर में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 10 इंडिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाया जाना।

जनपद फैजाबाद, चकबन्दी अधिकारी सदर द्वारा मु0 नं0 1511 व 1512 पर दिये गये आदेश को निरस्त कर प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जानकारी

124-श्री राम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उनके द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 1997 को चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ को ग्राम धौरहरा रामनगर, परगना मंगलजी जनपद फैजाबाद को चकबन्दी अधिकारी, सदर, फैजाबाद द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 1997 को मु0 नं0 1511 व 1512 पर दिये गये आदेश को निरस्त कर प्रभावी कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया गया था? यदि हॉ, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन कर लिया गया है? यदि हॉ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

प्राप्त सूचना के अनुसार चकबन्दी अधिकारी के प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध दो अपीलें न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्प्रति विचाराधीन बतायी गयी हैं जिनके निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं बताया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के तहसील रूदौली से जनपद बाराबंकी के तहसील राम सनेहीघाट में सम्मिलित 37 राजस्व ग्रामों को जनपद बाराबंकी के थानों में सम्मिलित करने की माँग

125-श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी में जनपद फैजाबाद से उ0 प्र0 सरकार के राजस्व

अनुभाग-5 द्वारा संख्या 31-84/1-5-98-333-97-रा0-5 लखनऊ 18 दिसम्बर, 1988 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत तहसील रूदौली, जिला-फैजाबाद में अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट 37 राजस्व ग्रामों के क्षेत्र को तहसील रामसनेही घाट, जिला-बाराबंकी में सम्मिलित करके तहसीलों की सीमाओं को परिवर्तित किया गया है? क्या अभी तक उक्त बाराबंकी जनपद में परिवर्तित किये गये ग्रामों को बाराबंकी जनपद के थानों में स्थान्तरित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? परिवर्तित ग्रामों को बराबंकी के थानों में कब तक सम्मिलित कर दिया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

गृह विभाग द्वारा जनपद बाराबंकी की रामसनेही घाट में सम्मिलित किये गये 37 राजस्व ग्रामों को बाराबंकी जनपद के थानों में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से सूचना प्राप्त करके नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत में पंजीकृत बन्द एवं कार्यरत उद्योगों का विवरण

126-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या लघु उद्योगों मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1999 तक जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत में कुल कितने उद्योग पंजीकृत थे? उनमें से कितने कार्य कर रहे हैं तथा कितने बन्द पड़े है?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह-

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में 31 दिसम्बर, 1999 तक 1356 लघु औद्योगिक इकाईयां पंजीकृत थी। इसके अतिरिक्त वृहद एवं मध्यम क्षेत्र की 03 औद्योगिक इकाईयां पंजीकृत थी इन पंजीकृत इकाइयों में से 1230 लघु औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है, तथा 126 लघु औद्योगिक इकाईयां बन्द हैं। वृहद एवं मध्यम के अन्तर्गत पंजीकृत 03 औद्योगिक इकाईयां भी बन्द हैं।

जनपद गोरखपुर में बाढ़ से अनेकों गांवों के खेतों में एकत्रित बालू को हटाये जाने सम्बन्धी पत्रों पर कार्यवाही की मांग

127-श्रीमती गौरी देवी-

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1998 की बाढ़ से जनपद-गोरखपुर के अनेक गांवों की खेती बांधो के कटने से बालू इकट्ठी हो गयी? यदि हाँ, तो बालू हटाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व विधायक एवं सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद-गोरखपुर ने गाँव विभुनपुर गटियरा, दीवां, सिलहटा, रानापुर, टमुठा, धन्ही महोब चक, पुरनहां आदि गाँव, ब्लाक ब्रह्मपुर के विषय में माह अगस्त 1998 ई0 में जिला अधिकारी, गोरखपुर,आयुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर, मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री को भेजे गये पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ प्रश्नगत पत्र भी प्राप्त हुए है। खेतों से बालू हटाये जाने के लिए खनन पट्टा व खनन अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के अध्याय 2 व 6 में है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में यह व्यवस्था की गई है कि खनिजों के पट्टे निलामी प्रक्रिया के तहत अधिकतम बोली लगाने वाले के पक्ष में स्वीकृत किये जाये तदनुसार कार्यवाही की जा रही थी। पुनः दिनांक 18-2-2000 में एक आदेश के तहत मा0 उच्च न्यायालय ने निलामी प्रक्रिया स्थगित कर दी है जिस कारण कार्यवाही पूर्ण किये जाने में असुविधा हो रही है।

जनपद कन्नोज की तहसील छिबरामऊ के ग्राम चन्दरा मौजा की कच्ची गलियों में खड़न्जा लगवाने की माँग

128-श्री राम औतार शाक्य-

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम चन्दरा मौजा सलेमपुर ब्लाक-खड़िनी तहसील

छिबरामऊ जनपद-कन्नौज के अन्तर्गत कच्ची गलियां हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पक्का खड़न्जा लगवायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

जाँच कराने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में लगाये गये राजकीय बागों के आय-व्यय का विवरण

129-श्री विजय पाल सिंह-

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कुल कितने रकबे में कहां-कहां राजकीय बाग लगाये गये हैं? उक्त बागों से वर्ष 1997-98, 1998-99 में कुल कितना आय-व्यय हुआ?

श्री धनराज यादव-

जी हाँ। आगरा जनपद में वर्ष 1953 से 1968 के मध्य रेगिस्तान के फैलाव को रोकने हेतु औद्योगिक वनरोपण खण्डों की स्थापना की गयी थी। इनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	वनरोपण खण्ड का नाम	क्षेत्रफल हे0 में	पेड़ों की संख्या	
			फलदार	शोभाकार
1.	सींगना	110-8	3446	3200
2.	सूरदास	30-0	581	1450
3.	तेरामोरी	32-0	1267	5100
4.	वाकन्दा	28-0	2902	3600
5.	अटा	46-0	390	3687
6.	डौकी	18-0	842	782
	योग	264-8	9428	17819

विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	व्यय विवरण		आय
1.	वर्ष 1997-98	21,99000	2,29,200
2.	वर्ष 1998- 99	28,85,800	3,96,100

जनपद सिद्धार्थ नगर में विकास खण्ड बढ़नी के ग्राम आवेही कला के ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की माँग

130-श्री मो0 मुकीम-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-आदेही कला, विकास खण्ड-बढ़ती, जनपद सिद्धार्थ नगर के ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के विरूद्ध ग्रामवासी शाह आलम व अन्य का शिकायती पत्र रजिस्र्ड

पत्र संख्या-523 दिनांक 8-1-2000 द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर को मूलस्वरूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थ नगर में तहसील सोहरतगढ़ के ग्राम आदही कला के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज के पेड़ कटाये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

131-श्री मो0 मुकीम-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आदही कला, तहसील-सोहरतगढ़, जनपद-सिद्धार्थ नगर के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज के पेड़ कटा लेने के सम्बन्ध में शाह आलम व अन्य ग्राम वासियों का शिकायती पत्र पर रजिस्टर्ड पत्र संख्या-516 दिनांक 8-1-2000 द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

गाटा संख्या:838 में दो सूखे शीशम के वृक्ष कटे पाये गये जिसकी अधिकांश लकड़ियां ग्राम-ओदही कला के रामलीला आयोजन में प्रयोग की गयी तथा संज्ञान में आने पर वन विभाग द्वारा प्रधान व स्थानीय व्यक्ति के विरूद्ध व अपराध सं0 04/2000-2001 पंजीकृत किया गया है। गाटा सं0 197 भू0-राजस्व अभिलेखों के अनुसार श्री रघुवीर पुत्र श्री राम अचल के स्वामित्व में है। पातन अनुज्ञा दिनांक 10-12-1999 के आधार पर 15 शीशम के वृक्षों का का पातन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की पारिजात संस्था को उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा आवंटित कार्य को मानक के अनुरूप कराने के सम्बन्ध में जानकारी

132-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनान्तर्गत फेज-2 को प्रस्तावित कार्य योजना के लिए जनपद-बाराबंकी की संस्था पारिजात के नाम कार्य आवंटित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त संस्था द्वारा मानक के अनुरूप कार्य किया जा रहा है? क्या इसकी जाँच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्बन्धित नहीं है।

केन्द्र सरकार द्वारा विशेष अनाज उत्पादन योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग को प्राप्त धनराशि का विवरण

133-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग को केन्द्र द्वारा विशेष अनाज उत्पादन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कुल कितनी धनराशि प्राप्ति हुई है? फसलवार धान, गेहूँ, दलहन,

तिलहन, मोटे अनाज के लिए कितनी धनराशि निर्धारित थी? कितना धन खर्च हो गया है तथा कितनी धनराशि शेष है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

कृषि विभाग को केन्द्र सरकार से विशेष अनाज उत्पादन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कुल रू0 3651,7775 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

फसलवार धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज के लिए निर्धारित (बजट प्राविधान के आधार पर) निर्धारित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

	फसलवार योजना का नाम	निर्धारित धनराशि (लाख में)
1-	एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम चावल परियोजना	1400.00
2-	एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम गेहूँ आधारीय	1400.60
3-	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	010.52
4-	तिलहन दलहन उत्पादन कार्यक्रम	1447.11
5-	मोटा अनाज-	
-	तीव्रगामी मक्का विकास कार्यक्रम	218.58
-	मोटे अनाजों की मिनीकिट वितरण एवं प्रदर्शन योजना	10.50

धनराशि के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं। व्यय के आंकड़े जनपदों से प्राप्त हो जाने पर मा0 सदस्य को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करा दिया जायेगा।

जनपद बहराइच में विकास खण्ड मिहीपुरवा के ग्राम नई बस्ती में कृषि भूमि को फर्जी ग्राम समाज की परती भूमि दर्शा कर कोतवाली मुर्तिहा का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

134-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बहराइच, तहसील-नानपारा, वि0 खं0 मिहीपुरवा अन्तर्गत ग्राम्य पंचायत निधि पुरवा के ग्राम नई बस्ती में कृषि भूमि खाता खतौनी सं0-380 मि0 /202 हे0 से खातेदारों का नाम खारिज कर फर्जी ग्राम समाज/नवीन परती दर्शाकर थाना कोतवाली मुर्तिहा के नाम आवंटन कर जबरन थाना कोतवाली मुर्तिहा का निर्माण कराया जा रहा है? क्या इस सम्बन्ध में ग्राम विकास मंत्री का पत्रांक-9392 दिनांक 24-12-98 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

जनपद रायबरेली में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं का वरीयता सूची के अनुसार कार्य का आवंटन

135 अम्बिका चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व

बैंक वित्त पोषित परियोजनान्तर्गत फेज-2 की प्रस्तावित कार्य योजना के लिए अवध लोक सेवा आश्रम लालगंज, रायबरेली का नाम समुचित विचारोपरान्त संस्तुत कर विश्व बैंक के सम्बन्धित अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए भेजा गया था तथा उस पर विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा भी अनुमोदित किया गया था? यदि हाँ, तो कार्य योजना का आवंटन इस संस्था को न करके जनपद-बाराबंकी की एक संस्था "पारिजात" को करने का क्या कारण है? क्या सरकार "पारिजात" संस्था के नाम कार्य आंवटन को निरस्त करते हुए उक्त अवध लोक सेवा आश्रम नामक संस्था को कार्य आवंटित करने के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम को विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत कुल 09 स्वयं सेवी संस्थाओं की आवश्यकता थी। इसको पूरा करने हेतु 12 स्वयं सेवी संस्थाओं की वरीयता सूची तैयार की गयी। इस सूची में फेज-1 के अन्तर्गत कार्यरत पुरानी 02 संस्थाओं के अतिरिक्त 10 नई संस्थाओं के नाम सम्मिलित थे जिसमें पारिजात संस्था का नाम दूसरे स्थान पर तथा अवध लोक सेवा आश्रम का नाम बाहरवे स्थान पर था। इस सूची का अनुमोदन विश्व बैंक से इस प्रतिबन्ध के साथ कराया गया कि यदि वरीयता सूची के क्रमांक-01 से 09 तक की संस्थाओं में से कोई संस्था योगदान नहीं करती है तो वरीयता सूची के क्रमांक-10 से 12 में उल्लिखित संस्थाओं को वरीयता क्रम से कार्य आवंटन किया जाये। चूँकि आवश्यकतानुसार क्रमांक 01 से 09 तक सभी संस्थाओं ने योगदान कर लिया और अवध लोक सेवा आश्रम का नाम बाहरवें स्थान पर था इसलिये उन्हें कार्य आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचित एवं असिंचित कृषि भूमि जनपद मिर्जापुर की उक्त मालियत से अधिक होने की जानकारी

136-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचित कृषि भूमि एवं असिंचित कृषि भूमि की मालियत कितनी है एवं इसी श्रेणी की मिर्जापुर जनपद में स्थित उक्त श्रेणी भूमि की मालियत कितनी है? क्या लखनऊ जनपद की उक्त भूमि की मालियत मिर्जापुर जनपद से अधिक है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहाँपुर में मत्स्य विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

137-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-10-99 जो जनपद शाहजहांपुर में मछली पालकों को मत्स्य दिये जाने में मत्स्य विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फागू चौहान-

जी हाँ।

प्रकरण की जाँच कराई गई। जाँच में शिकायतें निराधार पाई गई हैं।

जनपद फैजाबाद नरेन्द्र देव कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति में अनियमितता

138-श्री लालजी वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 1999 द्वारा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रतिबन्ध के उपरान्त भी कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा बिना पद के विज्ञापित किये ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति की गयी है? यदि हाँ, तो क्या उक्त अनियमित नियुक्ति को निरस्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं। छटनी शुदा कर्मचारी का सेवा में समायोजित करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चूँकि छटनी शुदा कर्मचारी को ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर समायोजित किया जाना था। अतः पद को विज्ञापित नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, आलमबाग भण्डार गृह में भूमि सुधार हेतु उपलब्ध जिप्सम स्टाक एवं उसके उपयोग की जानकारी

139-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित आलमबाग भण्डार गृह में भूमि सुधार हेतु वर्तमान वर्ष 2000 में कितना जिप्सम का स्टाक उपलब्ध है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1996 से भूमि सुधार हेतु जिप्सम का प्रयोग किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जनपद लखनऊ स्थित आलमबाग भण्डार गृह में भूमि सुधार हेतु वर्तमान वर्ष 2000-2001 में दिनांक 1-4-2000 को 680 मै0 टन जिप्सम पाउडर का स्टाक उपलब्ध है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचायती राज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

140-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित उ0 प्र0 मिनिस्ट्रीयल एसोसियेशन पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ का पत्र दिनांक 26-4-99 जो पंचायती राज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या उक्त भ्रष्टाचार की पुष्टि में नियुक्ति विभाग द्वारा मांगे गये शपथ प्रमाण-पत्र दिनांक 30-10-99 को प्राप्त करने के उपरान्त शिकायतों की जांच करायी गयी? क्या जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ

तथ्यात्मक विवरण प्राप्त किये जा रहे है।

प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

141-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे वर्मा अध्यक्ष, समता पार्टी, उ0 प्र0 का पत्र दिनांक 19-11-98 जो श्री राम कुमार तिवारी उपनिदेशक पंचायत राज निदेशासलय के सम्बन्ध में जांच कराने के विषय में था, प्राप्त हुआ है? यदि हॉ, तो क्या उसकी जॉच करायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हॉ।

जी हॉ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव विकास खण्ड बिछिया, जरगॉव सम्पर्क मार्ग के खडन्जा निर्माण में की गई अनियमितता की जॉच की मॉग

142-डा0 अशोक वाजपेयी-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत ग्राम पंचम खेड़ा में दिसम्बर, 1999 में मुन्नीलाल के घर के सामने से जरगॉव सम्पर्क मार्ग लगभग 300 मीटर पर मिट्टी डालकर खड़न्जा कार्य कराया गया था? यदि हॉ? तो उसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी? क्या यह सही है कि उक्त खड़न्जा कार्य में भारी वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं? यदि हॉ, तो क्या सरकार इसकी जॉच टी0 ए0 सी0 से कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

सूचना एकत्र की जा रही है।

143-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

[दिनांक 6-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-100 द्वारा उत्तरित]

जनप0 प्रतापगढ़ गंगापुर पशु चिकित्सालय को पुनर्विनियोग विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मॉग

144-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री के आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/ एम-1/22144 प्रतापगढ़ दिनांक 6-4-99 जो गंगापुर पशु चिकित्सालय को पुनर्विनियोग से बनाये जाने हेतु है, प्राप्त हुआ है? यदि हॉ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फागू चौहान-

जी हॉ।

गंगापुर पशुचिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के लिए वर्ष 1999-2000 की जिला योजना की पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में होने वाली बैठक में विचार करने हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर तहसील मछली शहर ग्राम सभा रामपुर-दान की ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा समाप्त करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

145-बनवारी लाल दोहरे-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, जौनपुर को मा0 राजस्व राज्य मंत्री का पत्र संख्या-

1856/रा0मं0रा0/299 दिनांक 29-12-99 जो ग्राम सभा रामपुर-दान, विकास खण्ड-सुजानगंज, तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर की ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा समाप्त कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों के अवैध कब्जे से ग्राम समाज की भूमि मुक्त करा दी गयी है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी हाँ।

अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध बेदखली वाद अन्तर्गत धारा 122 बी ज0वि0अ0 तहसीलदार न्यायालय में संस्थित किया गया है। नोटिस 49क निर्गत की जा चुकी है। अधिवक्ता संघ के लम्बे लड़ताल के कारण वाद विचाराधीन है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा चूंकि अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आख्या दी जा चुकी है और वाद लम्बित है इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्डों को पी0एच0 मापक (अम्लीय क्षारीय विश्लेषण) यन्त्र उपलब्ध कराने की माँग

146-श्री कृष्ण चन्द्र पुनठा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृदा परीक्षण के नये तकनीक के यन्त्र पी0एच0 (अम्लीय क्षारीय) मापक को पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो कब तक इसे प्रत्येक विकास खण्डों में उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0एच0 मापक यन्त्र उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक धन, स्थान एवं प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होगी।

जनपद पिथौरागढ़ चम्पावत में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में प्राप्त शुल्क तथा नये निर्माण की लागत की जानकारी

147-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 से 29 फरवरी, 2000 तक जनपद-पिथौरागढ़/चम्पावत में राज कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् ने कुल कितना मण्डी शुल्क प्राप्त किया है? वर्तमान में उक्त जनपदों में कितने नये मण्डी स्थल निर्माणाधीन हैं? उनकी कुल लागत क्या है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

आलोच्य अवधि में जनपद पिथौरागढ़ में रूपये 2,04,578.00s तथा जनपद चम्पावत में रू0 74,88,684.00 का मण्डी शुल्क प्राप्त हुआ है।

जनपद पिथौरागढ़ में कोई मण्डी स्थल निर्माणाधीन नहीं है। जनपद चम्पावत की सीमा के अन्दर उपमण्डी स्थल टनकपुर स्थित है जिसका निर्माण वर्तमान में कराया जा रहा है।

उपमण्डी स्थल टनकपुर की परियोजना लागत रू0 109.96 लाख है।

जनपद फर्रूखाबाद, विकास खण्ड बढ़पुर ग्राम पंचायत महरूपुर सहजू के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यो में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

148-श्री सुशील शाक्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अयोध्या प्रसाद सिंह, उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त निगम लि0, लखनऊ का शिकयती-पत्र दिनांक 5-10-97 जो ग्राम पंचायत महरूपुर सहजू, विकास खण्ड बढ़पुर जनपद-फर्रूखाबाद के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यो में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 7-10-97 को जिला पंचायत राज अधिकारी फर्रूखाबाद को जाँच हेतु निर्देशित किया एवं जाँच अवधि के लिए ग्राम पंचायत के खाते को रोक दिया गया किन्तु जाँच उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रधानों, उप प्रधानों, सदस्यों को हटाया जाना नियमावली 1997नियम-3 के अनुरूप न होने के कारण जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 14-4-99 द्वारा समाप्त कर दी गई एवं खाते के संचालन पर लगी रोक हटा ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

149-श्री सुशील शाक्य-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत अधिकारी, फर्रूखाबाद को ग्राम मसरूपुर सहजू, विकास खण्ड बढ़पुर, जनपद फर्रूखाबाद के प्रधान एवं पंचायत अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उक्त जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पत्र संख्या-365, दिनांक 15-7-1998 मुख्य अधिकारी, फर्रूखाबाद को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो जाँच अधिकारी की संस्तुति पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद ने अपने आदेश दिनांक 14-4-99 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी की जाँच कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों,उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जाँच नियमावली, 1997 के नियम-3 के अनुरूप न होने के कारण समस्त जाँच एवं आदेशों को अवक्रमित करते हुए निर्देशित किया है कि शिकायत कर्ता उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप शिकायत करें। किन्तु शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार कोई शिकायत अब तक नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी रायबरेली को राज्य मंत्री पंचायती राज द्वारा पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

150-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 राज्य मंत्री, पंचायती राज का पत्र सं0 वी0 आई0 पी0 1721/ रा0मं0/पंचायतीराज/99, दिनांक 21-6-99 जिलाधिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पत्र में उल्लिखित पक्ष को उसके आवासीय स्थल को मुक्त कराकर कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी नहीं, बल्कि पत्र सं0-वी0आई0पी0 1720/रा0मं0/पंचायती राज/99, दि0-21-6-99 जिलाधिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में उल्लिखित प्रकरण श्रीमती बिटाना पत्नी स्व0 लोकनाथ लोधी निवासी ग्राम डोडेपुर थाना खीरो तहसील लालगंज को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने से सम्बन्धित है। प्रश्नगत गाटा सं0:349 किसी को भी आवंटित नहीं की गयी है। इस भूमि पर श्री देवी प्रसाद पुत्र श्री दुलारे आदि ने अवैध कब्जा कर रखा है। जिसके विरूद्ध ज0 वि0 अ0 की धारा 122 बी की कार्यवाही की गई है। शिकायतकर्ता के पास आबादी के अन्दर आवास हेतु एक कच्चा मकान तथा पशु बाँधने हेतु एक कच्ची कोठरी व छप्पर है। शिकायत कर्ता के पास पर्याप्त आवास होने एवं उसके आवंटन हेतु पात्र न होने के कारण उसे कथित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता।

प्रदेश में स्थापित उद्योगों की संख्या तथा बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र में उद्योग स्थापित कराने की जानकारी

151-श्री रामतेज यादव-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1999 से अब तक कितने उद्योगों की स्थापना की गई? क्या जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र केसरगंज की बेरोजगारी दूर करने के लिए वहां कोई उद्योग स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरस्वंती प्रताप सिंह-

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1999-2000 में अब तक 3150 लघु औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत/स्थापित है।

(ख) जी हॉ। कैसरगंज क्षेत्र में 1999-2000 में लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा तहसील-मांट, ग्राम-मीरजापुर में अनियमित से भूखण्ड के पट्टे दिये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

152-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-मीरपुर, तह0-मांट, जिला मथुरा की कच्ची सड़क की जमीन से 30 x 200 फुट के भूखण्ड को अनियमित रूप से किराये/पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-1/23676/मथुरा/99, दिनांक 24-5-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हॉ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी नहीं। पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उपलब्ध कराये जाने पर समुचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के उप कृषि निदेशक (प्रसार) के कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिक की सेवायें समाप्त करने की मांग

153-श्री तेजभान सिंह-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक जो कि उप कृषि निदेशक (प्रसार) बाराबंकी के कार्यालय में नियुक्त हैं इनकी नियुक्त के समय नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा था? यदि हॉ, तो किस प्रकार इनकी नियुक्ति की गयी? क्या इनकी नियुक्ति अनियमित है? यदि हॉ, तो क्या इनकी

सेवायें समाप्त की जायेंगी?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी हाँ।

श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रश्नगत नियुक्ति के पूर्व दैनिक श्रमिक टंकक के रूप में कार्यरत थे। इनकी नियुक्ति सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण), फैजाबाद द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 12-6-97 के अन्तर्गत की गयी थी।

उप कृषि निदेशक (मुख्यालय) द्वारा की गयी प्रारम्भिक जाँच आख्या के आधार पर यह नियुक्ति अनियमित पायी गयी है।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसकी विस्तृत जांच कराने के आदेश विशेष अनुसंधान (कृषि), अपराध अनुसंधान विभाग, कृषि भवन, लखनऊ, को दे दिये गये है। जाँच के निष्कर्ष प्राप्त होने पर ही यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम सभा-पिण्डरा करनाई के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन में की गयी अनियमितता की जाँच

154-श्री तेजभान सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, मु0 खाना जनपद-सुल्तानपुर का उप जिलाधिकारी, मु0 खाना-सुल्तानपुर को प्रेषित दिनांक 4-5-1999 का पत्रांक-992/जांच आख्या/99 जो ग्राम सभा-पिण्डरा करनाई के ग्राम प्रधान के विरूद्ध जवाहर रोजगार योजना द्वारा प्राप्त धन में की गयी अनियमितता की शिकायत की जाँच आख्या के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जी हाँ।

सम्बन्धित प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के न्यायालय में पंचायतराज अधिनियम की धारा 95 (1) के खण्ड (छ) के अधीन वाद चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फतेहपुर में धरियांव असोथर मार्ग के नहर पटरी से टेकसारी बुजुर्ग तक स्वीकृत मार्ग का कार्य पूर्ण कराने की मांग

155 श्री मुरलीधर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-107 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-फतेहपुर में धरियांव असोथर मार्ग नहर पटरी से टेकसारी बुजुर्ग तक स्वीकृत मार्ग का कार्य पूरा हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

जी नहीं।

आर0आई0डी0एफ0-चतुर्थ योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के फलस्वरूप माह जनवरी, 2000 में निर्माणाधीन कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग पर निर्माण की कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्णय भूमि सुधार निगम द्वारा लिया गया था। जनपद

फतेहपुर में धरियाँव असोधर मार्ग से नहर पटरी से टिकसारी बुजुर्ग मार्ग पर निर्माण की कार्यवाही को इसी परिप्रेक्ष्य में स्थगित रखा गया।

माह मार्च 2000 में उक्त योजनान्तर्गत धन उपलब्ध हो गया है। अत: 81 मार्ग जिनके निर्माण कार्य स्थगित कर दिये गये थे, को प्रारम्भ करने के निर्देश दे दिये गये हैं। प्रश्नगत मार्ग भी उक्त सूची में सम्मिलित है।

लोक निर्माण मंत्री का अपने ऊपर लगाये गये अरापों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण एवं मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र देने की घोषणा

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)-

मान्यवर, मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को अभियंता संघ की शिकायत पर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया स्थान ग्रहण करिये। मैंने कल ही व्यवस्था दी थी कि यदि किसी माननीय सदस्य को, किसी मंत्री को कोई वक्तव्य की अनुमति दी जा चुकी हे तो उसके समाप्त होने के तक बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप नियमावली देख लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी आप स्वयं विज्ञ हैं। सरकार का कोई मंत्री, मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य जब चाहे तब सदन में खड़े होकर कोई वक्तव्य दे सकता है। मैंने उनको अपनी बात कहने की अनुमति दी है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री बी0आर0 वर्मा-

माननीय, नियम 315 को आप देख लें। इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी तथा अध्यक्ष के अन्यथा निर्देश के अधीन रहते हुए सदन के समक्ष विभिन्न वर्गो के कार्यो की जो नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं सापेक्ष अग्रेता निम्नलिखित क्रमानुसार होगी:-

1-शपथ अथवा प्रतिज्ञान, 2-प्रश्न (अल्पसूचित प्रश्न भी सम्मिलित हैं) 3-निधन के निर्देश.....

श्री अधिष्ठाता-

इस नियम में यह भी लिखा है कि "तथा अध्यक्ष के अन्यथा निर्देश के दिये जाने पर",मैंने माननीय कलराज मिश्र जी को अनुमति दी है अपनी बात करने की।

श्री बी0आर0वर्मा-

[x x x x]

श्री बी0 आर0 वर्मा-

आप जैसे सदस्य से यह टिप्पणी की मैं अपेक्षा नहीं करूँगा।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, एजेन्डा के अनुसार क्रम सं0- 7 पर मंत्रियों द्वारा विविध दिया जाना निर्धारित है। तो जब

मद- 7 आगे की वक्तव्य दिलवाइये।

श्री अधिष्ठाता-

आपने-315 का उद्धरण दिया। इसमे है कि इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी तथा अध्यक्ष के अन्यथा निदेश के अधीन रहते हुए , अध्यक्ष अनुमति दें। मैंने अनुमति दी है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसकी सिफारिशों के अनुसार यह क्रम संख्या-7 पर मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य लगे हैं। नियम-315 के अन्तर्गत ही यह कार्यसूची छपी है।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा अनुरोध है कि मैंने माननीय मंत्री जी को अनुमति दे दी है। अपवाद स्वरूप समय-समय पर अध्यक्ष पीठ द्वारा माननीय सदस्य या माननीय मंत्रीगण को अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान की जाती है। मैंने अपवाद स्वरूप और परम्पराओं का पालन करते हुए और पूर्व दृष्टांतों का सहारा लेते हुए माननीय कलराज को अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैंने अनुरोध किया कि माननीय कलराज जी अपनी बात कह लें उसके बाद सुन लूँगा।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, सदन के अन्दर संज्ञान लिया गया है और निश्चित रूप से सार्वजनिक हो गया है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

माननीय मंत्री जी को जो अपनी बात कहने का अवसर दिया है वह किस रूप में दिया है। वक्तव्य है या औचित्य का प्रश्न माननीय मंत्री जी उठा रहे हैं या सूचना दे रहे हैं। यह मैं जानना चाहता हूँ अगर उचित समझते हों तो जानकारी दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, पीठ को निर्देश देने के लिए तर्क देने की जरूरत नहीं है। क्या आप हर बात का तर्क देंगे। यह आपका विवेक है, यह आपका अधिकार है, आपने मंत्री जी को बुला लिया तो उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, आप कार्य संचालन नियमावली का नियम 291 (क) पढ़ लें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं 291-(क) पढ़ रहा हूँ। वैयक्तिक स्पष्टीकरण कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेंगे यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न हो, किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं उठाया जायेगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता-

अध्यक्ष पीठ की अनुमति से माननीय कलराज जी अपना स्पष्टीकरण देने के लिए खड़े हुए।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

राम तेज यादव एडवोकेट जी, कृपया बैठें, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम औतार शाक्य-

[x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आप बिना अनुमति के जो बोल रहे है वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया आप बैठें। मैंने व्यवस्था दे दी है कि माननीय कलराज जी के स्पष्टीकरण के बाद ही आपकी व्यवस्था का प्रश्न सुनूँगा। बिना अनुमति के आपकी कोई बात नहीं सुनूँगा।

श्री राम औतार शाक्य-

किसी विवास्दास्पद विषय पर अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय कलराज जी मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शाक्य जी एवं वर्मा जी, आपने कहा कि किसी विवादास्पद प्रश्न पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रश्न विवादास्पद है या नहीं, अनुमति दी जाय या न दी जाय। इन प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जायेगा। लिहाजा मैंने सम्यक विचारोपरान्त सभी प्रश्नों पर विचार करने के उपरान्त अंतिम रूप से विनिश्चय करके माननीय कलराज जी को स्पष्टीकरण की अनुमति दी है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x x x]

अधिष्ठाता-

मैं आपको अनुराध करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आप पीठ के निर्देशों के बावजूद अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। अत: आपकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इस संदर्भ में कही गई कोई बात कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आपकी कही हुई कोई बात कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगी। यह मैं निर्देश दे रहा हूँ। मौर्य जी आप दल के नेता भी हैं। नियमावली और परम्पराओं से भी भिज्ञ हैं आपने प्रश्न उठाया कि मंत्री जी विधान सभा के सदस्य नहीं हैं आप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 3 (ल) को पढ़ें उसके अन्दर मंत्रि परिषद् के प्रत्येक सदस्य को वही प्रीविलेज प्राप्त हैं जो सदन के सम्मानित सदस्य को हैं। इसी के लिहाज से मैंने मंत्री जी को अपना स्पष्टीकरण देने की अनुमति प्रदान की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x x x x]

नोट [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

आप नियमावली के नियम 291-क को नियम 3 (क) के साथ पढ़ें। इसमें स्पष्ट है कि मंत्रि परिषद के प्रत्येक सदस्य को वही अधिकार प्राप्त है जो सदन के सदस्य को प्राप्त हैं। मैंने नियम 291-(क) को 3 (ल) के साथ पढ़ते हुए यह निर्देश दिया है कि मंत्री जी अपनी बात कहें। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय मौर्या जी, आपकी बात लिखी नहीं जायेगी। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आपकी कोई भी बात समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होगी और कार्यवाही में से आपकी बात निकाल दी जाय। आप बोलते रहें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नियम 3 (ल) के अनुसार "सदस्य" का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और अनुच्छेद 177 के प्रयोजनों के लिए उसमें मंत्री तथा राज्य के महाधिवक्ता भी सम्मिलित हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर मैं आपका ध्यान नियम 177 की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

यह नियम-177 नहीं अनुच्छेद 177है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जिस प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया गया था क्या उस प्रकरण को पुनः सदन के समक्ष उठाया जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता-

मामले से आपका क्या तात्पर्य है, किसी विधेयक से है, किसी नोटिस से है किससे है?

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

कल माननीय बाबू राम यादव जी से.....

श्री अधिष्ठाता-

नहीं-नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता-

आपने नियमावली के नियम का संदर्भ दिया। आप अनुच्छेद 177 पढ़ लें फिर उद्धरण दें। मैंने आपसे कहा कि मैंने सभी नियमों, परम्पराओं, संविधान तथा नियमावलियो और समय-समय पर जारी निर्देशों का साक्षर

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अनुसरण करते हुए माननीय कलराज जी को स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया है। मैंने इस पर व्यवस्था दी कि उनका स्पष्टीकरण आने के पश्चात् मैं किसी अन्य माननीय सदस्य को कोई प्रश्न पूछने की अनुमति दूँगा यह एक अन्तिम विनिश्चय हो चुका है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को सूनना चाहिए। आप लोग जो नियमानुसार कहेंगे, उसके लिए आपको अवसर दिया जायेगा। यदि नियमों और परम्पराओं के विरूद्ध जाकर कहेंगे तो मैं अनुमति नहीं दे पाऊंगा और यदि मंत्री जी भी नियमों के विरूद्ध अपनी बात कहेंगे तो मैं उन्हें भी अनुमति नहीं दूँगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को अपनी स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी और कहा कि आपका मामले से क्या तात्पर्य है। मेरे कहने से पहले ही आपने नहीं-नहीं कह दिया। मैं विनम्रता के साथ स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि कल श्री बाबूराम जी ने एक पत्र का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि मेरा कोई आरोप नहीं है, पत्र की चर्चा है। उस पत्र के बारे में माननीय मंत्री जी ने भी कहा...

श्री अधिष्ठता-

आप मेरी बात सुन लें। कल अध्यक्ष पीठ से एक निर्देश दिया गया था। आप उसे टोटेलिटी में देखें। मैंने कल जो निर्देश दिया था, उसमें यह कहा था कि जिस माननीय सदस्य ने जो यह कहा है, उसकी हस्ताक्षर युक्त सर्टिफाइट कापी पहले अध्यक्ष पीठ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे, तभी मैं उसको आधार बनाऊँगा। यह निर्देश अध्यक्ष पीठ से जारी किया गया था। उसके अनुपालन में अध्यक्ष पीठ को इस तरह की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गई।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कल आपने कहा था कि उस प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया है। जिस प्रकरण का पटाक्षेप हो गया हो तो उसे पुनः प्रारम्भ करना किस नियम के अंतर्गत है। आप हमें बता दें हमारा भी ज्ञानबर्द्धन हो जायेगा। जिस प्रकरण का पटाक्षेप हो चुका हो उसे किस नियम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जा सकता है, इस पर आपकी व्यवस्था आ जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जो यह सवाल उठाया कि एक प्रकरण कल इस सदन के अन्दर उठा था और उसका पटाक्षेप कर दिया गया हमने आपको उसमें कहा कि इसमें आपका जो भी मैटीरियल था सारा पीठ को उपलब्ध कराना था लेकिन वह उपलब्ध नहीं कराया गया । उसके बाद हमने उस प्रकरण को कल समाप्त कर दिया। ठीक है अब मैं नियमावली के नियम 291 और 3(ल) जिसका मैंने सन्दर्भ किया-किसी भी विषय में माननीय मंत्री जी या माननीय सदस्य कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो अध्यक्ष पीठ की अनुमति से स्पष्टीकरण का अवसर दिया जा सकता है। इस सदन के अन्दर संविधान के अनुच्छेद 177 को पढ़ लें उसमें व्यवस्था है मंत्री वह किसी भी सदन का सदस्य है उसे सदन के अन्दर अधिकार क्या होंगे? इन तीन बातों को एक साथ पढ़ने के उपरान्त मैंने निश्चित रूप से कलराज मिश्र जी को किसी भी विषय पर, जिस भी विषय पर वह बोलना चाहें, अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, देने की अनुमति दी है। स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी है, ठीक है।

(श्री बाबू राम यादव के बोलने के लिये खड़े होने पर)

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप कृपया बैठे। बिना अनुमति के बोलने का कोई फायदा नहीं है।

(व्यवधान)

(इस समय 12 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

श्री कलराज मिश्र-

जिस प्रकार एक व्यवस्था दी है उसके अन्तर्गत ही उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए ही और सभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप क्योंकि अभी सरकार ने एक....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायं। शांत रहें।

* श्री कलराज मिश्र-

एक अभियान चलाया है भ्रष्टाचार के विरूद्ध। क्योंकि सदन का, मैं विधान मण्डल दल का सदस्य हूँ और मंत्री भी हूँ। मेरे ऊपर चाहे अनर्गल भले ही हो, हमारे विभाग के अभियन्ता संघ के द्वारा संज्ञान में आया, समाचार पत्र में और कुछ लोगों के पास पत्र भी आया। जो आरोप लगाये गये हैं वह सदन की वस्तु बन गयी हैं, सार्वजनिक हो गया और सार्वजनिक तौर पर मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। उसके लिए सब जगह हम उसकी सुरक्षा में नहीं बोल सकते हैं। इतना सहयोग कर सकते हैं कि जब तक आरोप की जाँच न हो जाय आपके माध्यम से जो एजेन्सी आप तय करें तब तक मान्यवर, मैं मंत्रिमंडल से नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए त्याग-पत्र देने की घोषणा करता हूँ। यही मैं कहना चाह रहा था। मैंने प्रणाणिकता के साथ काम किया है। यह आरोप सार्वजनिक हो चुका है सार्वजनिक हो जाने के बाद वह अच्छा है, खराब है, सही है.....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायं। इस सदन में एक पत्र के आधार पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के विरूद्ध बातें कही गई। उसका माननीय मंत्री जी ने खण्डन भी किया था। पीड़ा होना स्वाभाविक है। त्याग पत्र मंत्री जी देंगे, किसको देंगे, कौन स्वीकार करेगा, नहीं करेगा, उससे इस सदन को कोई मतलब नहीं है। यह आपके माननीय मुख्य मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी के बीच की बात है। लेकिन सदन में अगर अनर्गल, निराधार, असत्य आरोप कोई भी सदस्य लगाता है। और उसका खण्डन माननीय मंत्री जी करते हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, तो हम सबका दायित्व है कि हम सबकी बातसुन लें, बात सुन ली गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जिस अधिकारी के पत्र पर वह बात कही गई उस अधिकारी के विरूद्ध कोई जाँच प्रस्तावित है या नहीं, उसने पत्र लिखा तो उसके खिलाफ कार्यवाही हुई या नहीं?

श्री कलराज मिश्र-

मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ अधिकारी और उसका प्रश्न खड़ा नहीं होता है सदन में चर्चा रही, सदन के अन्दर चर्चा हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप में यह स्थिति हुई है इसलिए मैं मान्यवर चाहता हूँ कि इसकी जाँच करवा लें, किसी भी एजेन्सी से जाँच करवा लें।

* श्री जगदम्बिका पाल-

जिस अधिकारी ने लिखा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। अगर उसका पत्र आया है तो शासन ने इस पर क्या किया है?

श्री अध्यक्ष-

जितना गम्भीर प्रश्न है उतनी गम्भीरता से बात होनी चाहिए हल्ला-गुल्ला, उत्तेजना में इस पर जरा भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपना विवेक न खोएं, यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि समाचार पत्रों में कुछ बात कही जाए तो व्यक्ति अपना बचाव नहीं कर पाता है यह नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं उनकी बात सुन लें।

* श्री बाबूराम यादव-

मैंने खुद कहा था मेरा आरोप नहीं है आप कार्यवाही निकलवाइए, मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ, मैंने कहा था कि यह पत्र मेरे पास भेजा है मैंने कहा था आरोप नहीं है, मेरा निवेदन है, पत्र नौवें महीने 1999 का है, सात-आठ महीने में इसकी जाँच होनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

श्री कलराज मिश्र-

बाबूराम जी जो कह रहे हैं, बाबूराम जी ने ठीक कहा है, अभियन्ता संघ से उनको पत्र प्राप्त हुआ होगा, यहां पर चर्चा हुई है मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ न मैं यह कह रहा हूँ कि इन्होंने आरोप लगाया है, पत्र की चर्चा हुई, सार्वजनिक हुई, मेरा नैतिक हनन, चारित्रिक हनन हुआ, चाहे जिस कारण हुआ मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जो एजेन्सी उपयुक्त समझें उससे जाँच करा लें, यह सार्वजनिक होना जरूरी है जब तक नहीं होता है मैं सदन के अन्दर नैतिकता के आधार पर मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र देने की घोषणा करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाबू राम जी ने कहा कि उन्होंने आरोप नहीं लगाया है। लेकिन एक पत्र पढ़ा गया जिस पत्र में आरोप था। तो आरोप न भी लगाये और एक ऐसा पत्र पढ़े जिसमें आरोप है तो या तो उस पत्र को सत्यापित कराये जिस पत्र को आपने पढ़ा है। वह सदन की सम्पत्ति बन गया है।

(व्यवधान)

या तो सत्यापित करायें वरना विशेषाधिकार के नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, यह पत्र कई लोगों को मिला। मेरे पास भी आया। मैंने इस पत्र के आधार पर कहा था। मैंने इसमें आरोप नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

इतनी बात कह दी और सदन के अन्दर कहते हैं कि आरोप नहीं लगा रहे हैं। पत्र पढ़ रहे हैं उस पत्र में आरोप है तो परोक्ष रूप से आप आरोप लगा रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ?

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी आप विषय को गंभीरता से ले रहे हैं तो लीजिये। मैंने यह कहा कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। 1-9-99 का पत्र है।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इसको सत्यापित कर रहे है? अगर सत्यापित करेंगे तो दोबारा संदर्भित करने की अनुमति दूँगा।

श्री बाबू राम यादव-

यह तो आपका विवेक है।

---

*नोट- वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह विवेक नहीं, यह नियम है।

श्री राम बाबू यादव-

मान्यवर, 1-9-99 से अब तक जाँच नहीं हुई। जबकि उनको मालूम था कि यह पत्र आया है।

[x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। जब तक पत्र सत्यापित नहीं करेंगे तब तक कोई जाँच नहीं होगी।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कल का यह प्रकरण है। आज इसने बहुत गंभीर मोड़ ले लिया है और जो मानसिक स्थिति देखी है वह पीड़ा देने वाली है और उसे गंम्भीरता से लेने का प्रयास करना चाहिए। एक पत्र यहां आया हुआ। कल स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा और कलराज जी के द्वारा यह कहा गया था कि कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मान्यवर, यह समाचार पत्रों में छपा था और इसका खण्डन भी छपा था और माफी भी मांगी गयी थी। आज फिर यह सवाल आया है तो इसे हम कैसे संज्ञान में ले लें जबकि कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो हम किसकी जाँच करायें। मान्यवर, जाँच की एक प्रक्रिया होती है। कोई शिकायत हो, आरोप तो और किसी के द्वारा हस्ताक्षर हो, कोई कहे। न तो आरोप लगाने वाला है, न शिकायत करने वाला है तो यह निराधार तरीके से कहा गया है और यह सारे सदन में आ गयी। हम लोग राजनीतिक आदमी है कोई अनावश्यक बात कह दें और हम भावुक हो जायें और त्याग-पत्र दे दें तो यह उचित नहीं है। मान्यवर, मेरा आग्रह है कलराज मिश्र जी से और हमारे सभी सहयोगी दलों का आग्रह है कि आप भावना में न बहें और अपने त्याग-पत्र पर पुर्नविचार कर लें।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

[x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

मैं दोनों पक्षों की बातें सुन ली हैं। मैं इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूँ। यदि कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो जिस भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है चाहे वह सदन का हो या न हो, एक उचित माध्यम से, उचित माध्यम क्या होगा वह निश्चित कर दिया जायेगा। मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूँ।

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, इस सदन में बहुत से वरिष्ठ सदस्य उपस्थित है जो विभिन्न पदों पर रहे हैं। मंत्री भी रहे हैं और जिस आसन पर आप विराजमान है उसमें भी रहे हैं। परम्पराओं और मर्यादाओं के लिए कुछ न कुछ संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन एक माननीय मंत्री जी ने अपना नैतिक परिचय दिया और अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। क्या इस प्रकार सरकारें चलेंगी? कल आप भी यहाँ पर होंगे और कोई ऐसा ही पत्र लिखकर दे दिया जायेगा ओर इस पत्र का आधार मानते हुए चरित्र हनन की कोशिश होगी। मान्यवर, मैं तो उच्च सदन का नेता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय पाल जी भी वहाँ रहे हैं। [x x x x x x]

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

वहाँ की कार्यवाही का उललेख नहीं किया जायेगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ जो अप्रिय लग रहे हैं। मान्यवर, मैं कलराज मिश्र जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ वे मेरे सहयोगी हैं, यह पलायन वाद नहीं है। आज कठोरता के साथ इन भ्रष्ट लोगों से हमें निपटना होगा। हम निपटने के लिए तैयार हैं। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) इन लूटने वालों को छूट नहीं दी जा सकती है। मान्यवर, आप देखें एक कर्मचारी द्वारा सरकार को इम्ब्रेस करने का काम किया गया है, और सदस्य उसका संज्ञान ले रहे हैं। मान्यवर, आप जैसे विद्वान व्यक्ति उस पीठ पर बैठ हुए हैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिसने भी पत्र लिखा है, राजनीतिक दबाव में सरकार को प्रभावित करने के लिए, उसे आप देखें। किसी एक व्यक्ति को सदन का प्रयोग किसी सरकार को संकट में डालने का संज्ञान लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

उस अधिकारी का नाम बताइये। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, कौन अधिकारी है जिसने पत्र लिखा है। माननीय बाबू राम जी बतायें, पत्र हमको दे दीजिए।

कल इस सदन में चर्चा के दौरान श्री बाबू राम सदस्य, विधान सभा ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियन्ता संघ, 96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ के अध्यक्ष श्री अम्बिका प्रसाद मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र का उल्लेख किया इस पत्र में माननीय लोक निर्माण मंत्री के विरूद्ध आरोप लगाये जाने की बात है। माननीय लोक निर्माण मंत्री ने इसका खण्डन किया।

मैं समझता हूँ कि इतने गम्भीर आरोप जो इस पत्र में लगे हैं और जब इस पत्र के वजूद पर प्रश्न चिन्ह लग गया है तो कल दिनांक 28 अप्रैल, 2000 को दिन में 1.00 बजे शासन इस सदन में अम्बिका प्रसाद मिश्र अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता संघ को उपस्थित करें।

सारा यहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो उसके उपरान्त क्या कार्यवाही होनी है उस पर विचार होगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं इसे एक ऐतिहासिक क्षण कहूँगा लोकतंत्र की प्रणाली में, जो निम्नतम स्तर हो सकता है वह भी सामने आ गया और जो उच्चतम स्तर हो सकता है वह भी सामने आ गया है। निम्नतम स्तर आपने देख लिया और वहीं पर एक मंत्री द्वारा जो लोकतंत्र ऊंचाई का मापदण्ड हो सकता है (व्यवधान) उसकापरिचय दिया गया। मान्यवर, क्या संत्रास उनके मन में होगा जिस प्रकार से भावुक होकर नैतिकता और साहस का परिचय कलराज जी ने दिया है वह एक ऐतिहासिक क्षण है। मान्यवर, मै आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने कठोरता पूर्वक निदेश दिया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसका निर्णय किया है। आपने सम्बन्धित अधिकारी को बुलवाया है आपको साधुवाद।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 अप्रैल 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई।

नोट- [यह अंश पढा हुआ माना गया]

(स्वीकार सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

प्रदेश के गरीबों को टकाबी ऐक्ट 12 के तहत स्वीकार किये गये ऋणों को माफ किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर आप से निवेदन करना है कि सन् 1986 में पूरे प्रदेश में गरीबों को टकाबी एक्ट 12 के तहत 500-500 रूपया बकरी, भैंस, बैल के लिए दिया गया था। जिससे गरीब लोग अपनी रोजी-रोटी चलाये, 1999 में माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव ने दस हजार ऋण लेने वाले को माफ कर दिये थे। जिससे किसान निश्चिन्त हो गये थे। लेकिन यह भाजपा सरकार आज उन किसानों से पांच-पांच सौ रूपये के स्थान पर पन्द्रह-पन्द्रह सौ रूपया मजबूरन ले रही है जिससे किसान पेरशान हैं आये दिन उन्हें जेलों में भरा जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है जबकि 1989 से लेकर 1999 तक वसूली के विषय में किसानों को कोई सूचना नहीं दी गयी थी।

अत: आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से मांग करता हूँ कि पांच-पांच सौ रूपया ऋण लेने वाले किसानों को माफ किया जाय जिससे वह अमन चैन का जीवन बिता सकें। सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय]

जनपद गाजीपुर शहर में विद्युत आपूर्ति की समस्या का निदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर शहर में बिजली की समस्या गंभीर है। बिजली गुल हो जाने पर दो-दो दिन लगातार बिजली नहीं आती है। विद्युत केन्द्र रौजापुर ट्रांसफार्मर आकर 6 माह से रखा है। कई बार अधिकारियों से कहा भी गया परन्तु आज तक ट्रांसफार्मर के लगने से कुछ राहत होती परन्तु अधिकारी हीला-हवाली करते हैं, और बिजली न आने पर कहते हैं कि सब तार पुराने हो गये हैं, मेन्टीनेन्स के लिए पैसा नहीं हैं। जर्जर तारों के टूटने से हमेशा भय बना रहता है। कई बार घटना घट चुकी है। पूरे शहर में आक्रोश व्याप्त है परन्तु शहर में बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने व जर्जर तारों को न बदलने से स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अस्तु इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर परन्तु चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों की सुविधा हेतु शहजादपुर खागा में विचाराधीन छात्रावास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुरलीधर-

[महोदय, मैं आपकी सहानुभूति पूर्ण अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने हेतु सम्मानित सदन में एक जनहित की अति महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

मान्यवर,जनपद फतेहपुर शैक्षिक विकास में अत्यन्त पिछड़ा है जिसमें खागा तहसील अत्यधिक पिछड़ा है। खागा कस्बा में 3 इण्टर कालेज 2 हाईस्कूल एवं अनेक जूनियर विद्यालय सेवारत है जहां दूर-दूर के छात्र विद्या अर्जन करने आते हैं। लेकिन कोई छात्रावास न होने के कारण गरीब अनुसूचित जाति के छात्र विद्या अर्जन से वंचित रह जाते है। जिससे प्रदेश में समाज का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित रहता है।

महोदय मैने अथक प्रयास कर वर्ष 1994-95 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सुविधा हेतु छात्रावास निर्माण हेतु जनपद-फतेहपुर से नि:शुल्क भूमि सहित प्रस्ताव समाज कल्याण

नोट- [यह अंश पढा हुआ माना गया]

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी द्वारा भेजवाया था। जो शासन के पास विचाराधीन है। जिसको विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के 5वें बुद्धवार के लिए मेरे द्वारा पूछे गये ओ तारांकित प्रश्न संख्या 109 में सरकार ने स्वीकार भी किया है।

महोदय, तहसील बिन्दकी कस्बा के लिए सरकार ने एक छात्रावास स्वीकृत कर धनराशि समाज कल्याण निर्माण निगम के पी0एल0ए0 में सुरक्षित भी किया है। चूंकि बिन्दकी में एक छात्रावास संचालित है। नये छात्रावास निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि नहीं है। इसलिए समाज कल्याण अधिकारी फतेहपुर उक्त धनराशि वापस करना चाहते है। जो अनुसूचित जाति के साथ अन्याय होगा।

अस्तु मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि अनुसूचित जाति के छात्रों की सुविधा हेतु अगर सरकार संवेदनशील है तो बिन्दकी के लिए आवंटित धनराशि वापस न लेकर उसी धनराशि से खागा कस्बा में वर्ष 1994-95 से विचाराधीन प्रस्ताव शहजादपुर खागा में छात्रावास निर्माण कराने का कष्ट करें। जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सकें।

आजमगढ़ जनपद के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत गतवा एवं मुवालपुर गांवों के बीच नोनी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री राम जग-

[महोदय, आजमगढ़ जिले के मेंहनगर तहसील के अन्तर्गत गतवा एवं मुवालपुर गांवों के बीच नोनी नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। पुल के अभाव में मेंहनगर तहसील (आजमगढ़) के परगना बेलहावांस की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। करीब 50 गांवों की जनता की बार-बार उक्त स्थान पर पुल के निर्माण की बाते उठती रही हैं सरायवृन्दावन इंटर कालेज, एवं इण्टर कालेज रोडपुर इण्डर कालेज जमुवा, हा0 स्कूल बधराउचहुआ के सैकड़ों छात्रों का आने जाने का एक यही मार्ग है। छात्र/छात्रायें एवं यात्रीगण पानी में भीगते हुए इस पार से उस पार आते जाते है। पुल के अभाव में बरसात के समय कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है उक्त स्थान पर छोटा पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर हम शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं]

लखनऊ के इन्दिरा नगर में शिवाजी मार्केट के पीछे पड़े हुए 5 बीघे तालाब को भू-माफियाओं के कब्जे से अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोमती यादव-

[महोदय, जनपद लखनऊ की आवास विकास परिषद् की कालोनी इन्दिरा नगर में शिवाजी मार्केट के पीछे पड़े पाँच बीघे तालाब को नगर निगम के कुछ स्वार्थी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परिषद् की दरों से कम दरों पर भू-माफियाओं के हाथों बेच दिया है। उक्त भू-माफियाओं द्वारा उक्त भूमि पर परिषद् से बगैर पास कराये ही अवैध निमार्ण कर निगम को लाखों रूपयों की आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही हैं।

अत: औचित्य के इस प्रश्न पर सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें जिससे सरकार को भू-माफियाओं से हो रही आर्थिक क्षति से बचाया जाना सुनिश्चित हो सकें]

जनपद जौनपुर के उत्तरी भाग के सरायलता में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अफजाल अहमद-

[महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र जौनपुर सदर के तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सदर क्षेत्र में सरायलता नगर क्षेत्र में नलकूप न होने से भीषण पानी की दिक्कत हो रही है जिससे स्थानीय जनता

नोट- [यह अंश पढा हुआ माना गया]

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को पानी के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों में असंतोष व्याप्त है और आन्दोलन व घेराव जारी है इसकी सूचना लिखित रूप से कई बार कर दी जा चुकी है। एक नलकूप लग जाता तो पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते तत्काल एक नलकूप लगाये जाने की मांग करता हूँ। जिसे स्थानीय लोगों को पीने का पानी मिल सके और समस्या का निराकरण हो सके।

आगरा शहर में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सम्मानित सदन के संज्ञान में भारत के ऐतिहासिक शहर आगरा में व्याप्त भारी गंदगी, जल भराव, ऊफनते हुए नाले, खुले हुये मेनहोल, पड़े हुए कूड़े, और गंदगी के ढेर और उनका कुदरते हुये सूअर, गड्ढायुक्त सड़कें, बल्ब रहित खम्भे आदि की समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ। मोहल्ला नुनहाई, बल्केश्वर, नूरी दरवाजा, कमला नगर, न्यू आगरा आदि सफाई एवं युक्त समस्याओं से ग्रस्त हैं। कमला नगर में आज तक नई डामर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। मच्छर, मक्खिओं के कारण अनेक संक्रामक रोगों का प्रकोप है। स्वयं जिलाधिकारी, आगरा एवं उनका परिवार चेचक रोग की गिरफ्त में हैं। इसी से गंभीरता का मान हो सकता है।

अत: मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय का और शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से उक्त समस्या का निदान शीघ्र कराने की मांग करता हूँ।]

सांसदों विधायकों के पत्रों के उत्तर शासन के अधिकारियों/मंत्रीगण मुख्य मंत्री द्वारा दिये जाने का स्पष्ट निर्देशों का पालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 अप्रैल 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री अम्बरीष कुमार जी की है।

श्री कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैंने नियम 300 में जो सूचना दी वह अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना है मान्यवर, विधान सभा में एक बार नहीं अनेक बार यह प्रश्न किया गया है कि जो माननीय सदस्यगण हमारे राजपत्रित अधिकारियों को, प्रमुख सचिव को और तमाम अधिकारियों को पत्र लिखते हैं उसका वे संज्ञान नहीं लेते हैं उसका जवाब भी नहीं देते हैं जबकि मान्यवर, प्रोटोकाल में उनको ऐसा करना अनिवार्य हैं मैं आपका ध्यान शासन के मुख्य सचिव के पत्र संख्या-दि0 10-4-81 की तरफ और सचिव मुख्य मंत्री के पत्र दिनांक 17-2-98 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह स्पष्ट निर्देश था, और मान्यवर आपकी पीठ से यह निर्देश हुआ है एक बार नहीं अनेकों बार कि माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब दिया जाय और इस पर जो समुचित कार्यवाही हुई है उनको अवगत कराया जाय लेकिन मान्यवर कदाचित ऐसा हो नहीं रहा है तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इसका पालन कराने के लिए शासन को निर्देश दें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश देने की भी कृपा करें।

नोट- [यह अंश पढा हुआ माना गया]

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसमें हम लोगों की भी सूचना है, आप पढ़ तो लें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर केवल दो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर है, माननीय कुँवर रेवती रमण सिंह जी के और मा0 अम्बरीष जी के हस्ताक्षर हैं।

आपकी सूचना लगी है, दूसरी सूचना है, इसके साथ सम्बद्ध है जल्दबाजी क्या है, हो सकता है हम से ही चूक हो गयी है।*

*श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है विधान सभा और माननीय सदस्य जो विधान सभा के हैं उनके प्रति भी शासन उत्तरदायी है और यह एक लम्बा असाध्य रोग है जिसकी तरफ बार-बार शासनादेश जारी हुए और इसके बारे में यह होता है कि जब-जब छोटी समस्याओं के ऊपर माननीय सदस्यों के पत्र जाते हैं तो अधिकारियों की ओर से उनका उत्तर नहीं आता है और हम लोगों को सवाल करने पड़ते है विधान सभा में विधान परिषद में और इसका परिणाम यह होता है कि संसाधनों और समय की बर्बादी होती है अगर अधिकारी सीधे उनका जवाब दे दें तो विधान सभा का समय बचाया जा सकता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए 21 फरवरी, 1979 को मुख्य सचिव ने एक परिपत्र/आदेश जारी किया था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि छोटी-छोटी बातों का उत्तर न आने के कारण प्रश्न ऐसे लाने पड़ते हैं इसलिए उनके सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी थी, पुनः 10 अप्रैल, 1981, 21 अगस्त, 1981 और 22 फरवरी, 1983 को मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किये गये उसके पश्चात् मुख्य मंत्री के कार्यालय में जो पत्र प्राप्त होते हैं उनके बारे में 28 फरवरी, 1983 और 11 अप्रैल, 1984 को आदेश जारी हुए जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी, कि जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में पत्र प्राप्त होते हैं उनकी प्राप्ति तो दें लेकिन जिस सम्बन्धित विभाग को पत्र भेजे जाते हैं वे उनका अन्तरिम और अन्तिम उत्तर दें, इसमें समय भी निर्धारित किया गया था लेकिन आज तक इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। मान्यवर, जिन लोगों पर शासन चलाने का भार है और जिम्मेदारी है उनके द्वारा विभिन्न समयों पर जारी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। और जो निर्देश आपकी पीठ से किये गये उनका भी पालन नहीं किया जा रहा है, यह गम्भीर बात है।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देंगे तो हम अपेक्षा करते हैं कि किसी चीज तो वह जनरलाइज न करें। इस प्रकार आठ-आठ महीनों तक पत्रों का उत्तर नहीं दिया जाता है, स्पेसिफिक पत्र भेजे जाते हैं और सामान्य रूप से भी कहा है लेकिन विधायकों के पत्रों का उत्तर नहीं मिलते हैं तो इस प्रदेश की सोलह करोड़ जनता के पत्रों का उत्तर मिले या उनकी समस्यायें पूर्ण हो जायं यह गम्भीर प्रश्न है। इसलिए मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूँ। मान्यवर, आपके अवलोकनार्थ में कुछ विशिष्टि पत्र हैं भेज रहा हूँ।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

श्री प्रमोद कुमार-

अधिष्ठाता महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है। यह सदन लोकतंत्र से बना है यदि लोकतंत्र न होता तो यह सदन न होता। मान्यवर, संविधान में चार मुख्य स्तम्भ हैं जिस पर यह संविधान टिका है जिसमें हमारा लोकतंत्र और विधायिका अहम हैं। मान्यवर, विधायिका अपने कार्यों को अंजाम दे सके इसलिए माननीय सदस्य निर्वाचित होकर यहां आते हैं जिनकी गरिमा के लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिये गये हैं, उनमें कुछ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामान्य शिष्टाचार भी है जिसके नाते कोई सदस्य विकास के सम्बन्ध में, अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में अथवा किसी समस्या के बारे में मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी को और अधिकारियों को पत्र लिखते हैं जिसके संबंध में एक बार नहीं इस पीठ से बारम्बार आदेश दिये गये हैं। कि उन पत्रों का सामान्य शिष्टाचार का पालन करते हुये उत्तर दिया जाय और उसमें पत्र की प्राप्ति ही नहीं बताइ जाय, बल्कि इस संबंध में यथोचित उत्तर भी दिया जाय। इसके साथ ही साथ, पीठ से यह निर्देश दिये गये हैं कि कोई उद्घाटन अथवा समारोह, जिसमें जनप्रतिनिधि उपस्थित हों, उसमें माननीय मंत्रीगण उपस्थिति हों तो कोई अधिकारी उसका उद्घाटन नहीं करेगा, मुख्य अतिथि नहीं होगा। इस पीठ से यह निर्देश दिये गये हैं कि अगर कोई विधायक किसी अधिकारी के कार्यालय में जाय तो सामान्य शिष्टाचार का निर्वहन करते हुये, उस अधिकारी को खड़े होकर माननीय जन प्रतिनिधि का अभिवादन करना चाहिये। इस सरकार ने सारी परम्पराओं को तोड़ दिया है, इसके मंत्री भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके मंत्री परम्पराओं का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसके मंत्री अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधिक इतिहास के लोगों का संरक्षण दे रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, आज स्थिति यहां तक आ गई है कि हमारे विधायकगण जब कोई पत्र लिखते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण समुचित उत्तर देने तक की कृपा नहीं करते हैं। परम्परायें यहाँ तक टूट गई हैं कि विधायकों को यथोचित सम्मान नहीं मिलता। किसी भी अधिकारी को एक जनप्रतिनिधि को ससम्मान बैठाना चाहिये। अब तो परम्परायें कुछ और ही बन रही हैं, माननीय सदस्यों ने जिस बर्बरता का उल्लेख यहाँ किया है, उसे तो लोकतंत्र की जड़े हिल गई हैं, यह सिर्फ इसलिये हो रहा है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है, उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त है, अब उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करे तो कैसे करे। यदि सरकार का संरक्षण न हो तो किसी छोटे-मोटे दरोगा या अधिकारी की इतनी हिम्मत न पड़े कि वह किसी विधायक के साथ दुरर्व्यवहार करें, इससे व्यथित होकर मैंने आज इस औचित्य के प्रश्न को उठाया है और आपकी पीठ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से सरकार की तरफ से यह आश्वासन दी नही चाहूँगा बल्कि यह भी चाहूँगा कि इसका व्यवहारिक रूप में पालन हो। मुख्य मंत्री अथवा मा0 मंत्रीगण को जब पत्र लिखे जायें तो विधायक को इसका उत्तर भी मिले और जब किसी अधिकारी के यहाँ कोई जनप्रतिनिधि जाये तो खड़े होकर उसका स्वागत किया जाये और उसको सर्वोच्च वरीयता दी जाय। मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस औचित्य के प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी।श्रीमन् यह सम्पूर्ण विधायिका के गरिमा, मर्यादा और और सम्मान, अस्मिता का प्रश्न है यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, जिसमें कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी सदस्य के आपेक्ष की बात है। अगर परम्परायें टूटेगीं तो विधायिका के सम्मान को ठेस पहुंचेगी और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात होगा।इस सदन में बैठकर माननीय सदस्य के रूप में, हम अपने उत्तरदायित्व को जो निर्वहन करते हैं, जनता की अपेक्षाओं को उठाकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में शासन से जुड़े हुये अधिकारियों को, माननीय माननीय मंत्रियों अथवा माननीय मुख्यमंत्री को यदि पत्राचार करते है तो यदि उनके जवाब नहीं आयेंगे तो कदाचित वह कोई व्यक्तिगत स्तर की बात नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र की जनता के प्रति हमारी जवाब देही है, उसे कर्तव्य से भी पालन करने में हम उचित रूप से अपने को असमर्थ पाते हैं और श्रीमन् मैं समझता हूँ कि इस पीठ से समय-समय पर निर्णय लिए गये हैं, समय-समय पर दो-तीन चीजों के लिए निर्देश दिए गये हैं लेकिन इसके बावजूद आज उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। मान्यवर, यह सामान्य शिष्टाचार है कि कोई भी पत्र माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य द्वारा लिखा जाये तो उसका उत्तर दिया जाए। यदि हम प्रधामंत्री को पत्र लिखते हैं केन्द्र के किसी मंत्री को पत्र लिखते हैं तो उनके हस्ताक्षर से प्रश्नों के उत्तर आते हैं। हम इस विधान सभा के सदस्य है केन्द्र के मंत्री को कोई पत्र लिखते हैं तो केन्द्र के किसी मंत्री का स्वयं का जवाब आता है। हम जिस सदन के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री को पत्र लिखते है, मंत्री को पत्र लिखते हैं, यदि एक्नालेजमेंट आता भी है, तो उस विभाग के किसी अधिकारी या उनके सचिव के द्वारा आता है कि आपका पत्र मुख्यमंत्री को सम्बोधित, इस दिनांक को प्राप्त हुआ और इस विभाग को भेज दिया गया है। हम मूल्यों की रक्षा करने की बात करते हैं, परम्पराओं के रक्षा करने की बात करते हैं, सदन की गरिमा और मर्यादा की बात करते हैं। इस विधान सभा में 425 सदस्य जन प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं, उनके पत्रों पर जवाब मुख्य मंत्री और मंत्री के हस्ताक्षर से आने चाहिए। पत्रों पर जवाब अधिकारियों के द्वारा आता है गम्भीर बात है, आज वे उद्घाटन कराता है और वे किसी और उच्च अधिकारी खुय करने के लिये उद्घाटन कराता है। कर रहे हैं, कलेक्टर, कमिश्नर को खुश करने के लिए उद्घाटन करता है और वे किसी और उच्चाधिकारी को खुश करने के लिये उद्घाटन कराता है। यदि इस पर विराम नहीं लगेगा और अंकुश नही लगेगा तो इससे संसदीय परम्परा और मर्यादा को चोट पहुँचेगी। आज सचिव से या जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से अगर मिलने जनप्रतिनिधि जाते हैं तो उन्हें भी बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो उन्हें जनता से मिलने का समय कहाँ मिलेगा? आप पीठ पर हैं कम से कम उन मूल्यों को परम्पराओं को बचाने का प्रयास करें जो आज टूट रही हैं। मान्यवर इससे महत्वपूर्ण कोई प्रश्न हो नहीं सकता। आप कृपया स्पष्ट निर्देश दें शासन को, सरकार को और इसे ग्राह्य करें।

'श्री कोकब हमीद-

मान्यवर, यह सवाल सिर्फ सदन में बैठे हुए विधायकों का ही नहीं है, अनेक बार इस पीठ से मान्यवर, जैसे निर्देश दिए गये हैं, अधिकारियों को भी दिए हैं और इस पीठ से मंत्रियों को भी यह कहा है कि क्या-क्या करना चाहिए, किसी तरह से एक तरीका बनना चाहिए, यह सवाल सिर्फ सदन में बैठे विधायकों का नहीं रह गया है, सवाल यह है कि इस पीठ से दिए गये आदेशों की मान्यता होगी या नहीं होगी, उनको हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम यहाँ चुन कर आते हैं, अनेक काम के लिए मुख्यमंत्री जी या मंत्रियों को लिखते हैं। एक जमाना था कि जबाब मुख्यमंत्री और मंत्री खुद अपने हस्ताक्षर से देते थे। केवल एक्नालेजमेंट नहीं आता था, जबाब आता था कि क्या-क्या हुआ, यह भी आया करता था। आज एक्नोलेजमेंट भीनहीं आता,-यदि आता भी है तो मंत्री या राज्य मंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी लिखकर भेज देता है कि इसमें यह काम हो रहा है। मान्यवर, जो आज आपकी पीठ से निर्देश हुए हैं, कल एक अधिकारी को यहां बुलाया जा रहा है, इसी का नतीजा है।

मान्यवर, तीन चार प्रकरण इस सदन में आ चुके हैं। एस0ओ0 और सब इंस्पेक्टर ने हमारे विधायकों के साथ जो व्यवहार अपनाया है वह यहां चर्चा में आ चुका है। इस संबंध में, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि जो इस संबंध में नियम बनाये गये हैं उनका पालन होना चाहिए।

संसदीय कार्य पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुक्ल मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

जो भावनायें माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं उन भावनाओं के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्यों ने खुद भी शासनादेशों का उल्लेख किया हैं जो मुख्य सचिव स्तर और दूसरे स्तर के अधिकारियों ने जारी किये हैं। इन शासनादेशों में यह उल्लेख किया गया है कि माननीय विधायकों के साथ कौन सा शिष्टाचार होना चाहिए। एक जुलाई 1997 को हमारे विभाग द्वारा पुस्तिका जारी की गयी है, मुख्य सचिव स्तर से और अन्य पत्र भी इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखे गये हैं। यह वास्तव में एक सदस्य की बात नहीं है यह सामान्य शिष्टाचार की बात है, जिसका निर्वाह होना चाहिए। इसमें कोई कटौती की बात नहीं। इसमें दो

तरीके यह हो सकते है कि जो मुझसे अपेक्षा की गयी है एक तो मैं आदेशों को दुबारा जारी करवाऊ और साथ-साथ मैं माननीय सदस्य गण का सहयोग चाहूगा कि जहाँ-जहाँ ऐसी बाते उनकी जानकारी में आती है तो उसका वह मेरे संज्ञान में ले आये। जिससे कम से कम एक, आध अधिकारी के विरूद्ध कार्यवायी हो जाय, तभी इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसा आपने कहा पूर्व में इस संबंध में निर्देश दिये हैं। हमारा दायित्व है कि हम उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करवायें। जहाँ तक इस सूचना का संबंध है यह नियम-300 में नहीं आती है लेकिन विषय महत्वपूर्ण है और विषय के महत्व को देखते हुए मैंने यहां पर आश्वासन दिया है।

श्री अम्बरीश कुमार-

मान्यवर, मैंने आपको कुछ पत्र दिये हैं। मेरा निवेदन है कि यह पत्र आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी के पास पहुंच जायें। आज स्थिति यह है कि आठ-आठ महीने तक पत्रों का जवाब नहीं मिलता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह जो आपका माध्यम उन्होंने बनाया है उस माध्यम से तो नोटिस आयेगी ही लेकिन यह मुझे सीधे पत्र दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप सीधे पत्र ले लें ।

यद्यपि यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है फिर भी शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि माननीय सदस्यों के पत्रों का समुचित स्तर से तत्परता पूर्वक उत्तर देने के संबंध में निर्देश जारी कर दें।

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

*श्री ददद् प्रसाद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस सदन का बहुत आभारी और कृतज्ञ हूँ मेरे साथ 19 अप्रैल को थानाध्यक्ष द्वारा जो मारपीट की गई उसको सदन ने बहुत गम्भीरता से लिया यह प्रश्न अब मेरा नहीं रह गया है। यह प्रश्न सम्पूर्ण सदन का हो गया है। कल माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर हम सदन को सूचित करेंगे। इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है यह सूचना सदन में नहीं आ पाई है। मैं अनुरोध करूँगा कि सूचना सदन में आनी चाहिए। आज प्रातः संसदीय कार्यमंत्री के कक्ष में बैठकर मैंने मानिकपुर थाने में फोन किया तो वहां पर थानाध्यक्ष स्वयं बैठा है और वह बोल रहा है कि मैं थानाध्यक्ष मानिकपुर, काल सिंह बोल रहा हूँ। सचिव, गृह ए0 के0 विश्नोई से उनसे बात हुई और अभी भी वहां बैठा हुआ है। मान्यवर, एफ0आई0आर0 क्या कायम हुई है किस धारा में हुई है। यह अभी तक जानकारी नहीं है। रही बात माननीय सदस्यों के प्रति प्रोटोकाल और शिष्टाचार पालन की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 अप्रैल, 2000 की रात्रि 8.30 बजे मैं और माननीय विधायक श्री आर0के0 सिंह पटेल जी पुलिस अधीक्षक चित्रकुट से मिलने गये उसने सामान्य शिष्टाचार निभाकर मिलने की बात तो दूर, अभद्र व्यवहार किया।

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कल आपने सूचना दी उस पर माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया। अभी कार्यवाही चल रही है।

श्री ददद् प्रसाद-

मान्यवर, किस धारा में एफ0आई0आर0 पंजीकृत हुआ यह सूचना माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के पास होगी। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की मंशा पर कोई ऊंगली नहीं उठा रहा हूँ। जो कार्य प्रणाली है, (श्री स्वामी प्रसाद मौर्यजी के खड़े होने पर)ब्यूरोक्रेसी सरकार के आदेश की अवज्ञा कर रही है, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्यजी के खडे होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता

माननीय मौर्या जी, नियम 300 की सूचनायें खत्म हो जाँय उसके बाद आपकी बात सुन लूँगा।

आय-व्ययक की मांगों से सम्बन्धित साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध मे औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता

अगली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, औचित्य के इस प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निर्देश संख्या-15 के अन्तर्गत सरकारी विभागों का वह साहित्य जिस पर माननीय सदस्यों को विचार करना है, कम से कम 4 दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज देना चाहिए ताकि उसे माननीय सदस्यों में अग्रिम रूप से वितरित किया जा सके और वह उसका अध्ययन करके उसकी तैयारी समय से कर सके वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर आज से विचार एवं मतदान प्रारम्भ हो रहा है किन्तु सरकारी विभागों से बजट सम्बन्धी साहित्य परफारमेंस बजट, प्रक्रिया संबंधी उक्त निर्देश के अनुपालन में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुये हैं जिससे माननीय सदस्यों को उसका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सकता है। मैं आपकी अनुज्ञा से यह कहना चाहता हूँ कि विगत दिनों भी इस आदरणीय सदन में यह प्रश्न उठाये गये और अध्यक्ष पीठ से स्पष्ट निर्देश सरकार को दिये गये कि सदन की गरिमा को ठेस न पहुँचने पाये। इस तरह का आचरण सरकार न करे। बार-बार इस तरह का सवाल सदन में उठता रहा है। सदन की गरिमा इससे कम इसलिए होती है कि सरकार का रूख यह है कि इसके द्वारा जो बजट पेश किये जाते है वह बिना सम्यक विचार किये पारित हो जाये। सरकार अपने रूख में परिवर्तन न कर अध्यक्ष पीठ के निर्देशों की अवहेलना कर रही है। आज श्रम विभाग का बजट आ रहा है और 4 दिवस पूर्व परफारमेंस बजट साहित्य प्राप्त हो जाना चाहिए था। जब समय से साहित्य नहीं मिलेगा तो माननीय सदस्य सम्यक तैयारी नही कर पायेंगे और बगैर बहस के अनुदान मॉग पारित हो जायेगी। सरकार का यह रूख सदन की गरिमा को बनाये रखने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस गम्भीर विषय पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर शुल्क स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के रूप में यह विषय दो दिन पहले भी उठा था तब भी शासन की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था। माननीय सदस्य सुबाष जी बहुत विद्वान सदस्य हैं कोई विषय ऐसा नहीं जिस पर उनका कंट्रोल न हो। मुझे तो लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक निर्देशों के पालन की बात है उनका पालन करना हमारा दायित्व है। एक कठिनाई सामने आई अनुदान की तिथियॉ निर्धारित करने में विलम्ब हुआ इसलिए निर्धारित समय से जानकारी नहीं दी जा सकी कि किस तिथि मे कौन सा विभाग लेना है। अब सारी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है अब कोई कठिनाई नहीं आने वाली।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

पर्यावरण विभाग का आज बजट प्रस्तुत होना है जो जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई साहित्य अभी तक माननीय सदस्यों को नही मिला जबकि आज ही इस पर चर्चा होनी है तो माननीय सदस्य कैसे इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। जब साहित्य ही उपलब्ध नहीं है। नियमों के अनुसार चार दिन पूर्व साहित्य मिल जाना चाहिए।

श्री बी0आर0 वर्मा

मान्यवर, पर्यावरण विभाग का बजट प्रस्तुत होना है इस समय तक उसकी पुस्तिका नही मिली। पलुशन कंट्रोल बोर्ड के क्रिया कलाप के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

श्री अधिष्ठाता-

कल दिनांक 25-4-2000 को लाल जी वर्मा से भी इसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाया था और पीठ से यह निर्देश दिया गया कि बजट साहित्य पर्याप्त समय पूर्व माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराना जाना सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ मैं इस सूचना को औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

दिनांक 24-7-98 को नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर अभी तक प्राप्त न होने तथा दि0 25-4-2000 को अतारांकित प्रश्न संख्या-59 का अपूर्ण उत्तर देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है-

श्री राम औतार शाक्य-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ मैंने एक प्रश्न किया था जो तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित था। 25-4-2000 को तारांकित प्रश्न 59 था कि क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री कृपया बताएंगे कि दिनांक 10 अगस्त 1998 को कौन-कौन से ऐसे सार्वजनिक निगम उपक्रम थे जिनके कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान/भत्ता अवशेष था और इस समय ऐसे कौन कौन निगम/उपक्रम हैं जिनके सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष प्रशासन कार्यरत हैं और उनमें उनके कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान नही हो रहा हैं। इसका उत्तर आया है कि कुल 50 निगमों/उपक्रमों में से प्राप्त 33 निगमों/उपक्रमों की सूचना दी जा रही है, राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, खाद्य एवं हथकरघा निगम आदि की सूचना शेष है। जिसके बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है। यह 19.11.99 को शासन में कार्यवाही के लिए गया था। यदि पूरा उत्तर नहीं दे सकते थे तो स्थगित करवा लेते। 24-7-98 को भी ऐसा ही एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि प्रदेश में कितने अध्यक्ष और प्रशासक कब से मनोनीत है और कितने-कितने मदवार खर्च किया। कितने ऐसे निगम है जहाँ कार्यरत अधिकारियों को वेतन नहीं नहीं मिल रहा उसके बाद पुनः मा0 अध्यक्ष पीठ से निर्देश हुआ कि सूचना का उत्तर दे दिया जाय परन्तु इस निदेश का पालन अभी तक नही हुआ भ्रष्टाचार की अनियमितताओं के रहते लगता है यह सरकार भागने का काम कर रही है। जानबूझकर उत्तर नहीं दे रही है। मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूँ।

संसदीय कार्य पंजीयन मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

अति उत्साह से अर्थ का अनर्थ करते रहे हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता है। हम यह भी कह सकते थे कि प्रश्न विस्तृत है और विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त किया जाय और हमारी बात मान भी जाती लेकिन हमने सोचा कि आपको जानकारी दी जाय। हमनें 38 के बारे में जानकारी दी और शेष के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जैसे ही जानकारी हो जायेगी आपको दे दी जायगी। आपके एक प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द भी किया जा चुका था, हम यह भी कह सकते थे कि प्रश्न विचाराधीन है अतः निरस्त किया जाय लेकिन हमनें ऐसा नहीं किया।

श्री राम औतार शाक्य-

मैं संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि नियम 300 में जो सूचना थी उस पर मा0 अध्यक्ष पीठ से निदेश आ गया था कि उत्तर शीघ्रातिशीघ्र दिया जाय। मान्यवर, मैं उस निदेश, उस व्यवस्था को पढ़ देता हूँ। "मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ कि नियम 301 में

दी गई सूचना का उत्तर शीघ्रातिशीघ्र दिया जाना चाहिए।" मान्यवर 24-7-98 की सूचना का उत्तर आज तक नहीं आया है। मा0 अध्यक्ष पी0 से निदेश के बावजूद भी यह सरकार उत्तर क्यों नहीं दे रही है। यह सदन की गरिमा का उल्लंघन है। चाहता हूँ कि जो यह सरकार जानबूझकर देरी कर रही है उसमें जो अधिकारी दोषी है उसे दण्डित करने का आदेश इस सरकार को दिया जाय।

श्री अधिवक्ता-

नियम 301 की सूचना के उत्तर समय से दिये जाने के संबंध में इस पीठ से कई बार निर्देश जारी किये जा चुके है। शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सूचनाओ के पूर्ण उत्तर समय से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

सत्रकाल के दौरान सरकार द्वारा नीतिगत निर्णयों की घोषणा सदन से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। विधान सभा का वर्तमान सत्र चल रहा है। मंत्रीगण के लिये यह परम्परा है और बाध्यता भी है कि जब विधान मण्डल का सत्र चल रहा हो तो कोई नीतिगत फैसलों का अवलोकन किया जो माननीय श्रम राज्य मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से की है। यह भी मान्यवर, आपके संज्ञान में है कि आज श्रम विभाग से संबंधित अनुदान मांगों मांगों को पेश होना है और उनका पारण भी होना है। यदि यह भी मान लिया जाय कि उन नीतिगत फैसलों की घोषणा तत्काल करने की आवश्यकता थी तो कल जब यह सामान्य चर्चा चल रही थी तो उसमें वह कर सकते थे। परन्तु उन्होंने ऐसा न करके सदन की गरिमा को गिराया है। मंत्रि परिषद के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है, संविधान में भी व्यवस्थायें है और संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद अन्तिम रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इस भावना को देखते हुए निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो नीतिगत फैसलों की घोषणा सदन के अन्दर की जाय परन्तु माननीय मंत्री जी ने ऐसा न करके नियमों/ परम्पराओं का उल्लंघन किया है। चूँकि यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है, संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित है, तथा मा0 अध्यक्ष पीठ द्वारा समय समय पर दिये निदेशों से सम्बन्धित है, नियमावली के सुसंगत नियमों से संबंधित है, इसलिए इससे [illegible] और कोई उपयुक्त विषय औचित्य का हो ही नहीं सकता है, इसलिये इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

माननीय अधिवक्ता जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान बहुत ही विद्वान सदस्य हैं। इनकी विद्वत्ता की छाप आज पूरे प्रदेश में है। विधान सभा की नियमावली के बारे में जितना ज्ञान आपका है उतना किसी को नहीं है यह मैं जानता हूँ। लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरों के लिए है अपने लिये नहीं होता है। मान्यवर, मैं देख रहा हूँ कि इधर यह परम्परा बनती जा रही है कि नियम का हवाला देकर अपनी बात हर कोई कहना चाहता है। सारा सदन नियमों का हवाला देता है मैं आपका ध्यान चाहूँगा। यह सूचना पढ़ लें। यह मेरे जैसे सदस्य की सूचना नहीं है माननीय मुन्ना जी की सूचना है। इसमें इन्होंने सत्र चलने के दौरान सरकार के नीतिगत फैसले सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में कहा है और इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में दिया है। मान्यवर, इसका उल्लेख करना चाहिए था कि कौन सी घोषणा की गई, कहाँ की गई? मान्यवर, जब कोई सूचना दी जाती है तो उसमें क्या यह दायित्व नहीं बनता है कि इस बात का भी उल्लेख करें किस विषय पर, कब और कहाँ घोषणा की गई? जब तक यह लिखा न हो मैं आपका भी संरक्षण चाहता हूँ यह जो समय इन्होंने बर्बाद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है यहाँ 10 मिनट भाषण देकर अपना और भी विषय पर बोल सकते थे। मान्यवर, जब तक उसके तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है और यह कह रहे हैं कि औचित्य का प्रश्न बन गया। हवा में श्रम मंत्री जी ने घोषणा कर दी। देहरादून में कर दी, चकराता में कर दी। मान्यवर, यह इसलिये कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिये निरस्त कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री ने इस सूचना के बारे में प्रकाश डाला है कि उसमें कोई भी विशेष उल्लेख इस तरह का नहीं है कि कौनसी नीतिगत घोषणा सदन के बाहर की गई है जब सदन चल रहा है। इसलिये इस तथ्य पर आधारित होकर बताया कि इसमें यह उल्लेख नहीं किया है कि कौन सी घोषणा की गई है?

श्री मुन्ना चौहान-

अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर यह जिज्ञासा प्रकट की है कि घोषणा क्या और कहां की गई। मैं इस विषय में बताना चाहता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूं। मैंने तो सूचना के आधार पर अपनी बात कही है।

श्री अधिष्ठाता-

अगर इसमें उल्लेख होता तो संज्ञान ले लिया जाता।

श्री मुन्ना चौहान-

कोई बात नहीं। मैं अभी बता देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अलग से कर लीजियेगा। अभी तो इस सूचना का निस्तारण होना है। मुन्ना चौहान जी की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। उनकी सूचना में कोई स्पष्ट इस तरह का उल्लेख नहीं है कि वह कौन से नीतिगत घोषणा सदन के चलते हुए सदन के बाहर मंत्री जी द्वारा की गई। इसलिये मैं इस सूचना को जो 300 मे दी गई है, निरस्त करता हूँ। शेष चारों सूचना अस्वीकृत की गई।

जनपद अल्मोड़ा में सहयोग संस्था द्वारा आपत्तिजनक साहित्य बांटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के रूप में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री लाखी राम जोशी जी विशेष उल्लेख के रूप में कहना चाहते हैं तो अपनी बात कहें।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। इस समय स्वैच्छिक संस्थानों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में काम किये जा रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। "एड्स और हम " उत्तर प्रदेश में एड्स की समस्या, अध्ययन और रिपोर्ट एड्स के संबंध में जो जानकारी है, यह किताब इतनी अश्लील है कि इस किताब की किसी को पढ़ाने में झिझक महसूस हो। एक संस्था अल्मोड़ा में काम कर रही है एक यहां की संस्था है दोनों के सहयोग से सितम्बर 1999 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके लेखक सम्पादक कौशल हैं आवरण लतिका, पंकज प्रकाशन सहयोग प्रेम कुटीर आर्थिक सहयोग मैकार फाउन्डेशन, इसमें उन्होंने कहा है कि पांच गॉवों का परीक्षण किया इसमें कहीं यह जिक्र नहीं है कि उन्होंने उनका ब्लड ग्रुप परीक्षण करवाया, उनका मानना है कि 75 प्रतिशत लोग पर्वतीय लोग नौकरी करने आते हैं 75 प्रतिशत लोग जो बाहर पलायन करने जाते हैं उनके अन्य महिलाओं के साथ संबंध रहते है।

जो माँ बहनें खेतों पर काम करती हैं, सीमा पर काम करती हैं, उनके संबंध भाई आदि रहते हैं। 1924 पृष्ठ इतना अश्लील है कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा। इससे अल्मोड़ा में वहां के निवासियों में बहुत आक्रोश पैदा हो गया। यह गाँव में वितरित कराई जा रही है गाँवों में आक्रोश है। इस संबंध में जब विधायक श्री रघुनाथ सिंह चौहान को पता चला तो उन्होंने जिलाधिकारी से बात की, जिलाधिकारी ने पुस्तक जब्त कराई है जो संस्था अल्मोड़ा में काम कर रही हैं उसको बंद जिलाधिकारी ने करा दिया है। मान्यवर, बाहर की कम्पनियां आर्थिक सहयोग देकर इस किस्म का वितरण करायें यह सही नहीं है, यह यहां के क्षेत्रवासियों के स्वाभिमान का सवाल है, यह देश के स्वाभिमान का सवाल है इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इसमें विस्तृत जाँच की जाए और जहां स्वैच्छिक संस्थायें हैं और नामों से काम कर रही हैं क्योंकि विदेशी कम्पनियां यूनीसेफ से पैसा आ रहा है भारत सरकार उतना नहीं देती है, तो यदि सीमाओं पर ऐसे विदेशी लोग जाने लगेंगे तो उससे सीमावर्ती चौकियों को खतरा पैदा हो सकता है। जहां एन0जी0ओ0 हैं उनको कठोर दंड देना चाहिए इसके अतिरिक्त जो स्पेसिफिक संस्थायें हैं उनकी जाँच सीबीआई द्वारा कराई जाए और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।

*श्री लाखीराम जोशी-

मान्यवर, सहयोग संस्था के द्वारा "एड्स और हम" पुस्तिका छापी गई है उसमें जो लेख लिखा गया है और जो उन्होंने अध्ययन में दर्शाया है उसमें पूरे पर्वतीय अंचल में बड़ा भारी आक्रोश पैदा हो गया है। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे सामाजिक जीवन पर आक्षेप किया है, संस्कृति पर आक्षेप किया है, मर्यादाओं पर आक्षेप किया है यह बहुत असहनीय है। और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है और किताब जब्त कर ली है। लेकिन मेरा यह आग्रह है कि क्योंकि यह बहुत संवेदनशील विषय है और इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए जो इस प्रकार की समाज में ऐसी विषमता पैदा करना चाहते हैं, समाज में इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसी संस्थाएं जो विशेषकर एन0 जी0 ओ0 के नाम से कार्य कर रही हैं वे इस प्रकार का माहौल तैयार कराना चाहती हैं और जो बाहर की विदेशी संस्थाएं हैं उनसे पैसा इकट्ठा करके पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में ऐसा उदाहरण और दृष्टांत देना चाहती हैं जो कि झूठा है। कहीं पर वह पानी की समस्या दिखा देते हैं और कहीं पर एड्स की रोकथाम के लिए पहाड़ों में घुस रहे हैं और वहां के लोगों को, वहां की छवि को गलत तरीके से पेश करके स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं।

यह सरकार एन0जी0ओ0 के नाम पैसा देकर विकास कार्यों में सहयोग बन रहे तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। जिन संस्थाओं ने इस पुस्तिका को छापने में सहयोग दिया है एक तो "सहयोग" है, दूसरा लखनऊ की "स्पर्श" है एक "गैड्से" है और एक संस्था "नाई" है इन सबको फाइनेंनसियली सपोर्ट कर रही है मैकार्थे फाउन्डेशन जो कि एक विदेशी संस्था है इन सब पर रोक लगनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस इन संस्थाओं के नाम से न कर सके और वहां के सामाजिक जीवन को उद्वेलित न कर सके। इसमें कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। जो भी सहयोगी है उनको दण्ड दिया जाना चाहिए। जिस प्रेस में यह किताब छपी है उस को सील किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें चर्चा नहीं हो रही है विशेष उल्लेख के रूप में मैंने इसे सुना है।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और यह हमारे पहाड़ के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें हम लोगों को एक-एक मिनट बोलने का अवसर दे दें।

मान्यवर, इस रिपोर्ट के द्वारा उत्तरांचल की संस्कृति और मर्यादाओं का खुला अपमान हुआ है जो निराधार और काल्पनिक आरोप लगाये गये है। यह काली सूची में दर्ज किया जाना चाहिए। ये घटना 19 ता0 की है, पुस्तक सितम्बर 1999 में छपी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही शासन-प्रशासन व एल0आई0यू0 द्वारा नहीं हुई वहां के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया गया है। जो इस इस पुस्तक में वर्णन है उसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर सकता आपके पास पुस्तक भेज सकता हूँ। इसमें पिता का पुत्री के साथ, भाई का बहन के साथ यौनाचार का संबंध वर्णित है। मान्यवर, उत्तरांचल देश का अलग भाग नहीं है यह भारत का शिरमौर भाग है।

*श्री गोपाल कृष्ण-

मान्यवर यह पुस्तक हम लोग भी देख सकेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान-

मान्यवर, मात्र उत्तरांचल का अपमान नहीं है जिस तरह का अश्लील साहित्य इसमें छपा है। मान्यवर साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह साहित्य को चुनौती है। यह प्रेमकुटी अल्मोड़ा में इनका कार्यालय है, सितम्बर 92 से यह कार्यालय है, बनिआर में भी कार्यालय है, मान्यवर, पाण्डे जी की प्रेमकुटी बंद कर दी गयी है। समाचार-पत्रों से कार्यकर्ताओं से मुझे यह जानकारी मिली है कि वहां डी0आई0जी0 मिलने गये थे, जमानत की कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, आज इस घटना से वहां का जनमानस उद्वेलित हुआ है उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं पर्वतीय क्षेत्र में हैं उनकी जांच कराई जाय और उनकी सम्पत्ति जब्त की जाय ताकि आनेवाले समय में ऐसा अश्लील साहित्य प्रकाशित न हो।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, यह आज ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर पर्वतीय क्षेत्र की पूरी जनता उद्वेलित है, जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं, वहां एक तरह से इसको लेकर आग लगी हुई है। कल दिल्ली और लखनऊ में इस मामले को लेकर एक साथ प्रदर्शन हुए हैं इस किताब में उतरांचल के बारे में अपमान जनक शब्द छापकर उत्तरांचल और भारत की संस्कृति को तहस-नहस करने का षडयंत्र रचा गया है।

मान्यवर, एड्स ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन किसी भी समाज को बदनाम करने की नियति से फुटपाथी साहित्य पर अंकुश लगना चाहिए। आज इसमें सरकार की और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम साहित्य पर रोक लगायी जाये तो उत्तरांचल की संस्कृति पर आघात कर रहा है। देशी-विदेशी संस्थाओं से जो पैसा "सहयोग" जैसी संस्था को मिल रहा है उसको भी रोका जाय और ऐसी संस्थाओं को काली सूची में दर्ज किया जाय। मान्यवर, वहां पर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में से इतना आक्रोश कभी नहीं देखा गया सिर्फ पिछली बार उत्तरांचल आन्दोलन के दौरान देखते ही पर्वतीय लोग आन्दोलित रहे, वहां के लोग 'सहयोग' द्वारा छापी गयी रिपोर्ट को लेकर आक्रोशित है। समाज को तोड़ने के लिए ही ऐसी बातों को इसमें डाला गया है। अगर रिपोर्ट छापने वाले लोगों के सामने पड़ जाते तो लोग उन्हें नोच डालते। यह हमारे क्षेत्र का मामला है, हमने और हमारी साथी विधायकों ने लोगों को समझा-बुझा कर शान्त किया कि इस प्रकार की उत्तेजना नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, इस संस्था द्वारा एच0आई0वी0 का परीक्षण कहां हो रहा है। किसी हास्पिटल में आपने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परीक्षण किया या किसी सी0एम0ओ0 से रिपोर्ट ली, आप कहां-कहां गये क्या "सहयोग" की कोई पैथालाजी है, आपने ऐसी अनर्गल बातें लिख दी हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जो यह मामला है यह बहुत विस्तृत मामला है और इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि आपको पूरे ऑकड़े मिल सकें, कि एच0आई0वी0 परीक्षण में किस-किसका परीक्षण किया गया।

मान्यवर, हम लोग सी0बी0आई0 की मांग कर रहे हैं लेकिन जब तक इसमें दो घंटे की चर्चा नहीं होगी तब तक इसका पर्दाफाश नहीं हो पायेगा। इसलिए इस पर दो घंटे की चर्चा करायी जाय।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्यगण ने जो गम्भीर विषय यहां उठाया उसमें मैं देख रहा था कि कुछ सदस्यों ने जो उसे एक हास्यव्यंग का विषय समझा है लेकिन यदि उस पुस्तिका का अवलोकन करेगें तो उसमें भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की दुहाई देने वाले जो लोग सदन के अन्दर बैठते है संस्कृति की बात करते हैं गौरवमयी परम्परा की बात करते हैं, मान्यवर उस पुस्तिका को अंग्रेजी में आप मोनोग्राफी कह लें कुछ भी कह लें वह इतनी अश्लील है कि उसके किसी भी अंश को यहां उद्धत करना सदन का अपमान होगा। इसलिए मैं उनको उद्धरित नहीं कर सकता। यह समाजसेवी संस्थाएं मिर्च मशाला लगाकर जिससे विदेशों के अन्दर उनको पैसा मिले, आज एक रिवाज बन गया है। यह एक परम्परा बनती जा रही है। मान्यवर, इससे युवा पीढ़ी को पो आइजनस किया जा रहा है, आज पूरे देश से अन्दर, अभी परसों लखनऊ के अन्दर धरना प्रदर्शन हुआ दिल्ली के अन्दर धरना प्रदर्शन हुआ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जहां तक पर्वतीय क्षेत्र का सवाल है हर एक पाबंदियों के साथ पर्वतीय क्षेत्र समाज रहता है। आज तमाम महानगर और टाउन्स हैं उनके अन्दर वह इन्तजाम हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तिका के माध्यम से वहां के आवाम को बेइज्जत करने का काम किया गया है इस तरह से हमारी माताओं और बहनों के ऊपर ऊंगली उठाने का काम किया किया गया है उनकी इज्जत आबरू के साथ खेलने का काम किया गया है इससे ज्यादा गम्भीर दूसरा काम नहीं हो सकता है। आज उत्तरांचल से अलग जहां कहीं भी यह पुस्तिका जा रही है वहां पर संगठनों ने इस पर तूफान खड़ा किया है। हमारी मजबूरी है कि उस पुस्तिका की अश्लील भाषा का एक शब्द भी मैं यहां कोड नहीं कर सकता लिहाजा यह प्रार्थना कर रहा हूँ और यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर एक इन्क्वारी कमेटी बिठायें जो पता लगाये कि किस वजह से यह किया इसलिए कि उनको अनुदान मिल जाये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से और यह इस तरह से भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करें। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप निर्देश देने का काम करें कि इसमें उच्चस्तरीय समिति बनाई जाए, जुडीशियल इन्क्वारी आर्डर कर दें तो ज्यादा उचित होगा ताकि लोगों को सबक सिखाया जा सके। मैंने देखा है गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अन्दर एक शोध पत्र आया उसके अन्दर मेरे क्षेत्र के बारे में मात्र एक टिप्पणी की गई थी तो हमने उसका विरोध किया और विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखा तो उन्होंने क्षमा याचना स्वरूप कहा कि पी0एच0डी0 की थिसिस को रिव्यू करा रहा हूँ और जांच का आदेश कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ पाया गया तो जो डाक्टरेट की उपाधि दी जानी चाहिए उसको हम ब्लाक कर देंगे।

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक सुविज्ञ लोगों की हाई पावर कमेटी गठित कर दें जो इसकी जांच करे और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की संस्तुति करे। मान्यवर, इण्टर नेशनल मीडिया को अथवा किसी अन्य संस्था को नग्न चित्र दिखाने की छूट न दी जाय, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसकी आप जांच करायें।

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह गम्भीर विषय है। इसके ऊपर माननीय सदस्य श्री पुनेठा जी, श्री मोशी जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री मुन्ना चौहान जी आदि ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया और इसकी जांच के

लिए कहा कि किस प्रकार सुनियोजित तरीके से हमारी संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इसकी हम विस्तृत जानकारी करा रहे है और जानकारी के उपरान्त जो भी प्रभावी कार्यवाही होगी वह तो होगी ही लेकिन इसके पीछे कहां से षडयंत्र शुरू हुआ है और किस-किस की साजिश है इसका पर्दाफाश किया जायेगा और कार्यवाही की जायेगी।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

नियम 311 के अन्तर्गत तीन सूचनाएं प्राप्त हुयी थी और मैं इन तीनों ही सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)-

मान्यवर, नियम-311 के अन्तर्गत हमने एक सूचना दिया था। गम्भीर प्रकरण है इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसे नियम-56 में ट्रान्सफर करके विशेष उल्लेख के रूप में आप सुन लें चूँकि महत्वपूर्ण है। वहाँ काफी तनाव है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी कल फिर से इसे आप नियम 56 में भिजवा दें-

* श्री धनी राम वर्मा (नेता विरोधी दल)-

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी जाती है उसे नियम 56 में परिवर्तित कर दिया जाता है तो शलाका में फिर नहीं डाला जाता है और विशेष रूप से सुन लिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना को नियम 56 में परिवर्तित करके शलाका में ली गयी थी लेकिन उसमें आयी नहीं, इसलिए कल फिर से नियम 56 में भेज दें।

श्री दद्दू प्रसाद विधायक के साथ थानाध्यक्ष मानिकपुर द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने तथा उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अपने व्यवस्था दिया था कि नियम 300 की सूचनाओं के बाद श्री दद्दू प्रसाद, विधायक, के मामले को सुन लिया जायेगा, इसलिए निवेदन है कि चूँकि श्री दद्दू प्रसाद, विधायक के साथ मानिकपुर थानाध्यक्ष श्री कमल सिंह ने दुर्व्यवहार किया जिस पर संसदीय कार्यमंत्री जी के निर्देश पर एफ0आई0आर0 दर्ज हो चुकी है लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले दो दिनों का समय मांगा था अब उसके बाद पुन: मंत्री जी ने यह निर्देश दिया था कि उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है और जिले से आज ही बाहर हो जायेगा किन्तु जैसा कि मैंने कल आशंका जाहिर किया था। कमल सिंह थानाध्यक्ष है, उसने श्री दद्दू प्रसाद को जान से मारने की धमकी दी है। यह भी कहा है कि मेरे इस मामले को यदि सदन के अन्दर उठाया तो इसका नतीजा बुरा भोगना पड़ेगा और गोली का शिकार होना पड़ेगा। इस थानाध्यक्ष का इतिहास आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। उसके खिलाफ कई मुकदमें दर्ज हैं। यह इतना मनचला थानाध्यक्ष है कि एक बार अपने सी0ओ0 पर ही गोली चलाने के लिये ए0के0 47 तान लिया था।

श्री अधिष्ठाता-

मौर्य जी, एक निवेदन सुन लें। कल जो व्यवस्था दी गई थी, उसमें क्या प्रगति हुई है, कदाचित यह जानने की आप अपेक्षा करते होगें। वह मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि आपको जानकारी दे दें।

संसदीय कार्य पंजीयन, एवं मनोरंजन कर पंजीयन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उसे कार्यमुक्त कर दिया गया है, अब वह वहाँ पर नहीं हे और मुकदमा कायम हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मुकदमा कायम करने की बात थी, निर्देश का पालन हुआ है, लेकिन जो आपने कहा था कि वह दो महीने पूर्व से स्थानान्तरित है, तो आज तक क्यों नहीं गया? पुनः आपने इस बात का निर्देश जारी किया था, माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठकर, गृहसचिव को भी मेरे सामने कहा था कि तत्काल उसे स्थानान्तरित करके हटाया जाय, लेकिन आज प्रातः माननीय विधायक जी के सामने आपने खुद उससे बात किया, गृहसचिव से बात किया। हमारे कहने का मतलब यह है कि आज भी संसदीय कार्यमंत्री के निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ है। जिसका दो महीने पहले स्थानान्तरण हो चुका है, यह सरकार के निर्णय लेने के बाद, संसदीय कार्यमंत्री के निर्देश के बावजूद वहीं पड़ा हुआ है, इससे हमारी आशंकाये और बलवती होती होती है जिस प्रकार उसने गोली मारने की धमकी दी है, वह गोली मारने का काम कर सकता है, ऐसी कोई घटना घटे, उससे पूर्व, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इस बात का अनुरोध करता हूँ कि तत्काल उसको जिले से अन्यत्र हटाया जाय। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि वहां पर राजनैतिक खेल खेल रहा है। कल जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष उसने अपने समर्थन में एक राजनीतिक पार्टी से धरना-प्रदर्शन करवाया है और वह खुद भी उसमें शामिल था। मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूँ कि तत्काल उसे जिले से हटाया जाय और दद्दू प्रसाद जी ने दर्खास्त दिया था, जिस पर एफ0आइ0आर0 हुआ है उसमें एस0सी0/एस0टी0 एक्ट भी लगा है, इसलिए तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आपकी बात आ गई।

मौर्य जी आप यही चाहते हैं कि जो निर्देश हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन हो।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आज सुबह संसदीय कार्यमंत्री टेलीफोन पर बात किये और बातचीत श्री दद्दू प्रसाद के सामने हुई है, कल भी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि उसको हटा दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कदाचित यह संभव है कि आदेश हो गया वहाँ से वह रिलीव हो गया हो, यदि आदेश के बाद ही बना रहेगा तो गंभीर विषय हो जायेगा। संसदीय कार्यमंत्री इसको गंभीरता से दिखायेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। यदि आदेश का अनुपालन नहीं होगा तो गंभीर बात होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके निर्देश के मुताबिक मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ लेकिन मान्यवर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी ततकाल गिरफ्तारी होती है और उस थानाध्यक्ष के खिलाफ मान्यवर, आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। एस0सी0/एस0टी0 एक्ट भी लगा है इसलिए उसे तत्काल गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए और तत्काल उसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से उसने माननीय विधायक जी को अपमानित किया है और उल्टे धमकी दी है गोली मारने की। यदि उसे सजा नहीं मिलेगी तो वह गोली चलाने का काम कर सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश दें।

श्री अधिष्ठाता-

यदि निर्देश का पालन नहीं होगा तो यह अपने आप में गम्भीर बात होगी।

श्री ददद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं पुन: सदन के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से सुरक्षा की माँग कर रहा है, वह जान से मारने के लिए वहाँ पर टिका हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से सुरक्षा की माँग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य की सुरक्षा करती ही है, वह करेगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्य जी ने भी कह लिया है, उत्तर आ गया है। अब इसे समाप्त किया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री के द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए निर्देश होने चाहिए। अगर किसी विधायक के खिलाफ के लिए निर्देश होने चाहिए। अगर किसी विधायक के खिलाफ इस तरह की एफ आई आर दर्ज हुई होती तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती और जिसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ, एससी/एसटी एक्ट लगा, मान्यवर, उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है कि वह थानाध्यक्ष है, वह पुलिस कर्मी है, इसलिए नहीं हो रही है। कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई व्यक्ति विशेष कानून से ऊपर नहीं हो सकता। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मुकदमा कायम हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तरी होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मुकदमा कायम है तो उस पर अग्रेत्तर कार्यवाही होगी, उस पर कार्यवाही न होने का तो कोई कारण नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वह कब होगी मैं सुनना चाहता हूँ?

श्री अधिष्ठाता-

शासन के संज्ञान में यह बात आयी, उस पर निर्णय लिया गया है। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है, आप देखें कि उसका अनुपालन होता है कि नहीं, यदि अनुपालन नहीं होता है तो वह अपने आप में गम्भीर बात होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आश्वासन चाहता हूँ कि कितने दिन के अन्दर कार्यवाही होगी, 2 दिन के अन्दर होगी, 3 दिन के अन्दर होगी, 48 घण्टे में होगी, कब होगी?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो कार्यवाही शासन द्वारा अपेक्षित थी, वह हो चुकी है। यह सामान्य प्रक्रिया है। हम जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न हमें करना चाहिए। मुकदमा कायम करना था, हो गया। आपको कुछ और जानकारी चाहिए, हम दे देंगे। मैं आग्रह करूँगा, आप एक पार्टी के नेता हैं। मौर्या जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य

हैं हम और आप साथ बैठ चुके हैं। आखिर यह प्रकरण कब तक चलेगा। इसकी इतिश्री होगा या नहीं। माननीय विधायक मेरे कक्ष में आये थे। उन्होंने टेलीफोन भी किया था। यह बार-बार टेलीफोन करके बात भी करते है और शिकायत भी करते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसको बहुत हल्के ढंग से लिया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री क्यों नहीं कहते हैं कि उसके खिलाफ 48 घंटे के अंदर कार्यवाही करेगे और गिरफ्तार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें दो विषय है। एक तो उसका स्थानान्तरण और दूसरा उसके खिलाफ मुकदमा कायम करने का मुकदमा कायम हो गया। उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। शासन स्तर से जो संभव था वह हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप इस मामले में निर्देश दें कि एक हफ्ते दो दिन, तीन दिन में उसके खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी। दूसरी चीज यह हे कि उसने दद्दू प्रसाद जी को गोली मारने की धमकी दी है। सरकार उनकी सुरक्षा के बारे में क्या कर रही है। जब वह दरोगा अपने सी0ओ0 पर असला तान सकता है तो माननीय विधायक को गोली मारने से क्यों डरेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं मैं कह सकता हूँ कि दद्दू प्रसाद जी को गनर मिला होगा अगर किसी विशेष कारण से उनको ओर ज्यादा बढ़ाने की बात है तो शासन स्तर पर रिप्रेजेंट करें। उसका परीक्षण होगा ओर वह स्थिति तो सुरक्षा बढ़ायी जायेगी। दूसरे जब मुकदमा कायम हो गया है तो जांच की कार्यवाही होगी। और शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही हो जाये यही मंशा आपकी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम चाहतें हैं कि श्री दद्दू प्रसाद जी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये दूसरे उस दरोगा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है, संक्षेप अपराध हे तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाये। इस मामले की जांच कौन करेगा? जो लोग उसको संरक्षण दे रहें हैं वही सी0ओ0 और एस0पी0 उसकी जांच करेंगे। इसलिए मैने मांग की थी कि कम आई0जी0 से इसकी जांच करायी जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कल इस प्रकरण पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है और एक निर्णय हुआ था जिससे आप लोग भी सहमत होगें कि यह कार्यान्वित हो रहा है या नहीं, यह जरूर आपकी उत्सुकता का विषय होना चाहिए इसमें कोई नयी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उसके हिसाब से देखा इसमें कोई नयी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उसके हिसाब से देखा जायेगा। अब कार्यवाही को आगे चलाने में आप सहयोग करें। माननीय सदस्य का प्रकरण है तो सरकार भी गम्भीरता से लेगी और मौर्या जी खुद आपको इतना सम्मान दिया जाता हे कि आपका कहना ही काफी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, आप अपनी पीठ से निर्देश दे दें दो दिन या एक हफ्ते के अन्दर कार्यवाही हो जायेगा। इस समयबद्ध चाहते हैं। जब दो महीना पहले स्थानान्तरण हुआ था उसका कार्यान्वयन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जब खूँटा गाड़ कर बैठे तब जाकर आज हुआ। कल भी कहा था लेकिन नहीं हुआ। आज फिर हस्तक्षेप किया तब जाकर हुआ। वह इतना प्रभावी है कि सरकार पर भारी पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्यमंत्री जी जॉच की सीमा बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बहुत जल्दी जॉच करवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं मद संख्या-4 ले रहा हूँ।

(मद संख्या-4 से सम्बन्धित माननीय सदस्य के अनुपस्थिति होने पर याचिका प्रस्तुत नहीं हुई)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 26 अप्रैल, 2000 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 27 अप्रैल से 26 मई, 2000 तक के उपवेदशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की की सिफारिश की है:-

अप्रैल, 2000

27 गुरूवार — 1-श्री लाल, जी वर्मा, श्री बी0 आर वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय,डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस एक घण्टे की चर्चा:-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया गया।"

2-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा)।

4-उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं मतदान (आधा घण्टा)।

28शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

29 शनिवार — बैठक नहीं होगी।

30 रविवार

मई, 2000

1 सोमवार — 1-निधन के निर्देश।

2-असरकारी दिवस।

(असरकारी दिवस आधा दिन 28 अप्रैल, 2000 के स्थान पर आधा दिन असरकारी दिवस 5 मई, 2000 के स्थान पर)

-"कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन किये जाने के" सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52

के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

2 मंगलवार

1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदिस्य, सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा:-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल-स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रक हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय।"

3-"प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल-स्तर से उत्पन्न स्थिति"के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चा हेतु लम्बित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

3 बुधवार

1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश राज्य हेतु निगम लिमिटेड के कार्य-कलापों के संबंध में है और जिले 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 216 (4) के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डे, श्री (मेजर) जं0पी0 सिंह, श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा की मांग दिनांक 26 फरवरी, 1999 पर आधे घण्टे की चर्चा।

4 गुरूवार

1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-"ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरूपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में"श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर दो घण्टे की चर्चा।

5 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

6 शनिवार

बैठक नहीं होगी।

7 रविवार

8 सोमवार

1–वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगो पर विचार एवं मतदान ।

2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रसर चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय।"

3-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा:-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय तो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करें।"

9 मंगलवार — 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगो पर विचार एवं मतदान।

2-"प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु मध्यांचल विकास निधि की स्थापना किये जाने" के संबंध में डा0 कौशल किशोर व डा0 अशोक बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

10 बुधवार — 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-"प्रदेश में आई0एस0आई0 की गतिविधियों के विस्तार से आंतक फैलने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

11 गुरूवार — वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

12 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

13 शनिवार

14 रविवार — बैठक नहीं होगी।

15 सोमवार — 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ की स्थापना किये जाने" के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

16 मंगलवार — बैठक नहीं होगी।

17 बुधवार

18 गुरूवार — (बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

19 शुक्रवार
20 शनिवार बैठक नहीं होगी।
21 रविवार
22 सोमवार
23 मंगलवार (महावीर जी के मेले का अवकाश)
24 बुधवार वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
25 गुरूवार
26 शुक्रवार 2-वित्तीय वर्ष 2000-2001 आय-व्ययक के अनुदानों की मांगो पर विचार एवं मतदान।

2-4.00 बजे अपराहन

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 का सदन की अनुज्ञा से पुर: स्थापना उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है। मद संख्या-8।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 27.4.2000 की नियम-56 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुई-जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी जी की है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, मैं, जनपद बुलन्दशहर के कस्बा-सिकन्दराबाद के निकटस्थ ट्यूब्वेल स्वामियों को अनियमित विद्युत शुल्क बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के विषय पर कहना चाहता हूँ। यहाँ 300 किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिये और नियमित बिल देते रहे। 10 जुलाई 94 को सरकार ने 40 रूपये की जगह 105 रूपये प्रति हार्स पावर का बिल लगा दिया, बिना किसी नोटिस के। जुलाई 97 में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने किसानों से कहा कि जुलाई 94 से रू0 250 प्रति हार्स पावर का बिल देना पड़ेगा। किसानों ने इसका विरोध किया, शासन-प्रशासन को लिखा। यही नहीं 2 जनवरी 99 से जून, 99 तक का 200 रूपये प्रति हार्स पावर रेट लगा दिया। राजस्व मंत्री जी से भी किसानों ने कहा, उनका घेराव किया तथा मंत्री जी ने आवश्वासन दिया। पिछले वर्ष भी यह समस्या मैने सदन

के समक्ष उठाई थी। विद्युत मंत्री ने बोर्ड को कमेटी बनाने के आदेश दिये। 22 जून, 99 को बिल घटाकर 65 रूपये हार्स पावर कर दिया गया। अब जब सारी हरी सब्जियाँ खड़ी है मार्च में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 300 ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिये। किसान बिल देने को तैयार है। विद्युत बोर्ड के लोगों ने जांच के उपरांत यह सही पाया कि उन ट्यूबवेलों से खेती के अलावा और कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि इन ट्यूबवेलों को एलएमवी-6 से जोड़ दिया गया है जबकि किसान ने इसके लिए कभी मांग नहीं की। यह बिजली जो खावाद बिलसूरी फीडरों से दी जाती है। जुलाई 94 में किसानों को अवगत करा दिया जाता कि कनेक्शन काट दिया जायेगा या तो किसान उसी लागत में बिल दे देता या अपना कनेक्शन कटवा लेता। यहाँ मान्यवर, 5-5, 7-7 बीघा कच्ची जमीन वालों किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन ले रखे हैं। सब्जी की खेती होती है और सिकन्दराबाद सब्जी की खेती के लिये मशहूर है। यहाँ से दिल्ली शाहाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मुम्बई और कानपुर को सैकड़ों ट्रक सब्जी जाती है। सब्जी के लिये 24 घण्टे पानी चाहिये। छोटे-छोटे किसानों ने बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं। 5-5 तथा 10-10 बीघा जमीन लोगों के पास है। सरकार ने मानक बना रखा है कि 10 घंटा बिजली देंगे, आप 8 घंटा रेगुलर बिजली दे दीजिये और 12 घंटे की जगह पर 10 घंटा बिजली दे दीजिये। मेरा अनुरोध है कि जो साधारण किसानों से बिजली बिल लिया जा रहा है, वहीं सिकन्दराबाद के किसानो से लिया जाय, नहीं तो यह एक घोर अन्याय है। छोटी-छोटी जोत के किसान है। ऊँची श्रेणी के बिल बढ़ाये गये है। जून, 1999 से 65 रूपए प्रति हार्स पावर बिजली का बिल किया गया है। जून 94 ये जो बिजली का बिल लगता था 40 रूपए प्रति हार्स पावर और जून 99 से 65 रूपए प्रति हार्स पावर लिया जा रहा है, मेरा अनुरोध है कि जुलाई,1994 से ही इसे लागू किया जाय। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। सरकार ने दर जुलाई, 1994 में 105 रूपए, जनवरी, 99 में 250 रूपए और जून, 1999 में 65 रूपए प्रति हार्स पावर कर दिया है, इसलिये इस अनियमितताओं को दूर किया जाय ताकि किसानों को बिजली, रेगुलरली बिजली की सप्लाई मिल सके और सरकार को पैसा भी मिल सके।

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, यह सत्य है कि 16.7.94 से 22.6.99 तक शहरी फीडर से जिनका जोड़ा गया था, उनसे एल0एम0बी0-6 के रेट के अनुसार 250 प्रति हार्स पावर लिया जाता था परन्तु जब हमारी सरकार आयी तो हमने इस 65 रूपए प्रति हार्स कर दिया और तब से इसी हिसाब से बिल जा रहे हैं। किसानों ने 1994-99 तक पैसा नहीं दिया है और न ही उनकी नीयत देने की और बिजली भी उन्हें 24 घंटे चाहिये। किसान इस बात पर अड़े है कि 1994 से इस दर को लागू किया जाय, जो कि सम्भव नहीं है। मुफ्त बिजली देने की जो प्रक्रिया माननीय सदस्य जी आपने अपने क्षेत्र में करवा रखी है, यह ठीक नहीं है, इसे सरकार नहीं चलने देगी। किसान मेरे पास आये थे तो मैंने कहा कि बिल दो और हम आपको बिजली देंगे। यदि बिल नहीं दोगे तो बिजली भी नहीं देंगे। आप पैसा जमा कराइये।, हम कनेक्शन जुड़वा देंगे। इस सरकार ने दाम सस्ता किया और हम किसानों के हित में ही निर्णय ले रहे हैं। इस मारे न तो यह अविलम्बनीय है। बिल जमा करवा दें हम कनेक्शन जुड़वा देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह जानकारी करना चाहूँगा कि किन परिस्थितियों में 105 रूपया और 250 रूपये प्रति हार्स पावर विद्युत बिल लगाकर भेजा गया। श्रीमन्, निश्चित है कि जब 250 रूपया किया होगा, 105 रूपया किया होगा निश्चित तरीके से यह समझकर किया होगा कि इन पर और भी उद्योग लगाये गये हैं। उद्योग के दृष्टिकोण से पैसा बढ़ाया गया होगा। जब जांच में सिंचाई ही आई तब श्रीमन् इसको 65 रूपये किया होगा। किसानों की मांग उचित है। मैं चाहूँगा कि माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊर्जा मंत्री इस पर सहानभूति पूर्वक विचार कर लें। जब सिंचाई जांच में आई है तब आपने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसे 65 रूपये किया है। सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपना निर्णय दीजिये। 94 से जो बकाया कह रहे हैं पैसा सबसे ले लीजिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तब उन लोगों ने प्रतिवेदन दिया और इस बात को कह रहे हैं कि बिजली शहर से 24 घंटे वे लेते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। मान्यवर, हमने सर्वे करवाया था कुछ लोगों ने खेती के साथ-साथ छोटे-छोटे उद्योग भी लगा लिये थे। रिपोर्ट आई दोनो ही तरीके की आई। किसानों की बात को देखते हुए ही हरीश जी बैठे हैं कैबिनेट में इस बात को उठाया कि हम किसानों को जो एल0एम0वी0-6 की दर लगा रहे थे उसको घटाकर 65 रूपये कर दिया। तत्कालीन जो विद्युत परिषद् था उसका नियम था कि जिस तारीख से रेट बढ़ता या घटता है उसी तारीख के उसके अनुसार बिल लेते है। एक बात है कि 94 से 99 तक पांच साल बिजली का बिल नहीं दिया गया। माननीय सदस्य की भी थी, हमारी सरकार है। आप कह रहे हैं कि पांच साल का, 94 से लेकर लिया जाय। यह रिइम्बर्समेन्ट की बात नहीं कर रहे हैं। 94 से अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 5 साल से बिजली का बिल नहीं दिया है। 1995 जून से जो निर्णय लिया है उसको लागू कर दिया है। इनसे कहना हैं कि सहयोग करायें, बिल दें आगे हम उनकी बातों पर विचार कर लेंगें। जन प्रतिनिधि के नाते एक सस्ती लोकप्रियता के लिये सस्ते तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो सरकार झुकने नहीं जा रही है। जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जायेगा अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जुलाई 94 से जुलाई 97 तक 40 रूपये प्रति हार्स पावर किसान बिल देते रहे और विद्युत विभाग लेता रहा। किसानों को यह नही बताया कि 105 रूपये हमने लगा दिया। जुलाई 97 में उनको अवगत कराया गया कि 105 रूपये के हिसाब से जमा करें। 40 रूपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से वे जमा करते रहे उसके बाद पार्ट पेमेन्ट में जमा करते रहे। सिकन्दराबाद के पास किसी भी ट्यूबवेल पर चक्की का कनेक्शन नही है। अगर चक्की का किसी और चीज का कनेक्शन है मैं तैयार हूँ। 105 रूपये 250 रूपये से दिलवाऊंगा। लेकिन सब्जी की खेती के लिये कनेक्शन लिये गये हैं इसलिये 65 रूपये करने पर विचार कर लें। आप कल ही कैम्प लगवा दें मैं आज ही चला जाता हूँ और 94 से अब तक का सारा पैसा विद्युत विभाग को जमा करवा दूंगा। 300 किसानों का। किसानों ने बीच बीच में पार्ट पेमेन्ट भी किया है उनको जुलाई 97 में पता चला कि हम पर 105 रूपये के हिसाब से लगा दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

यह जुलाई 94 से पीछे की डेट से 105 रूपये बढ़ाया गया है। जेसी सूचना है कि इसको बाद में 250 कर दिया गया और उसके बाद सम्भवत: आपने जब परीक्षण करवाया कि केवल कृषि के उपयोग में लाया जा रहा है और रिपोर्ट आने पर कि सिंचाई के लिये ही इस्तेमाल हो रहा है यह रेट घटाकर 65 रूपये लिया है। ठीक है न।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैने सदन को सूचित किया कि जब सरकार के सामने यहां लाया गया और हम लोगों ने सर्वे करवाया और रिपोर्ट दोनों तरह की चीजों की आई कि कुछ सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं और काश्तकारों ने 24 घंटे बिजली के कारण तमाम छोटे-छोटे कारखाने भी लगा लिये थे। हमने किसानों का हित देखते हुए निर्णय लिया कि अब उन पर 65 रूपये ही लगायेंगे। इनकी सरकार के समय में जो हुआ उसको ये चाहे हम एमन्डमेन्ट कर दें यह कैसे होगा 105 से बढ़ाकर 250 किया गया पिछली सरकार के द्वारा इस

सरकार ने जो अच्छा निर्णय लिया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए था। आप बिल जमा करवायें हम कनेक्शन जुड़वाएंगे। यह कहा गया कि 40-50 रूपये की दर से बिल लिया गया यह गलत है अगर कोई स्पेसिफिक हो तो बता दें जिस अधिकारी ने किया होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा?

श्री अधिष्ठाता-

40 के बाद 105 रेट कब किया गया?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

हमने तो ढाई सौ का 65 किया है यह इन्होंने अपने जमाने में किया होगा।

श्री अधिष्ठाता-

40 का 105 किया गया यह कब किया गया है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

यह पूरी सूचना नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

हय दिखवा लें 94 तक जो 40 रूपये के रेट के बाद 105 किया गया फिर 250 किया गया इसके बढ़ने के बाद और फिर परीक्षण के बाद आपने 65 किया है तो बीच में अगर गलत फिक्सेशन हुआ है और किसानों पर अधिभार पड़ा है तो इसको दिखवा लें। इनका कहना है रिवाइज रेट ले लेते।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं पीठ का दर्द समझ रहा हूँ, शहरी विधायकों के सामने समस्या है जो शहरी क्षेत्र के विधायक इन्होंने इस बात को लिखा रिपोर्ट दोनों आई हैं तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद ने इसका विरोध किया, सर्वे में तमाम इन्ड्रस्टी तमाम किसानों ने लगा लीं, लेकिन किसानों के हित में कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 65 कर दिया जाय। हमने कहा कि 1994 से किया जाए अब अन्तिम निर्णय होना है लेकिन बिल तो देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

बिल देना चाहिए, पहले 40 था फिर 105 हुआ फिर 250 हुआ आपने फिर 65 कर दिया तो एरियर 105 और 250 के हिसाब से वसूल किया जाएगा या 65 के हिसाब से बकाया भी वसूल किया जाएगा इस पर विचार कर लें।

श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल-

यह विचाराधीन है। निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मंत्री जी ने कहा विचार करके निर्णय कर लेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

यह विचाराधीन है।

श्री अधिष्ठाता-

नरेन्द्र सिंह भाटी जी और ऊर्जा मंत्री जी को सुनने के बाद इसको नियम 65 में अस्वीकार करता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बलिया जनपद में फरवरी में यह घटना हुई है चूंकि फरवरी में यह घटना हुई है इसलिए इसकी तात्कालिकता नहीं कही जा सकती है। लेकिन 10 फरवरी को ऐसी एक घटना बलिया में, बलिया जो इस हिन्दुस्तान के इतिहास में अलग स्थान रखता है, हिन्दुस्तान की आजादी से पहले जो बलिया आजाद हुआ था वहां पर जो जुल्म और सितम हुए आज तक हुए अत्याचार के सभी रिकार्ड टूट गये हैं।

मान्यवर, वहां कोतवाली थाना के सतनी सराय पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर सतीश चन्द्र ने एक छात्र नेता नवीन पाण्डेय को बुलाया और गोली मार दी और उसे घायल अवस्था में छोड़कर चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मी भाग गये। फिर उसे उठाकर लोगों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया लेकिन वह अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। क्योंकि वह छात्र नेता था और इससे वहां की जनता उद्वेलित हुई और उस आन्दोलन को दबाने के लिए जिस बर्बर तरीके से प्रयोग किया गया, मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं आपके ही एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री श्री बच्चा पाठक ने कहा कि इतना अत्याचार 1942 में अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जितना अत्याचार वहां पर हुआ है। अगले दिन छात्र की मृत्यु के बाद शोक सभा हो रही थी बलिया स्टेशन के सामने, सभी दलों के प्रतिनिधि मिलकर जो जिममेदार थे शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें लाठियां चलायी गयीं, गोलियां चलायी गयीं और माननीय मंत्री श्री बच्चा पाठक जी की मौजूदगी मे हमारी सदस्य श्रीमती मंजू सिंह की मौजूदगी में सैकड़ों छात्रों को पीटा और लहुलुहान कर दिया। एक दूसरे छात्र राजेश सिंह को गोली मारी गयी। उसे बी0एच0यू0 में रिफर किया गया और वह मर गया। कई छात्र दर्जनों की संख्या में घायल हुए। अनिल तिवारी, अमित पाण्डेय, संजय वर्मा और 6 छात्र महीनों अस्पताल बी0एच0यू0 में पड़े रहे। उसमें एक दो की स्थिति अभी ठीक नहीं है। लेकिन प्रशासन ने बजाय स्थिति को संभालने के वहां के व्यक्तियों को कर्फ्यू का एक नया स्वाद दिया। मान्यवर, वहां पर कभी साम्प्रदायिक तनाव नहीं हो सकता। बलिया के लोगों ने मार्शल ला देखा है और संगीनों के सामने उस समय अपने सीने नंगे कर दिये थे लेकिन कर्फ्यू कभी नहीं देखा था तो उसका एक अभिनव स्वाद देखा। वहां से तीन-तीन सम्मानित मंत्री है तथा और भी सम्मानित पदों पर बैठे व्यक्ति है जो स्वाद चखाया है, लोग दूध, पानी, दवा के अभाव में मर गये इनकी गिनती दर्जनों में है। उन अनाम दर्जनों लोगों, छोटे बच्चों और बीमारों की मृत्यु के लिये यह सरकार हत्या की जिम्मेदार है।

मान्यवर, इस घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है गैर जिम्मेदाराना ढंग से कर्फ्यू लगाया गया और इस तरह से इन निर्दोष लोगों की हत्या के लिए यह सरकार जिम्मेदार है। माननीय रंगनाथ मिश्र जी और शासन के तथा पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और आश्वासन दिया कि मृतकों को 5-5 लाख रूपये मुआवजा दिया जायेगा और आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जायेगी और घायलों के लिए चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, जो आश्वासन पूरा करना था उसका पैमाना अलग-अलग दिखा। नवीन पाण्डेय को परिवार को 4 लाख रूपया दिया गया लेकिन राजेश सिंह के परिवार को 2 लाख रूपये दिये गये। अभी तक किसी मृत आश्रित को नौकरी नहीं दी गई। पुलिस के लोगों को बचाने के लिए फर्जी मुकदमें लिखे गये। जिसमें उल्लेख रहा कि कुछ लम्बे कुछ नाटे थे कुछ दरमियाने कद के थे, कुद कुर्ता-पैजामा पहनते थे, कुछ धोती पहनते थे, कुछ लुंगी पहनते थे, मान्यवर, इस परिभाषा से यदि कोई दरोगा यहां आ जायें और मुख्य मंत्री जी से कहें कि आप धोती पहने हैं आप उसमें थे, परिवहन मंत्री जी पतलून पहने हैं इसलिए जरूर रहे होंगे।

जो एफ0आई0आर0 लिखी गई वह हजारों लोगों के खिलाफ की लिखी गयी। 19 छात्र 10 फरवरी से जेलों में बंद हैं जो छात्रों के मुकदमें वापस लेने की बात कही गई वह भी पूरी नहीं की गयी। 16 फरवरी को प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि न्यायिक जांच करायेंगे जो दो महीने मे पूरी हो जायेगी। मान्यवर, दो महीने हो गये हैं इतनी शिथिलता है कि औपचारिकता मात्र उसकी हुई है। मान्यवर, जो घोषणायें हुई हैं उनको तत्काल पूरा कराया जाय जो फर्जी मुकदमें कायम हुये हैं वह वापस लिये जायें जो पांच-पांच लाख रूपये दिये जाने की घोषणा हुई है मैं तो मांग करता हूं कि 10-10 लाख दिया जाये, पहले चक्र में जो घोषणा है उसको पूरा करने का काम करें। कुछ अधिकारियों का ट्रान्सफर करने का काम किया गया और कहा गया कि जिलाधिकारी और एस0पी0 के बीच तालमेल नहीं है।

मान्यवर, इसमें प्रशासनिक शिथिलता इसलिए है कि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के बीच तालमेल नहीं था। उस तालमेल न होने के लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है और मात्र उन अधिकारियों को मात्र स्थानान्तरित करने से वह बाता समाप्त नहीं हो जायेगी। यह एक ऐसा अक्षम्य अपराध किया गया है बलिया की सरजमी में जाकर अधिकारियों ने जिसको जमाने अर्से में माफ किये जाने की परिस्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिए छोटे से बड़े जितने अधिकारी जिम्मेदार है उनको दंडित करने का कार्य किया जाय मेरे कथन की सच्चाई के तर्क के लिए आपके जितने मंत्रीगण, निगम के अध्यक्षगण और दूसरे माननीय सदस्यें जो बलिया से आते हैं अगर एक भी बात के तथ्य को नकार दे तो मैं उसके लिए क्षमा याचना के लिए तैयार हूँ, और जो भी दण्ड हो वह भी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो अपराध हुआ है उसके लिए सरकार द्वारा यह घोषणा की जानी चाहिए कि तत्काल, जेलों में जो छात्र निरूद्ध है आज शाम 5.00 बजे तक उनको छोड़ दिया जायेगा और इसके साथ ही मुकदमों को वापस लेने की घोषणा भी करें। मैं इस लोकमहत्व और अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

* वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)-

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य और इस सदन के बड़े नेता भाई अम्बिका जी ने बलिया की चर्चा की। यह बात सही है कि एक आकस्मिक घटना बलिया में हुई और निश्चित रूप से वह दुखद घटना थी इन परिस्थितियों में एक लड़के की मृत्यं वहां एक पुलिस चौकी में हुई इतनी बात भाई अम्बिका जी की सही है, वह निश्चित रूप से एक निन्दनीय घटना थी लेकिन प्रशासन और सरकार की तत्परता के बाद, हमको लगता है कि इससे अच्छा सरकार की तत्परता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा, मान्यवर, जैसे ही यह घटना प्रकाश में आई तत्काल उस संबंधित संबइस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की गई उसको हथकड़ी लगाकर जेल भेजा गया और मृतक के सभी लोग उस निर्णय से सतुष्ट हुए और उसी क्रम में माननीय बच्चा पाठक जो हमारे कैबिनेट के साथी है मंजू जी, सपा के और दूसरी पार्टी के साथियों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। यह चल रहा था जनता में बढ़ा संतोष था कि सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की। मान्यवर, इसी बीच में हमारे एक सपा के साथी ने मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता उन्ही के एक दल के नेता ने उस सारे वातावरण को इतना अशान्त किया कि वहां की स्थिति खराब हो गई ओर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जिस दुखद वातावरण को सुखद वातावरण बनाने का प्रयास शासन-प्रशासन के सहयोग से हुआ वहीं इन्हीं के एक साथी ने जानबूझकर या गलतीवश उन्होंने इतना उत्तेजनात्मक भाषण किया और उससे परिस्थिति को इतना दुरूह बनाने का काम किया कि जो एक शान्ति का वातावरण बना हुआ भी वह अशान्ति में बदल गया उसके बाद जनता में आक्रोश हुआ।

मान्यवर, जो दो लाख की धनराशि थी उसको 4 लाख रूपया मृतक आश्रित को देने की घोषणा की गई और दिया गया, यह एक विसंगति जरूर हुई है जो दूसरा लड़का मरा है उसको दो लाख ही मिला है, हमारे मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वहां चर्चा भी होती है कि उस दो लाख की जगह चार लाख कर दिया जाय। मान्यवर, न्यायपालिका को जांच के लिए निर्धारित कर दिया गया और उसमें जो भी दोषी लोग पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। शासन प्रशासन की मंशा यह नहीं है कि दोषी का बचाव करें और न कहीं तथ्य को छिपाने की कोशिश की गई। हमें प्रसन्नता है कि अम्बिका भाई ने इस सवाल को उठाया, लेकिन यह तथ्य उनको रखने चाहिए थे कि शासन-प्रशासन की तत्परता मुख्य मंत्री जी की उदारता इसको इन्हें कहना चाहिए था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आभारी हूं श्री रामधारी जी का यद्यपि वह घटना स्थल पर नहीं थे लेकिन इन्होंने सच्चाई का पता लगाया और तथ्यों को यहां रखा। मान्यवर, श्री पाठक जी और मंजू जी यहां मौजूद है। उनकी तथा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां जनता जो आन्दोलित थी मान्यवर, वहां शोकसभा में गोली चली, इस तथ्य की मंत्री जी ने पुष्टि किया जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मान्यवर, दूसरे तथ्य की भी श्री राजधारी जी ने पुष्टि किया कि मृतकों में भेदभाव किया गया और एक मृतक को चार लाख रूपये और दूसरे मृतक श्री राजेश सिंह को दो लाख रूपया दिया गया, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह भेद-भाव क्यों किया गया? मान्यवर, मंत्री ने यह भी कहा कि राजेश सिंह को चार लाख रूपये मुआवजा दिया गया इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, तीसरा तथ्य मैं यहां बताना चाहता हूँ कि निर्दोष छात्रों को जेलों में बन्द किया गया इसलिए मैं मंत्री से कहना चाहता हूँ कि वह अपने पद का और प्रभाव का प्रयोग करके जो निर्दोष छात्र जेलों में बन्द किये गये हैं उनको छुड़वायें। मंत्री जी ने निर्दोष छात्रों को छुड़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए अनुरोध है कि मंत्री जी प्रयास करके और आज मुख्य मंत्री जी से सदन में कह कर घोषणा करायें कि निर्दोष छात्रों को छोड़ दिया जायेगा और फर्जी मुकदमें वापस ले लिये जायेंगे।

मान्यवर, समाजवादी पार्टी का नाम लिया गया और आरोप लगाया गया तो यह ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर एवं कई सदस्य एक साथ बोलने पर व्यवधान

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग व्यवधान न पैदा करें। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है इसलिए उन्हें अपनी बात कहने दें।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, यह विषय जो अम्बिका चौधरी जी ने उठाया माननीय बन मंत्री ने भी इस पर प्रकाश डाला। मैं खासतौर से अपने आपको इस तक सीमित रखूँगा कि यह नियम-56 में ग्राह्य है अथवा नहीं। किसी घटना को तोड़-मरोड़कर रखना और नियम-56 में सूचना न आती तो, लाने का प्रयास करने का माहिर अम्बिका जी बधाई के पात्र है। यह इस विषय पर कितने गंभीर है, इस बात से परिलक्षित होता है कि 23 मार्च से सदन चल रहा है और 10 फरवरी की यह घटना है, बराबर यह यहाँ रहते हैं, लेकिन इनका मन कितना गंभीर इस बारे में था कि आज इन्होंने इस यहाँ उठाना आवश्यक समझा, इतने संवेदनशील आप हैं, आज यह सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपने यह नहीं किया। वह नहीं किया आप दल के उपनेता हैं, आप कहते हैं कि 26 तारीख तक कार्यवाही नहीं की, इसलिए तात्कालिक हो गया। कम से कम आप तो नियमों का पालन कर लें थोड़ा बहुत, नये सदस्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। जैसा वन मंत्री ने कहा है, कौन दोषी है, कौन नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात जो आपने उल्लेख किया कि खासतौर से 2 महीने से गिरफ्तारी चल रही हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि 2 महीने से इस संबंध में कोई गिरफ्तारी हुई थी, यह जो भी गिरफ्तारी हुई थी, उसी वक्त की गई थी और न शासन की तरफ से ऐसा कोई आदेश था, जिसका पालन न किया गया हो। यह सूचना नियम- 56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये इसको अग्राह्य कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने तात्कालिकता बता दी थी, मुकदमें तो वापस ले लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर अम्बिका जी को सुना, वन मंत्री जी को सुना एवं माननीय कार्य मंत्री को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती, इसलिये मैं इस अग्राह्य कर रहा हूँ। अगली सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की है।

श्री शिशुपाल सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस विषय पर आपने बोलने का मौका दिया, वह अत्यन्त गंभीर है और

मेरे जीवन से जुड़ा है। दिनांक 19-2-2000 के सुबह 8 बजे की घटना है, एक सफाई कर्मी महिला श्रीमती प्रेमा देवी और उसके बच्चे 5 वर्षीय रजत की हत्या कर दी गई, 4 लोगों ने हत्यायें की और कितनी विडम्बना है कि हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। वहां नगरपालिका, एटा के चेयरमैन गिरीश मिश्रा है, वह भी फंसे हुये हैं और उनके खिलाफ नामजद एफ0आई0आर0 है, इसीलिये इस केस को बरबाद करने के लिये और मुलजिमान को निकालने के लिये 4 एफ0आई0आर0 हुई हैं। पहली एफ0आई0आर0 मुद्दई की तरफ से हुई है जो घटना बिल्कुल सच थी, उसके बाद जिस मुलजिम को पकड़ा गया, उस मुलजिमान ने पुलिस के दबाव में आकर हमारे खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ, जिनके परिवार के व्यक्ति मरे थे, उनके खिलाफ रिपोर्ट कराई ताकि सही केस का खत्म कर दिया जाय। इसी में एक एफ0आई0आर0 और हुई, जो मृतक का पति था, उसके खिलाफ हुई लूट, डकैती, पता नहीं कौन-कौन सी धारा लगाकर की गई। मान्यवर, सुबह 8 बजे की यह घटना है, साढ़े 8 बजे मुझे जानकारी मिली, मैं मौके पर पहुँचा, मैंने जी0टी0 रोड पर खुद अपनी आंखों से देखा, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और गोलियाँ चला रही है, इससे पूरा वाल्मीकि समाज भय भीत था, बुरी तरह आतंकित था और इधर-उधर भाग रहा था। बाद में वह लोग धीरे-धीरे इकट्ठा हुए जब वह लोग डेड बाडी को ले जा रहे थे तो पुलिस ने गाड़ी में डाल लिया ताकि गायब कर सकें। इस काण्ड के मुलजिमान अभी तक खुले घुम रहे हैं। इस घटना के पीछे मान्यवर मैं एक बात बता दूं और चूंकि इसमें मैंने मदद की इसलिए वहाँ के पुलिस कप्तान मेरे पीछे पड़े हुए हैं। 17-3-2000 को एटा एस0एस0पी0 के द्वारा धमकी दी गयी कि आप बाल्मीकियों की मदद कर रहे हैं, आपकी हत्या कर दी जायेगी और आप विधान सभा तक नहीं पहुँच पायेंगे। 17-3-2000 को मैंने इसकी सूचना महामहिम राज्यपाल को, मा0 मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा को दी। लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। एस0एस0पी0 एटा के कारनामे ऐसे हैं, वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बात को मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि इसकी जॉच जो यहाँ के आगरा रेन्ज के डी0आई0जी0 हैं, उन्होंने कही है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, डी0आई0जी0 की रिपोर्ट सीएओ-सीए 3-2000/909 यह 24 फरवरी , 2000 की है। स्वयं डी0आई0जी0 ने इसमें लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उस दिन ऐसा प्रतीत होता था कि यदि सम्पूर्ण जनपद में चुनाव एक साथ होते तो यह अधिकारीगण चुनाव नहीं करा सकते थे। ऐसी स्थिति थी।

एक आई0पी0एस0 अधिकारी कहीं भी रहे, एटा में रहे या कहीं भी रहे जहां रहेगा ऐसा ही करेगा। नवम्बर-2 मान्यवर, उन्होंने लिखा है कि बाल्मीकियों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ, वरिष्ट पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी स्वयं देरी से घटना स्थल पर पहुँचे और इस महत्वपूर्ण घटना की सूचना कई घण्टे के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को दी। मान्यवर, यह स्वयं डी0आई0 जी0 ने कहा है उन्होंने यह भी लिखा है कि सभी अपने-अपने बचाव में लगे हुए हैं ऐसी स्थिति में एटा की कानून-व्यवस्था घातक सिद्ध हो सकती है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी द्वारा अनर्गल प्रलाप के विरूद्ध भी अवगत कराया। उन्होंने लिखा है इनकी शराब पीने का शोहरत है। यदि वरिष्ठ अधिकारी ऐसा लिख रहे हैं तो निश्चित रूप में उनकी जनमानस में छवि अच्छी नहीं है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि एस0एस0पी0 एटा श्री एस0पी0 मिश्रा के स्थान पर किसी सीधी भर्ती के योग्य सक्षम, इमानदार पुलिस अधिकारी को वहाँ को वहाँ तैनात किया जाए। इसको आई0जी0 ने डिटो किया और आई0जी0 ने लिखा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शीतला प्रसाद मिश्रा एक अनुभवहीन अधिकारी हैं इसलिए वे एटा पुलिस में रहने योग्य नहीं हैं यद्यपि आर0पी0सिंह एक योग्य और अच्छे अधिकारी है लेकिन दोनों में तनाव हो गया है, इसलिए उनको स्थानान्तरित कर दिया जाये। एक अपर पुलिस अधीक्षक जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, उनको हटा दिया गया है लेकिन एक भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी है वह तैनात है। यह अधिकारी हमें दिन-रात परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं मान्यवर, हमारे

साथी रामेश्वर सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, उनकी जिप्सी को बगैर किसी कारण के पकड़ लिया और उनके ड्राईवर तथा उनकी मौसी के लड़के को पकड़ कर बन्द कर दिया और कहा कि आप लोग हमारी शिकायत करते हो इसलिए बन्द कर रहा हूँ। डी0आई0जी0शैलजाकान्त मिश्र ने जो रिपोर्ट दी है जो आई0जी0 ने रिपोर्ट दी है और जो डी0जी0पी0की रिपोर्ट है उसको मंगवा लिया जाये मुख्य मंत्री जी बैठे हुए है मुख्य मंत्री जी कहना है कि वह भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो फिर एक ऐसे अधिकारी जिसके बारे में कई कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जांच की है और उसको दोषी पाया है। उसको उस जिले में क्यों तैनात रखा गया। वहां पर जो वाल्मिकी हत्याकाण्ड हुआ है उसके मुज्जिम पकड़े जायें और बाल्मीकियों के परिवारों को सुरक्षा दी जाय इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, यह जो बाल्मीकि हत्याकाण्ड हुआ है उस संबंध में दबाव डाला जा रहा है कि हत्याकाण्ड का मुकदमा वापस लिया जाये और [xxx] एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गई है। डी0आई0जी0 आगरा रेंज ने जांच की है उनका कहना है कि एस0एस0पी0 को गलत है आई0जी0 की रिपोर्ट है कि एस0एस0पी0 गलत है सभी ने एस0एस0पी0 को गलत बताया है। अखबार में रोज पढ़कर बड़ी खुशी होती है कि तीन सौ और चार सौ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। इस एस0एस0पी0 के खिलाफ सारे अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, कि वह अक्षम है? काम नहीं करता है, रिश्वतखोर है तो अधिकारी को यहां क्यों बैठाये रखा गया है? एडीशनल एस0पी0 जो ईमानदार आदमी था उसका ट्रांसफर हो गया है और जो बेईमान है, शराबी है, जनता को तंग करता है उसको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया है? क्या मुख्य मंत्री जी के ऊपर और सरकार के ऊपर उसके बारे में दबाव में दवाव पड़ रहा है? क्या सरकार उसके बिना नहीं चल सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हर नागरिक संबंधित होता है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वह एस0एस0पी0 के पास जाता है, कि उसको वहां से राहत मिलेगी इस मामले में बाल्मीकी परिवार के दो लोगों के कत्ल हुए है और मुल्जिमान जेल में नहीं गये हैं। इस मामले में दबाव पड़ रहा है कि मुकदमा वापस ले लो। एस0एस0पी0 कहते हैं कि इनको तंग करोगे तो मुकदमा वापस हो जायेगा। मैं सम्मानित मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इतने बेईमान और गलत आदमी को क्यों वहां रखा गया है? मुख्य मंत्री जी इसका कारण बता दें कि क्यों वह एस0एस0पी0 वहां पर बना हुआ है?

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन् यह प्रकरण बहुत ही गंभीर है इस लोकमहत्व के प्रश्न पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित तरीके से भाजपा के नेताओं का मुख्य मंत्री पर दबाव पड़ रहा है या अन्य मंत्रियों पर दबाव पड़ रहा है जिसके कारण वहां के भ्रष्ट और शराबी एस0एस0पी0 को हटाया नहीं जा रहा है। मैने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी इसको उठाया था। और कहा था कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी जो दबाव में आकर काम कर रहा है, शराब पीकर ऊंटपटांग बक रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं केवल आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जो परम्परा रही है और नियमों में प्राविधान है कि जिस व्यक्ति को आपने बारे में सफाई देने का अवसर नहीं मिलेगा और वह सदन का सदस्य भी नहीं है उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है। मेरा आग्रह है कि अगर सदन नियमों के अनुसार नहीं चलेगा तो इसकी गरिमा क्या रह जायेगी? नियमों के अनुसार आरोप नहीं लगा सकते तो इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

नोट- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री धनी राम वर्मा-

यह डी0आई0जी0 और आई0जी की जांच रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट [xx] है। किने जाच बिठाया अगर डी0आई0जी0 और आई0जी0 ने [xx] रिपोर्ट दी है उसमें सत्यता नहीं है तो आप किसी और अधिकारी से जॉच करवा लिये होते। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी टालने के लिए कह रहे हैं कि वह गलत है। कोई अक्षम अधिकारी, गलत काम करने वाले अधिकारी को प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित रूप से वह और गलत काम करेगा। जब मैंने राज्यपाल के अभिभाषण के समय कहा था तो उसका संज्ञान नहीं लिया गया, तब आपने क्यों नहीं पूँछा? अब जो डी0आईजी0, आई0जी0 की जॉच रिपोर्ट है उसके अनुसार काम करना चाहिए। मान्यवर, इससे यह साबित होता है कि यह सरकार अब अधिकारियों को बैठाकर मनमाने तरीके से समाजवादी और दूसरे पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और अपने पार्टी के लोगों को चाहे जितना जघन्य अपराध करे, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। डी0आई0जी0 और आई0जी0 की रिपोर्ट अगर [xx] है तो कह दें कि असत्य है और किसी उच्चाधिकारी से जांच करा लें। मैं उसको मान लूंगा लेकिन इसके लिए तैयार नहीं हैं कि और समय दे दिया जाय। डी0आई0जी0 और आई0जी0 ने यह लिखा है कि शराबी है, उसके रहते शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती, फिर भी नहीं सोच रहे हैं। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर बल देते हुये इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज ही इस संबंध में कोई न कोई निर्णय सरकार की तरफ से आना चाहिए जिससे उस एस0एस0पी0 को वहां से हटाया जाये।

श्री अधिष्टाता-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप कदाचित इस बात से सहमत होंगे, कि किसी के खिलाफ हम अगर कोई बात कहें तो यह सोच परम्परा रही है कि उसको सफाई देने का अवसर इस सदन में नहीं है।

श्री धनीराम वर्मा-

यह जॉच रिपोर्ट है। आप जॉच रिपोर्ट मंगा लें। इससे साफ है कि सरकार जानबूझकर संरक्षण दे रही है।

श्री अधिष्टाता-

जांच रिपोर्ट सत्य है या निराधार है, इस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ नहीं कहा।

श्री बाबू राम यादव-

संसदीय कार्य मंत्री तो यहां हेरा फेरी करने के लिए बैठे हैं।

गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

जांच रिपोर्ट इनके पास कैसे चली गई। और यह जांच रिपोर्ट सही है और प्रमाणित है यह कैसे पता? यह एस0पी0 बढ़िया काम कर रहे हैं। अपराधियों पर अंकुश लगा रहे हैं इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है।

श्री धनीराम वर्मा-

यह अक्षम अधिकारियों से गलत काम करने के लिए कह रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

यह किसी पर पक्ष या विपक्ष में आरोप लगाने की बात नहीं है। जो नियमों में प्राविधान है उसका पालन करने की बात है। श्री बाबू राम यादव जी वरिष्ठ सदस्य हैं उनको अनर्गल टिप्पणी करने की आदत हो गई है अगर वह आदत सुधार लें तो अच्छी बात होगी। कभी यह भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते कभी हेरा फेरी का आरोप लगा देते आप अपनी भाषा को संयत रखें तो अच्छा [illegible] आपको आरोप लगाने का कोई

नोट- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लाइसेंस नहीं मिला। मैं आपका सम्मान करता हूँ अभी संसदीय परम्पराओं के अनुरूप बोले।

श्री धनीराम वर्मा-

यह आश्वासन आप दिला दें कि डी0जी0पी0 द्वारा जो द्वारा जो जॉच की गई है वह जॉच रिपोर्ट सदन के पटल पर आ जानी चाहिए। उसी आधार पर कार्यवाही हो जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मैं केवल नियम-56 के अन्तर्गत जो बातें कही गई हैं उसी तक अपने सीमित रखना चाहता हूँ। आपसे इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं और न कोई टीका-टिप्पणी करने पर विश्वास करता हूं। जिस घटना का जिक्र यहां हुआ उसमें तीन नुकदमें कायम हुए हैं और विवेचना भी चल रही है। कुछ शिकायतें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बारे में भी की गई हैं। मान्यवर, जिस घटना को ये नियम- 56 में लाये हैं उसमें नियम -56 में तो संशोधन कर दिया जाय। आप नियम-58 का उपनियम-3 देख लें "प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्वद्धरहेगा" घटना मान्यवर 19 फरवरी की है और 23 मार्च से सदन चल रहा है। यदि ये इतने ही गंभीर थे तो मार्च या अप्रैल में इससे पहले इसका जिक्र करते। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे नियम-56 के अन्तर्गत न माना जाय। डी0आई0जी0 पी0ए0सी0 द्वारा जो शिकायत आई थी उसकी जांच के आदेश दे दिये गये है, अभी रिपोर्ट नहीं आयी है। इस रिपोर्ट के परीक्षोपरान्त ही कार्यवाही संभव हो सकेगी।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि [x x x] मैं उनका सम्मान करता हूँ। [x x x]

श्री हुकुम सिंह-

मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। [x x x]

श्री अधिष्ठाता-

इस बात को न उठाया जाय तो अच्छा होगा। आपने उनके लिये कह दिया उन्होंने आपके लिये कह दिया अब समाप्त करें। मैं परीक्षण करा लूँगा जो आपत्तिजनक होगा कार्यवाही से निकलवा दूँगा। मैं श्री पाल, बाबूराम एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात इस सूचना को नियम-56 में अग्राह्य करता हूँ।

श्री धनीराम वर्मा-

पहले निश्चित तो हो जाय कि रिपोर्ट कब तक जायेगी। समय सीमा निधारित करने का निर्देश दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना को निस्तारित कर दिया है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी पर दबाव तो नहीं डाल सकता आपकी बात भी पूरी सुन ली गई है और सूचना निस्तारित भी कर दी गई है।

(घोर व्यवधान उत्पन्न)

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्यों के, सदन के फ्लोर पर आने तथा एक साथ नारे लगाने से घोर (व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता विरोधी दल से मेरा निवेदन है कि वह अपने सदस्यों को वापस बुलवा लें।

मैं सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिये स्थगित करता हूँ।

(श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी 4 बजकर 10 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर

नोट- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 4 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र के सभापतित्वमें सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

(सदन के फ्लोर पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सदस्यगण माननीय नेता विरोधी दल के प्रयास से अपने स्थान पर वापस चले गए)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता विरोधी दल समय सीमा चाह रहे थे यह शासन की तरफ से आए कि कब तक जॉच होकर आ जायेगी, यह भी चाह रहे थे।

श्री धनीराम वर्मा-

एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि डी0आई0जी0, आई0जी0 और डी0जी0पी0 की टिप्पणी से सारी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आ चुकी है, मैं बहुत ही विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ और श्रीमन्, इसमें अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए 2-3 महीने की देरी हो गई कहां तक देरी होगी, ज्यादा विलम्ब होता है तो नीयत में संदेह आता है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब रिपोर्ट आ गई है तो कल ही इस संबंध में निर्णय होना चाहिए, रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए रिपोर्ट में जो भी हो मानने के लिए तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री जी, जॉच रिपोर्ट कितने समय में आ जायेगी?

श्री हुकुम सिंह-

मैं आज सारी जानकारी कर लूँगा किस स्थिति में जांच है।

श्री धनीराम वर्मा-

ठीक है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है आज जितने भी कार्य स्थगन के प्रस्ताव है स्थगित कर दें। ताकि कार्यसूची की आगे की मद ली जा सके, दो महत्वपूर्ण विभाग के बजट हैं अगर उसमें दो-दो घंटा लगेगा तो इस समय सवा चार बज रहा है तो भी 8-9 बज जायेंगे। दो बिल लगे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि कार्य स्थगन के प्रस्ताव कल के लिए रख दें।

श्री अधिष्ठाता-

एक प्रमोद कुमार जी का है, एक उदयराज जी का है, कुल चार हैं लेकिन कल भी तो कार्य स्थगन के प्रस्ताव आएंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन् जैसा आप भिज्ञ हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति जो है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी या मुख्य मंत्री की आंकड़ो से सिद्ध करने का प्रयास करें कि अमन चैन है लेकिन प्रदेश की राजधानी भी आज सुरक्षित नहीं है, राजधानी सहित पूरे प्रदेश के अन्य जनपदों में भी कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा एक निवेदन है सुझाव आया है कि आज के शेष कार्य स्थगन के प्रस्ताव कल के प्रस्ताव के

लिए स्थगित कर दिए जाएं, लेकिन एक कठिनाई है कल फिर कार्य स्थगन के प्रस्ताव आएंगे तो इसको देखते हुए इतनी समय सीमा रखते हैं कि बिलकुल ग्राह्यता पर 5-5 मिनट में एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात खत्म कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

बी0आर0 वर्मा जी ने जो सुझाव दिया कि आप कल ले लें यह ठीक है कल इनको प्राथमिकता के आधार पर ले लें बाकी को बाद मे ले लें। इतना एजेन्डा बाकी है। 11 बज जायेंगे और खत्म नहीं होगा तो इसको कल ले लें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, यह प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने जो समय सीमा निर्धारित की है हम उसी में बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इसे कल ले लें।

श्री गोपाल कृष्ण-

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी गेहूँ के बारे में।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना वहां है। एक सुझाव यह आया है कि यदि सहमत हो तो इसे कल के लिए जितनी सूचनाएं अवशेष है, स्थगित कर लेते हैं। कल इसे प्राथमिकता के आधार पर सुन लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हमको पांच मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग पांच मिनट में अपने आपको नियंत्रित नहीं कर पायेंगे। अगर एक सूचना पर पांच मिनट म बंधते हैं तो सुन लेते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सुझाव आया है कि कल के लिए स्थगित कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का निर्देश अब मार्शल ला होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह डिप्टी मार्शल ला है।

श्री अधिष्ठाता-

आज की कार्य सूची लम्बी है अत: पांच मिनट एक सूचना पर सीमित रखें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

चार लोगों की सूचना है। अगर एक व्यक्ति पांच मिनट बोलेगा तो 20 मिनट लगेंगे। आप यह करें कि दो-दो मिनट बोल लें। या फिर कोई व्यक्ति इसमें बोल लें।

जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटना घटित हुई है जो अभी भी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पुलिस प्रशासन के लिए तथा इस प्रकार के लिये अनुत्तर है। आज उ0प्र0 की राजधानी के एक युवा उद्यमी जिसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिन-दिहाड़े उसकी हत्या हो गयी। आज तक लखनऊ पुलिस उ0प्र0 की सरकार हत्या रोकने पकड़ने में विफल साबित हो रही है। आज तक राजेश अग्रवाल के हत्यारों की शिनाख्त नहीं हुई। इसी तरह से लखनऊ में ही केसरबाग थाने के निकट घर में पर्यटन विभाग के अधिकारी शशांक बहादुर की पत्नी की निर्मम हत्या हो गयी वह भी अभी तक अनुत्तर है। विडम्बना यह है कि लखनऊ में जो भी हत्या हुई हैं पुलिस उसका पर्दाफाश नहीं कर पायी है जिससे हत्यारों का हौसला बुलन्द है। सरकार यह कह रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो गयी है।

आपके, नाका क्षेत्र में स्टेट बैंक से ढाई लाख रू0 लूट लिये गये, आलमबाग में युवती के साथ दुराचार हुआ फिर लाश सड़कों पर फेंक दी गयी। कैसरबाग में पं0 मोटर्स का डेढ़ लाख रु0 लूट लिया गया। लखनऊ की कानून व्यवस्था की बाबत मुख्य मंत्री जी आपने कोई मानिटरिंग की किसी को जबाबदेह बनाया। आये दिन जिस तरह से निर्दोष बेगुनाह लोगों की हत्या हो रही हैं वह चिन्ता का विषय है आप अपनी सरकार का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जिस तरह से कल्याण सिंह जी आये और चले गये इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते थे, आप इसको उद्योग प्रदेश बनाना चाहते हैं आप उद्योग प्रदेश न बनायें लोगों का जीवन तो पहले सुरक्षित कराइये अगर आप सरकार में बैठे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि राजा राज्य नहीं करता उसका इकबाल राज्य करता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, लोग गोलियों से भुने जायेंगे और हत्यारों को डर न हो कि हत्या करके पकड़े जायेंगे, हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही होगी, तो क्या होगा? आज पुलिस के लोग, लोगों की स्कूटर रोक लेते हैं, अवैध वसूली करते हैं।

बिहार के कुछ लोग मान्यवर, श्री प्रकाश की तर्ज पर चल रहे हैं, गोरखपुर में रिंकू राय की घटना हुई, वहां भट्टे वालों पर गोलियां चलायी गयी। खून का खेल शुरू हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

एस0टी0एफ0 यहां बैठा हुआ है आज पूर्वांचल जल रहा है मुख्य मंत्री जी अपने मुखार बिन्दु से कानून व्यवस्था पर मान्यवर, वक्तव्य देना चाहें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, आज 16 करोड़ लोगों के जीवन की हिफाजत से जुड़ा हुआ सवाल है मैं उन सारी घटनाओं का जिक्र दुबारा नहीं करना चाहता हूँ जिसका जिक्र मा0 पाल साहब ने किया है। लखनऊ में राजेश अग्रवाल की हत्या हो गयी पर्यटन विभाग के अधिकारी शंशाक बहादुर तथा उनकी पत्नी की निर्मम हत्या हुई। मान्यवर, जो प्रदेश की बिगड़ी हुई है कानून व्यवस्था की स्थिति है मैं उसके संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा।

श्रीमन्, पिछले वर्ष की तुलना में माननीय मुख्य मंत्री जी शासनारूढ़ होने के बाद प्रदेश में इतनी अपराधों में वृद्धि हुई श्रीमन् प्रदेश में हत्या में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लूट में 30.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दहेज हत्या में 13.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और चोरी में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है श्रद्धेय वर्तमान मुख्य मंत्री जी के हुकूमत में इनको जो उपलब्धि हासिल हुई है वह यह है इनके शासनकाल में जनजीवन

असुरक्षित हो गया है। प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश के नागरिकों की हिफाजत करे लेकिन आज वह अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में पूर्णत: विफल साबित हो रही है. वाराणसी में पिछले 17 अप्रैल को सम्प्रदायिक हिंसा हुई आप स्वयं इस बात से अवगत हैं कि 18 अप्रैल के बाद से वहां काफी दिन तक कर्फ्यू लगा हुआ था। मथुरा में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में 3-3 घटनाएं हुई। पहली 6 अप्रैल 2000 को, दूसरी 10 अप्रैल 2000 को जिसमें सेंट डामिनिक हाईस्कूल के प्रधानाचार्य को मारा पीटा गया तीसरी घटना अप्रैल 2000 को हुई जिसमें टेरेसा हाई स्कूल में बदमाशों के द्वारा पादरी को मारा पीटा गया।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये घटना में बहुत निन्दनीय है। आगरा में बजरंगदल के कार्यकर्ताओं द्वारा इसाई धर्म प्रचारक की निर्मम पिटाई की गयी बजरंगदल के लोगों का कहना था कि इसाई धर्म के प्रचारक थाना जगदीशपुरा के नगला अजीज क्षेत्र में कंकड़ा जाति के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिये प्रलोभन दे रहे हैं। उनके धर्मग्रंथ को जलाया गया। आपने उस संविधान की शपथ ली है जिस संविधान ने अकलियत को महफूज रखने की गारन्टी दी है। आज प्रदेश में आपकी सरकार में अकलियत ईसाई असुरक्षित हो गये हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक अनुषंगिक संगठन द्वारा इसाइयों के साथ जो बर्ताव हो रहा है उससे इनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। इसलिए आप से अनुरोध है कि अविलम्बनीय लोकमहत्व के ज्वलन्त प्रकरण पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में हैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ यह बयान दे देने से कि 23 जिले संवेदनशील हैं उत्तर प्रदेश में, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आप यह साबित कर दें कि आई0एस0आई0 की गतिविधियां कहाँ चल रही है? आपको एक बयान यह भी देना चाहिए था कि लखनऊ शहर भी संवेदनशील है। यहाँ हमारा राज नहीं चल पा रहा है। यहाँ दिन में, रात में हत्या हो जाती है एक तो था राजनीतिक आदमी उसकी हत्या हो जाती है अग्रवाल की, और मान्यवर, श्रीवास्तव की हत्या हो जाती है, बैंक डकैती हो जाती है और आपका इकबाल बुलन्द है, कैसे बुलन्द है, कौन तरीका है?

मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार से अच्छा है। इस सम्बन्ध में मैं अपराधों के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो हत्यायें हुई हैं उनकी संख्या 8303 है जबकि बिहार में 5313 हुई हैं। मध्य प्रदेश में जो हत्यायें हुई हैं उनकी संख्या 3260 है। मान्यवर, आप देखें तो जो यहाँ उत्तर प्रदेश में 8303 हत्यायें हुई हैं उसमें अभी तक 50-60 प्रतिशत ऐसी हत्यायें हैं जिनके बारे में कोई खबर और अपराधियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई हैं। मुख्य मंत्री जी आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ की अकलियत सुखी रहे और आवाम परेशान न हो। आप देखें बनारस में कर्फ्यू लगाया गया और प्रदेश में क्रिश्चियन लोगों की हत्यायें की जा रही हैं जिसके सम्बन्ध में आपका वक्तव्य अभी तक नहीं आया है जिसे आपको यहां सदन में वक्तव्य देकर स्थिति को बताना चाहिए। मान्यवर, कानून व्यवस्था यदि ठीक रहेगी तो सभी चीजें ठीक रहेंगी उससे उद्योग यहां लगेंगे और उत्तर प्रदेश उद्योग शून्य प्रदेश नहीं रहेगा।

मान्यवर, हिन्दुस्तान मैगजीन में निकला है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो उद्यमी आने वाले थे वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो फैक्टरी लगाने जा रहे थे वह अब फैक्ट्री वहां नहीं लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया गया है कि अपहरणों की संख्या इतनी अधिक है कि हर सप्ताह के अखबारों में पांच छः करोड़ रूपया अपहरणकर्ता मांग रहे हैं। यह स्थिति वहां की है जहां इण्डस्ट्रियल बेल्ट है, इसलिए इसकी रोकथाम सरकार करे। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सारी कार्यवाही रोक कर इस विषय में चर्चा करायी जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। सारी उपलब्धियाँ नगण्य हो जाती हैं यदि कोई सरकार अपने प्रदेश में अमन-चैन शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था यदि स्थापित नहीं कर पाती है तो उस सरकार को सत्त

में बने रहने का कोई हक नहीं है। मान्यवर, मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो घटनायें हो रही हैं उसमें राजेश अग्रवाल की हत्या के सम्बन्ध में शक की सुई राजनेताओं की ओर भी मुड़ रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आपको हिरासत में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं उनका जब तक आप इलाज नहीं करेंगे तब तक प्रदेश में अमन-चैन कायम नहीं होने वाला है। मान्यवर, आज यहां अपराधियों के हौसले बुलन्द है और हौसले बुलन्द क्यों न हों चूंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्य मंत्री जी आपका भी यह निर्वाचन क्षेत्र रहा है। तो इससे अधिक सुरक्षित क्षेत्र कौन होगा?

मान्यवर, अपराधी जिस निर्भीकता से कैसरबाग में कोतवाली के पास हत्या करके चले जाते हैं उससे लगता है अपराधियों में बड़ी निर्भीकता आ गयी और वे निडर होकर घूम रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि आप चाहे जितना प्रयास करें जब तक आपकी पूरी व्यवस्था में अपराधियों को संरक्षण देने वाले राज नेता बैठे रहेंगे चूंकि शासन सत्ता की बागडोर उनके हाथों में है तो अपराध नहीं रूकेंगे। अपराध तभी रूकेंगे जब अपराधियों का संरक्षण देने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, यह सरकार कानून-व्यवस्था, मंहगाई आदि सभी मोर्चों पर असफल है और इसीलिए साम्प्रदायिकता का अब नंगा नाच करने पर उतारू हैं। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है जिसमें लिखा है कि दलित वर्ग का एक आदमी रिपोर्ट लिखाने गया और रिपोर्ट लिखाकर जब वह थाने से बाहर निकला तो उसका अपहरण कर लिया गया। आपकी कलम से सी0आई0डी0 जांच के आदेश हो जायेगें और अपराधी निर्द्वन्द घूमेंगे. आप जब तक ऐसा करते रहेगें, अपराधी अपराध करते रहेंगे और सी0आई0डी0 जांच से अपराध रूकने वाला नहीं है। यह अपराध तभी रूक सकते हैं, कानून व्यवस्था तभी कायम हो सकती है, जब आप दृढ़ कदम उठायेंगे। लेकिन जब तक आप साहस से कदम नहीं उठायेगें, जब तक अगल बगल से घिरे रहेगें, जिनका अपराध से सीधा नाता है, जब तक आप उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त नहीं कर सकते हैं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि जिन-जिन का अपराधिक इतिहास है, जिनके अपराधियों से सम्पर्क हैं, जब तक उन पर लगाम नहीं लगायेगें, तब तक उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ हमारा नहीं है, हम सबका उत्तर प्रदेश है। आज 172 से ज्यादा उद्योग दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हटाये जा रहे हैं, लेकिन एक-दो भी नोएडा में क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरठ में क्यों नहीं आ रहे हैं, यह चिन्ता का विषय है, सोचने का विषय है?

इसके लिये कानून व्यवस्था का सही न होना जिम्मेदार है और इसके लिये कहीं न कहीं इस सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं अत्यन्त दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं, विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिये यदि आप दृढ़ कदम उठायेगें, तो हम लोग भी आपका साथ देने को तैयार हैं यदि आप कानून व्यवस्था खराब करने वालों को सिर नहीं चढ़ायेगें। माननीय मुख्य मंत्री जी, सभी के कार्यकाल होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपकी सरकार इसके लिये याद की जायेगी कि इस सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दिया, राजनैतिक संरक्षण दिया, राजनैतिक पद दिया। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विषय की तात्कालिकता भी है और तात्कालिकता यह है कि किसी को भेजकर दिखवा लें, विधान सभा के पास ही बापू भवन है, वहां हजारों लोग सड़क जाम करके बैठे हैं, कल दो लोगों को लखनऊ से एक दरोगा जी ले गये और आज उनकी लाशें लौटकर आई हैं, क्या अभी भी उनकी चीत्कार सुनाई नहीं पड़ रही है। इस प्रदेश का भला तब तक नहीं होगा, जब तक अपराधियों के खिलाफ खुले मन से कदम नहीं उठाये जायेंगे। इस विषय की अवलम्बनीयता भी है, तात्कालिकता भी है इसलिये सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें, सदाशयता का परिचय देते हुये आज न सही, 10-15 दिन बाद करा लें, एक दिन सिर्फ इसी विषय पर चर्चा हो जाय। मैं आशा करता हूं मुख्य मंत्री जी आपकी तरफ से दृढ़ कदम उठाये जायेंगे, धन्यवाद।

श्री राम सिंह सैनी-

अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाय। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों ताबड़तोड़ घटनायें हो रही हैं, चारों तरफ मर्डर हो रहे हैं, लूट, अपहरण हो रहे हैं और यह सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं लखनऊ की घटनाओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी पिछले 2-3 दिनों में जो घटित हुई हैं, पर्यटन विभाग के प्रबन्धक और उनकी पत्नी को घर में कत्ल कर दिया गया, इसी तरह से जो हजरतगंज से उमंग का अपहरण किया गया और 4 दिन बाद उसकी लाश मिली, लोगों द्वारा जाम लगाया गया, इससे बेहद आक्रोश और असंतोष व्याप्त है।

इसी तरह से कृष्णा नगर के केसरी खेड़ा में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और खेतों में उसकी लाश को फेंक दिया गया, इसी तरह से दर्जनों घटनायें लखनऊ में घटित हुई है। मैं अपने रूड़की की बात बताना चाहता हूं, हमारे यहां अफजल फोटोग्राफर था, उस दिन में गोली मार दी गई और कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह संजय ग्रोवर 21 साल का नवयुवक था, मोटरसाइकिल से जा रहा था, जेल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह एक अन्य लड़का था, उसका अपहरण किया गया, उसका आज तक कहीं कोई पता नहीं है। इस तरह से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां रूड़की में बैंक डकैती हुई, निरंजनपुर में बैंक डकैती हुई और आज तक पैसों की कोई रिकबरी नहीं हुई। पूरे प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और अपहरण तो एक उद्योग बन गया है, कानून व्यवस्था एकदम लुंज-पुंज हो गई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह विषय अवलम्बनीय है, लोक महत्व का है, इसलिये सदन की कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करके एक ऐसा वातावरण बनाने का यहां प्रयास किया गया जैसे अभी दो दिन-चार दिन के अन्दर या हफ्ते भर के अन्दर बड़ा भयावह वातावरण इस प्रदेश का हो गया हो। किसी ने नोयडा का जिक्र किया कि उद्योग नहीं लग रहे हैं। अगर आपने भी देखा हो, आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश शासन की प्रशंसा केवल यहां नहीं हो पा रही है अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी उपलब्धियों का बखान हो रहा है और आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसमें यह कहा जा रहा है और यह कह कर विश्व बैंक ने ऋण दिया है कि उत्तर प्रदेश का शासन बहुत तरीके से चल रहा है। हमने शान्ति व्यवस्था को कायम किया है, हमने उद्योगों को विकसित किया है और जो हमारे वायदे थे उनको पूरा किया है।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल साहब, मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिए। कृपया शान्त रहें। शासन का उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

अगर अनुमति हो तो कुछ कहें। आपने जिक्र किया तो मैंने कहा इस शासनकाल में वातावरण ऐसा रहा है हमने कानून-व्यवस्था को सुधारा है। एक घटना का जिक्र आपने किया कि पर्यटन विभाग के किसी अधिकारी की हत्या हो गयी। यह भी जानकारी होगी, घर में झगड़े हों, सम्पत्ति के झगड़े हों, चाचा और भतीजे में झगड़े हों, परिवार के झगड़े हों, यह झगड़े कभी समाप्त नहीं होंगे इसको लेकर सारे प्रदेश की कानून-

व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी कर देना कहां तक उचित है? मान्यवर, कार्यवाही हो रही है और जिस घटना के बारे में माननीय प्रमोद जी ने जिक्र किया था कि नेताओं का नाम आ रहे हैं। मान्यवर, यह हमारी जांच की विवेचना की निष्पक्षता का प्रमाण है चाहे नेता हों या अभिनेता हों, उसका नाम आकर रहेगा और कार्यवाही भी होगी। इस सरकार ने विवेचना अधिकारियों को, विवेचना एजेंसीज को पूर्ण छूट दी हुई है कि निडरता के साथ विवेचना करें, आप हों या कोई भी हो जो लिप्त होगा, कार्यवाही की जायेगी। एक वातावरण बनना शुरू हो गया है क्योंकि आज की बात तो है नहीं। 8-10 साल तो आप लोगों को भी लगा, आपका भी शासना रहा। महामहिम राज्यपाल भण्डारी जी का शासन आप का ही शासन रहा है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, ऐसा कोई मंत्रिमण्डल नहीं रहा है जिसमें हुकुम सिंह जी मंत्रि मण्डल में नहीं रहे हों। ऐसा वातावरण बनाया कि कल्याण सिंह जी चले गये, अब सीधे-सीधे मुख्य मंत्री के पीछे क्यों पड़े है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं तीन साल की बात कर रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात कर रहा था क्योंकि यह सहयोगी दलों की सत्ता है। यह सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान्यवर, इसमें अतिरंजित करके और प्रस्तुत करके इस तरह नियम-56 का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए।

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि हर दशा में प्रगति हुई है वाराणसी की घटना का माननीय कौकब साहब ने जिक्र किया था।

श्री जगदम्बिका पाल-

लखनऊ में एक महीने में कितने लोगों के मर्डर हुए हैं उसमें से किसी एक का राज खुला है आप बता दें?

श्री हुकुम सिंह-

जितनी हत्यायें हुई हैं चाहे वह एक महीने, दो महीने, तीन महीने में हुई हों निश्चित रूप से एक-एक घटना की विवेचना होगी और की गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मुख्य मंत्री जी आप एक पूर्णकालिक गृह मंत्री नियुक्त करते इससे कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। मुख्य मंत्री जी आपके पास बहुत योग्य माननीय सदस्य हैं, माननीय गोरखनाथ पाण्डेय, माननीय केशो मेहरा इनमें से किसी को आप बना दें?

श्री हुकुम सिंह-

माननीय जगदम्बिका पाल जी मैं तो आपकी योग्यता से बहुत प्रभावित हूं भले ही आपने कुछ घन्टों के लिए सत्ता संभाली हो लेकिन सत्ता संभाली तो सही। आपको अवसर मिला आपने दो-चार घण्टे में कुछ करके दिखा दिया। मैं तो आपसे वैसे ही प्रभावित हूं, आप बीच में हस्तक्षेप न करें।

कौकब हमीद साहब ने अल्पसंख्यकों की बात की है। लखनऊ में इतने वर्षो से अजादारी से जुलूस, मोहर्रम के जुलूस नहीं निकले थे, यह भाजपा की पहली सरकार है जिसने इसको संभव करके दिखा दिया। लगभग हर पार्टी की सरकार रह चुकी है। उनके शासनकाल में महीनों कर्फ्यू लगे हैं। वाराणसी की जो घटना हुई वह कितनी भयावह हो सकती थी लेकिन हमारे चुस्त प्रशासन का नतीजा है और मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व का नतीजा है कि उसके ऊपर नियंत्रण पा लिया गया और खून-खराबा नहीं होने दिया गया और आज वाराणसी कर्फ्यू मुक्त है। आपके समय में चाहे मुरादाबाद हो, मेरठ हो, लखनऊ हो एक महीने-डेढ़ महीने कर्फ्यू लगाकर रखा जाता था आज वही लोग हमसे कानून व्यवस्था के संबंध में जबाबदेही मांगते हैं। जहां तक अल्पसंख्यकों का मामला है है भाजपा की सरकार में किसी प्रकार का धार्मिक स्थलों को लेकर नहीं होने पाया। इसी के लिए

हमने कानून बनाया है। लेकिन कुछ ऐजेंट यहां पर ऐसे है जो आकर शांति व्यवस्था में व्यवधान कर सकते हैं इसलिए यह कानून बनाया। एक सामंजस्यपूर्ण और सही तरीके से एक अच्छा वातावरण बनाना है उसको बनने दें, उसको चलने दें। [x x x]

कुंवर रेवती रमण सिंह-

[x x x]

श्री हुकुम सिंह-

[x x x] जहां तक पाल साहब की बात है। पाल साहब बिना किसी बात पर आधा घण्टा धारा प्रवाह बोल सकते हैं। चार दिन तक महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई और कानून व्यवस्था के संबंध में बजट पर चर्चा हुई उस समय इन सारे बिन्दुओं को विस्तार से उठाया जा सकता था। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है, मेरा आग्रह है कि इसको निरस्त किया जाये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि पाल साहब बिना विषय के आधे घण्टे बोल सकते हैं इससे मैं सहमत नहीं हूं पाल साहब हमेशा विषय पर बोलते हैं [x x x]

मान्यवर, इनकी एक आदत है। एक कहावत है कि कोई राजा हो, रानी तो हम ही रहेंगे। हुकुम सिंह जी की समस्या यह है कि राजा जब बगल में बैठा रहता है तो रानी को सोलहों सिंगार करके बैठना पड़ता है। [x x x] यह तो आपने जो कहा उसका जवाब था।

मुझे दुःख है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जैसे गम्भीर विषय पर भी सरकार गम्भीर नहीं है, सरकार की कोई रूचि नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर पदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने में असफल है। यहां जंगल राज कायम है। मैं आशा करता था कि संसदीय कार्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि अपराधों के विरूद्ध क्या योजना है? बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए क्या योजना बनायी? कैसरबाग थाने के सामने दो व्यक्ति मारे गये, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया कि चाचा भतीजे का झगड़ा था। यह तो होता रहता है। [x x x]

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। जो बात आप वहां से नहीं कह सकते। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह सरकार पर अपराधियों का नियंत्रण हो गया है। इसलिए सरकार चलाये रखने के लिए इसलिए यह सरकार कानून-व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के माननीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता-

इस सूचना पर श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री जगदम्बिका पाल, एवं श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था को सुधारने के मामले में चिन्तित और गम्भीर नहीं है। साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने मे वह अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में गम्भीर नहीं है। अतः मैं सरकार के इस अगम्भीर रूख के विरोध में अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्ततव अपने दल के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यहां जंगल राज है। मान्यवर, यह सरकार न तो प्रदेश के अन्दर न ही लखनऊ में कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण कर सकी है। हत्याओं पर हत्यायें हो रही हैं। कम्युनल राइट्स हो रहे हैं और सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री उदय राज यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही बिजली संकट की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक किसान अपने गेहूं की कटाई-मड़ाई का काम भी पूरा नहीं कर पाये हैं, छात्रों की परीक्षायें चल रही है लेकिन बिजली का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहां एक तरफ विद्युत वितरण ऊर्जामंत्री द्वारा सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में विद्युत लाइनों के तारों की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। मान्यवर, लगातार ऊर्जा मंत्री के द्वारा सदन में कहा जाता रहा है कि एक सप्ताह के अन्दर जिन लाइनों में तार चोरियां होगी उनको सही कराने का काम किया जायेगा। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के 33 के0 वी0 ए0 सब स्टेशन मौरॉवा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां पर जिस उपकेन्द्र से लगभग 400 गांव को विद्युत सप्लाई होती चली आ रही है। पिछले लगभग एक माह से जो 11 हजार फीडर लाइन मोहनलाल गंज और मौरॉवा के बीच है, चार बार तार कटिंग की घटनाएं हो गई लेकिन कर्मचारियों अधिकारियों की उदासीनता के कारण उन चोरियों पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। इतना ही नहीं लगभग दो दर्जन घटनाएं ऐसी हैं जिनको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 6 माह पूर्व से लेकर अब तक लगभग दो दर्जन घटनाएं ऐसी हैं उनमें लाइन ठीक करने का काम आज तक नहीं किया गया। सरवन जंगल नर्सरी के पहले वासुदेव यादव के भट्टे के पॉचवे खम्भे की बीच 8-9-99 की रात तार कटिंग की चोरी हुई। दूसरी घटना मुसण्डी में 7 वें खम्भे के बीच तीनों तार के चोरी की घटना हुई।

इसी तारीख को एक अन्य घटना घटित हुई लेकिन आज तक विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आज तक कटे हुए तारों को जोड़ने का काम नहीं किया गया। बादपुर के पास आठवें खम्भे के बीच 9-10 अक्टूबर की रात को तार चोरी की घटना हुई मौरावा भट्टे के पास पांचवें खम्भे के पास तार चोरी की घटना हुई। इस तरह से दो दर्जन गांव ऐसे हैं जहां तार कटिंग की घटना हुई लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण आज तक इन लाइनों को सही कराने का काम नहीं किया गया है। इससे ज्यादा लारपरवाही की बात और क्या हो सकती है। आपके कानपुर नगर के जूही थाने की पुलिस लगातार पिछले दो माह से उन्नाव जनपद के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को पुलिस विभाग को यह लिखती जा रही है कि उन्नाव जनपद के चोरी गए लगभग 5 लाख रूपये के तार जूही थाने में जमा है लकिन उन्नाव के विभागीय अधिकारियों ने उन तारों को लेने की जरूरत नहीं समझी। आज विद्युत संकट बड़े पैमाने पर है। यह विषय अत्यंत लोक महत्व का है। आप सदन की आज की कार्यवाही रोकर इस पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

तारों के चोरी की उन्नाव जिले में कुछ घटनाएं प्रकाश में आयीं थी। इस सम्बन्ध में कदम उठाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां तार चोरी की घटनाएं हुई हैं वहां पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर श्री उदय राज यादव और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे नियम 56 में अग्राह्य करता हूं।

छठी सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री श्रीराम पाल, श्री अवधेश प्रसाद की प्रदेश में निरन्तर हो रहे अग्निकाण्डों से करोड़ों रूपये की धनराशि एवं जनहानि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री अवधेश प्रसाद-

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कृपया दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें सातवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा, श्री वी0आर0 वर्मा, श्री राम शंकर पाल एवं श्री राम अचल राजभर की सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 99-2000 में किसानों के बिना सिंचाई किए हुए ही वर्ष 98-99 के आधार पर सिंचाई दर्ज कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। आठवीं सूचना श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना की जनपद पीलीभीत में गेंहूँ की सरकारी खरीद में बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। नवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की है। श्री अशोक बाजपेयी जी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जब आप नवीं सूचना ले रहे हैं तो छठी, सातवीं और आठवीं सूचना देने वालों के साथ भेद-भाव क्यों? हमारी सातवीं सूचना है यह किसानों से संबंधित है और महत्वपूर्ण भी।

डा0 अशोक बाजपेयी-

इस सूचना को पूर्व में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वीकार किया जा चुका था।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी ने हमारी सूचना के लिये भी कहा था तो हमको भी बोलने दीजिये। पूंछ लीजिए आप।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जी ने इस सूचना को समायोजित करने का निदेश दिया था। आप बैठ जॉय।

श्री लाल जी वर्मा-

हमारी सूचना पूरे प्रदेश के किसानों से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इसके लिये श्री माननीय अध्यक्ष ने कहा था। प्रदेश के किसानों ने क्या अपराध किया है जो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।

(श्री अवधेश प्रसाद, डा0 अशोक बाजपेयी, श्री लाल जी वर्मा समेत कई सदस्यों के एक साथ बोलनें पर

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं एक जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे एक बात आई थी कि आज की सूचनाएं स्थगित.....

श्री लाल जी वर्मा-

आज मत लीजिये, कल ले लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

जैसे एक सुझाव आप लोगों को आया था जितनी अवशेष बची हैं स्थगित वाली उनको अगले दिन के लिये कर दिया जाय। एक बात और भी आई थी कि इसको प्राथमिकता पर रख लिया जायेगा दूसरे दिन, लेकिन उसी तरह की सूचनाओं को माननीय अध्यक्ष ने आश्वस्त किया था कि इसको समायोजित किया जायेगा....।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मेरी सूचना सातवीं है इसके बारे में क्या निर्णय लिया है।

श्री अधिष्ठाता-

शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। यह जो पॉच सूचनाएं थी सुनने के लिये वह सुन ली गई।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम पाल सिंह-

मान्यवर, फसलें जल गई हैं लेकिन किसानों को आहतुक सहायता नहीं मिल पा रही है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, कल फिर इसी तरीके से विवाद होगा इसलिये आज ही सुन लिया जाय।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, हमारी सूचना पर शासन का ध्यान आप कह रहे हैं कि आकृष्ट करा लिया है। आप पुनः विचार करके इसे कल के लिये स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप कल के लिये अलग से सूचना लगायें।

श्री बी0आर0 वर्मा-

आप आज शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं तो जब हम कल देंगे तो वह इसी आधार पर निरस्त हो जायेगी कि शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

अशोक बाजपेयी जी की लेवी चावल मूल्य की 150 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना है, इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश में होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्तों आदि की स्थिति सन्तोषजनक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इस भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, होमगार्ड्स के साथ हमदर्दी है यह बरसात जाड़ा, गर्मी में सब जगह ड्यूटी करते हैं इनके भत्ते बढ़ाये जाने चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

डा0 वकार अहमद शाह और श्री विनोदमणि की प्रदेश के सहायता एवं मान्यता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापकों द्वारा कतिपय मांगों को लेकर विधान भवन के समक्ष किये जा रहे धरने एवं प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना थी इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सभी माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें अपनी व्यवस्था देने से पहले....

राज्य सभा एवं विधान परिषद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन चर्चा आगे के लिये स्थगित

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय।"

*श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय।"

नियम 103 के अन्तर्गत सूचनाएं

(श्री विनोदमणि के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

अगर माननीय सदस्य सहमत नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है और आगे की मद ले ली है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री डा0 अशोक बाजपेयी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैंने भाषण भी शुरू कर दिया था। आज प्रदेश में जो राइस मिले हैं उन्होंने जो चेक जारी किये हैं वह वापस हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री बाजपेयी जी आप परिस्थिति देख रहे हैं। समायोजन करने का प्रयास किया जा रहा था परन्तु माननीय सदस्य इससे सहमत नहीं हैं इसलिए आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कर लें।

विनोदमणि जी आप बैठें मैं अगली मद पुकार चुका हूँ कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय लाल जी वर्मा ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है लेकिन आप इनको बैठालें तब तो बोलूँ।

श्री विनोद मणि-

नियम-56 की सूचना शलाका के आधार पर ली जाती हैं आप जो निर्णय करते हैं वह मान्य है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपने नियम 56 की सूचना पर दो-दो मिनट बोलने के निर्देश दिए।

श्री अधिष्ठाता-

मेरी बात सुन लें पांच चयनित थीं उन पर सुनना था इसके अलावा आपकी और डाक्टर साहब की सूचना पर सुनना था जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव को रखने के पीछे कारण बताना चाहता हूं अभी पिछले दिनों राज्य सभा के चुनाव हुए उस राज्य सभा के चुनाव में तमाम अखबार में इस सदन के माननीय सदस्यों की गरिमा गिराने का काम किया गया। मैं सहारा टी0वी0 देख रहा था, मुझे पीड़ा हुई। सहारा टी0वी0 में प्रोग्राम आ रहा था, उसमें प्रोग्राम में दुआ बोल रहे थे फिर कहा अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश जहां विधायकों की कीमत 10-10 लाख रूपये लग गई है। इसी तरह के जब चुनाव परिणाम निकला तो विभिन्न अखबारों में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खबर प्रकाशित हुई उसको मैं बताना चाहूंगा। 31 मार्च 2000 के राष्ट्रीय सहारा में निकलता है "पैसे की जीत"...।

श्री अधिष्ठाता-

यह चर्चा जारी रहेगी। अब अगली मद ले रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम राज्य मंत्री श्री (धर्मपाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण0 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि रूपये 71,70,65,000/- (इकहत्तर करोड़ सत्तर लाख पैसठ हजार मात्र) की स्वीकृति की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रूपये 90,28,31,000/- (नब्बे करोड़ अट्ठाइस लाख इकतीस हजार मात्र) से अनाधिक धनराशि स्वीकृति की जाये।

मान्यवर, "श्रमेव जयते" श्रम ही जीवन है, श्रम महत्वपूर्ण विभाग है मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बना जाता है। मानव जागृति क्षेत्र में अथवा जीवन में कितना ही क्यों न श्रम करें अंत में उसे प्राप्त करने के बाद श्रम ही प्राप्त होता है। द्रव्य प्राप्त करके, सोना प्राप्त करके श्रम ही मिलता है। उसको श्रम ही मिलता है। श्रीमन् बिना श्रम सब बेकार है। मान्यवर, देश और प्रदेश में दो वर्ग हैं। एक व्यापारी वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। व्यापारिक वर्ग और श्रमिक वर्ग में तालमेल है। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मान लीजिये किसी व्यक्ति के पास पूंजी है और श्रम नहीं है तो वह उद्योग में सफल नहीं हो सकता है इसलिए मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रम विभाग की सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जो श्रमिकों के संरक्षण और परिवर्धन के लिए जो कार्य किये हैं उसके सम्बन्ध में चाहे वह संगठित क्षेत्र के हो या फिर असंगठित क्षेत्र के हों इसमें मजदूरी का पूरा ध्यान रखा गया है। यह श्रम विभाग की प्राथमिकता है। देश में, मात्र उत्तर प्रदेश में ही असंगठित क्षेत्र में कृषि मजदूरी को ध्यान में रखते हुए कृषि मजदूरी बढ़ायी है। अभी तक इसके पहले पश्चिम क्षेत्र में 42/- रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलता था खेतिहर मजदूर को, पूर्वी क्षेत्र में 47/- रूपया मिलता था हमने इसे बढ़ाकर 58/- रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया है।

इससे 78 लाख खेतिहर मजदूर लाभाविन्त होगा और इससे थोड़ा आगे बढ़कर जो बीड़ी मजदूर है, जिसकी बात नहीं सुनी जाती है, जो असंगठित है पहले एक मजदूर हजार बीड़ी बनाता था और उसको 30.50 पैसा मिलता था लेकिन अब हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 40/-रूपया कर दिया है। ठीक इसी तरह से होटल मजदूरी में ए0बी0सी0 कैटेगिरी की है और उसी कैटेगिरी के अनुसार ए0 श्रेणी को 1850/- रूपया प्रति माह, बी श्रेणी को 1750/-रूपया प्रति माह और सी श्रेणी को 1500/-रूपया प्रति माह किया है। दुकान वाणिज्यक अधिनियम इत्यादि में उत्तर प्रदेश ने अभियान चलाकर 10 मार्च से 25 मार्च तक दुकानों का पंजी करण और नवीनीकरण करके इससे एक करोड़ 37 लाख राजस्व प्राप्त किया है और पूरा मिलाकर 6.25 लाख प्रतिष्ठानों को लाभ हुआ है। इससे 4.66 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। श्रीमन् प्रदेश में बाल श्रम की समस्या बहुत अहम समस्या है और बाल श्रम वास्तव में ऐसी समस्या है जो कि विचारणीय है। बाल देश की धरोहर है इनसे श्रम न कराया जाय। हमने 1839 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया है और उनको चिन्हित करने के बाद हमने

नोट:- मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार मा. श्रम राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह) द्वारा श्रम विभाग की अनुदानों की धनराशि को संशोधित रुप में (शुद्ध रुप में) ------ पर पुन: प्रस्तुत किया गया।

उनके परिवारों के लिए पुर्नवासन योजना बनायी है और इस योजना में 18469 चिंन्हित बाल श्रम के परिवारों को रोजगार के अवसर दिलाये है। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। 23 जिलों में 1.15 करोड़ रूपया हर जिले के लिए भेजा है और पूरे प्रदेश में एक फरवरी से सात फरवरी तक जन जागरण अभियान चलाया गया था। मान्यवर, बच्चों से श्रम न कराया जाय इसके लिए मानसिक रूप से पूरे समाज को तैयार किया गया था।

हमने यह भी प्रचार प्रसार किया था कि मान लीजिए चाय की दुकान है, होटल है यदि कोई बालक काम करता है तो वहां चाय न पियें कोई होटल में मजदूरी का काम करता है तो वहां बहिष्कार करें हमने समाज से भी यही अपेक्षा की थी और प्रचार प्रसार भी किया। यह इसी तरीके से जन जागरण अभियान चलाकर कार्य किया है प्रदेश स्तर पर एक बड़ी गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें महामहिम राज्यपाल ने भाग लेकर बाल श्रम कैसे समाप्त हो इसकी बाबत सम्बोधित किया। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों को, मजदूरों को न्यूनतम वेतन मजदूरी मिले। मान्यवर, हमने 15 मई से 31 मई तक एक अभियान चलाने की योजना बनायी है। श्रमिकों, मजदूरों को जो श्रम का काम करते हैं उनको न्यूनतम वेतन मजदूरी मिले यह हमारा प्रयास है।

माननीय, मुख्यमंत्री जी ने उद्योग प्रदेश बनाने की बात कही है उद्योगों के रिश्तों में सुधार हो, उसके तहत श्रम विभाग ने औद्योगिक रिश्ते ठीक ठाक बने इसके लिए पूरी कोशिश की है, जिसके चलते रिश्तों में सुधार आया है पिछले वर्ष 1998 में 9795 लाख मानव दिवसों की हानि हुई थी, इस बार घटकर 8723 लाख मानव दिवसों की हानि हुई। इसी प्रकार पिछले वर्ष 62.53 करोड़ उत्पादन की हानि हुई थी 99-2000 में यह घट0कर 48.29 करोड़ रू0 के उत्पादन की हानि हुई। औद्योगिक रिश्तों के संबंध में यह और बताना चाहता हूं कि उ0प्र0 में कोई भी उद्योग श्रमिकों की समस्या से बंद नहीं है जो भी बंद हैं उद्योगपतियों के आपसी झगड़े के कारण कुप्रबन्धन के कारण कार्यशील पूंजी के अभाव में बंद है।

मान्यवर, उ0प्र0 में 130 सेवायोजन कार्यालय हैं इन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगार जो नवयुवक हैं उनको रोजगार देते हैं। मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश में तकनीकी दिशा का बढ़ावा हो, राजकीय प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आई0टी0आई0 जिन्हे कहते हैं 245 आई0टी0आई0 संचालित हैं इसमें 46 विभिन्न ट्रेड हैं जिसमें 45,536 प्रशिक्षार्थियों के लिये सीटे हैं, वर्तमान में 144 आई0टी0आई0 भवन विहीन हैं, 5 आई0टी0आई0 बनाने के लिये प्रस्ताव गया है 250 लाख मिल गया है। आगे धन की व्यवस्था हो जायेगी तो वह भी भवन हम बना देंगे। मान्यवर, प्रदेश में पहली बार हमने मिनी आई0टी0आई0 की योजना बनायी हे जो सुदूर अंचलों में इंटर कालेज हैं 25 लाख की यदि व्यवस्था हो तो ऐसे में करीब 10 मिनी आई0टी0आई0 खोलने का प्रस्ताव है और कुछ में खुल भी चुके हैं।

मान्यवर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो बीमा अस्पताल हैं इनमें बीमांकित व्यक्तियों का उचित उपचार हो इन अस्पतालों में कुछ फर्जीफिकेशन हुआ था इसलिये अब बीमांकित व्यक्ति का फोटो लगाने की व्यवस्था की गयी है उसके लगने पर ही उनका परिवार या किसी को लाभ दिया जायेगा।

श्री राम औतार शाक्य-यह फर्जी-फिकेशन का क्या मतलब है यह समझ में नहीं आया।

श्री धर्मपाल सिंह-

आप नोट कर लीजिए फिर बोलियेगा।

श्री अम्बरीय कुमार-

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। ये सीधे सदस्य को न कहें,यह बताना उनका काम नहीं है उनका क्या कर्तव्य है वह भलीभांति जानते हैं। मंत्री जी आपको संबोधित करके, पीठ को संबोधित करके कोई बात कहें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, अभी अस्पतालों में प्रशिक्षित डाक्टरों का अभाव है इसलिये राज्य कर्मचारी बीमा अस्पतालो में बीमाकित व्यक्तियों के इलाज के लिए एक ऐसी योजना बनाई है जिस योजना के अन्तर्गत हम उन्हें बाहर के अस्पतालों से लेगे और उन्हें 8,000 रूपया प्रतिमाह देंगे ताकि जो बीमांकित व्यक्ति है उनको पूरा उपचार मिल जाय उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, अगर व्यक्ति स्वस्थ्य होगा, कर्मचारी स्वस्थ्य होगा तो वह उद्योगों में ठीक से काम करेगा।

इस तरह से मान्यवर, मैने संक्षिप्त में श्रम विभाग का बजट आपके समक्ष रखा है। माननीय सदस्यों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और इसके साथ ही मेरा सभी से यह भी अनुरोध है कि श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर अपने सुझाव देकर इस बजट के दोनों मदों को बिल्कुल सर्वसम्मति से पारित करा दें क्योंकि यह गरीबों का बजट है, मजदूरों का बजट है। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार-

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) पर प्रस्ताव करता हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैं शौक से सुन रहा था जमाना, तुम्हीं सो गये दास्तां कहते कहते। बहुत उत्सुकता के साथ हम लोग सुन रहे थे तो यह श्रम विभाग का बजट और माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने भाषण के शुरू में कहा कि केवल दो वर्ग तो उस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ कि केवल श्रमिक और व्यापारी दो वर्ग इस प्रदेश में हैं लेकिन यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि श्रमिक वर्ग से बड़ा वर्ग इस प्रदेश में देश में क्या विश्व में नहीं है जो संख्या की दृष्टि से या महत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता जिसका आधार खेती हो और वहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में संगठित मजदूर हो, माननीय मंत्री जी का श्रम विभाग का बजट भाषण और प्रस्तुतीकरण जिसमें करोडों लोगों के कल्याण का कार्यक्रम होना चाहिए था वह इतना संक्षिप्त रहा, इतना निराशजनक रहा, उसमें कोई कार्यक्रम उनके कल्याण के लिए नहीं रहा, यह घोर निराशा की बात है और इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि वर्तमान सरकार का श्रमिकों के बारे में दृष्टिकोण क्या है। जब हम श्रम की बात करते हैं तो यह भी देखते हैं श्रम के बिना इस दुनिया का अस्तित्व नहीं है। आदि काल से जब से मानव का प्रादुभार्व हुआ उसके पहले से लें तो यह दुनिया उसी स्थिति में रहती अगर श्रम का प्रार्दुभाव इस पृथ्वी पर न हुआ होता। श्रमिकों ने अपनी मेहनत से इस दुनिया को बदला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार को यह भी कहना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ।

मजदूर ने, श्रमिक ने अपने संघर्ष के बल पर अपने अधिकार को प्राप्त किया है। पिछली बार सदन में मैंने इस बात का उल्लेख किया था और आज भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब श्रम विभाग का कार्यपूर्ति-दिग्दर्शक वर्ष 2000-2001 को पढ़ता हूँ तो हर बार की तरह ज्यों का त्यों छाप दिया जाता है। इसलिए चाहता हूँ जो बजट में कार्यपूर्ति-दिग्दर्शक में जो पिछल साल था जिसमें मजदूरों का अपमान था कम से कम मंत्री जी आपके कार्यकाल में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लापरवाही के कारण इसके प्राक्कथन को पढ़ा नहीं और जो पिछले साल छपा था वही इस साल भी छपा दिया गया है। मान्यवर, पिछले साल मेरे द्वारा आपत्ति करने पर श्रम मंत्री जी द्वारा कहागया था कि आपकी आपत्ति सही है और सरकार इस पर विचार करेगी किन्तु उसके बावजूद भी इस विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक ज्यों का त्यों है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ-प्रदेश के औद्योगीकरण की प्रारम्भिक स्थिति में नियोक्ता का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जन तथा वे श्रमिकों

से अधिक काम लेकर अत्यधिक न्यूनतम मजदूरी देने का प्रयास करते थे। धीरे-धीरे कुछ समाज सुधारकों की प्रेरणा एवं मानवतावाद की भावनाओं से प्रभावित होकर नियोक्ताओं के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन हुआ। लाभ-परक भावनाऐं व्यष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख हुई है, नियोक्ता यह महसूस करने लगे कि श्रमिकों के सामाजिक एवं नैतिक चरित्र के निर्माण के उत्तरदायित्व का कुछ अंश उन पर भी है। इस भावना से प्रभावित होकर श्रमिकों के कल्याण संबंधी कुछ कार्य नियोक्ताओं द्वारा प्रारम्भ किये गये।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि श्रमिक की इससे बड़ी और अवमानना नहीं हो सकती है। शायद मंत्री जी को श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया होगा तो मंत्री जी को ज्ञात होगा कि मजदूर ने संघर्ष से अपने अधिकारों को प्राप्त किया है। शिकागो के मैदान में मजदूरों ने अपने खून को बहाया और खून से झण्डे को लाल किया था जो मजदूर की एकता संघर्ष का प्रतीत है इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्री जी संवेदनशील है इसलिए मजदूरों के प्रति उनकी कुछ भावनायें हैं इसलिए मंत्री जी को श्रम विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहिए कि कार्यपूर्ति-दिग्दर्शक में अवमानना की भाषा क्यों लिखी गयी? आजादी के 50 वर्षों बाद भी हमारी मानसिकता नहीं बदली तो बजट प्रस्तुत करने का कोई अर्थ नहीं है।

मान्यवर, मंत्री जी ने बहुत संक्षेप में बाल श्रमिकों, खतिहर मजदूरों, इण्डस्ट्रियल रिलेसन्स का जिक्र किया और मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य है तथा मजदूरों का कल्याण हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी स्थिति यह है कि हमारे जो मजदूर खेती में काम करते हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है और वह इसलिए है कि उसके पास कुशलता नहीं है, वह कुशल नहीं है जिससे दूसरे उद्योगों में वक एब्जारव नहीं हो सकता है चूंकि खेती के अलावा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मजदूर नियोजित हो सकता है और काम कर सकता है। यह स्थिति हमारे प्रदेश के मजदूर कि है मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ और वह ध्यान से सुनें। आज कृषि के क्षेत्र में लेबर की प्रोडक्टीविटी है वह दूसरे क्षेत्र के मजदूरों से तुलना करें तो 1/3 है। यह आज हमारे कृषि मजदूर की हालत है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ और मंत्री जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, आप संगठित मजदूर की बात करते हैं, जो मजदूर फोर्स है, श्रमिक बल है, उसका मात्र ढाई-ढाई प्रतिशत है और आप औद्योगिक संबंधों की दुहाई देते हैं। आज असंगठित मजदूरी खेती के क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर की स्थिति 1981 के हिसाब से देखे तो जो पुरूषों का प्रतिशत था वह 85.89 प्रतिशत ऐसे लोग थे जो खेती पर निर्भर थे और महिलाओं का प्रतिशत 90.44 था और इसके 10 साल बाद 1991 में इस स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं आया, वह क्रमश: 83.46 तथा 91.38 रहा। यह यहां की हालत है, इस पर गौर करने की बात है। आपने बताया कि हमने 47 से बढ़ाकर 58 रूपये मजदूरी कर दी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज सुबह हमारे साथी मुन्ना चौहान जी ने एक सवाल उठाया था और यह भी कहा था, औचित्य प्रश्न के माध्यम से, कि आज श्रम विभाग का बजट पेश होना था लेकिन श्रम विभाग से संबंधित घोषणायें इस सदन से बाहर करके आपने सदन की अवमानना की है। संसदीय कार्य मंत्री जी का जबाव था कि कौन सी घोषणायें की हैं। यही वह घोषणा थी, 47 रूपये से 58 रूपये करने की घोषणा, तो आज के अखबारों में छपी। माननीय मंत्री जी आपको यदि मजदूरों की स्थिति का ख्याल है, श्रमिकों का ख्याल है और सदन के सम्मान का ख्याल है तो ऐसी सरकार, ऐसे मंत्रियों से हम श्रमिकों के कल्याण की आशा नहीं कर सकते मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो हालात हैं, इन पर माननीय मंत्री जी आपको विचार करना चाहिये। आपने 47 से 58 मजदूरी कर दी, लेकिन आपके पास मैकेनिज्म क्या है, मशीनरी क्या है जो यह देखे कि 47 के स्थान पर 58 रूपया वेतन मिलता रहे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि कौन सा वह फार्मूला था, जिसके आधार पर आपने 47 से 58 का बेज तय करने का काम किया, उसको भी आप बता दें तो आपका आभारी हूँगा। आज मजदूर की स्थित किसी से छिपी नहीं है और आर्थिक हालात जो प्रदेश सरकार की है, उसकी वजह से खेती के

अलावा सभी गतिविधियां ठप हैं जो मजदूर भवन बनाने का काम करते थे, वह काम रूक गया, सड़कों का काम रूक गया, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई,पैसा नहीं रहा, इन कार्यों में जो मजदूर लगता था, आज वह मजदूर बेकार है। ऐसे मजदूरों के कल्याण की बाबत माननीय मंत्री जी कुछ बतायेंगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है, जहां इन्सानों की मंडी लगती है। आज शहरो के हर चौराहे पर देख लीजिये कि मजदूर रोज सुबह अपने श्रम की दुकान लगाकर खड़ा होता है, कोई आयेगा और उसे ले जायेगा। अपने बच्चों का पेट पालने के लिये, अपने परिवार को पालने के लिये वह रोज अपने श्रम की दुकान लगाता है, और यदि एक दिन उसको काम नहीं मिलता तो उसे फाकों पर गुजारा करना पड़ता है।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा, क्या वह यह भी बताने की कृपा करेगें,ह्यूमन रिसोर्स की बात है, सर्वाधिक उपेक्षा किस चीज की है, मानव संसाधन की है। 70 प्रतिशत मजदूर ऐसे हैं जो इलिटरेट है, निरक्षर हैं, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है। थोड़े ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई प्राइमरी से कम है। जो मजदूरों की बस्तियां हैं, उनमें कितने विद्यालय खुले है। आज अगर आपने अपने भाषण में बताया होता कि हम उनकी बस्तियों में इतने विद्यालय खोलने जा रहे हैं और हम उनको पढ़ाने का काम करेगें तो बधाई का काम होता। आप हाई स्कूल की फीस बढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट की फीस बढ़ा रहे हैं, बी0ए0 की फीस बढ़ा रहे हैं, जो मध्यम वर्ग के लिये भी सहना मुश्किल है। मैं स्वागत करता और बिना किसी विरोध के बजट पास कर दिया होता, यदि आप यह ऐलान करते कि हम उस मजदूर को जिसे 47 से 58 रूपया वेज देने का काम कर रहे हैं, उसके बच्चों से फीस लेने का काम नहीं करेंगे और उसको शिक्षा देने का काम करेगें तो मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करता।

माननीय, अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ, यह केवल एक औपचारिकता है, न इसमें मजदूरों के प्रति कोई भावना है, न कोई संवेदना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह देश के मजदूर का दुर्भाग्य है, यहां पर अध्यापकों का संगठन है, और लोगों के संगठन हैं, अगर संगठन नहीं है तो असंगठित मजदूर का संगठन नहीं है जो रिक्शा चलाकर दिन में 50 रूपया कमाकर पेट पालता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।यदि वह राजनीतिक शक्ति के रुप में संगठित होता तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी,चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे और किसी की साकार हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। यदि वह राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित होता तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार उसके तलवे चाटती और जो मजदूर कहता वह काम किया जाता। यहां तो राजनीतिक आधारों पर निर्णय होता है यहां यथार्थ के आधार पर निर्णय नहीं होता, यहां किसी आवश्यकता के आधार पर निर्णय नहीं होता। यह बात मैं आपके माध्यम से मान्यवर, कहना चाहता हूं। मान्यवर, अभी जो माननीय मंत्री ने चाइल्ड लेबर की बात कही, 6 लाख की, हमारे जो सेन्ट्रल के श्रम मंत्री हैं उन्होंने बताया कि पूरे हिन्दुस्तान में 2 करोड़ बाल श्रमिक हैं। आन्ध्र प्रदेश में 18 लाख और उत्तर प्रदेश में 12 लाख बाल मजदूर हैं।

मान्यवर, यह सरकार 6 लाख को चिन्हित कर पायी है और मैं आपके माध्यम से इस वास्तविकता की ओर भी इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज हम बाल श्रमिक के नाम पर चिन्हित करके जो काम कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसकी बाध्यता है, सरकार को करना होगा लेकिन इस पहलू पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज सारी दुनिया में व्यावसायिक स्पर्धा बढ़ रही है, विश्व व्यापार संगठन बना है। डब्लूयूटीओ जिसमें विकसित देशों का बाहुल्य है और आज उन विकसित देशों की योजना है और योजना यह है कि जो हमारे विकासशील देश हैं, जिनमें भारत भी है, यहां पर श्रम सस्ता है और श्रम सस्ता इसलिए है कि हम उसको अधिक दे नहीं सकते। यह हमारी परिस्थिति है। अब जब व्यापार की प्रतिस्पर्धा

होती है और सस्ता श्रम होता है तो विकसित देशों को गुस्सा आता है. प्रतिस्पर्धा में वह हमारे मुकाबले ठहर नहीं सकते, उनके देशों में आन्दोलन होते हैं और अपने निहित स्वार्थों के चलते वह विकसित देशों पर वे सब मानक थोपने को तैयार हैं चाहे बाल श्रमिक का मानक हो, चाहे दूसरे मानक हों। इन्हीं मानकों का विकसित देशों ने विरोध किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बेहतर होता अगर हमारे श्रम मंत्री जी अपने भाषण में इन तथ्यों का भी उल्लेख करते। मैं यह भी कहना चाहता हूं हमारे सामने चुनौतियां हैं, हमारी केन्द्र की सरकार और उसके मंत्री आज योजनाएं बना रहे हैं प्रोट रेट जोन बनायेंगे, वहां पर पूंजीपतियों को यह अधिकार होगा कि जब भी चाहें किसी का निकाल सके और जब चाहे रखे सकें। हम वहीं पर फिर पहुंच गये हैं जिसके विरूद्ध हम संघर्ष करते रहे हैं। आज फिर मजदूर के सामने वही स्थिति है, वह शोषण का शिकार हो रहा है। यह परिस्थितियां आज हमारे सामने हैं।

मान्यवर, जहां तक हमारे असंगठित क्षेत्र के कृषि मजदूर हैं, जिनका पुरसाहाल नहीं है, हमारे रिक्शा चालक जिनका कोई पुरसाहाल नहीं, जिनके लिए कोई योजना इस सरकार के पास नहीं है, श्रम मंत्री ने कोई योजना नहीं बनायी। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं जो एग्रीकल्चर लेबर है, कृषि श्रमिक हैं, हम उसका बीमा कराने का काम करेंगे। इन्श्योरेन्श कराने का काम करेंगे, वह जो 150 दिन मुश्किल से रोजगार पाता है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उस मजदूर की बेहतरी के लिए मान्यवर क्या काम करने जा रहे हैं, यह भी मंत्री जी ने बताने का काम नहीं किया।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट मजदूरों के हित में नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, चाइल्ड लेबर की वह बात करे रहे थे, अगर मंत्री जी संवेदनशील नहीं है तो मेरी संवेदनशीलता का ख्याल आप रखेंगे और मुझे बोलने के लिये अधिक समय देंगे। बाल रोजगार अधिनियम में 15 वर्ष फैक्टरीज एक्ट में 14 वर्ष आर खाद्यान्न अधिनियम में 12 वर्ष तथा खान अधिनियम में 15 वर्ष, यह बाल श्रमिक की परिभाषा है। जरा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि उनकी बाल श्रमिक परिभाषा क्या है या सुप्रीमकोर्ट ने उसकी परिभाषा क्या दी है। मंत्री जी ने बताया कि 100 विद्यालय बाल श्रमिकों के लिये खोले जा रहे हैं। सुप्रीमकोर्ट के आदेश में बाल श्रमिकों की समस्या को खत्म करने का अर्थ यह नहीं है कि आपने केवल चिन्हित कर दिया। जरा आप रायल होटल के बाहर देखें, चाय की दूकान पर बालक काम करता मिलेगा। तो फिर कहां से बाल श्रमिक का उन्मूलन हो गया। अभी मुझे एक को मित्र के पास जाना पड़ा वहां पर जो चाय आयी उसको एक लड़का लाया था तो कहां आपने बाल श्रमिक चिन्हित कर लिये। 100 विद्यालयों में आप कितने बाल श्रमिक पढ़ायेंगे और कितने परिवारों को पुनर्वासित करेंगे। आपने कहा है कि 1 करोड़ 15 लाख रूपये से 23 जिलों में व्यवस्था की जायगी।

उत्तर प्रदेश में 83 जिले हैं बाकी जो 60 जिले हैं वहां पर जो बाल श्रमिक हैं उनका क्या होगा। आप लोगों का रोजगार छीन लें और उनको रोटी कहीं न मिले यह कैसी व्यवस्था है। आपको यह काम करना चाहिये कि जो बाल श्रमिकों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। बाल श्रमिक को पूरी मजदूरी मिले और जिन कठिन हालातों में वह काम कर रहे हैं उन काम करने की दशाओं को सुधारा जाय। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे छोटी उम्र में बाल श्रमिकों को काम करना न पड़े। आप इसके लिये कोई योजना बनाये लेकिन सरकार के पास इसके लिए कोई योजना नहीं है। मान्यवर, जिस तरह से प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है उसी से बाल श्रमिकों की संख्या भी बढ़ रही है। 1995-2002 में, इन 5 वर्षों में प्रदेश के अंदर 5 करोड़ 20 लाख नये श्रमिक उत्तर प्रदेश में पैदा होंगे तो उनको काम देने पर सरकार क्या विचार कर रही हैं उनके लिये क्या योजना बना रही है इसका मंत्री जी ने कोई जिक्र नही किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में इतने अधिक मजदूर हों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हों तो वह प्रदेश कैसे विकास कर सकता है। इन मजदूरों

की हालात पर गौर करके इनका जीवन सुधारने का काम करें। मंत्री जी ने कहा कि कोई कारखाना मजदूरों की समस्याओं के कारण बंद नहीं है। मैं पिछले 25 सालों से श्रमिक आंदोलन से जुड़ा हूं। आज जो ए0आर0सी0 ओ0 और डिकंसीलियेशन आफीसर है वह आज कारखानेदारों के दलाल बनकर रह गये हैं मजदूरों के हित का वह कोई कार्य नहीं करते हैं। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम हैं या अन्य कानून हैं वह मिल मालिकों के पक्ष में अधिक हैं मजदूरों को उन कानूनों से इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और गतवर्ष इसी सदन में माननीय श्रममंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम उन कानूनों का पुनरीक्षण कर रहे हैं और उन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। लेकिन बेहद खेद और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी की घोषणा पर शासन का कोई वक्तव्य नहीं आया। शायद उनकी घोषणा व्यक्तिगत रही होगी, शासन की नहीं रही होगी। आज लखनऊ में टेल्को बन्द पड़ा है, सैकड़ों मजदूर जेल में बन्द हैं और वहां पर अवैधानिक रूप से लाक आऊट किया गया है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मानव श्रम दिवसों की हानि पहले से कम हुई है औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को उन पर विचार करना चाहिये आज उनके विभाग की साख मजदूरों में मिल मालिकों के दलाल की है। "समान कार्य के लिए समान वेतन।" यह हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें लिखा हुआ है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस कानून का पालन हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो क्या यह श्रम विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि इस कानून का पालन हो। माननीय मंत्री जी, हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी परसों इसी सदन में घोषणा कर रहे थे कि जो रेगुलर टीचर है उनकी तनख्वाह दूसरी और इतनी ही पढ़ाने वाले दूसरे टीचर्स जो रख रहे हैं उन्हें मात्र 5000 रूपया दिया जा रहा है। जो रेगुलर टीचर्स है उन्हें 10 हजार रूपया दिया जा रहा है। इसी तरह से उच्च शिक्षा विभाग में है। श्रम विभाग क्यों खामोश है? अगर सरकार कानून का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। इस देश में कानून का शासन है, कुछ व्यक्तियों का शासन नहीं है। "रूल आफ लॉ" है। अगर यह समान कार्य के लिए समान वेतन, जिसका प्रतिपादन माननीय सर्वोच्च, माननीय उच्च न्यायालय ने किया है, उसको लागू कराने की शक्ति श्रम विभाग में क्यों नहीं है। श्रम विभाग ने पहल क्यों नहीं की? मंत्री जी इसका उत्तर देने के लिए जिम्मेदार हैं।

आज कितने लोग ऐसे हैं नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में जिनके भविष्य निधि का पैसा कागज पर काट लिया गया है लेकिन उनके खातों में जमा नहीं है। इससे बड़ी धोखाधड़ी शायद कुछ हो नहीं सकती मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस भविष्य निधि को दिलाने के लिए इस श्रम विभाग की क्या कार्यवाही है। क्या कार्यक्रम है यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। सरकारी विभाग जो श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने की ताकत इस श्रम विभाग में नहीं है तो कोई भी उनके कानून का पालन करने वाला नहीं है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी स्थिति है वह "टूथलेस" है, दंतविहीन है। इन कानूनों को बदलने का काम माननीय मंत्री जी को करना चाहिए अगर यह श्रमिकों के हित में है। मंत्री जी ने "बीड़ी" मजदूर की बात कही, "कालीन उद्योग" के मजदूरों की बात नहीं की, "कॉच उद्योग" में लगे मजदूरों की बात नहीं की, "पॉटरी" उद्योग में लगे मजदूरों की बात नहीं की हैं। वे उत्तर प्रदेश में ऐसे उद्योग हैं जिनके माध्यम से विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं। जो केवल औपचारिकता है उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मजदूर की उपेक्षा होगी तो मजदूर अन्याय और शोषण के विरुद्ध खड़ा होगा मजदूरों ने पहले भी सत्ता बदली है और आज भी सत्ता बदलने को उद्यत है। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं कि मजदूर का हित हो तो गॉव के हर घर को कुटीर उद्योग में बदल दो और एक एकड़ जमीन का खेत और चारागाह मजदूर की किस्मत बदलने के साथ-साथ इस उत्तर

प्रदेश और देश का किस्मत भी बदल देंगे। और आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा उत्तर प्रदेश देंगे जिसकी कल्पना हमारे उन लोगो ने की थी जिन्होंने इस मजदूर की लड़ाई को लड़ा था। जयहिन्द।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। विकास की यात्रा में श्रमिक के बिना एक कदम नहीं उठाया जा सकता है। श्रमिक ही वह शक्ति है जो न केवल कारखाने में उत्पादन करता है वरन दुनियां के हर क्षेत्र में जहां सृजन की आवश्यकता हो वहां धन अकेले कोई काम नहीं कर सकता है, अपर्याप्त सिद्ध होता है। सृजन, विकास और श्रमिक तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर्यायवाची हैं कहना अतिश्योक्ति न होगा मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात पर बल दिया है कि संतुष्ट श्रमिक रहेगा तो सृजन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा यही लक्ष्य इस सरकार का है। आज जो नई योजनाएं हैं कुछ इस बजट के माध्यम से प्रस्तावित की गई हैं यथा सात जिलों मे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें 50-50 लाख की धनराशि देकर उनको किस प्रकार से सुदृढ़ बनाया जा सकता है इसकी चिन्ता की गई है। इसके लिए मंत्री जी साधु वाद के पात्र हैं।

अम्बरीष जी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है अत्यंत विद्वान, अध्ययनशील लोगों में से हैं कटौती का प्रस्ताव रखना चूंकि यह प्रतिपक्ष में बैठे हैं इसलिए इनका कर्तव्य है किन्तु जब यह बार-बार यह कहते हैं कि सरकार को श्रमिकों की चिन्ता नहीं है तो बड़ा अटपटा लगता है। हम बजट लाए हैं श्रमिकों का, हम विकास करना चाहते हैं, श्रमिकों का, हम उनका जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं। हम चाहते है कि उनका शोषण बन्द हो इसीलिए यह बजट लाया गया है। इसलिए आपके मुख से विरोध करना अटपटा लगता है। मैं चर्चा में भाग लेते वक्त दो तीन चीजों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं और गोरख नाथ पाण्डेय जी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां दरी और कालीन श्रमिकों का बहुत बड़ा संगठन है। पूरे उत्तर प्रदेश में निर्यात सबसे अधिक कहीं होता है तो इन्हीं चार पांच जिलों से दरी और कालीन का निर्यात होता है। 1987 में उनके वेतनमान का निर्धारण किया गया था उसके पश्चात कोई समिति नहीं बैठी जो उनके वेतन का निर्णय करती 13 वर्षों से उनके वेतनमान ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। एक नया शासनादेश कुशल और अकुशल श्रमिकों की श्रेणी के लिए बनाया गया है मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं दरी और कालीन उद्योग में कोई कुशल और अकुशल श्रमिक नहीं होता सबके अलग-अलग काम बंटे होते हैं। आज उस क्षेत्र में पूरा दिन श्रम करने के बाद 30-35 रूपये से अधिक का काम नहीं होता है। इसलिए एक त्रिपक्षीय वार्ता सेवायोजक, सरकार और श्रमिकों की बुलाकर की जाए। और वेतन की दरें तय की जाएं कि किस प्रकार से वेतन दिया जाए। बाल श्रमिक की चिन्ता की गई मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बाल श्रमिकों के नाम पर इस देश को विदेशों में बदनाम किया जा रहा है। मान्यवर, मैं जानना चाहूँगा कि एक बच्चा जिसके घर में पिता नहीं है, माता नहीं है अपंग है, घर में निर्धनता है वह बच्चा या तो भीख मॉंगेगा या श्रम करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेगा। हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि उसके अधिकारों का हनन न हो, उसके खेलने की उम्र न बीत जाय, उसकी शिक्षा में बाधा न पड़े।

बालश्रम के नाम पर समाज सेवा संस्थायें कदाचार और भ्रष्टाचार करती है। उनके खिलाफ जांच कराई जाय और अगर हो सके तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिये जांय। हमें उस बच्चे की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना है। प्रदेश सरकार की ओर से यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि बालश्रम अपराध नहीं है हमें उसकी मदद करनी है। बालश्रम के नाम पर ये समाज सेवी संस्थायें विदेशों और देश से करोड़ों रूपया डकार रहीं हैं इनकी जांच कराई जाय। जो साइकिल से चलता था आज बाल श्रम के नाम पर दिल्ली में आलीशान आफिस में बैठा है। हम बालश्रमिक क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने चाहिए। हमारे मंत्री जी बड़े कर्मठ व्यक्ति है, चिन्ता कर रहे हैं, चिन्ता करेंगे, चिन्ता करनी पड़ेगी। आज उनकी हालत ठीक नहीं है।

मिर्जापुर में कम से कम 25 हजार दरी गलीचे के बुनकर है जो ई0एस0आई0 के अस्पतालों से सम्बद्ध नहीं है। हमें सोचना है कि सारा श्रमिक वर्ग इसका लाभ उठा सके। स्वास्थ्य सेवायें बेहतर करने की आवश्यकता है। यहां के डाक्टर इलाहाबाद में रहते हैं सप्ताह में केवल दो दिन आते हैं। औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। श्रम हितकारी केन्द्रों में पुस्तकें हट चुकी है, दीमक खा गये हैं। वहाँ अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे श्रमिक वर्ग की ज्ञान वृद्धि हो सके। मैं एक बात का गहराई से निवेदन करता हूँ माननीय अम्बरीष जी नें भी इसे उठाया है।

सामान्य जनता की और सबकी धारणा है सरकार उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही है। हमें इस भावना को बदलनें के लिए सामनें आना होगा जब श्रमिक संतुष्ट होंगे तभी उत्पादन बढ़ेगा और तभी देश की उन्नति होगी। अपने बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने यह बात कही है। वे चिन्ता कर रहें है मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा वे जो कुछ कह सकते थे कहा, जो कुछ कर सकते थे किया। कटौती का प्रस्ताव तो मात्र औपचारिकता है। हमें पूरा विश्वास है कि यह संवेदनशील सरकार इस विभाग का चेहरा परिवर्तित करेगी और सिद्ध करेगी कि यह सरकार मजदूरों की सरकार है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैंने एक के कटौती पर चर्चा की है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मैं इनके मामले में नहीं बोलूंगा। मैं अपनी बात बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

*श्री मुन्ना चौहान-

*श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्धेश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, श्रम विभाग के प्रथम पहलू पर श्री अम्बरीष कुमार जी, माननीय श्री डंग जी तथा माननीय मंत्री जी ने चर्चा की। श्रमिक कल्याण की जब कभी भी हम बात करते हैं तो सेवायोजन इसका एक अभिन्न अंग है। सेवायोजन का जहां एक तरफ श्रमिक परिवार कल्याण से सीधा सम्बन्ध है और सेवायोजन से सीधा सम्बन्ध है वहीं देश और प्रदेश तथा किसी क्षेत्र की तरक्की से भी इसका सम्बन्ध है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बरीष जी, दोनों कटौतियों पर आपका नाम अंकित है फिर भी श्री चौहान जी से अनुरोध है कि वह अपनी बात को संक्षेप में कहें।

*श्री मुन्ना चौहान-

श्रीमन् इस सदन में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं और जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो उस समय इस सदन में यह चिन्ता व्यक्त की गयी थी कि किस तरह से प्रदेश की विकास दर को 4 परसेन्ट से बढ़ा कर राष्ट्रीय औसत 6 प्रतिशत तक पहुंचाया जाय। बार-बार राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर चिन्ता व्यक्त की जाती है हम यह कहते हैं कि हमारा देश दुनिया में थर्ड लारजेस्ट पावर की श्रेणी में आता है परन्तु इसके बावजूद भी हमारी विकास दर न्यूनतम स्तर पर है आज ही प्रश्न के माध्यम से चर्चा हो रही थी कि किस तरह से यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ होने वाली पलायन को रोका जाय। जब तक सेवायोजन का अवसर नहीं होगा, जब तक इन्टीग्रेटेड नेटवर्क का काम नहीं किया जायेगा ग्रामीण अंचल में रहने वाले कुशल और अकुशल लोगों को सेवा का अवसर नहीं मिलेगा और उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं होगी तब तक ग्रामीण क्षेत्र के तमाम लोग रोजी-रोटी के लिए शहर की तरफ निकलेंगे और

इससे शहर में एक सिविक समस्या भी खड़ी होगी और गांव का विकास भी अवरुद्ध होगा और इन नवयुवकों की ऊर्जा का इस्तमाल हम गांवों के विकास के लिए नहीं कर पायेंगे। संवायोजन का जो मैंने अभी लिटरेचर देखा तो मैंने पाया कि वर्षों पहले जो हमारी तमाम दकियानूसी कार्यक्रम संचालित थे उनमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका है।

श्रीमन् हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि इनफारमेशन टैक्नोलोजी का जमाना है। एक तरफ कहते हैं कि सूचना का युग है। दूसरा तरफ उम्मीद करते हैं उस गांव के मजदूर को कुशल और अकुशल श्रमिक को दूर ग्रामीण अंचल में रहता है वह प्राइवेट सेक्टर में सेवायोजन के अवसर का लाभ कैसे उठाये किस तरह से वह अप्लाई करे यह उसको जानकारी नहीं हो पाती है। इस सभी ने यह महसूस किया है, माननीय मंत्री जी भी महसूस करते होंगे। सेवा योजन कार्यालय का जो मकसद है वह आज की तारीख में कितना रह गया है। आज वह मात्र इतना करते हैं कि सरकारी विभागों से जो वैकेन्सीज जाती हैं उसमें कुछ लोगों के नाम स्पौन्सर करके भेज देते हैं। मैंने सदन में यह सवाल उठाया था और चर्चा के दौरान इस बात को कहा था कि जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जायेगा कि बेशक निजी क्षेत्र के कारखाने हो, प्रतिष्ठान हो मेरे पास शब्द नहीं है उसको कहने के लिये, जब तक सरकार इन्टर फेसिंग नहीं करेगी सेवा योजन कार्यालय पब्लिक सेक्टर का प्रतिष्ठान हो या प्राइवेट का प्रतिष्ठान हो उसका सही प्रभाव श्रमिकों को नहीं मिल सकता है। चाहे निजी दुकान में, निजी कारखानों में जब तक आप इनटरनेट वर्किंग करके व्यवस्था नहीं करते ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनके पास समाचार पत्र खरीदने के लिये पैसा नहीं है, सूचना के साधन नहीं हैं कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से जब तक इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं कर दिया जाता कि सेवा योजन से संबंधित जो सूचनाएं हैं वे बिना किसी दिक्कत से उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाय तब तक सेवा योजन कार्यालय का जो मकसद है वह पूरा नहीं कर सकते हैं। आपने जो पुस्तिका छापी है सेवायोजन से संबंधित उसमें लिखा है कि संवायोजन का जो एक विचार है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। वार टाइम इनरोलमेन्ट के लिये कैसे इन्तजाम किया जाय। जब इमरजेन्सी वार टाइम में लगी थी उसमें जो छटनीशुदा मजदूर को समायोजित कैसे किया जाय। आज भी जो सेवा योजन कार्यालय हैं जो सेवायोजन प्रशिक्षण केन्द्र हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है उनका मकसद जो है वह सही तरीके से पूरा हो सके। आज की तारीख में इस बात की सर्वाधिक जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्र के कुशल और अकुशल आई0आई0टीज हैं दूसरे प्रशिक्षण संस्थान है उनमें हमें देखना होगा। आज होता क्या है? गॉव का बच्चा जाता है आई0टी0आई0 करना चाहता है, उसे रुचि उसकी मालूम नहीं होती। कारण यह है कि संवायोजन का जो कन्सेप्ट है वह उसे मालूम नहीं है।

आज हम वर्ल्ड ट्रेड-आरगनाइजेशन के सदस्य बन चुके हैं। श्रमिक को अन्तर्राष्ट्रीय सम्पदा मानते हैं। श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान का यह सम्पदा बन गया है। हम कहना चाहते हैं कि जब तक हम अपने वर्कफोर्स को इस तरह से ट्रेन अप नहीं करेंगे, बाजार की आज जो जरूरत है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, उसके लिये पर्याप्त एक्सपोजर देकर। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र हो, गली मोहल्ले या दूरस्थ मोहल्ले में रहने वाले लोगों को एक्सपोजर प्रोग्राम ठीक से नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से आज बड़ी दिक्कत है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा जो ट्रेनिंग निदेशालय बना हुआ है उसके बाद भी अप्रेन्टिस को जो उद्योग में, इन्डस्ट्री में एक इन्टर फेसिंग सेवायोजन कार्यालय को करना चाहिए, सेवायोजन निदेशालय को कराना चाहिए वह नहीं होता है लिहाजा प्रशिक्षण लेने के बाद भी ये अप्रैन्टिसी सरकार का हजारों करोड़ों रूपया उन पर खर्च होता है उसका न तो सरकार को लाभ मिलता है और न इस प्रदेश की जो विकास दर है उसमें कोई योगदान हो पाता है। आज जरूरत इस बात की है कि सेवायोजन कार्यालय

का जो इंतजाम है, जो सिस्टम है उसे अप डेट नेटवर्क कम्पूटर नेटवर्क करने की जरुरत है। इस बात की जरूरत है कि सेवायोजन के क्षेत्र में कोई भी अभ्यर्थी जो सूचना चाहता है वह उसे बिना विलम्ब से दिक्कत के मशक्कत के सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध हो सके। निश्चित रूप से इस प्रदेश के विकास में तमाम अपार श्रम शक्ति है, इसका इस्तेमाल इस प्रदेश की तरक्की के लिये हो सकता निश्चित रूप से इस प्रदेश और देश को गरीबी से निजात मिल सकती है आपने, अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ अभी श्रीमन् सेवायोजन कार्यालयों का जिक्र हो रहा था हालत यह है कि एक बाबू को कहते हैं कि यह सेवायोजन अधिकारी हो गया। विगत आठ-दस सालों से प्रमोशन नही हो रहे हैं कभी किसी से आफिशिएटिंग कराते हैं, कभी किसी से कराते हैं एक महीने किसी एक को बना देते हैं दूसरे महीने किसी दूसरे को सेवायोजन अधिकारी बना देते हैं इस तरह का वातावरण चलता रहता है, तो मान्यवर, निश्चित रूप से माना जा सकता है कि वह क्या प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि तमाम सेवायोजन के क्षेत्र में जो कठिनाई है विसंगतियां हैं उसके लिए प्रभावी कदम उठाएं।

*श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, आपने श्रम विभाग के बजट पर चर्चा में बजट के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया मान्यवर, इसके लिए मैं आपका ह्रदय से धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, हमारे विपक्ष के भाई कविता में पढ़ने के लिए कह रहे हैं मैं कविता के रूप में अपनी बात कहता हूँ पता नहीं यह समझते भी हैं या नहीं,मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ आलोचना ही नहीं समालोचना करें,

सोचें क्या कह रहे जब शुरू बोलना करें,
हम आपके दुश्मन नहीं सहयोगी सदा के
विकास बराबर होना मित्र सोच न करें,

आप समालोचना करें हमारी सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी आपकी बातों पर विचार करें जो ग्राह्य हो उसे ग्राह्य करें आपके सुझावों पर ध्यान दें तो आलोचना नहीं आप समालोचना करें।

श्रमिकों के हित की भरी बात बजट में
बाल श्रम उत्थान की शुरूआत बजट में
कृषि, बीड़ी, होटल और रेस्टोरेंट में लगे
उनकी मजदूरी वृद्धि की बात बजट में
बाल बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया जा रहा
पुनर्वासित कर शिक्षा भोजन मुफ्त दिया जा रहा
चौदह वर्षो तक बच्चों से न कोई काम ले सके
कानून बनाकर प्रतिबंधित किया जा रहा,
(मेजों की थपथपाहट)
श्रमिकों, मजदूरों के लिए वरदान बनेगा
गरीबों, असहायों का यही उत्थान करेगा
मजदूर ही इस देश के असली भगवान हैं
श्रमेव जयते, श्रमिकों का कल्याण करेगा

बच्चा भविष्य है और धरोहर है देश का
सरकार है चिंतित विशेष ज्ञान क्लेश का
शिक्षण प्रशिक्षण मुफ्त भोजन दवा किताबें
होगा तभी विकास, इस अपने प्रदेश का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया

मंत्री जी ने अभी बजट में काफी धन की व्यवस्था की है!

"ऐसे बच्चों के भविष्य का भी करें ख्याल जी
ईंट भट्टों पर रात दिन जो होते हलाल जी
बच्चों के साथ कर रहे अन्याय जो यहां
कानून बना दंडित करें श्रीधर्मपाल जी"

(इस समय 6 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

मान्यवर,हमारे यहां कई वर्षों से कालीन उत्थान के लिए तकनीकी संस्थान की स्थापना की गयी भदोही में उसमें करोड़ों का खर्च कर देते हैं। हमारे यहां भदोही जनपद में पूरे विश्व में कारपेट के लिए मशहूर है कालीन उद्योग का काफी लम्बा चौड़ा कारोबार है घर -घर पर बनता है हर परिवार में बच्चे अपने परिवार के साथ मिलकर कालीन बुनाई का काम करते हैं। मान्यवर, कालीन बुनाई एक कला है। बचपन में जो नहीं सीख पायेगा वह जवानी या किशोरावस्था में नहीं सीख सकता। इसलिए जो बच्चे अपने परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं उन्हें बाल श्रमिक के रूप में चिन्हित न किया जाय उनको पढ़ाई लिखाई खेल कूद की सुविधा परिवार की तरफ से मिलती हैं। उनके भविष्य के लिये उनकी शिक्षा के लिए आपने भदोही में 15-20 विद्यालयों की स्थापना की है। कुछ विद्यालय शासन से धन लेकर चलाये जा रहे हैं जिसमें कुछ बच्चों का फर्जी प्रवेश दिखाकर शासन के धन को हड़पने का काम किया जा रहा है उनकी जांच आवश्यक है। मान्यवर, भदोही में, भदोही वूलेन मिल बंद पड़ी हुई है जो बेकार श्रमिक हैं उनको समायोजित करने की व्यवस्था करें। मान्यवर, भदोही नगर में श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है एक अस्पताल या श्रम हितकारी केन्द्र उसको ट्रांसफर करके ज्ञानपुर में कर दिया गया है आने जाने में बहुत दिक्कत होती है वह चिकित्सालय भदोही में ही बना रहें----

"अब तक के सब बजटों से ये बजट है बीस जी
कुशल अकुशल श्रमिकों की हरेगा टीम जी
गरीबों, मजदूरों का बजट आज पास करा दें
कटौती प्रस्ताव वापस ले लें श्री अम्बरीष जी

म इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जो आपने मांगे प्रस्तुत की हैं इसमें आपने विभाग की पूरी मांग प्रस्तुत की है इसमें से वह रकम नहीं घटायी जिसके लिए लेखानुदान पहले से पारित हो चुका है उसको घटाकर दुबारा † इसे प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री धर्मपाल सिंह-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,77,99,000 रूपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले में अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक की पूर्ति के लिये, अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,77,99,000 रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नोट:-† (देखिये मा0 मंत्री द्वारा पीछे पृष्ठ संख्या-126 पर प्रस्तुत अनुदान सं0-76 एवं अनुदान सं0-77 का संशोधन)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, पूर्व में प्रस्तुत जो प्रस्ताव है उसको इस पर संशोधित मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जो पूर्व प्रस्तुत प्रस्ताव है उसको इसी के अनुसार संशोधित मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से पूर्व में प्रस्तुत अनुदान संशोधित रूप में प्रस्तुत माना गया)

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अध्यक्ष जी, समय तो बहुत कम है, चूंकि माननीय अम्बरीय जी और मुन्ना चौहान जी ने कटौती रखी है उसके समर्थन में 2 मिनट बोलना जरूरी है इसलिए कोई लम्बा भाषण न करके मैं 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मान्यवर, श्रमिकों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा और उसकी कटौती के रूप में दोनों माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो श्रमिक हैं एक तो कारखाने में श्रमिक हैं और दूसरे खेती में काम करने वाले श्रमिक हैं और तीसरे अन्य काम करने वाले श्रमिक हैं और चौथे वह भी श्रमिक हैं जिनके पास 2-2, 4-4 बीघा खेती है वह मूलत: अपने खेतों के श्रमिकों की हैं तो कोई अलग से क्लास नहीं है कि जैसे कि रुस में हैव और हैव नाट का डिमार्केशन हैं उसी तरह से यहाँ हो। चूँकि यह किसान परक देश है इसलिये यहाँ का किसान श्रमिक भी है और मजदूर भी है,मालिक भी है। तो इन सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हिन्दुस्तान में उसी तरह की व्यवस्था बनानी होगी ताकि सामान्य रूप से सभी श्रमिकों का विकास हो सके लेकिन इस बारे में कोई योजना माननीय मंत्री जी ने नहीं कही है।

दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सी चीनी मिल बन्द हो गयी, उसके श्रमिक बेकार हो गये, डाला सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द हो गयी उसके श्रमिक बेकार हो गये, शिकोहाबाद में बल्ब फैक्ट्री बन्द हो गयी, इटावा की कताई मिल बन्द हो गयी उसके श्रमिक बेकार हो गये तो आपने श्रम विभाग का बजट पेश किया है तो जो लोग बेकार हो गये हैं उनके बारे आपने कोई बात नहीं सोची न कोई व्यवस्था की इसलिये मैं श्री अम्बरीष कुमार जी और मुन्ना चौहान जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मद संख्या-76,77 की अनुदानों की माँग की राशि में कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूँ। कटौती के प्रस्ताव पर अम्बरीष कुमार जी, मुन्ना जी और राम औतार शाक्य जी ने जो विचार रखें हैं, मैं उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, निश्चित रूप से बजट प्रस्ताव पर बोल रहे डा0 डंग ने यह बात कही थी कि यह सरकार और विभाग श्रमिकों के हित में रहकर समाज में श्रमिको का हित करना चाहती है। मान्यवर, आदिवासी युग से लेकर आजतक जिस स्थिति में हम समाज में पहुंचे हैं प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमाने का और अन्य संसाधनों से सहूलियत लेने का प्रयास किया हैं परन्तु उसके साथ-साथ श्रम की जगह पूँजी ने प्रमुखता हासिल करने का काम किया है जबकि प्रकृति ने मानव सभ्यता की शुरूआत की थी, मानव श्रम ने एक नई संस्कृति को उजागर करते हुए पत्थर को पत्थर से टकराकर एक नई संरचना को विकसित करने का प्रयास किया भी लेकिन आज इन तमाम पहलुओं से अलग होकर केवल पूँजी ने अपना स्थान लेने का काम किया है।

उत्तर प्रदेश में जैसा श्री अम्बरीष जी ने कहा कि कोई ऐसा शहर नहीं है जहां गांवों के लोग पलायन करके न आकर रहते हों। मान्यवर, शहर के चौराहों पर श्रम की मंडियां लगती हैं और श्रमिकों को पता नहीं होता है कि उन्हे परिश्रमिक मिलेगा कि नहीं, उन्हें खाना मिलेगा कि नहीं। मान्यवर, लोकतांत्रिक प्रणाली में शोषण विहीन समाज बनाने के लिए तमाम नियमों को बनाया जाता है। मजदूरों का शोषण न हो इसलिए नियम बनाकर न्यूनतम मजदूरी और वेतन निर्धारित किये जाते हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि हमने दैनिक श्रमिकों की मजदूरी 48 रूपये से 58 रूपए बढ़ाने का काम किया है। हम मान लेते हैं कि किसी मजदूर के परिवार में चार लोग हैं जिनमें पति-पत्नी और दो बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले थे दूसरी ओर बी0पी0एल0 के अन्तर्गत खाद्यानों के दाम में बढ़ोत्तरी कर दी गयी है जिसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी के दाम दो गुना बढ़ा दिये गये हैं जिसे देखते हुए सरकार ने किस आकलन के तहत 58 रूपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी करने का फैसला लिया, किन मानकों के आधार पर आपने न्यूनतम मजदूरी तय किया है।

मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय मानकों में सुबह से शाम तक जितनी मानव को ऊर्जा की आवश्यकता है उसके अनुसार न्यूनतम वेतन का पैमाना तय किया जाता है जिसके अनुसार 3200 कैलोरी ऊर्जा के लिए जितने खाद्यान्न की जरूरत हो उसमें के हिसाब से वेतन तय किया जाता है और उसका पैमाना हिन्दुस्तान में 2400 कैलोरी रखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश में किस आधार पर न्यूनतम दैनिक मजदूरी 58 रूपये रखा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में असंगठित मजदूर जो निर्माण के कार्यों और खेती के कार्यों में लगे हैं, किस तरह से आपने उनके संरक्षण के लिए विभाग द्वारा किया कार्य योजना बनाया है?

मान्यवर, मंत्री जी फर्जी फिकेशन की बात किया है और सर्वेक्षण की बात बजट में किया है और कहा है कि लगभग 51,000 सर्वेक्षण कराये गये हैं मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि यह सर्वेक्षण के आंकड़े जनपद मुख्यालय में बैठकर बनाये गये हैं और सर्वेक्षण भी जनपद मुख्यालय में बैठ कर किया है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार मेल या फिमेल सभी को समान वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए। आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मजदूरों को, श्रमिकों को चाहे न्यूनतम मजदूरी मिलती हो लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जहाँ खेतिहर मजदूरों को, न्यूनतम मजदूरी मिलती हो लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिलें हैं जहाँ खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही है और बहनों को कितनी मिल,रही है। आपने क्या कभी इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण के आकड़े आपके अधिकारियों ने उपलब्ध कराये हैं, क्या उनका भौतिक सत्यापन आपने कराया? इस प्रकार मान्यवर, यह साफ है कि असंगठित मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है तो आपकी सरकार और सदन की यह जिम्मेदारी है कि किसी तरह उन्हें संरक्षण देने का काम किया जाय। ईट भट्ठा मजदूरों के लोग पलायन करके भट्ठों पर आते हैं, उनके कितने-कितने बच्चे होते हैं, आपने उनको किस तरह का अधिकार देने का काम किया। आपके इंस्पेक्टर केवल भट्ठे वालों को धमकी का नोटिस देने का काम करते हैं। उनके पुर्नवास के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलने की व्यवस्था इस विभाग के द्वारा अधिकारियों के द्वारा नैतिकता के साथ नहीं की गई है। बात बहुत स्पष्ट है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। यदि संगठित मजदूर ट्रेड यूनियन के माध्यम से आपने अधिकारों की थोड़ी-बहुत बात कर लेते हैं, परन्तु आपने उनके भी अधिकारों को छीनने का काम किया है। आपका तो विश्वास अपने अधिकारियों पर भी नहीं है, डी0एल0सी0 पर नहीं है। आपने आई0आई0ए0 और उद्योगों में लगे लोगों को इतना अधिकार दे रखा है कि किसी भी जिले में, किसी इन्डस्ट्री में आपके अधिकारी आकस्मिक सर्वेक्षण नहीं कर सकता। इस तरह से मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

जिलाधिकारी अनुमति देगा, नहीं देगा, कितने जनपदों में कितने जिलाधिकारियों ने अनुमति देकर सर्वेक्षण कराने का काम किया है, क्या इस ओर आपने ध्यान दिया यदि नहीं तो निश्चित रूप से इस बात से हम लोगों का शक जाता है कि इस विभाग के बजट को देखते हुए, आप संवेदनशील नहीं है, इस समाज के प्रति आपका वह रूख नहीं है, जो होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। आपके विभाग के द्वारा इन्डस्ट्रियल लेबर को आवास उपलब्ध कराने के लिए लेबर कालोनीज के गठन की बात की गई, हमारे सहारनपुर में भी लेबर कालोनी बनाई गई, इसमें 792 क्वार्टर हैं, जिनका कोई अनुरक्षण नहीं है। इसी तरह की तमाम कालोनीज रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, गोरखपुर आदि में है, इन कालोनीज में लेबर कर्मियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी आवास आवंटित करने का काम किया गया और आज तमाम लोग गैर कानूनी तरीके से इन आवासों पर कब्जा किये हुए है। इनकी संख्या आधे से ज्यादा है, आपके विभाग द्वारा ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मात्र 10 रूपये, 100 रूपये, 120 रूपये वसूल करके विभाग के कर्मचारियों का अनावश्यक बोझ भी पड़ रहा है। आपको इस बात की कोई चिन्ता नहीं है। सहारनपुर में 792 क्वार्टर हैं, उसमें 5 वेलदार, एक बढ़ई, 2 इंस्पेक्टर, एक क्लर्क, 3 चपरासी लगे हैं, इनकी तनख्वाहें भी इस किराये से नहीं निकाल सकते। यह तमाम लेबर कालोनीज

बांसा (खस्ता) हो चुकी हैं, इनकी छतें गिरने वाली हैं, केवल इमारतों को खड़ा करने का काम किया गया, इनके अनुरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से इन आवासों पर कब्जा लिये हुए हैं, उनको निकाल बाहर किया जाय। मै यह भी कहना चाहता हूँ कि नगर पालिकाओं का तमाम पैसा आपके विभाग पर वाटर टैक्स अधिकृत रूप से बकाया है, जो विभाग जमा नहीं कर सकता। परन्तु आपके विभाग को इसकी चिन्ता नहीं है। उन आवासों पर रहने वालों से वार्ता करके उचित दाम पर आवंटित करके विभाग के आर्थिक बोझ को कम किया जाना चाहिए।

मान्यवर, सहारनपुर को मण्डल बनाया गया और उसमें मुजफ्फरगर और हरिद्वार भी शामिल हैं, तमाम मजदूरों को अपने मुकदमों के सिलसिले में आज परेशासन होना पड़ता है। मेरठ में एक ट्रिब्यूनल और 2 लेबर कोर्ट हैं। इसी प्रकार देहरादून में एक लेबर कोर्ट है। इस समय इनमें 70 फीसदी सहारनपुर के विवाद लम्बित हैं। चार बार आपके द्वारा, इस विधान सभा के द्वारा, माननीय मंत्री को ज्ञापन देकर, इस बात पर ध्यान आकर्षित करने का काम किया गया, लेकिन इस ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और आप सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने की बात करते हैं। आप मजदूरों को इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि मेरठ, देहरादून जाकर, वकीलों के चक्कर में पड़कर केवल आने जाने में वह अपना पैसा और समय व्यर्थ जाया कर दें और किसी भी तरह घुटने टेककर पूँजीपतियों के सामने उनकी शर्तो पर अपनी सेवायें देने को मजबूर हों। आपकी नीयत अगर साफ होती तो आप इन मजदूरों की समस्या की ओर अवश्य ध्यान देते। इसी प्रकार सहारनपुर के लकड़ी की नक्काशी में लगे हजारों-लाखों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनके पुर्नवास, जिनकी ट्रेनिंग के लिए कोई किसी तरह की योजना का काम आपके विभाग के द्वारा नहीं किया गया। माननीय मुन्ना जी ने सही कहा है आपके सेवायोजना द्वारा केवल पंजीकरण करने का काम किया जा रहा है, उनके द्वारा कोई सूचना हमारे बेरोजगार नवयुवकों को कराने का काम नहीं किया जाता। आप तो फर्जी आंकड़े देकर उनके द्वारा ट्रेनिंग की बात करते हैं और फिर उन लोगों को आप कैसे सम्मान देंगे, कैसे रोजगार देंगे। आप कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं। आपकी सरकार ने विश्व व्यापार संगठन और अन्य संगठनों के दबाव में, उनके माध्यम से 714 चीजों को जो जन उपयोगी चीजें हैं उन पर ओ0जी0एल0 में लाकर उनको बढ़ावा देने के साथ बाजार उपलब्ध कराने की बात करेंगे इसलिए मेरा मानना है कि आपका इरादा और आपकी नीयत साफ नहीं है इसलिए आप उतनी संवेदनशीलता के साथ इस विभाग की जिम्मेदारी और इस विभाग के बजट को प्रस्तुत करने में भी संवेदनशील नहीं हैं इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ, और मान्यवर, इस पर अपने विचार रखने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ, आपने श्रम विभाग के अनुदान सं0 76/77 पर विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस अनुदान मॉग का मैं समर्थन करता हूँ एक विशेष परिस्थिति इस देश के भीतर और प्रदेश के भीतर उत्पन्न हुई है, मंत्री जी का ध्यान भी जा रहा होगा। मान्यवर, राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में यह उद्योग का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, श्रमिकों के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है देश के और प्रदेश के औद्योगिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हैं और एक समय था जब इस देश के आजादी के काल खण्ड के लम्बे समय तक श्रमिक संघों के भीतर एक विपरीत दिशा में कार्य करने की प्रेरणा हो रही थी, मॉग हो रही थी और नारे लगाये जाते थे, श्रीमन् "हमारी मॉगे पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हों"और इन मॉगों से चाहे उद्योग धन्धे चौपट हों, हड़ताल हों, कारखाने बन्द हो जायें, उद्योग बन्द हो जायें, लेकिन यह नारे तेज करके औद्योगिक विकास को क्षति पहुँचाई गई, उनकी स्थिति खराब की गई। यह सौभाग्य की बात है कि धीरे-धीरे आज की सरकार के काल खण्ड में जो प्रयास हो रहा है। अब उन्हें मजदूरों के भीतर यह नारा बलवती हो रहा है "देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम"। मान्यवर, औद्योगिक विकास

और श्रमिकों के बीच इतना अटूट सम्बन्ध हैं, कि वह अलग नहीं किया जा सकता। लालच में कोई यह सोंचे कि यह गाय इतना दूध दे रही है, लालच वश उसका कहीं थन ही काट दें तो सर्वनाश हो जायेगा, उसके बाद दूध नहीं मिलेगा। आज स्थिति यह है कि देश के भीतर श्रमिकों के हित को सर्वोपरि रख करके आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता होती है जब पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने अपने आर्थिक विकास में, अर्थ नीति में बल देते हुए कहा था कि उद्योगों का श्रमिकीकरण किया जाना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि किसी भी उद्योग की स्थापना, उसका संचालन दो तरह के पूंजी से होता है।

श्रम की पूँजी से और नकद पूंजी से। इसलिए जब श्रमिकों का हित भी उद्योग के विकास और उद्योग में होने वाले लाभ में जुड़ेगा तब उनके मन में यह जो दूसरा नारा आया है कि "देश के हित करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम" यह बलवन्ती होगा और इस नारे को प्रतिपादित करने वाले संगठन नम्बर एक के मजदूर संगठन बने हैं और पहले वाले नारे को लगाने वाले धीरे-धीरे अब रसातल में जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी का ध्यान गया है, अपने भाषण में संकेत भी किया है। मुझे खुशी है कि इतने महत्वपूर्ण विभाग के ऐसे नौजवान मंत्री जिन्हें काम करने की इच्छा शक्ति है, प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ, माननीय मंत्री से जो मजदूर क्षेत्र है, उसमें आज जितना मजदूर संगठित क्षेत्र हैं उससे कई गुना ज्यादा मजदूर असंगठित में है जिसमें गम्भीरता से काम करने की आवश्यकता है। श्रम न्यायालय जितने हैं, उस पर गम्भीरता से ध्यान देने की की आवश्यकता है श्रमिकों के बाद समय से निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिये जो हम श्रमिकों को न्याय देना चाहते हैं उसमें कठिनाई हो रही है आप प्रयास कर रहे हैं मुझे आशा है कि श्रमिक न्यायालय के रिक्त स्थानों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जायेंगी। कर्मचारी राज्य बीमा के जो अस्पताल है उनमें बाहर से चिकित्सकों को लाने की बात आपने कही है जो चिकित्सा सेवा के विशेषज्ञ हैं वह डिस्पेंसरीज में अपनी नियुक्ति करा लेते हैं। ऐसे विशेषज्ञों को आप इन अस्पतालों में पोस्ट करिये जिससे जिससे मजदूरों को उन विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मिल सके।

माननीय अम्बरीष कुमार जी जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आने वाले समय में उन्होंने आकलन किया है कि मजदूरों की संख्या प्रदेश में इतनी हो जायेगी। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि जिन मजदूर परिवारों में आज बच्चे पैदा होंगें अगर वह सोचते हैं कि वह भी मजदूर बनेंगे तो मैं विनम्रतापूर्वक उनकी इस बात से असहमति व्यक्त करता हूँ। यह सरकार चाहती है कि मजदूर का बेटा मजदूर न बने बल्कि व्यापारी या अधिकारी बने और उसका भविष्य उज्जवल हो। श्रीमन् सेवायोजन के जो कार्यालय हैं उनकी प्रासंगिकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करने का काम होता है, अनेक जगहों पर लोग जाते हैं जहां उनका शोषण होता है और उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। इन कार्यालयों की प्रसांगिकता धीरे धीरे खत्म हो रही है इसलिये इस ओर ध्यान देकर इनको प्रासांगिक बनाया जाय। मान्यवर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो हैं उनमें जहां पर जिस चीज की संभावना हो, जो कुटीर उद्योग जहां पर होता है उसकी ट्रेनिंग उस क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों में दी जानी चाहिये। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे इलाका में जहां मूँज से महिलायें और बच्चे डलियां बनाने का काम करते हैं और यह डलिया पांच सितारा होटल में कितनी ही मंहगी बिकती हो लेकिन उनको उसका सही दाम नहीं मिलता है मैं कुछ ऐसे उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूँ जहां पर मजदूरों की दशा को सुधारने की जरूरत है जैसे कानपुर की मरीज हैं उनके मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। उनकी चिंता हम नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो कार्य की स्थितियां हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिये और आकस्मिक निरीक्षण कराकर टैनरीज के श्रमिकों की दशा को सुधारना चाहिये। उनकी सेवा शर्तों में व्यापक सुधार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कर।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, जो श्रमिक कालोनियां हैं उनके स्वामित्व हस्तानांतरण का मामला है, यह मामला जटिल है। इन कालोनियों में अनकों वाद लंबित हैं जिनका निस्तारण होना चाहिये इसलिये मेरी मांग है कि इन कालोनियों के स्वामित्व हस्तांतरण के संबंध में ध्यान देकर उचित व्यवस्था की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अभी पर्यावरण विभाग की भी मॉग प्रस्तुत होने वाली है। थोड़ा समय में कमी कर दें, पॉच मिनट में अपनी बात कह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगी।

*श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, श्रम विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, श्रम से श्रमिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्रम और श्रमिक एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस देश की यह विडम्बना है यहाँ काम करने वाले, पसीना बहाने वाले मेहनतकश लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को इस देश में सम्मान नहीं मिलता है गॉव-देहातो में आज भी परम्परा है कि जो मेहनतकश मजदूर होते हैं,उन काम करने वालों को कमीन की संज्ञा दी गयी है। सफाई कर्मचारी यह काम करते हैं जिसको कोई और नहीं कर सकता। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को सम्मान मिलता चाहिए लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। उनको नीच कहा जाता है। इस देश की महान संस्कृति के रहते हुए भी कमेरे लोगों को सम्मान न मिलना यह देश का दुर्भाग्य है।

अभी हमारे साथियों ने फैक्ट्री मजदूरों और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की चर्चा की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जहां पर धान की खेती होती है वहां औरतें अपने बच्चों को पीठ से बॉधकर, झोले में डालकर दिन-दिन भर रोपाई का काम करती हैं और उन्हें दो-ढ़ाई किलो अनाज मिलता और 20/25 रूपया मिलता है। ऐसे क्षेत्रों मे निगाह डालना श्रम विभाग का दायित्व बनता है। इनकी कोई आवाज नहीं है। जमींदार लोग भूखे-प्यासे इन मजदूरों को काम देकर उनका शोषण करते हैं। गॉवों में जिनके पास खेती नहीं है वह पेशगी और बटाई पर खेती करते हैं। कभी अनावृष्टि, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हो जाती है तो उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है और भूसा भी मालिक के पास चला जाता है और साल भर मेहनत की बाद उसको कुछ भी नहीं मिल पाता है। सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ जाना चाहिए। भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित रोजगार योजना का सृजन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफल की बुवाई के बाद और कटाई के पहले 90 दिन ऐसे मजदूरों को काम दिया जाये जिनके पास कोई काम नहीं है। 90 दिन मानव दिवस सृजित करने के लिए हर ब्लाकों में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत पैसा दिया जाता है। उसके अन्तर्गत मिट्टी खुदाई का काम हो, तालाब खुदाई का काम हो या मेढ़बन्दी का काम हो यह सारे काम ट्रेक्टरों द्वारा किया गया दिखाकर अधिकारी लोग फर्जी मानव दिवस सृजित कर रहे हैं। इन योजना में बहुत सा पैसा आता है मजदूरों को काम देने के लिए लेकिन राजस्थान व दूसरी जगहों से बहुत से ट्रेक्टर आ रहे हैं जिनके द्वारा काम किया जाता है एवं मजदूरों को काम नहीं दिया जाता। मजबूर होकर मजदूर पलायन कर रहा है शहरों की ओर जहां वह रिक्शा चला रहे हैं या होटलों पर केवल दिन भर में सुबह शाम दाल रोटी के लिए काम करता है। कोई पैसा उसको नहीं दिया जाता। मजदूरों की वद से बदतर हालत हो गई है।

संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, बाल श्रमिकों का यहॉ जिक्र किया गया लेकिन बन्धक मजदूर भी इस उत्तर प्रदेश में हैं जहां जिन्दगी भर के लिए बंधुआ होकर जिन्दगी गुजार रहे हैं हमारे यहॉ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1994-95 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सूर्य कुमार शुक्ला ने सरकार के निर्देश पर जिले का सर्वे किया था मैं गॉव के नाम बता रहा हूँ उन गॉवों से पचासों बन्धक मजदूर मिले थे जो बीस बीस साल से काम कर रहे थे। वावई दहमुआ, अतराकक्ष, सरसई, एदवपुर, सहरी झठपुर, जगतपुरा, चरसौनी, जमिया, हरदाई जूजर, कैंथ, सिधौसा, खजुरी हरक्का, धामनी, कैकिया। इन गॉवों में बीसों साल से लोग बंधुआ मजदूर थे। यह शहरों से और दूसरी जगह से पकड़कर लाए गए थे। उनको तत्कालीन सरकार ने वापस भिजवाया था लेकिन आज की तारीख में हमारे जिला जालौन में फिर बन्धक मजदूर काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि गॉव में जो मजदूर चाहे धान की रोपाई कर रहे हों, चाहे दूसरा काम कर रहे हों उनके लिए कानूनों में पर्याप्त संशोधन करके उनको भी न्याय दिलाने की व्यवस्था करें। इसी के साथ मैं श्री अम्बरीष कुमार जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देता हूँ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है गांव में रहने वाले लोगों में अधिकांश वर्ग किसानों का है, मजदूरों का है गरीबों का है। मंत्री जी ने इन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना संतुलित बजट प्रस्तुत किया है। गांव में, गांव के विकासों में श्रमिक के विकास के साथ ही साथ गांव का विकास हुआ है। उसमें श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्यों-ज्यों विकास का कार्य बढ़ता गया त्यों-त्यों श्रमिकों का योगदान मिलता गया। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा उनके सेवायोजना की व्यवस्था इस बजट में की गयी है आई0टी0आई0 की स्थापना की गयी है। जिससे टेक्नोलाजी शिक्षा लेकर अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किये जा सकें इसकी व्यवस्था की गई है। 14400 परिवारों की पुर्नवासन की व्यवस्था की गई है। न्यूनतम मजदूरी की दर 47 रूपये से 58 रूपये कर दी गयी है। जो कि तारीफ के लायक है। मिनी आई0टी0आई0 की व्यवस्था की गई है। जिससे रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है। वे सारी व्यवस्थायें श्रम के रूप में समाज के सुदृढीकरण के लिये की गई हैं। मैं अपने क्षेत्र पूर्वांचल की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। कालीन उद्योग देश-विदेश से बहुत अधिक सम्पत्ति अर्जित कर रहा है।

मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, इलाहाबाद जैसे क्षेत्रों में पूरे के पूरे परिवार के लोग इस उद्योग में लगे है। किसान पर लड़का किसानी करता है, लौहार का लड़का लौहारी करता है, सुनार का लड़का सुनारी करता है। वे कुटीर उद्योग का काम करते है। ये बाल श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते। कुटीर उद्योग में काम करने वाले बाल श्रमिकों के नाम पर कुछ लोग कुचर्क चलानें का काम कर रहे हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जैसे कैलाश और अग्निवेश जैसे लोग सामाजिक संरक्षण देने के नाम पर विदेशी संस्थाओं के दलाल के रूप में कार्य कर रहे हैं और देश प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चौपट करने में लगे हुये हैं। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में कालीन उद्योग दो हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का योगदान कर रहा है। ये दलाल आलीशान भवनों में रहते हैं हवाई यात्रा करते हैं दिल्ली में पॉच सितारा होटलों में रहते हैं और सब बालश्रम के नाम पर। साजिश के तौर पर गॉवों में जाते है और भाड़े पर लाये बच्चों से कहते है कि इसे उठाओ और मुँह से उठाओ, नंगी तस्वीरे खेंच कर विदेशों से धन बटोर रहे हैं। हमारे देश प्रदेश के 45 जिलों के लोग कालीन उद्योग से बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। कुछ अधिकारी भी हैं जो इस साजिश में मिले हुये है और 18-20 वर्ष के बच्चे को 14 वर्ष का दिखाकर जेलों की हवा खिलवाते हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाय और दण्डित किया जाय। ऐसे लोग कालीन उद्योग से जुड़े श्रमिकों से अर्जित विदेशी मुद्रा को चौपट करने में लगे हैं और श्रमिकों को परेशान करते रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस उद्योग को बचाये। वे लोग जो कालीन उद्योग से जुड़े है ये करके प्रदेश और देश का विकास करते हैं। बचाया जाय। इन्हीं शब्दों

के साथ मै इस बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

*डा0 कौशल किशोर-

माननीय अध्यक्ष जी, श्रम कल्याण पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी ने श्रमिकों के लिये बड़ी वेदना प्रकट की और चिन्ता प्रकट की। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे गन्ना मिलें हों, जहाँ पर फैक्ट्री ऐक्ट लागू है, वहां पर सारे श्रमिक पर्ची पर रखे जाते हैं, उन्हें कोई दस्तखत नहीं होते हैं और न कोई रजिस्टर होता है और न ही उनको कोई प्रमोशन होता है। चाहे कृषि से संबंधित हो, होटल से हो, चाहे कोई कल कारखाना हो, आप कहीं भी सर्वे करा लीजिये, आपको बाल श्रमिकों की चिन्ता है, शिशुओं गृहों की चिन्ता है, सभी जगह बाल श्रमिक काम करते हैं और जो न्यूनतम मजदूरी तय है, उससे भी उन्हें कम मिलता है।

मान्यवर, श्रम सम्पन्नता से जुड़ा हुआ है। साधन विहीन श्रम और बेइज्जती गरीबी का मूल कारण है। हिन्दुस्तान में चाहे कोई चीज निर्मित हुई हो, उसमें कहीं न कहीं श्रम लगा हुआ है परन्तु अपने द्वारा उत्पादित वसतु के उपभोग करने का उसे अवसर नहीं मिलता है। श्रमिकों की महान बेइज्जती होती है। सबसे कम मेहनत पठन-पाठन में होता है, उसे इज्जत प्राप्त होती है, फिर राजाज्ञा करने वाले को प्राप्त होती है, फिर जो कम श्रम करते हैं, उन्हें इज्जत प्राप्त होती है, इसके बाद जो व्यापारी होता है, उसे इज्जत प्राप्त होती है, शेष जो श्रमिक हैं, वे सब बेइज्जती के पात्र हैं। जिसका नतीजा यह है कि गरीबी बढ़ती जा रही है। जब गरीब की बेइज्जती होगी तो उसका मन काम करने में नहीं लगेगा। उत्पादन संस्कृति में जिन लोगों को श्रम करना पड़ता है, उनकी सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। देश के अन्दर जो श्रम शील हैं चाहे वह खेतिहर मजदूर हों, कल कारखाने का मजदूर हो, चाहे कहीं का भी हो, उन्हें इज्जत देने का काम हमें करना होगा परन्तु हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। फैक्ट्रियां लगवायी जायं, ताकि श्रमिकों को उसमें रोजगार मिलेगा और उन्हें इज्जत मिलेगा। धन्यवाद।

श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, हमारे देश में, प्रदेश में 90 प्रतिशत आबादी श्रमजीवी वर्ग की है और 10 प्रतिशत आबादी बुद्धिजीवी वर्ग की है। देश में हमारी जो आदर्श संस्कृति कही गई है और यह उसी का प्रतिफलन है कि जो 90 प्रतिशत श्रमजीवी वर्ग की आबादी है उसका लगभग 90 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है जो 10 प्रतिशत बुद्धिजीवी वर्ग है उसका प्वाइन्ट एक प्रतिशत भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन नहीं कर रहा है। हमारे देश में चर्तुवर्णीय समाज व्यवस्था के चलते हुए, जिसको आदर्श, संस्कृति कहा जाता है श्रम और श्रमिक को हमेशा तिरस्कार किया गया है। उसके श्रम की उसे उचित कीमत नहीं दी गई। उसे कहा गया कि सेवा करो। आपका काम केवल सेवा करना है, आप तिरस्कार के पात्र हैं।

यही कारण है कि हमारे देश में बुद्धि की तो कीमत लगाई गई, बुद्धि को तो महत्व दिया गया, बुद्धि जीवी को तो समाज में मान सम्मान दिया गया। दुनिया की जितनी कौमों ने, मुल्कों ने श्रम की उचित कीमत दी है, उसका सम्मान किया है वह कौम आज दुनिया में सबसे आगे खड़ी नजर आती है। अमेरिका की सभ्यता 300 साल मात्र की पुरानी है परन्तु आज वह दुनिया में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। हमारी सभ्यता 4 हजार साल पुरानी है और हम दुनिया में पीछे खड़े नजर आते हैं। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है अपने देश में ही पंजाब का उदाहरण है। जहां कि गुरू नानक साहब की सीख के चलते हुए, उसको मानते हुए श्रम का सम्मान दिया गया, उसकी उचित कीमत दी गई। आज पंजाब खुशहाली, तरक्की और समृद्धि के मामले में देश में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हमको समृद्धिशाली बनना है, विकास की दर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आगे आना है तो न केवल मजदूरों को श्रमिकों को उचित कीमत देने की आवश्यकता है बल्कि उन्हें सम्मान, मान देने की आवश्यकता है। श्रमिकों के मनोबल को हमारे देश में गिराया गया, उसे शिक्षा ग्रहण करने से रोका गया बल्कि उसका शिक्षा ग्रहण करना एक दंडित अपराध घोषित किया गया। डा0 बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष व प्रयासों के कारण श्रमिकों को तमाम राजनीतिक संरक्षण मिला। बन्धुआ मजदूरी और बाल श्रमिकों को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया। इसके चलते काफी संरक्षण प्राप्त हुआ है। बुन्देलखण्ड में बन्धुआ मजदूरी बड़े पैमाने पर मौजूद है। चित्रकूट के पाठा जनपद में कोल आदिवासियों के बीच में बन्धुआ मजदूरी और इलाहाबाद के मेजा और वारा विधान सभा क्षेत्र में बन्धुआ मजदूरी बड़े पैमाने पर मौजूद है। मान्यवर, झांसी में डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री है वहां बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। पत्थर खनन और क्रेशर में श्रमिकों का शोषण हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे कृपया बताने की कृपा करेंगे कि क्रेशर उद्योग में जितने छापे आपने मारे, आपने श्रमिक कानून को लागू किया। न्यूनतम मजदूरी की दर जो 1996 में निर्धारित की गई थी वह चार साल के बाद भी पुनरीक्षित नहीं की गई। 47 रूपये न्यूनतम निर्धारित है उसे 70 रूपये से ज्यादा करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं दो मिनट में खत्म करूँगा। 70 रुपया मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो मजदूरों को भोजन मंहगा मिलता है दूसरी तरफ उन्हें दाम कम मिलते हैं। 35/- रूपया सरकारी विभाग आर0ई0एस0,लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग 35/- रूपया प्रतिदिन की मजदूरी देते हैं, मैंने कई केस, एस0डी0एम0 को दिए और बताया कि शोषण हो रहा है इनका लचर रवैया है शासन के निर्देश ऐसे नहीं हैं कि न्यूनतम मजदूरी का मुकदमा कायम किया जाए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ चित्रकूट में आई0टी0आई0 खोलने की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता है।

सेवायोजना कार्यालय अभी तक नहीं खुल सके हैं उसे खोलने की आवश्यकता है। मजदूरों को न केवल ट्रेनिग कराने की आवश्यकता है बल्कि आने वाले जरूरतों का मुकाबला करना है। अब शिक्षित लेबर की आगे आवश्यकता होगी। गॉव में ही मजदूरों को नये रोजगार के अवसर खोलने होंगे वरना दस साल में शहरी क्षेत्र में जनसंख्या संभल नहीं पायेगी। जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोगों का पलायन हुआ है उसको आप संभाल नहीं पाएगे। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि क्रेसर में काम करने वाले लोग क्षय रोग से पीड़ित हो रहे हैं उनको संरक्षण दिया जाए। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री केशो मेहरा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ उत्तर प्रदेश में जो हमारी जनसंख्या है उसमें श्रमिक हमारी पूँजी है जो कौशल हमारे देश में कालीन क्षेत्र में शिल्प क्षेत्र में, चिकन के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में है उसमें हम श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलबध कराकर एक ओर तो हम देश का निर्यात बढ़ा सकते हैं वहीं स्वाभाविक रूप से इन लोगों की आय बढ़ा सकते हैं। जहां एक ओर इससे विदेशी मुद्रा मिलेगी वहीं स्वभाविक रूप से प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वालों की जो संख्या है वह ठीक होगी। मेरा अनुरोध है मंत्री जी से कि हम लोग इंजीनियरिंग विद्यालय में अन्य विद्यालयों में त्रिपक्षीय वार्ता से वेतन क्या दिया जाए, मजदूरी क्या दी जाए, निर्धारित करते हैं। उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग क्षेत्र में पड़ौसी राज्य के मुकाबले वेतनमान अधिक है उनका पुन: संशोधन किया जाना है जब भी यह किया जाए, क्यों एक ओर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रुप से घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाना चाहते है, किसी भी उत्पादन की लागत में श्रम का मूल्य एक महत्वपूर्ण मूल्य होता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके बारे में निर्धारण कर लें।

मान्यवर, जो होटल एवं रेस्टोरेंट हैं उनमें जो श्रमिक हैं उनका वेतन निर्धारित किया गया है उनके वेतन में एकदम से 500 रू0 की बढ़ोत्तरी की है। मान्यवर, जो इण्डस्ट्रियल डिस्पयूट ऐक्ट है उसकी पुन: समीक्षा करने की आवश्यकता है। मान्यवर, जो सेवायोजन कार्यालय हैं वर्ष 1999 का जो विवरण दिया गया है 5 लाख 2 हजार 839 यह पंजीयन हुआ है लेकिन 4603 मात्र सेवायोजन हो चुके हैं। सारा कम्प्यूटराइज करके इसको किया जाय। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी में एक महिला आई0टी0आई0 है एक अनुदेशक के पद पर कुसुम यादव कार्यरत थीं उनको अब भंडारी के पद पर कर दिया गया है वे उच्च न्यायालय में गयी, विभाग ने भी माना है कि श्रीमतीं कुसुम यादव उच्च वेतन में थीं कृपया उनकी नियुक्ति अनुदेशक के पद पर पुन: कर दी जाय।

श्री अम्बरीष कुमार-

मैं सभी माननीय सदस्यों का पक्ष और विपक्ष के, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बजट का सर्मथन तो किया लेकिन जिन बातों को मैंने रखा बाल श्रम के बारे में, उनके पक्ष के लोगों ने भी समर्थन किया। माननीय डंग साहब ने, जो जांच की मांग एन0जी0ओस0 की है जो बाल श्रम के नाम पर पूर्वांचल में अनुचित कर रहे हैं, उनका जिक्र आया है। जो श्रमिकों के पुस्तकालय हैं उनमें नयी पुस्तकें नहीं आ रही हैं इसका जिक्र आया है। पूर्वांचल के मजदूरों की बात भी कही गयी। इसी तरह से पूर्णमासी पंकज जी ने गोरखनाथ पांडेय जी ने, डंग साहब ने लगभग हमारी हर बात का समर्थन ही किया अगर वे बंधुआ न होते तो वोट हमारी बात पर ही करते अगर इनकी यह कठिनाई दूर हो जाय तो सब बंधुआ मजदूरी हट जाये। बाल चन्द्र मिश्रा जी ने जो बात रखी है यही चिन्तन का फर्ड है। माननीय मिश्र जी ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि श्रमिक का बेटा भी श्रमिक बने।

मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम श्रम के महत्व को नहीं समझते हैं। समाज में जो कुछ सामाजिक संरचना है उसका कोई अर्थ नहीं रहता है यही चिन्तन का बिन्दु है। महात्मा गांधी जी ने सफाई मजदूरों की बाबत बातें कही थीं। सफाई मजदूर गंदगी को साफ करते हैं पूरे समाज की गंदगी को साफ करते हैं उनके प्रति नजरिया यह है कि वे मजदूर हैं या सफाई कर्मचारी हैं तो हम सामाजिक परिवर्तन के काल चक्र को पीछे मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रगतिशील नहीं प्रतिगामी बात होगी अगर हम यह फर्क कर रहे हैं। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ संजय गर्ग जी का राम औतार शाक्य जी का। मान्यवर, हम कितने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। संजय गर्ग जी ने जो बात कही। मान्यवर, उन्होंने बात कही कि जो श्रम विभाग के अधिकारी है व्यापारी संगठन से बातचीत करने के बाद समझौता करने के बाद ही कारखानेदारों की तरफदारी में इस सरकार ने यह फैसला किया है कि बिना कमिश्नर और जिलाधिकारी की अनुमति के कोई श्रम अधिकारी मजदूरों की दशा जानने के लिए किसी कारखाने का निरीक्षण नहीं कर सकते इससे इस सरकार का वर्गचरित्र उजागर हो जाता है।

दूसरी बात मान्यवर, मिनिमम वेजेज की चर्चा हुई। मैं कहना चाहता हूँ एल0आई0सी0 बोनस केस में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था जिसमें यह कहा था कि विनिमम वेजज नहीं लिविंग की जरूरत हैं जिससे श्रमिक जिन्दा रह सकें और अपने परिवार का जीवनयापन सकें मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मिनिमम वेज देने की बात की इस अवधारणा को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को यह सरकार स्वीकार करे। और जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि ए0बी0सी0 कि ए0बी0सी0 क्लास में 1750, 1650, और 1500 उनको देना तय किया गया है तो क्या आज की स्थिति में इस पैसे से कोई अपने परिवार का निर्वाह कर सकता है अगर नहीं, तो इसका अर्थ क्या है।

मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि डाला चुर्क, चुनार का केस बी आई एफ आर में लगा हुआ है उसमें एक मजदूर की अभी मौत हो गयी थी, ट्रेन में मौत हो गयी थी तो मान्यवर, उस केस में क्या हुआ। उसके बारे में बताने की कृपा करें। जो कताई मिले हैं उनका केस बीआईएफआर में लगा हुआ था, आईडीबीआई को इसकी जांच का काम दिया गया था, 33 करोड़ रूपये ले लिये और मान्यवर, यह माना कि यह कताई मिलें चलने योग्य हैं, चलाई जा सकती हैं तो उनके बारे में सरकार का क्या निर्णय हुआ इसके बारे में माननीय मंत्री जी बता देंगे तो आभारी होंगे। कृषक मजदूर जो बटाईदार हैं, क्रेशर मजदूरों का शोषण है। बटाईदार की अगर फसल नहीं होती है तो उसके लिए एक समस्या है तो ऐसे लोगों के लिए इन्श्योरेंश की घोषणा माननीय मंत्री जी करेंगे। मैं चाहूँगा कि अपने उत्तर भाषण में इन बातों को रखें उसके साथ ही पक्ष और विपक्ष के साथियों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, सत्ता पक्ष के माननीय डंग जी, पंकज जी, बाल चन्द्र मिश्रा जी, गोरखनाथ पाण्डेय जी और केशो मेहरा जी तथा विपक्ष की ओर से माननीय अम्बरीष जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, राम औतार शाक्य जी, संजय जी, राम पाल जी, डा0 कौशल किशोर जी, दद्दू प्रसाद जी, आपके माध्यम से इन पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर अपने विचार रखकर हमारा ज्ञानवर्धन किया है। निश्चित रूप से श्रम विभाग को अति महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो कार्य हमें करने होंगे हम उन्हें करेंगे। माननीय अम्बरीष जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार श्रम विभाग के प्रति कितनी सजग और जागरूक है श्रम विभाग का बजट पहले ही दिन रखा है। आपने अपने भाषण में कटौती के प्रस्ताव में कहा था कि हमने बिजनेस क्लास और लेबर क्लास के बारे में चर्चा की और कृषि मजदूरों के बारे में कृषि के बारे में कोई बात नहीं कही।

वास्तव में श्रीराम पाल जी ने कहा कि श्रम दो तरीके का होता है। शारीरिक और मानसिक श्रम। जो लेबर क्लास की बात कहा है उसमें सभी तरह के श्रम करने वाले लोग आते है। श्री अम्बरीष जी देश में, उत्तर प्रदेश में ही यह सरकार है जिसने असंगठित क्षेत्र में कृषि और खेतिहर मजदूरों को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन में बढ़ोत्तरी किया है। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हों, खेतिहर मजदूर हों या बंधुआ मजदूर हों सभी के प्रति संवेदनशील है। जो भी श्रमिक किन्हीं कारखानों से निकाले गये हैं हमारा प्रयास रहेगा कि पहले उनको समायोजित करा दें और यदि ऐसा नहीं होता है तो जितने दिन काम किया है उसकी वेतन दिलायेंगे।

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जिज्ञासा व्यक्त किया था कि बालश्रम में कितनी अवस्था के मजदूर आते हैं। उन्होंने एक डेटा भी दिया था। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं उनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा और पुर्नवासन की व्यवस्था किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें 100 रूपया स्कालरशिप भी बच्चों को देने की व्यवस्था करती है।

मान्यवर, अधिकांश विपक्षी सदस्यों ने ईट भट्टों में काम करने वाले बाल श्रमिकों के बारे में चिन्ता व्यक्त किया था तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो वहां श्रमिक रहते हैं उनके साथ परिवार में बच्चे रहते हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि जो बाल श्रम भट्ठों पर है उनमें कुछ खतरनाक उद्योग हैं और कुछ खतरनाक उद्योग नहीं है। तो खतरनाक उद्योग में बाल श्रमिकों को एलाऊ नहीं करते हैं और गैर खतरनाक उद्योगों में 4 से 6 घन्टे बालक काम करेंगे और दो घन्टे मालिक उसकी शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेगा। मान्यवर, अभी कानुपर में हमने एक ईट भट्टे पर एक स्कूल का उद्घाटन किया था और इसी प्रकार पूरे प्रदेश में ईट-भट्ठों पर स्कूल चलाने के निर्देश दिया है। और कहा है बालकों के मनोरंजन के लिए एक रंगीन टी0वी0 रखें।

मान्यवर, जो भी यह विचार मजदूरों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने प्रकट किया है हमने उनको संज्ञान में लिया है। इस सम्बन्ध में श्री अम्बरीष जी, श्री मुन्ना चौहान जी से अनुरोध करता हूँ कि यह गरीबों और श्रमिक मजदूरों का मामला है इसलिए वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्व सम्मति से इस बजट प्रस्ताव को पास करें।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने रखा था उनके सम्बन्ध में उत्तर अपेक्षित था उसमें किसी प्रश्न पर हमें संतोषजनक उत्तर मंत्री जी की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए बाध्य होकर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त, 53,77,99,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए माँगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या 45

पर्यावरण विभाग

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 67,71,23,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*पर्यावरण मंत्री (श्री बच्चा पाठक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राजयपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,15,32,70,000 रूपये से अनधिक स्वीकृति की जाये।

श्री अध्यक्ष-

अपनी मॉगों के समर्थन में कुछ कहेंगे तो।

(माननीय मंत्री जी के न खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मंत्री जी को यह लोग क्यों नहीं प्रस्ताव रखने देना चाह रहे हैं, आपको पर्यावरण के लिए पैसा नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पहले कटौती का प्रस्ताव आ जाय, उसके बाद बोलियेगा।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 45-पर्यावरण विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, इस पर्यावरण विभाग का उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्यायें हैं, प्रदूषण और पापुलेशन, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या का निराकरण करने वाला यह विभाग है। मान्यवर, इसकी महत्ता इसी से आंकी जा सकती है कि आज इस दुनिया में वैज्ञानिक किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिन्तित हैं जो इस बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर चिन्तित हैं। क्योंकि इसका सीधा सा असर होने जा रहा है। जो हमारी पृथ्वी के ऊपर ओजोन लेयर की चादर है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, उनको वापस कर देती है या सोख लेने का काम करती है। परन्तु हम जो घरों में फ्रिज यूज कर रहे हैं, ए0सी0 यूज कर रहे हैं उससे निकलने वाली क्लोरोफ्लोरो कार्बन, गैस क्लोरीन बनने से चेन्ज होकर, ओजोन परत को आक्सीजन में कन्वर्ट कर नष्ट कर देती है, अभी तो हमारे अंटाकर्टिका पर छेद हुआ है और ओजोन चादर पतली होती जा रही है, वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिन्ता इस बात को लेकर है कि अगर ओजोन लेयर में छेद हो गया तो जहाँ पर हम बैठे हैं, यह पृथ्वी सालिड पृथ्वी नहीं होगी, यह खौलने लगेगी और 250 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान हो जायेगा। इस बात को लेकर इसका जो परिवर्तन होगा, उससे और भी दुष्परिणाम सामने आयेंगे और हमारे देश के महर्षियों और मुनियों ने जो कल्पना की है मान्यवर, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जो साउथ पोल और नार्थ पोल पर वर्फ है, वह टेम्परेचर बढ़ने से पिघलेगी और समुद्र में पहुँचेगी और इससे 2 मीटर तक समुद्र का जल स्तर ऊँचा हो जायेगा, तमाम देश, द्वीप उसमें विलीन हो जायेंगे। उस परिणाम को ध्यान में रखकर आज पूरा विश्व चिन्तित है और इस चिन्ता को ध्यान में रखकर ही इस पर तमाम सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस विभाग को माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, आज यहाँ बजट प्रस्तुत कर रही है, उस विभाग में जो हमें देखने का मौका मिला था और 1997-98 के बजट में मैंने 153 करोड़ 94 लाख रूपये का बजट प्रावधान कराया था। ढाई करोड़ के अगेन्स्ट, उसके पहले ढाई करोड़ का बजट था, उसका बढ़ा करके 153.94 करोड़ रूपये कराने की कोशिश करायी थी और उसमें तमाम स्कीमों के बारे में जिससे पर्यावरण संवर्धन में एक आयाम जुड़ सकता था, प्रदेश को एक ही दिशा देने की कोशिश की थी।

दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1997-98 का बजट पास करने के बाद जब माननीय मंत्री जी, इस सरकार के हाथ में यह विभाग गया तो उसमें जो खर्च हुआ वर्ष 1997-98 में मात्र प्लान साइड में 37 लाख 67 हजार था। 153.94 करोड़ का जो बजट प्राविधान था, बड़ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र प्लान साइड में 1 करोड़ 42 लाख 88 हजार और प्लान तथा नान प्लान का कुल 2 करोड़ 19 लाख रूपया मात्र उस वित्तीय वर्ष में खर्च किया गया। सारे प्लान ठप हो गये। इसके बाद मंत्री जी ने उस समय 1998-99 का बजट रखा उसमें 153 करोड़ 25 लाख का प्राविधान कराया था, उसमें खर्च किया 3 करोड़, 72 लाख 52 हजार, यह प्लान और नान प्लान दोनों मिलाकर है। इसके बावजूद 1999-2000 के बजट में माननीय मंत्री जी ने इसी सदन से अनुरोध करके 348 करोड़ 18 लाख रूपये का बजट पास कराया। और उसमें से खर्च हुआ,

मान्यवर, जो आया है वह पुनरीक्षित है और पुनरीक्षित 144 करोड़ 37 लाख खर्च हुआ है। पिछले वर्षों में 3 करोड़ और 2 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब प्राविजन कर रहे हैं, जिन स्कीमों के लिए कर रहे हैं, उन स्कीमों पर खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रदेश का जो यह महत्वपूर्ण विभाग है, उसको बनाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-(मार्शल से) सेल फोन जो बज रहा है, ले आइये।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, पूरी दुनिया में जो 7 आश्चर्य हैं उसमें से एक हमारे उत्तर प्रदेश में ताज महल है जिसको बहुत से विदेशी पर्यटक देखने आते हैं। हिन्दुस्तान की धरती पर कदम रखने वाले हर विदेशी पर्यटन की यह लालसा होती है कि वह ताज महल देखे। ताज खतरे में है इसको ध्यान में रखकर सुप्रीमकोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन के लिए, ताज की सुरक्षा के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर 600 करोड़ रूपयों की एक विशेष संरक्षित निधि की स्थापना की है।

इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि 50 प्रतिशत भारत सरकार और 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य में खर्च करेगी। मैं जानना चाहता हूँ 1996-97,97-98,98-99,99-2000 और 2000-2001 में जो माँग रखी गयी हैं उनको मिलाकर 400 करोड़ रूपये की जो निधि बनी है, जिसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, उस पैसे से ताज ट्रेपेजियम जोन में, आगरा सिटी में जो फाउंडरियां हैं और जो कोयले से चलने वाले उद्योग हैं जिससे सल्फर डाई आक्साइड निकलती है और जो वातावरण की आक्सीजन से मिलकर सल्फर टेट्राआक्साइड बनती है और फिर वातावरण के मोयस्चर से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H_2SO_4 बनाती है और यह सल्फ्यूरिक एसिड बरसात में जब चककीले पत्थर पर पड़ता है तो उसकी चमक को धुंधला कर देता है इसे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है इसको ध्यान में रखकर सुप्रीमकोर्ट ने यह कहा था कि इस क्षेत्र से फाउंडरियां हटायी जायं,कोयले पर आधारित उद्योग आये जायं और कोयले की जगह पर गैस आधारित उद्योगों को लाया जाय और जहां पर पापुलेशन ज्यादा है वहां पर जनरेटर चलने से जो धुंआ होता है उसको रोकने के लिए 24 घंटे बिजली दी जाय और उसके लिए इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड की ट्रांसमिशन लाइनों और विद्युत व्यवस्था को दुरस्त किया जाय। इसी तरह से शहरी विकास मंत्रालय ने शहर के सीवेज और वाटर सिस्टम को ठीक करने के लिए पैसा रखा गया था। सड़कों पर यातायात व्यवस्था के कारण जो धुआँ उत्पन्न होता है तो ऐसे ट्रकों और बसों को दूसरे रास्ते से निकालने के लिए बाईपास बनाकर मार्गों से सुदृढ़ीकरण करने की योजना बनाने की बात थी।

तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस मकसद के लिए जो पैसा रखा गया था आज आपने उसमें कितना पैसा खर्च करने का काम किया है। मैं बजट पुस्तिका देख रहा था बहुत थोड़ा पैसा आपने खर्च किया है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से जर्जर स्थिति को देखते हुए जो पैसा आपको दिया गया था अगर उस पैसे को आप नहीं खर्च कर पाते है तो इन कार्यों की लागत अगले वर्षों में और बढ़ जायगी। सदन आपको जो पैसा दे रहा है उसके बारे में सदन जानना चाहता है कि उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से मान्यवर, ताज ट्रेपेजियम जोन के लिए एक स्कीम बनी थी और वह बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बनी थी। वह मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा के रहने वाले लोगों के लिए थी। उद्योगों को विस्थापित कर रहे थे तो एशियन डेवलेमेंट बैंक की सहायता से वर्ष 1997-98 में 8000 करोड़ रूपये की एक स्कीम बनी थी उस पर सहमति हुई थी और कहा था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दे दीजिए। उस समय 43 करोड़ 30 लाख रूपये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए रखा और "टेरी" को इसके लिए लगाया था और वह उस साल नहीं हुई, दूसरे साल भी नहीं हुई। अभी आपकी बजट पुस्तिका को देख रहा था।

आपने वर्ष 1999-2000 में रखा, 43 करोड़ रूपया वह खर्च नहीं हुआ। इस साल आपने उस

स्कीम को समाप्त कर दिया और टोकेन मनी के रुप में मात्र 1000 रूपया रख रहे हैं। 6000 करोड़ रूपया उत्तर प्रदेश को मिलने वाला था अंचल के सुदृढ़करण के लिए मिलने वाला था, इलेक्ट्रानिक सिटी डेवलप करने के लिए मिलने वाला था लेकिन आय प्रोजेक्टर रिपोर्ट नहीं तैयार कर पाये, इससे ज्यादा दुखदायी इस प्रदेश के लिए और क्या हो सकती है जहां लाखों लाख लोगों को रोजगार मिलता, आगरा का डेबलेपमेंट होता, प्रदूषण रहित होता और ताज भी संरक्षित होता परन्तु इस काम को क्यों नहीं कर पाये। इसको उत्तर भाषण में जरूर कहने की कृपा करें। एक और बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम ओ0ई0सी0 एफ जो विश्व की संस्था है, उससे एक सैद्धान्तिक सहमति बनी थी फिनीविलटी रिपोर्ट तैयार कीजिए। 15 लाख रूपया इसके 1997-98 की बजट में रखा गया था तथा एडमिनिस्ट्रेटिव कालेज, बंगलौर को इंगेज किया गया था इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उस वर्ष में वह 15 लाख रूपया खर्च किये परन्तु वह रिपोर्ट कहां गयी यह सदन जानना चाहता है, पैसा देने से पहले वह कई हजार करोड़ रूपये की स्कीम थी जिसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश के ऐसे महानगर या नगर जहां जल प्रदूषण की समस्या है उसको मुक्त करना और सुझाव देना। ओ0ई0सी0एफ0 पैसा देने के लिए तैयार थी लेकिन उस दिशा में क्यों बात आगे नहीं बढ़ पायी। मान्यवर, इसी तरह से वर्ष 1997-98 में एक अवधारणा थी जो डा0 अम्बडेकर पर्यावरण पार्क बना है। उस पर्यावरण पार्क के अर्न्तत इकोलांजीकल पार्क बनाने के लिए 4 करोड़ 30 लाख रूपया रखा था वित्तीय वर्ष में नहीं ले पाये और उस कार्य की शुरूआत भी नहीं हो पायी, उसके पीछे जो कन्सेट था कि डा0 अम्बेडकर पार्क के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति आता है तो वह यह जान सके कि प्रदूषण से क्या-क्या दिक्कतें हो रही है, उससे कैसे मुक्ति मिल सकती है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। उसके लिए तीन-चार चीजों की आवश्यकता थी। कौन सा पेड़-पौधा किस तरह से प्रदूषण को निवारित करता है। कौन सा पौधा जल प्रदूषण को, कौन सा वायु प्रदूषण को और कौन ध्वनि प्रदूषण को निवारित करता है इसकी हम जानकारी दे पाते। लेकिन उसको नहीं कर पाये। एक और अवधारणा थी म्युजियम की। जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका बेसमेंट खाली है उसमें म्युजियम स्थापित करना था। उसमें हमें यह जानकारी मिलती कि प्रदूषण है उसका क्या दुष्प्रभाव हो रहा है इसी के अन्तर्गत एक स्कीम बनाई गई थी वहां पुस्तकालय की योजना थी कि बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन कर सकें। वहां पर स्लाइड के माध्यम से चलचित्र के माध्यम से इस प्रदूषण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए चित्रों द्वारा दिखाया जा सके। यह चार चीजें मिलकर एक प्रोजक्ट का निर्माण किया गया उस दिशा में कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं समझी इसको यह सदन जरूर जानना चाहेगा ऐसा क्यों हुआ। मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में एक स्कीम थी जिसके लिए 4 करोड़ 40 लाख रूपए रखी गयी थी।

उस वित्तीय वर्ष 1997-98 का खर्चा शून्य गया दूसरे वर्ष आपने 1998-99 में 4 करोड़ 40 लाख रूपए रखा खर्च आपने किया एक करोउ 40 लाख रूपए वर्ष 1999-2000 में 4 करोड़ 40 लाख रूपए रखा, खर्च किया दो करोड़ पॉच लाख रूपए। आगे इस स्कीम का क्या हुआ है जो बजट पुस्तिका दी गई है उसको देखने की कृपा करें क्या यह स्कीम समाप्त हो गई,क्या प्रदूषण समाप्त हो गया इस सम्बन्ध में मंत्री जी जरूर अपने विचार रखेंगे। वर्ष 1997-98 में केन्द्रीय मंत्री श्री सैफुद्दीन सोज थे मैं उनके पास गया था उन्होंने मुझे बताया था उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में आप पहले पर्यावरण मंत्री है जो यहां इस विषय पर डिस्कसन के लिए आए हैं उन्होंने कहा था कि यह हिमांचल है मणिपुर से लेकर कश्मीर तक यह पूरे विश्व के पर्यावरण को सम्बन्धित करता है। इसके लिए तमाम देशों के लोग पैसा दिए हुए हैं तमाम आफर हमारे पास हैं किन्तु किसी प्रदेश से प्रोजक्ट रिपोर्ट बनकर नहीं आई जिसके लिए अनुदान का पैसा दिया जा सके। आप इसके लिए प्रोजक्ट रिपोर्ट बनवाएं पैसा तमाम देश देने के लिए तैयार हैं। हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने केन्द्र से मिलकर कोई प्रयास करने की कोशिश की होती तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारी सोच है जो चिन्तन है जो उत्तर प्रदेश का हिमालय है, उसमें पर्यावरण संवर्धन के लिए प्रोजक्ट बनाकर कार्य करें तो अनेक विश्व संस्थाओं से

आपको पैसा मिल सकता है एवं इससे मेरा जो अनुमान है उसके अनुसार सात हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे हम देश ही नहीं पूरे विश्व के कल्याण का काम करेंगे। इसमें आपको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।

यह पर्यावरण संवर्धन का कार्य अकेले करना चाहें यह सम्भव नहीं है इसमें सरकारी और निजी संस्थाओं से सामन्जस्य बनाकर कार्य करने की जरूरत है। प्रदूषण के सम्बन्ध में अभिरूचि पैदा करने के लिए 1997-98 में बाबा साहब भीव राव अम्बेडकर पुरस्कार की योजना शुरू की गई थी अगर आपको अम्बेडकर का नाम नहीं अच्छा लगता तो कोई अन्य मनीषी पं0 दीन दयाल या अन्य पर्यावरणविद् के नाम से पुरस्कार दे सकते हैं। इसमें हमने बीस लाख रूपए की व्यवस्था की थी कि दो लाख रूपए के 10 पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था थी इसमें गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत, टाउन एरिया सबके प्रस्ताव सम्मिलित किए जाते एवं नम्बर एक जो होता उसको पुरस्कार देने का काम होता।

(इस समय 8 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

इसी तरह जो स्वयं सेवी संस्थायें हैं जो पर्यावरण संवर्धन के लिए कार्य करती थी हमने उन्हें चुना था और उन्हें हमनें जिले स्तर तक ले जानें का प्रयास किया था। इसी तरह से ऐसे अधिकारी जो हमारे जिलों में तैनात होते हैं और पर्यावरण संवर्धन के लिए कार्य करना चाहते हैं, जो हमारे पास जिलों के लिए फण्ड है उसका पर्यावरण संवर्धन में प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें अवसर दिया जाय। आपके विभाग में 16 अधिकारी और 57 कर्मचारी कुल 73 अधिकारी/कर्मचारी है। ऐसे अधिकारी जो पर्यावरण संवर्धन में रूचि दिखाते हैं उनकी चरित्र पंजिका अच्छी बनाई जाती थी और उनके प्रमोशन को भी ध्यान दिया जाता था।

(डा0 अरविन्द कुमार जैन व निकट मंत्रीगणों में तेज फुसफुसाहट की आवाज आने पर)

मान्यवर, मैं डा0 जैन साहब का ध्यान इस महत्वपूर्ण बजट की ओर नहीं खींच पा रहा हूँ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा0 अरविन्द कुमार जैन)-

इतनी देर बैठे-बैठे बेडशूल हो गया है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आपस में बात न करें।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मैनें छात्रों को इस क्षेत्र में उतारनें के लिए एन0सी0सी0 और एन0एस0एस0 जैसी संस्थाओं को प्रेरित किया और बी. सी सर्टिफिकेट प्रदान किये जिससे उनको नौकरियों में भी बेटेज मिलता था। आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से पूरा देश व प्रदेश डूब गया है, हम लखनऊ में रहते है यहां की स्थिति बहुत खराब है। गोमती नदी को हमारी संस्कृति में माता का रूप और पर्वतों को पिता की संज्ञा दी जाती है। हमारे वृक्षों में काम देवताओं का वास है। पीपल के ऊपर एक-एक पत्ते पर देवता का वास है।

श्रीमती कृष्णा राज-

यही पीपल का पत्ता जिस पर देवता का वास है एक माननीय सदस्य ने खा लिया था ऐसा अभी एक सदस्य ने कहा।

(सत्ता पक्ष की ओर से फुसफुसाहट से व्यवधान)

श्री बी0आर0 वर्मा-

जिस गम्भीर विषय पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ उसे मैं हल्का करना नहीं चाहता हूँ। हमारी संस्कृति में इस बात को कहा गया कि पीपल के हर पत्ते में देवता वास करते हैं। यह इसलिये कहा गया है कि जो आक्सीजन है, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, सबसे ज्यादा बरगद, पीपल और इसी प्रकार के अन्य वृक्षों से प्राप्त होती है परन्तु आज इनका ह्रास हो रहा है। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप

जल प्रदूषण से मुक्त होना चाहते हैं और हमारे महानगरों में शुद्ध पानी देना चाहते हैं तो आपको एक वाटर मैनेजमेंट स्कीम बनानी होगी ताकि बरसात को जो 95 और 96 प्रतिशत पानी बह कर समुद्र में चला जाता है, उसके लिये रिजरवायर बनाकर उस पानी का हम समुचित उपयोग कर सकते हैं। और जब पानी की आवश्यकता हो तो उसे उसी हिसाब से डिसचार्ज कर सकते है। ताकि हमारी नदियों की जो बीयरिंग कैपेसिटी है और फैक्टिरयों से जो उत्सर्जन होता है, इन नदियों की बीयरिंग कैपेसिटी को हम ठीक कर सकें।

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

माननीय श्री वर्मा जी पुल के बारे में बोल लिये, सिंचाई की नहरों के बारे में बोल लिये, हमारे श्री फागू चौहान जी की भैंसों के बारे में नहीं बोले क्योंकि इनसे भी पर्यावरण दूषित होता है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

पर्यावरण को समझने के लिये इनके दिमाग का दोष है क्योंकि यह कोई ऐसा विभाग नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में इस पर काम हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

पर्यावरण एक बहुआयामी प्रश्न है। माननीय वर्मा जी ने स्पर्श करके कोई गलती नहीं की है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

जैसे आपने ताज निधि बनाई है, जिसके लिये दूसरी नोडल एजेन्सी काम कर रही है। यदि आप शुद्ध पानी देना चाहते हैं तो आपको यह स्कीम बनानी होगी। आप नहीं बनायेंगे तो कल कोई न कोई इसे बनायेगा। आज आप गोमती नदी के पानी को देख लीजिये। आप इसे उठा नहीं सकते है। वही पानी लखनऊवासी पी रहे है। यह समस्या नहीं है? आप नहीं समझते है, न समझेंगे। इसको हंसकर उड़ाना चाहते हैं उड़ा लें। इसके दुष्परिणाम आज बड़े हो रहे हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को भारत सरकार से मिलकर वाटर मैनेजमेंट स्कीम बनानी पड़ेगी। आप आज बनवायें या आने वाले दिनों में बनवायें। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विषय में माननीय मंत्री जी ने अपने बजट के बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझा क्योंकि माननीय मंत्री जी को जितना यह सदन पैसा 250-300 करोड़ यह खर्च करते रहे है 3 या 4 करोड़। इसलिए ये स्वयं जानते है कि इसमें बोलकर क्या करेंगे, पैसा लेकर क्या करेगे हम जब खर्च ही नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे विभाग को और मंत्री जी को बजट काटकर एक रूपया ही कर दिया जाय इन्हें पैसों की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मेरा निवेदन सुन लें। मेरे पास सत्ता पक्ष से भी कुछ नाम आये है। विपक्ष से कोई नाम नहीं आया। मैं चाहूँगा कि वे भी भाग लें मगर एक स्वअनुशासन 2 या 3 मिनट में अपनी बात कर समाप्त कर देंगे तो ठीक है अन्यथा जो स्थिति है, ध्यान से आपकी बात नहीं सुनी जा सकेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय पर्यावरण मंत्री जी खुद ही बच्चा है वह बोलेंगे नहीं इसलिये कटौती के प्रस्ताव पर ही बोलने दीजिये।

श्री बच्चा पाठक-

सत सय्या के दोहरे, जो नाविक के तीर
देखने में छोटे लगें, भेदे सकल शरीर।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनको स्वामी बना लीजिये कटौती का प्रस्ताव अपने आप वापस हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने मुझे पर्यावरण विभाग की प्रस्तुत अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिये अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मानव जीवन का सम्बन्ध पर्यावरण से है। जिन पंचतत्वों से मिलकर यह शरीर बना हुआ है इनका सम्बन्ध भी पर्यावरण से है। सन्त तुलसी दास जी ने राम चरित मानस में लिखा है कि क्षिति जल, पावन, गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा ''मान्यवर, यह पंचतत्व पर्यावरण के अंग हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उसने पर्यावरण के संरक्षण के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं। जो सराहनीय है'' उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के माध्यम से प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया है इसके लिये प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रदूषण चाहे जल का हो, वायु का प्रदूषण हो चाहे ध्वनि का प्रदूषण हो। इन तीन प्रकार के प्रदूषणों का प्रभाव महानगरों में बढ़ रहा है। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। जल प्रदूषण से संबंधित है।

गोमती नदी को आज प्रदूषण मुक्त करने के लिये अभियान चलाया गया है जिसके लिये मैं नगर विकास मंत्री जी की सराहना करता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि 1984 में एक बहुत बड़ा पाप लखनऊ के साथ हो गया। गोमतीनगर जहाँ बसा हुआ है वहां पर एक सैलेज फार्म था जिसको पाट दिया गया जिसमें मल मूत्र और गन्दा पानी इकट्ठा होता था। उसको पाटकर यहाँ पर गोमतीनगर बना दिया गया। आज गोमती नदी के अन्दर शहर के सारे नाले मल मूत्र और सारी गन्दगी डाल रहे हैं और इस कारण से आज गोमती का वेड इतना ऊँचा हो गया है कि गऊघाट पम्पिंग स्टेशन पर लगे पम्प चलते हैं तो वह पानी को खींचने के बजाए मल-मूत्र गन्दगी खींच रहे हैं मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, गोमती नदी की जल कुम्भी साफ करने से पालीथिन बैग साफ करने से भला नहीं होने वाला है उसको गहराई से साफ करने की आवश्यकता है, 40-50 फीट नीचे सफाई की आवश्यकता है ड्रेसिंग की आवश्यकता है। इसके बाद शारदा सहायक से अतिरिक्त पानी लेकर गोमती को साफ किया जा सकता है। गोमती बैराज से बाहर नालों को किया जाए। अगर गोमती बैराज और गऊघाट के बीच में नाले खुले रहेंगे तो गोमती साफ नहीं होगी। मान्यवर, इसी तरह से लखनऊ में वायु प्रदूषण बहुत हो रहा है। शहर में ऐसे उद्योग लगे हैं जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा है। बिना लाइसेंस के आरा मशीनें चल रही हैं। पालीथिन उद्योग चल रहे हैं अभी मध्य विधान सभा में एक जगह आग लग गई थी क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों के अन्दर पालीथिन बनाने के कारखाने चल रहे हैं इनको बन्द करने की आवश्यकता है, वायु प्रदूषण का असर ओजोन पर्त पर पड़ रहा है अल्ट्रा वायलट किरणें सीधे मानव शरीर पर असर डाल रही है। मान्यवर, लखनऊ महानगर में वाहनों की भारी संख्या है वाहनों में तेज आवाज के हार्न लगे हैं जो मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं इसमें प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। मान्यवर, लखनऊ किसी जमाने में बागों का शहर कहा जाता था सब बाग कहां चले गये ? कालोनियां बन गई हैं अपेक्षा करता हूँ कि लखनऊ में पेड़ लगाए जाएं ताकि पर्यावरण संरक्षित हो सके।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बल देने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पर्यावरण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जो वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मंत्री जी ने तमाम पहलुओं का जिक्र किया जिससे मानव जीवन का अस्तित्व जुड़ा है। श्रीमन् उस सम्मानित पीठ से भी टिप्पणी की गई कि पर्यावरण की सीमा संबर्धन एक विषय नहीं है। यह केवल किसी एक विभाग या जीवन से जुड़ा एक विषय नहीं है यह बहुआयामी है। यह सही है इसको एक विभाग में बांधकर रखना और पर्यावरण के संबर्धन की बात सोच लेना यह सही नहीं है। आधुनिक जीवन की तरक्की, आधुनिक जीवन के आयाम एक तरफ रखें और पर्यावरण को एक तरफ रखकर देखने की बात थी तो जब से मानव जीवन

अस्तित्व में आया तब से लेकर पर्यावरण निश्चित रूप से विरोधाभास के रास्ते पर रहा। किसी भी देश का रणकौशल इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकास का मीटर कैसे तय करते हैं हमें यह देखना है कि एक तरफ तो विकास का पहिया न रूके वहीं ऐसा काम न हो जो पर्यावरण संरक्षण के लिए खतरा पैदा हो।

मान्यवर, तमाम तरह की इण्डस्ट्री हैं। मान्यवर, जिन्हें हम रेफरीजेटर एवं ए0सी0 कहते हैं, जो उनमें डिस्पोजल होता गैस का, तो हम रेफरीजेटर फेकने का काम करते हैं। मान्यवर, जो सी0एफ0सी0 का इमीशन होता है पर्यावरण में जाकर खत्म किया जा सकता है। वहां ऊपर जाकर ओजोन लेयर यदि वह समाप्त हो जाय तो फिर प्रक्रिया में वह छन कर नहीं आयेगी जिससे स्किन कैंसर जैसे विकृति पैदा होती हैं। अब आप कहेंगे कि ओजेन लेयर के संरक्षण का मामला कैसे रोका जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ओजेन लेयर के संरक्षण का मामला कैसे रोका जा सकता है। आप गंगा मैय्या की बात करते है गंगा यमुना की जो संस्कृति है, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि गंगोत्री यमुनोत्री के ग्लेशियर को चिर स्थायी आज की तारीख से नहीं किया गया,तो गंगा यमुना का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा फ़िर तो इस देश का अस्तित्व भी खतरे में पड़ेगा।

(इस समय 8 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के लिये जो आपने कार्यक्रम बनाया, गंगोत्री ऐक्शन प्लान के नाम से योजना शुरू की गयी यमुना गंगा ऐक्शन प्लान नाम से योजना शुरू की गयी यमुनोत्री गंगोत्री से सैलानी आकर वहां की आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। हमने कहा कि विकास को चिर स्थायी स्वरूप दिया जाना होगा। मान्यवर, पर्यावरण हमें विरासत में नहीं मिला हमने बच्चों से उधार लिया है जिसे हमें उधार की शक्ल में ही वापस करना होगा। आज बात आ रही है कि जो गंगोत्री, यमुनोत्री का ग्लेशियर है वह रिसीड करता चला जा रहा है। जो प्रवाह की बात है, गंगा यमुना उसका प्रवाह क्या होगा। अभी बात आयी कि गोमती का रिवर बेड ऊँचा होता जा रहा है, डंग साहब बाढ़ पर चर्चा कर रहे थे तो बात आयी कि रिवर बेड को चैन लाइज किया जाना चाहिए ताकि समस्या समाप्त हो जाय। मान्यवर, आखिर सिल्ट कहां से होती है।

मान्यवर, जो पहाड़ों का प्राकृतिक आचरण है, मैं कहना चाहता हूँ कि वनस्पति का आवरण खत्म होता जा रहा है सिल्ट बहकर नदियों में आ जाती है। समुद्र में जलस्तर का ऊँचा करती है। कैसे आप प्रवाह करेंगे। सभी कुछ पर्यावरण की समस्या है।

अभी संदर्भ आ रहा था वर्ल्ड बैंक के इशारे पर तमाम अमेरिका-इंस्टीट्यूशन के दबाव में आकर डब्लू0टी0ओ0 का यहां जिक्र आया था। डब्लू0टी0ओ0 का जो निगोशियेशन हुआ है सियेटेल के अन्तर्गत पर्यावरण को ट्रेड का हिस्सा बनाने की कोशिश की गयी। आज हमें आधुनिक जीवन में कम्पीट करना है। लेकिन आधुनिक विकास के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जो विकास की खतरनाक चीजें हैं उसको इस तरीके से कर देंगे कि उसको पर्यावरण के माध्यम से किया जा सके। मान्यवर, जो चिमनियां हैं पावर प्लांट हैं तमाम फ्लाई ऐश उसमें होता है थर्मल पावर स्टेशन है उसमें फ्लाई ऐश निकलता है। यह सब आज समस्या है ऊसर भूमि के विकास की बात कही जाती है, उसका विकास कृषि को बढ़ावा देने में किया जा सकता है।

लेकिन यदि आप दुनिया के आंकड़े उठाकर देखे तो उत्तर प्रदेश के अन्दर फ्लाई ऐस का उपयोग 3 प्रतिशत हो रहा है जबकि दुनिया के तमाम प्रदेशों में 35 से 40 प्रतिशत पैदावार बढ़ाने में किया जाता है। मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र की एक बात कहना चाहता हूँ यदि आप देखें तो कोई भी सरकार करोड़ों रूपया कहाँ की पेयजल योजनाओं पर खर्च करती है। उत्तरांचल क्षेत्र में हैंडपम्प नहीं लग सकते हैं, टॅयूबवेल नहीं लग सकते हैं। वहाँ के जनजीवन का अस्तित्व तभी तक है जब तक वहाँ पर धारा बहती हरेगी। मान्यवर, जो पालीथीन का प्रयोग होता जा रहा जहाँ पर पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर पालीथीन एक भयावह स्थिति बनती जा रही है। वर्षा का पानी सीपेज से होकर जमीन के अन्दर जाता है और हमारे जो पेयजल के श्रोत हैं उनको रिचार्ज

करता है लेकिन आज सर्फेस के अन्दर जो रिचार्ज की व्यवस्था है वह खत्म होती जा रही है। और पेयजल के श्रोत सूखते चले जा रहे हैं और अब परिणाम यह है कि गॉवों में पानी की समस्या पैदा हो गयी है।

हम सुझाव देना चाहते हैं कि रिमोट सेन्सिंग से सर्वे करायें उन तमाम जगहों का पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा का पानी नीचे नहीं आया, वर्षा का पानी पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर ही रोकने का काम करें जिससे भूमिगत जलश्रोत की रिचार्जिंग हो सके। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं उम्मीद करूँगा कि माननीय सदस्य यहाँ पर पर्यावरण की समस्या पर गम्भीरता से विचार करेगें। मैं तमाम सारे पहलुओं पर एक सुझाव देना चाहता हूँ कि प्राइमरी एजूकेशन से लेकर ऊपर तक हर स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को कम्पलसरी सब्जेक्ट के रूप में इन्ट्रोड्यूज किया जाना चाहिए क्यों कि पर्यावरण किसी व्यक्ति का सवाल नहीं यह पर्यावरण अनुच्छेद-51 के अन्तर्गत एक मौलिक दायित्व है। लिहाजा एक अनिवार्य विषय बनायें यह उम्मीद की जानी चाहिए और हर देश के नागरिक को उसकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। अंत में मैं माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ इसके साथ ही साथ पर्यावरण विभाग के बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि आज सभी प्राणी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होती है इसके लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास चल रहे हैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चलाकर, प्रदेश का पर्यावरण स्वच्छ हो सही हो इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। उसमें पर्यावरणीय शिक्षा सेवा प्रशिक्षण एवं जागरूक कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरणीय शोध एवं कार्यान्वयन द्वारा, निदेशालय के सुदृढ़ीकरण के द्वारा, विभिन्न समाजसेवी संगठनों के द्वारा, विश्व पर्यावरण दिवस के द्वारा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से सम्मेलन और गोष्ठियों के माध्यम से जनता के बीच में इसका प्रचार-प्रसार सरकार कर रही है। इसके लिए जिस प्रकार की आवश्यकता है मेरा सुझाव है कि गोरखपुर जनपद में एक फरेन्दा नाला है उसमें सरदार नगर डिस्टलरी का गन्दा पानी आता है जिससे पानी इतना विषैला हो जाता है कि वहाँ पर माँ तरकुलही देवी का मेला लगता है और वहां पर नवरात्रि से एक माह पूजा अर्चन शुरू होता है तो उसी स्थान के सटे से होकर उक्त नाला वहां है गंदा विषैला पानी होने से कोई पैर तक नहीं धो सकता है, इतना गन्दा पानी होता है कि कोई पशु अगर उक्त पानी में घुसा तो मर जाता, जल प्रदूषण से आम आदमी, पशुओं का जन जीवन अस्त-व्यस्त है।

मान्यवर, वहीं स्वतंत्रता संग्राम में शहीद बंधु सिंह स्मारक स्थल है जहाँ पर पर्यटन स्थल भी है जिसकी ओर बार-बार शासन का ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन गोरखपुर जिले के जो संबंधित अधिकारी है वे इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं चूंकि फरेन नाले का गन्दा और विषैला पानी होने के कारण जो राप्ती-गुर्रा नदी में गिरता है जिससे उस क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाईयां होती हैं और वहां का जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है मछलियाँ मर जाती है, इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर इसी तरह देवरिया जनपद के कुरना नाला में मिल का विषैला गंदा पानी गिरने से वहां उक्त नाले का पानी बहुत विषैला हो गया है लोगों का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है जिसके रोके जाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, जल प्रदूषण के अतिरिक्त वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वाहनों की बढ़ोत्तरी उद्योग का बढ़ना हो रहा है जिससे सड़कों पर पर्यावरण दूषित होता है, रोड व्यस्त होती जा रही हैं। वाहनों से विषैला धुआं निकलता है जिससे लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए।

मान्यवर, इसी प्रकार पोलीथीन और प्लास्टिक भी पर्यावरण को दूषित कर रहा है। मान्यवर,

पोलीथीन और प्लास्टिक सड़ती गलती नहीं है। पोलीथीन में लोग सब्जी के छिलके और खराब भोजन भरकर सड़कों पर फेंक देते हैं जिससे जानवर उन्हें पालीथीन सहित खा जाते हैं जो पशुओं के पेट में पड़ा रहता है और इस तरह पशुओं को खतरनाक बीमारी हो जाती है जिससे वह मर जाते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि पोलीथीन का प्रयोग बन्द किया जाना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि पर्यावरण विभाग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और पर्यावरण सुधार के लिए अधिक से अधिक धन बजट में उपलब्ध किया जाना चाहिए लेकिन आज प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कटौती करने की बात कर रहे हैं जब कि मेरा विचार है कि उसमें अधिक पैसा दिया जाय जिससे पर्यावरण को जनोपयोगी बनाया जा सके। मान्यवर, पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक धन का प्रावधान होना चाहिए तभी अच्छा जीवन जनता को मिल सकता है। धन्यवाद।

*श्री दीप लाल भारती-

मान्यवर, आपने मुझे महत्वपूर्ण बजट से समर्थन मैं बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अधिष्ठाता महोदय, वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिये यह आवश्यक है कि उद्योगों से निकलने वाले दूषित एवं प्रदूषित गैसीय उत्सर्जन की रोकथाम की जाये। पिछले वित्तीय वर्ष में इस कार्य हेतु 1999-2000 में मार्च, 2000 तक कुल 37.20 लाख रूपया सहमति शुल्क के रूप में एकत्रित किया गया। पिछले बजट में यह देखा गया कि कम बजट के बावजूद भी अधिक काम किया गया, यह स्वागत योग्य है। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 एव तथा संशोधन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत किसी भी उद्योग को चलाने तथा उसके वायु मंडल में उत्सर्जन के लिये किसी नई या परिवर्तित चिमनी का उपयोग में लाये जाने के लिये बोर्ड से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। वायु प्रदूषण, चीनी मिलों, ईट-भट्ठा से प्रमुख रूप से होता है, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण दोनों वाहनों से होता है और जल प्रदूषण चीनी मिलों के शीरा, डिस्टलरी आदि से होता है।

मान्यवर, मैं अपने जनपद के संबंध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं मेरे जनपद में एक चीनी मिल है, वहां से बराबर कचरा तथा गंदा पानी निकल रहा है, जो छोटी गंडक नदी में जा रहा है, जिससे आस पास के कुओं और हैंड पाइप का पानी प्रदूषित होकर पीने योग्य नहीं रह गया है। जिससे लोगों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मान्यवर, वैकल्पिक ऊर्जा के संबंध में भी दो शब्द कहना चाहता हूँ मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेता क्षेत्र है, जो नेपाल बिहार सीमा पर पड़ता है, वहां पर बसनपुर, सोहगविरवा, मरचहवॉ, शिवपुर बसनपुर में सौर ऊर्जा लगाई गई है, ऐसे समय में जब बराबर बिजली जा रही है, वहां सौर ऊर्जा की वजह से बड़ी राहत है। एक निवेदन और करना चाहूँगा। हमारे यहॉ खड्डा में एक चीनी मिल है, जहॉ से राख उड़ती है, जिससे प्रदूषण हो रहा है, इसके लिये वहां पर संयत्र लगवाया जाय, इन्ही शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा समर्थन करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि यह एक अच्छा बजट है।

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय वर्मा जी ने और माननीय चौहान जी ने जो बातें कहीं, लगभग सभी सदन इस बात से सहमत होगा कि:-

"मानव के चारों ओर घिरा पर्यावरण यहां,
जीवन का अभिन्न अंग है पर्यावरण यहां
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने को बजट में,
मंत्री जी ने शुरू किया अब भीषण रण यहां।
पर्यावरण प्रकृति का सहज गति बनी श्रीमन्
प्रकृति से यह जीवन, जीवन से संस्कृति बनी श्रीमन्
बढ़ता प्रदूषण रोग की जननी जगत में है,
इसके सुधार करने की मन में उठी श्रीमन्।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसीलिए माननीय मंत्री जी इस बजट में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये जनजागरण के लिये बात रखी है। माननीय वर्माजी कह रहे थे, ताज ट्रिपेजियम जोन के लिये, मैं बताना चाहूँगा कि 1999-2000 में इसके लिये 4237 लाख रू0 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। माननीय मंत्री जी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी, उसके संबंध में कुछ कहना चाहूँगा।

"पर्यावरण संतुलन बनाये रखना है जरूरी,
इसका अपघटन रोके रखना है जरूरी,
जन जागरण चला करके प्रदेश के अन्दर,
जनता को भी जागरूक करना है जरूरी।
सरकार का उद्देश्य पूर्ण सच्चा समझिये,
प्रदूषण को रोकने में नहीं कच्चा समझिये
सरकार कृत संकल्प है, सचेष्ट है श्रीमन्,
मंत्री जी है सुलझे हुए, भले बच्चा समझिये।"

हमारे भदोही जनपद में सैकड़ों प्लान्ट और बूचड़खाने हैं, जिनको शहर से बाहर करना जरूरी है।

भदोही में सैकड़ों ही लगे डाइंग प्लांट है,
जनमानस रोगग्रस्त सूख रहे प्लान्ट हैं,
उनको शहर से बाहर कहीं दूर भगायें,
है समय का तकाजा यही, समय की बांट है।

-पर्यावरण हेतु सबको साथ चलाना चाहिये,
प्रदूषण को रोकने में साथ लगना चाहिये,
हाउस में जो भी लोग ध्वनि प्रदूषण कर रहे,
इस पर भी आज ही से रोक लगना चाहिये।

एक बात और माननीय वर्मा जी से कहना चाहता हूँ-

पर्यावरण जरूरी सबको जान जाइये,
प्रदूषण को रोकना है, मन में ठान जाइये,
कटौती न करें आज बजट पास करा दें,
वर्मा जी, आज बात सबकी मान जाइये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अधिक इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। माननीय वर्मा जी और मुन्ना चौहान ने विस्तार से सारी बातों को रखा है। यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है माननीय सिंचाई मंत्री जी बहुत चिन्तित भी थे। जैसा मुन्ना जी ने कहा कि गंगा नहर में 147 वर्षो के इतिहास में शायद इस वर्ष जितना कम जल आया है, उतना 147 वर्षो में मान्यवर, कभी नहीं आया। यह चिन्ता का विषय है। जिस प्रकार ग्लेशियर सिकुड़ रहा है, गंगा हमारी लाइफ लाइन है। मान्यवर, जिस समय गंगा नहर का निर्माण हुआ था तो उसके इंजीनियर्स को राष्ट्रद्रोह के अपराध में सजा भी दी गयी थी और जब इसका अस्तित्व पर संकट तो यह गम्भीर संकट का विषय है। मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चिन्ता में सहयोगी बनें ओर विशेषज्ञों को लेकर इस बात की जॉच पड़ताल करने की कोशिश करें कि हम इस विषय में क्या कर सकते हैं और यह लाइफ लाइन नष्ट न हो।

दूसरी बात मैं मान्यवर यह कह रहा हूँ जो ध्वनि प्रदूषण है और सब साथियों ने कहा है। पिछले वर्ष

जब इसी बजट पर चर्चा हो रही थी यह प्रश्न आया था कि पालीथीन को समाप्त कर दें, प्रयोग बन्द कर तब पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि यदि पालीथीन बन्द कर देगे तो वनों का विनाश हो जायेगा इस लिए पालीथीन का प्रयोग रहना चाहिए। माननीय मंत्री जी की बात को हाईकोर्ट ने नहीं माना और कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक निश्चित समय बता दें कि पालीथीन का विकल्प कितने दिन में तैयार हो जायेगा और पालीथीन का उपयोग बन्द कर देगी। यह निर्देश आ गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री के पास ऐसा कोई विकल्प है, इस बात को भी बता दें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। मान्यवर, जैसा हमारे माननीय मंत्री लक्षी नारायण जी ने कहा है, पर्यावरण अपने आप में एक अलग इकाई नहीं है। पर्यावरण विभाग की भूमिका है। चाहे नगर विकास विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो या और कोई विभाग हो इन सबको अलग करके नहीं देख सकते। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है, उससे जो अपेक्षा थी, पर्यावरण को सुधारने के लिए, उन अपेक्षाओं पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खरा नहीं उतरा है और हमारे जो माननीय मंत्री जी है,मैं समझता था कि उनका समर्थन निशंक जी करेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, जिस फैक्ट्री में जाते हैं, चाहे फैक्ट्री का ताला ही बन्द हो, वह हिम्मत नहीं हारते, अपने सिपाहियों को लेते हैं, उन्हें अन्दर भेजते हैं चाहे उसका दरवाजा लॉघ कर ही जाना पड़े। यदि उसका मालिक नहीं मिला तो उसको ढुँढवा लेते हैं, उसको लखनऊ बुलाते है। उसके लखनऊ आने के बाद फैक्ट्री का प्रदूषण खत्म हो जाता है, ऐसे कर्मठ मंत्री और कोई नहीं है। मान्यवर, यदि ऐस योग्य मंत्री उत्तर प्रदेश में रहे तो उत्तर प्रदेश में प्रदूषण बिल्कुल रह ही नहीं जायेगा, प्रदूषण बिल्कुल नियंत्रण में आ जायेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशो मेहरा-

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मैं प्रसिद्ध एतिहासिक नगरी जहाँ पर ताज महल है उस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आता हूँ। ताजमहल उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं, बल्कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिये एक चिंता का विषय है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिये एक प्रसिद्ध सिविल याचिका 13381/1994 एन0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार दायर की गयी उसमें निर्णय 30 दिसम्बर, 1996 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और उसके अनुसार 292 इकाइयों को जो ढलाई की इकाइयां भी जिनका ताज के प्रदूषण से कोई संबंध नहीं था उन पर बंद हो जाने की तलवार लटक गयी।

मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सकार ने इन इकाइयों को बचाने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की और यही नहीं उसमें भारत सरकार के महान्यायवादी सोली सोरावजी की सेवायें ली गयीं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात् मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि 31 अगस्त, 1999 तक जो यह इकाइयां है वह यदि गैसे के कनेक्शन नहीं लेंगी तो उनको बंद कर दिया जायेगा। गैस की स्थिति ऐसी नहीं थी और इस प्रकार के उपकरण नहीं बने थे कि ठीक प्रकार से भट्ठियां चल सकें। फिर भी आदेश आ गया और पुन: उत्तर प्रदेश सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इसके बारे में माननीय शांति भूषण जी को इंगेज किया और आज यह सब इकाइयां विधिवत चल रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो यह निर्णय दिया था उसमें स्वयं माननीय न्यायाधीश कुलदीप सिंह जी ने वरदराजन कमेटी बनायी जिसकी रिपोर्ट के वाल्यूम-8, पृष्ठ-8 पर उल्लेख है कि वर्ष 1982 में जब आगरा में 2 दस मेगावाट के तापीय विद्युत गृह बंद कर दिये गये थे उस समय जो सैम्पुल लिया गया था उसमें सल्फर डाई आक्साइड 30 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिकमीटर थी। उसके बाद यह 8 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिकमीटर हो गयी। भारतवर्ष का जो प्रदूषण का सल्फरडाइ आक्साइड के मामले में सतर है वह 7 माइक्रोग्राम प्रति कयूबिकमीटर है।

जब याचिका 11 अप्रैल 1994 को प्रस्तुत की गयी तो प्रस्तुत किय जाने के दो महीने बाद केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जो भारत सरकार का 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूविकमीटर का मानक था उसको घटाकर 30 माइक्रोग्राम प्रति क्यूविकमीटर कर दिया और ताजमहल क्षेत्र को संवेदनशील मानते हुये 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूविकमीटर निर्धारित कर दिया और उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने निर्देश दिया कि ढलाई उद्योग की क्षमता बढ़ाई न जाय और नयी इकाइयां न लगायी जाय। मैं बताना चाहता हूँ कि श्री वी0एन0 टंडन जो वरदराजन कमेटी के सदस्य थे उन्होंने कहा कि ताजमहल को कोई खतरा नहीं है।

श्री वी0एन0 टण्डन जी, उस रिपोर्ट कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने स्वयं उसमें लिखा है कि मैं दोपहर के समय ताजमहल में था ताजमहल पीला और मटमैला दिखाई दे रहा था लेकिन बारिस हुई उसके बाद वह सफेद/धवल दिखाई देने लगा जो एस0पी0एम0 है हवा में बैठा हुआ धूल कण है, संगमरमर जो कैलिशियम कार्बोनेट कहते हैं इस प्रकार की पुन: स्थितियां पैदा की जा रही हैं कि कि ताज ट्रिपेज्यिम क्षेत्र के अन्तर्गत वैराज बनाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है लेकिन आपने इस बजट में एक हजार रूपया टोकेन मनी के रूप में रखा है। वैराज के लिए जो राशि स्वीकृत की गयी थी वह जब योजना स्वीकृत हुई थी तो उसकी लागत 60 करोड़ रूपये थे लेकिन अब 120 करोड़ रूपया से अधिक हो गयी है मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी कार्य हो जाये। कुंए और नदी के पानी की गुणवत्ता ठीक हो यह पर्यावरण मंत्रालय का काम है। यमुना से जो प्रदूषित जल दिल्ली से आ रहा है उससे स्थिति खराब हो गयी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसको ठीक किया जाय। अभी माननीय वर्मा जी ने नदी, पहाड़ पीपल, बरगद आदि की बातें की है। मैं उनके इस बात का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर बल देता हूं।

(माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर भाषण देने के लिये खड़े न होने पर)

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, 9 बज रहा है और अभी दो विधेयक लगे हैं इसलिए इससे जल्दी निपटाया जाये। माननीय बी0आर0 वर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि किसी दूसरे दिन भाषण कर लीजिएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, कार्यसूची में अभी दो बिल बाकी हैं। माननीय लक्ष्मीनारायण जी चाह रहे थे कि भैंस और भैंस के पाड़ों पर अन्तिम विचार आ जाये नहीं तो अधूरा रह जायेगा।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, पर्यावरण विभाग का जो बजट प्रस्ताव था वह नहीं आया। कटौती प्रस्ताव के ऊपर जो सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव जी ने लखनऊ में जो प्रदूषण की स्थिति है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की उस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। प्लास्टिक उद्योग से जो हानि हो रही है उस पर चिन्ता व्यक्त की है। मुन्ना चौहान ने ग्लेशियर्स की हालत बतायी। थर्मल पावर स्टेशन के जो प्लाई ऐश है उसके बारे में बात आयी। फ्लाई ऐश की समस्या है। जब हमको मंत्रि परिषद् में बैठने का मौका मिला था तो हमने निर्णय लिया था कि जो भी इण्डस्ट्री इन प्लाई ऐश का उपयोग करेंगे उन्हें ट्रेड टैक्स में छूट दी जायेगी। तमाम उद्योगों में इनका उपयोग हो सकता है। सीमेण्ट कारखाने में इसका उपयोग हो सकता है, ब्रिक बनाने में उपयोग हो सकता है और प्लाई ऐश की प्राब्लम साल्व हो सकती है। इसकी पूरी अध्ययन रिपोर्ट आ चुकी होगी।

उस पर गौर करें तो काफी कुछ निवारित हो सकता है। अम्बरीष जी, श्री केशो मेहरा जी व अन्य तमाम साथियों ने अपनी बात कही उन लोगों ने किसी न किसी रूप से मेरी बात का समर्थन किया है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। आपके पास दो बोर्ड हैं एक है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरा आपका शक्ति नगर स्पेशल डेबलपमेंट एथोरटी। इन दोनों बोर्डो की हालत के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि आपका जो साडा है उसमें चेयरमैन नहीं है खाली पद चल रहा है माह अप्रैल 1999 से खाली चल रहा

है। वहां सचिव नहीं है, वह पद खाली चल रहा है इसमें विश्वबैंक की बड़ी धनराशि मिल सकती है वह कमिटेड है, देने के लिए तैयार है परन्तु प्रयास नहीं हुआ है इसके लिए मंत्री जी प्रयास करें।

शक्ति नगर में पावर हाउस की बजह से जनजीवन बहुत दूषित हो गया है अगर साडा की स्कीम में पैसा लग सके तो इसमें सुधार हो सके। दूसरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके क्रिया कलाप के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। उस विभाग ने एक काम शुरू किया था जो नल एटलस बनाने का यह जोनल एटलस हमारे किसी नदी के किनारे किस तरह के उद्योग लग सकते हैं, कहां लग चुके हैं सारी जानकारी होती। ताकि उद्योगपति जब आता तो उसको एन0ओ0सी0 के समय सारी जानकारी दी जाती कि कहां-कहां उद्योग लग सकता है वहां के लिए एन0ओ0सी0 दी जाती, मेरे समय में गाजियाबाद को जोनल एटलस बना था बजट पुस्तिका में लिखा है कि इसके लिए आगे प्रयास रत हैं एवं गाजियाबाद के बाद मेरठ, बुलन्द शहर और बागपत का जोनल एटलस बनाया जा रहा है अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है तो पूरे प्रदेश का जोनल एटलस कब बनाएंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विभाग के लिए एक अच्छे अधिकारी जो अपने दिल से कुछ करना चाहता था, पी0 श्री उमाशंकर आपको सचिव के रूप में मिले थे श्री एन0सी0 बाजपेई के बाद दूसरा आदमी काम करने का मिला था दो महीने नहीं हुए उनको हटा दिया गया वह बैकवर्ड क्लास के नहीं थे शैड्यूलकास्ट के नहीं थे। साडा जो शक्ति नगर स्पेशल डेबलपमेंट एथोरिटी है उसके लिए विश्वबैंक से उस अधिकारी ने प्रयास किया और विश्वबैंक आगे आ सका ऐसे अधिकारियों को अपने पास रखिए तभी आपके विभाग में कुछ काम हो सकेगा। जिस मकसद के लिए विभाग बना है उस मकसद की पूर्ति हो सकेगी। विशेष अदालत में बहुत बड़े पैमाने पर मामले पेंडिंग पड़े हैं उनको निपटाने का काम करें इससे इण्डस्ट्रियलिस्ट का नुकसान होता है। विगत वर्षों में सदन ने जितना पैसा दिया वही खर्च नहीं कर पाये। 250 करोड़ में से आप दो करोड़ खर्च नहीं कर पाये। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा यदि आप बता दें कि इतना पैसा कहां और कैसे खर्च करेंगे?

पर्यावरण मंत्री (श्री बच्चा पाठक)-

मान्यवर, पूरे विश्व में पर्यावरण की समस्या है, यह केवल हिन्दुस्तान की ही समस्या नहीं है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है जो बढ़ गया है। इस बजट के अवसर पर हमने महसूस किया जो माननीय सदस्य मेहरा जी, पंकज जी, मुन्ना जी, वर्मा जी के जो सुझाव आये हैं वे मानने योग्य हैं वर्मा जी जो पहले इस विभाग के मंत्री है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अब पछताये होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हमनें यह भी महसूस किया है कि 98-99 के बजट में कटौती के प्रस्ताव पर जो आंकड़े वर्मा जी ने रखे थे वहीं आंकड़े इस बार भी रखे हैं। अरे दुनियां आगे जा रही है और ये पीछे की ओर जा रहे हैं। इस सरकार की नीतियों के अनुसार ही काम करेंगे। हमारे अफसर ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों के मुताबिक ही काम करते हैं। और इनका कहना है कि अफसर ऐसा हो जो इनका कार्य करे। इन्होंने कहा सही कहा कि मनुष्य का प्रकृति के साथ अटूट रिश्ता है। मुन्ना जी ने कहा कि पेड़ों की कटाई चल रही है। पीपल के लिये कहा कि पत्ते-पत्ते पर देवता निवास करते हैं। आज इस विधान सभा के अंदर भी इन्होंने राजनीतिक पर्यावरण को दूषित किया है। आज ताज इम्योरियम के विषय में मेहरा जी ने कहा।

हमारी सरकार कृत संकल्प है। ताज ट्रेपेजियम निधि का गठन किया गया। 1999-2000 में 100 करोड़ रूपए की निधि इसमे रक्षित [illegible] गई। आगरा में जलापूर्ति हेतु 10.10 लाख रूपए का धन व्यय किया गया, मथुरा-बृन्दावन में जलापूर्ति हेतु 13.6[illegible] करोड़ रूपए व्यय किये गये, आगरा में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हेतु 1.22 करोड़ रूपए व्यय किये गये, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 6.01 करोड़ रूपए व्यय किये गये। इसी प्रकार अन्य योजनायें हमने बनाई जिन पर खर्च किया गया। वर्मा जी अम्बेडकर नगर की बात करते हैं अगर आप गांवों की बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता और उपयोगी भी होता। आज गांव स्तर पर भी पर्यावरण को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। शक्तिनगर के अन्दर भी एक योजना हमने बनाई है।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में हमने कई कार्य इसके लिये हैं। मुधंवा ग्राम में आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों की हमारी योजना है, जन कल्याण एवं पर्यावरण सुधार हेतु आंड़ी में ऊर्जा पार्क का निर्माण योजना है, जनमानस हेतु लहरा (म्योरपुर) स्थिति प्राकृतिक झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने की योजना है। इस प्रकार हमारी 8 योजनायें हैं। 1999-2000 में भी हमने कई कार्य किये हैं। मलिनं बस्ती उन्नयन योजना का काम हमने किया है।

पिपरी में जनहित योजनाएं और अन्य जगहों में भी विशेष विकास योजनाएं लागू की गई है। समस्त नगर पंचायतों में पेयजल की योजनाएं लागू की हैं। मैंने आपको ताज ट्रिपेजियम के विषय में बताया, और जो भी पर्यावरण से संबंधित योजनाएं हैं उनके विषय में अवगत कराया है। जो हमारी इकाइयां हैं, चाहे वो हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो चाहे अन्य इकाइयां हों सभी अपने माध्यम से इस प्रदेश के पर्यावरण को ठीक करने के लिये लगी हुई हैं। माननीय सदस्यों का दिल और दिमाग कहीं और लगा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त जी के नेतृत्व में प्रदेश के अन्दर राजनैतिक पर्यावरण हो या प्रदूषण हो उसको हर तरह से दूर करने के लिये कृत संकल्प है। वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव कहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ खानापूरी के लिये कटौती का प्रस्ताव रखा है इसलिये मैं चाहूंगा कि उसको वापस ले लेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य-

मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनका भाषण बड़ा विद्वतापूर्ण रहा।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,15,32,70,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000

(श्री लाल जी वर्मा का नाम पुकारे जाने पर उन्होंने संकल्प प्रस्तुत नहीं किया)

(व्यवधान)

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार (श्री बालेश्वर त्यागी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा के बारे में विचार करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसमें ग्रामीण और नगरीय शिक्षा के बारे में इसमें व्याख्या की है ताकि प्राथमिक शिक्षा का सही रूप से संचालन कर सकें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प कर रहा हूं यह सदन उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (संशोधन)

अध्यादेश, 2000 का अननुमोदन करता है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

यह नहीं हो सकता है, अब विचार का प्रस्ताव आ गया है।

श्री राम औतार शाक्य-

संशोधन रख रहा हूं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शाक्य जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री अम्बरीष कुमार-

मैं इनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य-

मैं जानता हूँ कि काफी समय हो रहा है सदन यह नहीं चाहता है कि लम्बी बहस की जाए तो इतना तो मैंने संशोधन के समर्थन में कहा है इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को बिना सोचे समझे सदन में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मेरा इतना ही संशोधन है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें। ताकि वहां से रिपोर्ट आए कि क्या प्राविजन इसमें ठीक है और क्या ठीक नहीं है, गुण दोष के आधार पर छानबीन वहां हो जायेगी और फिर सदन विचार कर लेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मै प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री मुन्ना चौहान-

मैं माननीय शाक्य जी के द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-12 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवे वर्ष में निम्लिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000कहा जायेगा

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समक्षा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की 2- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायगा, और-

धारा 2 का संशोधन

(क) इस प्रकार से पुन: संख्यांकित उपधारा (1) में-

(एक) खण्ड (ड.) शब्द "जिला परिषद्, अन्तिरम जिला परिषद, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी" या नोटीफाइड एरिया कमेटी के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगर पालिका" रख दिये जायेंगे;

"(2) खण्ड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) "नगरपालिका" का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात:-

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,-

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे:

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 195 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 195 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में-

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियां अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गॉव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं"और शब्द "उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों के स्थान पर शब्द जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाएं रख दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (ड.) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गॉव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तो पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ड.) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिया जायेगा, अर्थात:-

(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गॉव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निर्देश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।

(च) खण्ड (छ-2) निकाल दिया जायगा।

5- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे। धारा 5 का संशोधन

(ख) उपधारा (2) में-

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायेगा:

(दो) खण्ड (घ) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायेगा।

(6)-मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी; अथात्:- नई धारा 9 क का बढ़ाया जाना

"(9)-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संशोधन अधिनियम, 2000 के दिनांक को और से,- बेसिक स्कूल अध्यापको और सम्पत्तियों का नियंत्रण

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति , ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी, किसी संविदा; पट्टा या अन्य लिखित में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ,ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायेगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद् लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन; सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय दान, विनियम, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।

7-मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्न धारा 10 10-क

लिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात:- और 11क प्रतिस्थापना

10-उत्तर प्रदेश जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का संपादन करेगी, अर्थात्:-

जिला पंचायत के कृत्य

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना:

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।

10-क-यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:-

नगरपालिकाओं के कृत्य

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन ओर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रचार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ड.) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैजी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त गांव शिक्षा समिति पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम और उसके कृत्य पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति स्थापित कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय; लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।

8-मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। — धारा 12-क का निकाला जाना

9-मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी अर्थात्:- — नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

13-क-संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश नगर

अध्यारोही प्रभाव — पालिका अधिनियम 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी

के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे

धारा 14 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2000
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 1999
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 1999

12-(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-12 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री बालेश्वर त्यागी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाए?

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 अननुमोदन करता है।

श्रम राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, औद्योगिक झगड़ा शब्द आपत्तिजनक है। इससे इस विभाग में मौजूद लोगों की मानसिकता का पता चलता है मान्यवर, इसको संशोधित कर औद्योगिक विवाद अधिनियम कर दिया जाय।

मान्यवर, यह मजदूरों की बात करने वाली सरकार है जितने भी लोग इसमें रखे गये हैं इसी विधेयक के पीछे इसकी सूची दी हुई है आप देखें। मान्यवर, यह अधिक प्रतिनिधित्व वाला आयोग होता अगर ऐसे किसी व्यक्ति को समादिष्ट करते सदस्य के रूप में जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व काफी लम्बे समय तक करता रहा हो जिसे श्रमिकों के बीच काम करने का अनुभव हो जो उनकी समस्याओं से परिचित हो और उसका हम फिर खुले दिल से समर्थन करते हैं लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया आप मजदूरों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं उनके प्रति आपकी जो सहानुभूति है मात्र घड़ियाली आंसू हैं। मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने और न्यायिक प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए उसके लिए यह बिल लाया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 [illegible] तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 का अधिनियम (संशोधन) करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम 2000 कहा जायगा।

(2)यह 16 मार्च, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 28 सन्1947 की — 2- संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4-ङ. में -

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी,

धारा 45 का संशोधन

अर्थात--

(1) राज्य सरकार एक समिति संघटित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश, न्यायाधीश, जो ज्येष्ठ हो, अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार का मुख्य सचिव;

(ग) श्रम विभाग में राज्य सरकार का यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव;

(घ) विधायी विभाग मे राज्य सरकार का प्रमुख सचिव;

(ड.) न्याय विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव;

(च) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवा आयोग का सदस्य हो या रहा हो।"

(ख) राज्य सरकार का मुख्य सचिव:

(ग) रम विभाग में राज्य सरकार का यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव या सचिव;

(घ) विधायी विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव;

(ड.) न्याय विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव;

(च) श्रमायुक्त, उत्र प्रदेश;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवा आयोग का सदस्य हो या रहा हो।"

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी दी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) कोई भी व्यक्ति, जो राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा या उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का सदस्य न हो या न रहा हो जिसे न्याय व्यवस्था का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव हो या जो सिविल सेवा (कार्य कारी शाखा) का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसे राज्य के श्रम विभाग में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव हो और न्याय व्यवस्था का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव हो, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गयी सूचियों में नामांकन के लिए पात्र न होगा।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्योदश, 2000 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2000

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों

के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सार वान समय पर प्रवृत था।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधित) विधेयक, 2000 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधित) विधेयक, 2000 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मैं लेवर ऐक्ट का एडवोकेट रहा हूँ "डिस्प्यूट" शब्द का कहीं भी अनुवाद झगड़ा नहीं है यह विवाद है, इसलिये इसको ठीक कर दिया जाय। पता नहीं किसने इसका अनुवाद किया है यह ठीक नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं कहता हूँ कि मंत्री जी पहले अपनी इस सूचना को संशोधित कर लें यह इंडस्ट्रियल औद्योगिक विवाद अधिनियम है, यह औद्योगिक झगड़ा अधिनियम नहीं है। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आग्रह करता हूँ कि आप मंत्री जी को निर्देशित करें कि यह जो झगड़ा अधिनियम कहा गया है यह उचित नहीं है और प्रिसक्राइब्ड भी नहीं है यह औद्योगिक विवाद होता है और सरकार की मानसिकता अगर झगड़ा पर उतारू होने के लिए है तो सरकार के लिए मेरे मन में करूणा है।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मैं एक बात इंगित कर रहा हूँ सम्भवत: माननीय मंत्री जी उसका समर्थन करेंगे जब आप उसमें भाषा का अन्तर करेंगे 'झगड़ा' उसमें डालेंगे तो निश्चित रूप से यह आशय निकलेगा और इससे जो कानून आप बनाने जा रहे हैं वह नल एण्ड वाइड हो सकता है इसलिये कोई ऐसी भाषाई त्रुटि के कारण, एक साधारण त्रुटि के कारण जिसकी वजह से कोई पूरी विधान सभा के इसको कोई अदालत चुनौती दें और उसको नल एण्ड वाइड घोषित कर दें। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप स्वयं इसके अन्दर संशोधिन प्रस्तावित कर दें या जो भी उचित समझें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

पंजीयन एवं मनोरंजन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, यह एक अध्यादेश को रिप्लेस करने वाला बिल है जो भाषा अध्यादेश में थी वही इसमें है। मद संख्या-15 पर यह प्रस्ताव आ चुका है, खण्डश: विचार स्वीकार करा चुके हैं, यह पारण का आया है, विचार रखें।

श्री अधिष्ठाता-

यह पारित हो चुका है।

आप वरिष्ठ सदस्य है। या तो उधर से संशोधन आता या अलग से संशोधन ले आयें। अब जिस रूप मे पारित हो चुका है उसी रूप में रहेगा। (व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, जो अधिनियम पहले से विद्यमान है वह दूसरे नाम से प्रस्तावित नहीं हो सकता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य शांत रहें और अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। मैंने पहले ही प्रश्न उपस्थित कर दिया था और विधेयक पारित हो चुका है जिसे मैं पहले ही घोषित कर चुका हूं। (व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

(व्यवधान) मान्यवर, झगड़ा या विवाद दोनों के मायने एक ही होता है। अंग्रेजी में शब्द डिस्प्यूट है। (व्यवधान) हिन्दी में झगड़ा और विवाद दोनों का अर्थ एक ही है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें और शांति बनाये रखें।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, संशोधन का प्रस्ताव मैंने रखा था इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। अध्यादेश जिस नाम से शुरु हुआ है उसको कृपया पास कर दें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता:-

मेरी बात सुन लें। दो विषय हैं। पहला यह कि विधेयक पारित हो चुका है। मैंने प्रश्न उपस्थित किया और पारित घोषित हो गया। दूसरा नं0 विचार का है। जिसे आप झगड़ा और विवाद कह रहे है, उसमें केवल इतना अन्तर है कि झगड़ा शब्द इतना सुसंस्कृत शब्द नहीं है।

श्री मुन्ना चौहान-

मेरी व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। श्रीमन् मेरा यह अनुरोध है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कहा कि जो अध्यादेश पहले बना था, उस अध्यादेश के ऊपर यह बिल आया है। हमारा कहना यह है कि बिल को इन्ट्रड्यूस करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। यदि यह झगड़ा अधिनियम के नाम से कोई पहले से प्रचलित था तो निश्चित रूप से यह मानकर चलते कि उसमें यह संशोधित प्रस्तावित है। चूंकि पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम के नाम से प्रचलित है और औद्योगिक झगड़ा अधिनियम के नाम से कोई अधिनियम प्रचलित नहीं है, इसलिये औद्योगिक विवाद अधिनियम ही होना चाहिये। आप स्वयं कानून के ज्ञाता हैं, जब इस तरह कोई अधिनियम विद्यमान ही नहीं है तो उसमें कौन सा संशोधित करना चाह रहे हैं, यह गलत परम्परा होगी।

श्री अधिष्ठाता-

पारित हो गया, उस पर अब क्या कहना? आप स्थान ग्रहण करें। मैंने अगली मद पुकार लिया है।

श्री हुकुम सिंह-

अगर हमें कुछ देर बैठना है तो हम किसी अच्छे विषय पर बात कर लें, अभी और विषय हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनाएं प्राप्त हुई। निम्नांकित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई:-

1. डा0 अशोक बाजपेयी — कतिपय जालसाजों द्वारा फर्जी हस्ताक्षरित पत्र जारी कर निदेशक, पर्यटन अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय को फंसाये जाने के सम्बन्ध में।

2. डा0 पूर्णमासी पंकज — जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) महराजा आदित्य नाराय हायर सेकेन्ड्री स्कूल भदोही के षड्यन्त्र के तहत संविधान विरूद्ध अल्पसंख्यक संस्था बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री श्यामदेव राय चौधरी — सनातन धर्म इण्टरमीडिएट कालेज, वाराणसी के साथ संलग्न प्राइमरी अनुभाग के शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बकाया वेतन का तत्काल भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री अजय कुमार पोइया — मथुरा जनपद की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा पुलिस द्वारा प्रभावी नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सममुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईः-

1. श्री राम नरेश यादव — जनपद फिरोजाबाद में आये भीषण तूफान व ओलावृष्ट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री राम औतार शाक्य — प्रदेश में हजारों की संख्या में सी0पी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों की परिषदीय विद्यालयों से नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री उदयराज यादव — जनपद लखीमपुर-खीरी के थाना फरदान अन्तर्गत नकहापिपरी कालोनी निवासी चौदह वर्षीय बालक सैली के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों को दो माह से वेतन न मिलने तथा उनके हड़ताल पर जाने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह — जनपद महराजगंज के श्याम देउरवा अन्तर्गत नगर पंचायत धुंधुली में मानक के अनुरूप विद्युत सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल — जनपद गोरखपुर में सहजनवां क्षेत्रान्तर्गत बखिरा पम्प नहर-2 नलकूप खण्ड प्रथम गोरखपुर द्वारा टेल तक पानी न पहुंचाये जाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

7. श्री राम विशुन आजाद — जनपद गोण्डा में तहसील मनकापुर मुख्यालय पर बस स्टेशन स्थापित कर यात्रियों की सुविधा हेतु रोडवेज की बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री राम जग — जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री रूप चौधरी — जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

[illegible]

10. श्री [illegible]

[illegible] सभा क्षेत्रान्तर्गत [illegible] बचाये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

1. श्रीमती गौरी देवी — अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड, गोरखपुर, श्री मघई सिंह द्वारा सरकारी धन का दुरूपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री भीम प्रसाद सोनकर — जनपद अम्बेडकर नगर में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

3. श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री पीतम राम — जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर शहर में टैक्सी स्टैण्ड चौराहे पर स्थापित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा एवं पुस्तकालय को नगरपालिका द्वारा गिराये जाने तथा उसका पुर्निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई:-

1-श्री मुरली धर 2-श्री सुधाकर सिंह 3-श्री राम नरेश यादव 4-श्री अकबर हुसैन 5-श्री रामनाथ रघुवर 6-डा0 धर्मज्ञ सिंह 7-श्री मस्तराम 8-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह 9-श्री अफजाल अहमद 10-श्री रघुवर दयाल वर्मा 11-श्री विजय पाल सिंह 12-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव 13-डा0 छोटेलाल वर्मा 14-श्री हरपाल सिंह 15-श्रीमती सीमा द्विवेदी 16-श्री विनोदमणि 17-श्री विजय कुमार 18-श्री भगवती प्रसाद 19-श्री श्रीराम पाल 20-श्री नवाब सिंह नागर सिंह 21-श्री [illegible]

जिला योजना के अन्तर्गत [illegible] नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की योजना के क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा निगम 51 के अन्तर्गत टी [illegible] सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

([illegible] से वक्तव्य प्रदत्त हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं उत्पादन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की भांति नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की जानी है, जिसके अन्तर्गत 50,000 की नगरीय जनसंख्या पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना है।

इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना विभिन्न नगरों तथा उप नगरों में मलिन बस्तियों अथवा ऐसे स्थानों पर की जानी है, जहां वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अभाव है। झुग्गी-झोपड़ियों तथा मलिन बस्तियों में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना को वरीयता दी जायेगी। जिन क्षेत्रों में इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, उनमें पूर्व से स्थापित चिकित्सा इकाई यथा-हैल्थ पोस्ट, नगरीय

परिवार कल्याण केन्द्र, मेडिकल केयर यूनिट आदि को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समायोजित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त योजना के प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्रदेश के 17 जनपदों में कार्यरत डी0 टाइप के 112 हेल्थ पोस्टों में अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराते हुए उन्हें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किये जाने का विभागीय निर्णय लिया गया था।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 133 डी0 टाइप हेल्थ पोस्ट परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से स्थापित है और इनका सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। डी0 टाइप हेल्थ पोस्ट पर एक चिकित्साधिकारी (महिला), एक स्टाफ नर्स/पी0एच0एन0, 4 स्टाफ निरीक्षकायें, एक कम्प्यूटर तथा एक आया, इस प्रकार कुल 8 पद स्वीकृत है इसके अतिरिक्त इन हेल्थ पोस्टों पर एक फार्मासिस्ट तथा एक प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) तथा संविदा के आधार पर एक पुरूष चिकित्सक उपलब्ध कराते हुए 112 हेल्थ पोस्टों पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव वर्ष 1998-99 में नियोजन विभाग की सहमति के उपरान्त वित्त विभाग संदर्भित किया गया था, परन्तु वित्त विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में योजना में स्वरूप पर पुर्नविचार कर प्रत्येक डी0 टाइप हेल्थ पोस्ट पर एक फार्मासिस्ट, एक प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) 3 स्वच्छक कम चौकीदार के अतिरिक्त पद संविदा पर निर्धारित करते हुए नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का विभागीय निर्णय लिया गया था तथा प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रेषित किया गया था, जिस पर वित्त विभाग द्वारा यह सम्वीक्षा की गयी कि सचिव, वित्त के अ0शा0 पत्र सं0-बी-2-456/x-98-59/98, दिनांक 19 फरवरी, 1998 में इंगित बिन्दुओं के आधार पर सम्यक् परीक्षण के उपरान्त ही नई मांगों के प्रस्ताव वित्त विभाग संदर्भित किये जायें। वित्त विभाग द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही की जा रही थी, इसी बीच वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-5053/ दस-1999, दिनांक 5 नवम्बर, 1999 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये कि राज्य सरकार की कठिन वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में संसाधनों से असम्बद्ध किसी भी नये मद, आयोजनेत्तर अथवा आयोजनागत को स्वीकार न किया जाये। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 5 नवम्बर, 99 को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 1999-2000 में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद मेरठ की जिला योजना में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना योजना हेतु 1999-2000 में कोई परिव्यय उपलब्ध नहीं था।]

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अभी सदन में मौजूद थे मेरे नियम 51 के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि 99-2000 में कोई परिव्यय उपलब्ध नहीं था मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ उनके पास 4 अस्पतालों के लिए परिव्यय था और मैंने परिव्यय की जानकारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने उपलब्ध दि0 28-2-2000 को करायी थी। जो उत्तर आया है वह नितान्त भ्रामक है, सत्य से परे है। इस प्रकार का उत्तर देकर सदस्यों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।

श्री अधिष्ठाता-

आप संगत नियमों में सूचना दे दीजिएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेलने को दिया गया था, मैं उसके बारे में जानकारी चाहता हूं।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार ने कह दिया कि परिव्यय उपलब्ध नहीं था जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध है भूमि उपलब्ध है तथा मुख्य भवन के निर्माण की राशि 15 लाख विधायक निधि से उपलब्ध हो तो क्या सरकार मेरठ में इस स्थापना हेतु कार्यवाही करेगा या नहीं?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहता हूँ जैसा उन्होंने अपने पूर्व स्पष्टीकरण में कहा है, प्रस्ताव जिला योजना से आ जायेगा, भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी और धन उपलब्ध करा दिया जायेगा तो वहां डिस्पेंशरी को बनवा दिया जायेगा।

प्रदेश में राजकीय आदर्श विद्यालय बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य, द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा0 नैपाल सिंह)-

["जीरो बेस बजटिंग "प्रणाली के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं/संस्थानों में पदों की कटौती के संबंध में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसमें यह भी निर्णय लिया गया कि 103 आदर्श राजकीय विद्यालयों को बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में परिवर्तित कर इनके राजकीय अध्यापकों/कर्मचारियों के पदों को अन्यत्र शिक्षा विभाग के कार्यालयों में समायोजित किया जाय।

राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक अध्यापक स्नातक के पदों पर तथा सहायक अध्यापक-अध्यापिकाओं को एल0टी0 ग्रेड के पदों के प्रति समायोजित करने की कार्यवाही की जा रही है।

कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि पद से संबंधित सेवा नियमावली के प्राविधानों का अनुसरण करके ही पदों को भरे जाने की कार्यवाही नियमानुकूल होगी। अतः उचित होगा कि संदर्भित कार्मिकों के समायोजन हेतु लिये गये निर्णयानुसार संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन के माध्यम से तद्विषयक प्राविधान विहित कर लिये जायं, ताकि उन्हीं नियमों का आश्रय लेकर संबंधित कार्मिकों के समायोजन की कार्यवाही की जा सके।

कार्मिक विभाग के उक्त परामर्श के अनुसार शिक्षा विभाग में संबंधित सेवा नियमावली के संशोधन की कार्यवाही गतिमान है। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय से कतिपय सूचनाएं प्रतीक्षित हैं, जिन्हें संकलित कर नियमावली में आवश्यक संशोधन शीघ्र किया जायेगा।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राजकीय आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों को उक्त संस्था के बन्द किये जाने के फलस्वरूप शिक्षा विभाग में ही सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।]

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मद सं0-19 पर हमारी नियम-51 की नोटिस है। माननीय मंत्री का वक्तव्य आ गया, आपने हमारे इस नियम 51 के उत्तर में यह कहा कि जीरो बेस बजटिंग प्रणाली के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और संस्थानों में पदों की कटौती के सम्बन्ध में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी जिसमें यह भी निर्णय लिया गया कि 103 आदर्श राजकीय विद्यालयों को बेसिक शिक्षा विद्यालयों में परिवर्तित कर उनके राजकीय अध्यापकों/कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शाक्य जी, आप वक्तव्य पढ़ रहे है। इससे अच्छा होता कि मंत्री ने वक्तव्य पढ़ा होता।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट घोषणा चाहता हूँ कि इसमें कब तक कार्यवाही हो जायगी। इस तरह से केवल आश्वासन देने से यह आश्वासन समिति को जायेगी और वहां 4 साल लग जायेंगे तब तक जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है। 103 विद्यालयों की, उसका भविष्य क्या होगा। इसका स्पष्टीकरण आ जाय कि कितने दिनों में यह कार्यवाही हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता-

अगर उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो संगत नियमों के अन्तर्गत दे दीजिये। इसको देख लिया जायगा।

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जो स्पष्टीकरण माननीय सदस्य ने चाहा है तो मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ कि यह भोगांव के हैं वहां के आचार विचार, संस्कृति बिल्कुल अलग हैं। यह और वहां के नागरिक बधाई के पात्र हैं। आपने जो प्रश्न पूछा है कि यह इतना मौलिक है कि किसी के लिये उत्तर देना बश की बात नहीं है। जितना मौलिक आपका प्रश्न है उतना ही मौलिक उत्तर है।

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत विद्युत लाइनों में दोष होने तथा झेलाही बाजार और साबरपुर बाजार के पास 32 के0वी0 का सब स्टेशन स्थापित किये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन तथा मनोरंजकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर से मोतीगंज फीडर निकलता है जिसकी लम्बाई लगभग 25 कि0मी0 है। बगदर फीडर 33/11 के0वी0 विद्युतउपकेन्द्र मसकनवा से निकलता है जिसकी लम्बाई लगभग 35 कि0मी0 है यह दोनों फीडर ग्रामीण हैं तथा वर्तमान में शासन की नीति एवं ऊर्जा प्रणाली के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घंटे प्रतिदिन साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। पिछले चार माह में उपरोक्त दोनों फीडरों पर औसतन प्रतिदिन की गई बिद्युत आपूर्ति निम्नवत रही है:

माह	औसतन प्रतिदिन की गई विद्युत आपूर्ति (घण्टों में)	
	मोतीगंज फीडर	बगदर फीडर
दिसम्बर, 99	9.20	9.11
जनवरी, 2000	9.05	8.52
फरवरी, 2000	9.40	9.34
मार्च, 2000	10.15	10.04

मोतीगंज फीडर एवं बगदर फीडर की लम्बाई अधिक होने के कारण विद्युत आपूर्ति में स्थानीय दोष के कारण व्यवधान आ जाता है, जिसको तत्परता से दूर करने के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं। बगदर फीडर की लम्बाई की समस्या के निराकरण के लिए तकनीकी समिति की अनुशंसा पर एक नया 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र गौरा चौकी में स्थापित किये जाने की स्वीकृति हो चुकी है जिसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस उपकेन्द्र के निर्माण के पश्चात साबरपुर बाजार एवं आस-पास के क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। जो लकड़ी के पोल सड़ गए हैं तथा दयनीय स्थिति में हैं

उनको शनै:-शनै:, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, बदला जा रहा है। तार टूटने की घटना की जानकारी मिलने पर तत्परता से उसको ठीक करा दिया जाता है तथा जो विद्युत तार लटक गए हैं उनको ठीक कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। बगदर फीडर विद्युत दुर्घटना से विगत दो वर्षों में कोई जनहानि की घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को अपने कार्यालय/कार्यस्थल पर कार्य दिवसों में निश्चित समयावधि पर उपस्थिति रहने के निर्देश दे दिए गये हैं जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस सम्बन्ध में उदासीनता बरतने के मामले प्रकाश में आने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

झेलाही बाजार की 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर से दूरी लगभग 6 कि0मी0 है तथा वर्तमान में मनकापुर विद्युत उपकेन्द्र पूर्ण भारित भी नहीं है। अत: तकनीकी दृष्टि से झेलाही बाजार में विद्युत उपकेन्द्र बनाना वर्तमान में उपयोगी नहीं है। प्रस्तावित गौरा चौकी विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हो जाने पर बगदर फीडर का लगभग आधा मार्ग इस नये उपकेन्द्र के नए फीडर से पोषित होना प्रस्तावित है तथा साबरपुर बाजार के क्षेत्रों को भी इस नये उपकेन्द्र से पोषित किया जाना प्रस्तावित है। अत: साबरपुर बाजार में नये विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव वर्तमान में तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है।]

आवास विकास परिषद् उ0प्र0 लखनऊ में भूखण्ड आवंटन में धांधली किए जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में भूखण्ड आवंटन में धांधली बरतने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री कैलाश सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि पूर्व आयुक्त, आवास विकास परिषद के स्थानान्तरण के बाद स्थिति बहुत नाजुक हो गयी है, तथा पूर्व आयुक्त ने मा0 सदस्य को कवरिंग लेटर के साथ श्री बादाम सिंह पुत्र श्री कालीचरण, निवासी नगला हरीराम, पो0 आ0 अजीतगंज, जिला मैनपुरी द्वारा श्री कैलाश सिंह राजपूत मा0 विधायक, उमरदा आवास विकास कालोनी छिबरामऊ जनपद कन्नौज के प्रार्थना पत्र पर आवास विकास परिषद् छिबरामऊ(कन्नौज) के भूखण्ड संख्या B/207 तत्काल योजना के अन्तर्गत दिनांक 5-11-99 को आदेश किया था कि "यदि भूखण्ड रिक्त है तो तत्काल योजना में आवंटित करें" परन्तु यह आदेश अनियमितताओं के चलते निर्गत भी नहीं किया गया है। इसी तरह की अन्य अनिमिताए भी की जा रही है जिससे पूरे प्रदेश में असन्तोष व्याप्त है। अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार अपना वक्तव्य दें।

2- मा0 सदस्य श्री कैलाश सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उपरोक्त सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आवास विकास परिषद की छिबरामऊ योजना जनपद कन्नौज के अन्तर्गत कतिपय अवशेष प्लाट बिक्री के लिए आफर किए गये थे। इसी बीच मा0 सदस्य श्री कैलाश सिंह राजपूत द्वारा दिनांक 5-11-99 को तत्कालीन आवास आयुक्त के समय भूखण्ड संख्या-3/207 3/267 के आवंटन हेतु अनुरोध किया गया था जिस पर, तत्कालीन आवास आयुक्त द्वारा आदेशित किया गया था कि जिस पर, तत्कालीन आवास आयुक्त यदि भूखण्ड रिक्त हो तो तत्काल योजना में आवंटित करें। "मा0 सदस्य द्वारा भूखण्ड संख्या 3/207 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आवास विकास परिषद के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय तथा उसके मुख्यालय स्तर पर अनेकानेक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे एवं इस स्थिति से तत्कालीन आवास आयुक्त को अवगत कराया गया था एवं चूंकि एक ही प्लाट के लिए आवेदक बहुत थे इसलिए इस प्रकरण में आवंटन लाटरी पद्धति द्वारा ही किये जाने पर विचार किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मा0

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधायक श्री कैलाश सिंह राजपूत द्वारा श्री बादाम सिंह पुत्र श्री कालीचरण के नाम दो प्लाट क्रमश: 3/207 एवं 3/267 को आवंटित किये जाने का अनुरोध तत्कालीन आवास आयुक्त से किया गया था। जिसमें से बाद में प्लाट संख्या-3/267 के आवंटन के लिए दिये गये प्रार्थनापत्र को वापस लिये जाने हेतु संबंधित व्यक्ति श्री बादाम सिंह द्वारा सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी फतेहगढ़ से अनुरोध किया गया था एवं वह प्रार्थना पत्र उन्हें वापस भी कर दिया गया।

3- इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि तत्कालीन योजना के अन्तर्गत आवंटन से संबंधित एक मामले में मा0 न्यायालय इलाहाबाद द्वारा "तत्काल योजना" के अन्तर्गत आवंटन पर रोक लगा दी है। अत: तत्काल योजना में अब प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं हैं।]

जनपद प्रतागढ़ के थाना संग्रामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम बिजयीमऊ के निवासी कल्लू उर्फ रामचरन की दबंगों द्वारा पिटाई किये जाने तथा उसके गायब किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजनकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 श्री प्रमोद तिवारी, सदस्य विधानसभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत उपरोक्त मामले में दी गयी सूचना पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से जॉच कराकर उनकी जॉच आख्या मांगी गयी। पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से प्राप्त जॉच आख्या से यह पाया गया कि दिनांक 13-3-2000 को थाना संग्रामगढ़ पर अ0सं0 20/2000 धारा 458/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात का अभियोग वादी श्री भदेश्वर सिंह निवासी ग्राम बिजयीमऊ, थाना संग्रामगढ़ द्वारा पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री फैजुद्दीन सिद्दकी द्वारा सम्पादित की जा रही है। वादी मुकदमा उपरोक्त का भतीजा प्रदीप सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह ,द्वारा चोरी की उक्त मुकदमें में अपने गांव के राम नरेश पुत्र कल्लू के ऊपर संदेह किया गया, जिसके आधार पर रामनरेश पुत्र कल्लू पुत्र स्व0 मनबोध पासी के साथ मार-पीट की गयी। आवेदक कल्लू द्वारा इस सम्बन्ध में थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं030/2000 धारा 323/2000 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3 (1) 10 एससी/एसटी ऐक्ट बनाम प्रदीप सिंह पुत्र गिरेन्द्र सिंह के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री देवराज द्वारा की जा रही है।

श्री कल्लू उपरोक्त द्वारा थाना संग्रामगढ़ पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराने के बाद अपने घर न पहुंचने पर उसके पुत्र श्री सजनलाल द्वारा दिनांक 31-3-2000 को थाना संग्रामगढ़ में सूचना दी गयी कि उसके पिता श्री कल्लू दिनांक 27-3-2000 को थाने में मार-पीट की रिपोर्ट लिखाने गये थे परन्तु अभी तक वापस नहीं आये हैं, के सम्बन्ध में रपट नं0 32 समय 20-25 बजे कल्लू उपरोक्त की गुमशुदगी की सूचना दर्ज हुई, जिसकी जॉच तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री रामनरेश यादव द्वारा की गयी। जिनके द्वारा कल्लू की तलाश की गयी तथा तलाश गस्ती हेतु जनपद अपराध अभिलेख ब्यूरो तथा समस्त थानों को सूचना दी गयी। इसी क्रम में थानाध्यक्ष श्री राम नरेश यादव का स्थानान्तरण पुलिस लाइन हो जाने के कारण नवागत थानाध्यक्ष श्री पदमाकर राय द्वारा उक्त गुमशुदगी की जॉच व तलाश की गयी किन्तु कल्लू का कुछ पता नहीं चला इसी दौरान श्री सजन लाल पुत्र कल्लू उपरोक्त द्वारा एक लिखित तहरीह अपने पिता कल्लू के अपहरण के सम्बन्ध में दी गयी, जिसमें उसके पिता कल्लू को उसी के गांव के प्रदीप सिंह पुत्र गिरेन्द्र सिंह व उनके अन्य साथियों के खिलाफ थाने से घर आते समय कल्लू को मारूति गाड़ी में जबर्दस्ती बैठाकर कहीं लेकर चले जाने का विवरण अंकित किया है। इस सम्बन्ध में थाना संग्रामगढ़ पर अ0सं0 64/2000 धारा 364 भा0द0वि0 व 3 (2) 5 एससी/एसटी ऐक्ट पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी, लालगंज श्री देवराज द्वारा की जा रही है।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्राधिकारी लालगंज एवं थानाध्यक्ष संग्रामगढ़ को कल्लू उपरोक्त की तलाश/बरामदगी के लिये कठोर निर्देश दिये गये हैं।

जनपद मेरठ के खेकड़ा क्षेत्र में अनियमित रूप से बसाई जा रही अवैध कालोनियों तथा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम- 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य आगे के लिए स्थगित

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या- 23 स्थगित है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डी0डब्लूसी0आर0ए0 ड्वाकरा योजनान्तर्गत महिला समूहों का प्रशिक्षण बन्द किये जाने तथा महिला समूहों की प्रशिक्षुओं को मानदेय न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा की गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजनकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[इस संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 7 अप्रैल 1999 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वरोजगार योजनाओं यथा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम संहायक कार्यक्रम ट्राइसेम व ड्वाकरा एवं उन्नत टूल किट्स योजना गंगा कल्याण योजना एवं 10 लाख कूप योजना को शामिल करते हुए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलायी जायेगी।

15 अप्रैल 1999 के भारत सरकार के पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार के वित्त पोषण का अनुपात 75.25 में होगा एवं यह भी अवगत कराया गया कि एस0जी0एस0वाई0 योजना दिनांक 01-4-99 से चलायी जायेगी एवं यह भी निर्देश दिये गये कि पूर्व संचालित उक्त योजनाओं के 01-04-99 की अवशेष धनराशि एस0जी0एस0 वाई0 के लेखा शीर्षक के अनुरूप ही व्यय की जायेगी।

भारत सरकार के उक्त निर्देश के अनुक्रम में शासन के पत्र दिनांक 19 अप्रैल 1999 द्वारा जनपदों के पूर्व संचालित उक्त योजनाओं में धनराशि व्यय न किये जाने के निर्देश दिये गये थे एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के मार्ग निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

भारत सरकार से पूर्व संचालित योजनाओं के अवशेष दायित्वों के भुगतान एस0जी0एस0वाई फण्ड से किये जाने के संबंध में निर्देश मांगे गये हैं जो अभी तक भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

चूंकि ड्वाकरा योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में भारत सरकार के निर्देश के अनुशार गत वित्तीय वर्ष से शामिल कर लिया गया है एवं ड्वाकरा योजना की अवशेष धनराशि को भी एस0जी0एस0वाई0 के मार्ग निर्देशों के अनुसार व्यय किये जाने के भारत सरकार के निर्देश हैं। अतएव ऐसी स्थिति में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ड्कवारा योजना के अन्तर्गत भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद बहराइच में कुख्यात आतंकवादी जनरैल सिंह सतराना को मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को घोषित मेडल एवं पुरस्कार तथा मुठभेड़ में मृत पुसिल व आश्रितों को अनुमन्य सुविधायें न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माया गया)

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजनकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[दिनांक 11-3-98 को हुई पुलिस मुठभेड़ में 86 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया था जिसमें कम्पनी कमाण्डर सोहराब खां तथा आरक्षी अजय कुमार तिवारी वीरगति को प्राप्त हुए थे और कुख्यात आंतकवादी जनरैल सिंह सतराना मारा गया था।

2- प्रश्नगत घटना में सम्मिलित सभी अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को रू0 2,00,000 (दो लाख रूपया) की धनराशि का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया था।

3- उक्त घटना में वीरगति को प्राप्त हुए कम्पनी कमाण्डर सोहराव खां तथा आरक्षी अजय कुमार तिवारी को मरणोपरान्त रू0 एक-एक लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त दोनों पुलिस कर्मियों को शासन द्वारा 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गयी थी।

4- उपरोक्त के अतिरिक्त जनरैल सिंह सतराना पर घोषित पुरस्कार रू0 एक लाख की धनराशि हरियाणा सरकार से प्राप्त हुई थी जिसे संबंधित पुलिस कर्मियों में वितरित कर दी गयी थी।

5- उक्त घटना में सम्मिलित 86 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों में से केवल 7 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन द्वारा आउट आफ टर्न प्रोन्नति की संस्तुति की गयी थी:-

1-सर्वश्री ललूराम दिवाकर, निरीक्षक

2-श्याम लाल पाण्डेय, उ0नि0

3-संजय कुमार सिंह, उ0नि0

4-उदय राज सिंह, उ0नि0

5-कृष्ण चन्द्र सिंह, प्लाटून कमाण्डर

6-राम रक्षा पाठक, हे0कान्स0

7-जय प्रकाश सिंह, आरक्षी

उपरोक्त में से श्री लल्लू दिवाकर निरीक्षक को छोड़कर अन्य छः पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को एक रैंक ऊपर आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान की जा चुकी है। श्री लल्लूराम दिवाकर की प्रोन्नति का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

6- उपरोक्त मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए स्व0 अजय कुमारी तिवारी की पत्नी को पुलिस विभाग में लिपिक के पद पर सेवायोजित किया जा चुका है।

7- जहाँ तक प्रश्नगत घटना में वीरता प्रदर्शित करने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किये जाने का प्रश्न है, वीरता पदक का प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।]

जनपद सहारनपुर के मण्डल मुख्यालय की नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर को नगर निगम में परिवर्तित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माया गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजनकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर को नगर निगम में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न श्रोतों से प्रत्यावेदन प्राप्त हुये, जिनमें जनपद सहारनपुर के मण्डल मुख्यालय की नगर पालिका परिषद् सहारनपुर को नगर निगम बनाये जाने का अनुरोध किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव, प्रस्तावित नगर निगम की सीमायें व नक्शा-नजरी, अनुमानित व्यय, बढ़े हुए व्यय, भार वहन करने की क्षमता एवं वर्तमान जनसंख्या इत्यादि सूचनाओं सहित आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा प्रस्ताव

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव का तत्परता से परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोंपरान्त एवं समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्णकर नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर को नगर निगम का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों, होम्योपैथिक कालेजों, आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों के अन्तिम वर्ष की परीक्षा पास करने के उपरान्त इन्टर्नशिप भत्ता भुगतान के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माया गया)

[माननीय सदस्य ने नियम-51 के अन्तर्गत प्रदेश के मेडिकल कालेजों होम्योपैथिक कालेजों, आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों के अन्तिम वर्ष की परीक्षा पास करने के उपरान्त इन्टर्नशिप भत्ता छात्रों को न मिलने के कारण उत्पन्न समस्या की सूचना दी है। माननीय सदस्य ने भी अवगत कराया है कि पिछले 3 वर्ष पूर्व मेडिकल छात्रों की फीस में लगभग 30 गुना बढ़ोत्तरी कर दी गई किन्तु छात्र आर्थिक संकटों को झेलते रहे और किसी प्रकार उन्होंने अन्तिम वर्ष की परीक्षा इस दशा और विश्वास के साथ उत्तीर्ण कर ली कि उन्हें इन्टर्नशिप भत्ता रू01950/- प्रतिमाह मिलेगा किन्तु दुर्भाग्य है कि जनवरी 2000 से मेडिकल छात्रों को इन्टर्नशिप भत्ता नहीं मिल रहा है।

2- इस सम्बन्ध में सूच्य है कि मेडिकल कालेज के छात्रों से ली जाने वाली फीस में विगत लगभग 30 वर्षो से किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1494/इकहत्तर-3-98-328/92, दिनांक 02 अप्रैल, 1998 द्वारा मेडिकल छात्रों से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्व में ली जाने वाली शुल्क में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार एम0बी0बी0एस0 के छात्रों से शिक्षण शुल्क रू0200/-वार्षिक को रू0 1000/-वार्षिक किया गया है तथा आयुर्वेद एवं यूनानी के छात्रों का शिक्षण शुल्क रू0 130/-से बढ़ाकर रू0 650/-तथा होम्योपैथिक के छात्रों का शिक्षण शुल्क रू0 192/-से बढ़ाकर 960/-वार्षिक किया गया है। यह शुल्क वृद्धि मेडिकल कालेजों पर होने वाले व्यय को देखते हुये उपयुक्त है। मेडिकल कालेज के छात्रों से 30 गुना बढ़ोत्तरी कर शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

3- इर्न्टशिप के सम्बन्ध में सूच्य है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों (एलोपैथिक की अन्तिम वर्ष की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रदेश में निर्धारित सीटों पर इर्न्टशिप करायी जाती है, जिसके लिये इर्न्टशिप भत्ता रू0 1950/- प्रतिमाह देने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-9604/इकहत्तर-3-98-529/90, दिनांक 31 दिसम्बर, 1998 द्वारा की गयी है। मेरठ, आगरा, झांसी, गोरखपुर तथा इलाहाबाद के राजकीय मेडिकल कालेजों में जनवरी 2000 से मार्च 2000 तक निधार्रित इन्टर्नशिप की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है कानपुर मेडिकल कालेज में इन्टर्नशिप की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। कुछ धनराशि बकाया के रूप में अवशेष है जिसके तत्परता से भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है।

4- उपरोक्त से स्पष्ट है कि इन्टर्नशिप कर रहे मेडिकल कालेज के छात्रों को इन्टर्नशिप भत्ता, जो शासनादेश द्वारा अनुमन्य है, वह उन्हें दिया जा रहा है। आयुर्वेद एवं यूनानी इर्न्टनशिप तथा होम्योपैथ की इन्टर्नशिप की दर रू0 1500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 1950/-कर दिया गया है।

5- वर्ष 1999-2000 में मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी एवं गोरखपुर में इन्टर्नस को स्टाइपेन्ड भुगतान हेतु रू0 17, 10,000/-की धनराशि का प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में भी इतनी ही धनराशि का प्राविधान किया गया है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उधम सिंह नगर व चम्पावत जिलों में संधिस्थल पर स्थित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में दिनांक 23.3.2000 को ओलावृष्टि होने के फल स्वरूप खटीमा विधान सभा क्षेत्र मे ग्रामों में हुई फसल तथा जान-माल की क्षति को प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजनकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद उधम सिंह नगर व चम्पावत जिलों के संधिस्थल पर दिनांक 23.3.2000 को हुई ओलावृष्टि की घटना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, चम्पावत व नैनीताल से सूचना प्राप्त की गयी है। दिनांक 23.3.2000 को ओलावृष्टि से हुई क्षतियों का जनपदवार विवरण निम्नवत् हैं:-

जनपद उधम सिंह नगर-

जनपद उधम सिंह नगर में 50 ग्राम प्रभावित हुए जिसमें 50% से अधिक क्षति वाले प्रभावित ग्राम कुटरा अलाविर्दी, छिनकी, श्रीपुर विघवा, नौगवानाथ, बिल्हरी (चकरपुर), कुटरी पचौरिया, गोसकुओं खोतसन्डा मुस्ताजर, विघपुरी, बरी अंजनिया व चन्देली हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित कुल कृषि क्षेत्रफल 24.301 एकड़ हैं जिसमें फसल क्षति का प्रतिशत 10-100 हैं। ओलावृष्टि से 1 मनुष्य की मृत्यु हुई है तथा पशु जीवन हानि की सूचना शून्य है। प्रभावित पात्र परिवारों में अहैतुक सहायता मद में 541370=00 रू0 एवं अनुग्रह सहायता मद में 50,000=00 रू0 की धनराशि वितरित की गई है। शेष पात्र कृषकों में राहत सहायता की धनराशि के वितरण का कार्य जारी हैं इसके अतिरिक्त उक्त ग्रामों में माल गुजारी की वसूली 3 माह के लिए स्थगित कर दी गई है।

जनपद नैनीताल-

जनपद नैनीताल में ओलावृष्टि से रामगढ़, धारी एवं ओखलकाण्डा क्षेत्र में फलों एवं फसलों को 10-15% तक क्षति हुई हैं। ओलावृष्टि के फसलों को 50% से कम क्षति होने पर राहत सहायता अनुमन्य नहीं हैं। मनुष्य एवं पशु जीवन हानि की सूचना शून्य हैं।

जनपद चम्पावत-

50% से अधिक क्षति वाले प्रभावित ग्रामों की सूचना शून्य हैं।

जनपद पिथौरागढ़-

50% से अधिक क्षति वाले प्रभावित ग्रामों की सूचना शून्य हैं। उल्लेखनीय हैं कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत दैवी आपदा के अन्तर्गत ओलाविष्ट से ऐसे कृषकों को जिनकी फसलों को 50% से अधिक क्षति हुई हो रू0 500 प्रति एकड़ (पर्वतीय क्षेत्रों में 20 नाली) की दर से जिनको न्यूनतम सीमा 500/= रू0 एवं अधिकतम धनराशि रू0 2,500/=रू0 होगी, अहैतुक सहायता के रूप में प्रदान किये जाने की व्यवस्था हैं इसके अतिरिक्त दैवी आपदा से मृतकों के आश्रितों को रू0 50,000/- कमाऊ सदस्य होने की दशा में तथा रू0 25,000/= गैर कमाऊ सदस्य होने की दशा में अनुग्रह अनुदान की सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रविधान हैं।]

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए रोस्टरिंग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक, दिनांक 7 अप्रैल 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा आगे के लिए स्थगित

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस चर्चा को जारी रखा जाये।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक से 5000 करोड़ रूपये ऋण लेने की योजना, उसकी शर्तें तथा कुछ विभागों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन न किये जाने विषयक दिनांक 10 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 नत्थी (ग) के संबंध में श्री अम्बिका चौधरी आदि की सूचनाओं पर नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-30 पर अंकित चर्चा स्थगित की जाती है। अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुन: बैठेगे। (इसके बाद सदन का उपवेशन 10 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:
दिनांक 27 अप्रैल, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०–एल० 253 विधान सभा (482)–2000–813 (डी०टी०पी०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा